

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

दूसरा भाग

आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं

लेखक

जुगतराम दवे

अनुवादक

रामनारायण चौधरी



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, सन् १९५८

प्रकाशकका निवेदन

यह पुस्तक मूल गुजरातीमें सन् १९४६ में प्रकाशित हुयी थी। ग्रामसेवकोंकी तालीममें यह बहुत अुपयोगी सिद्ध हुयी है। गुजराती भाषा जानने-समझनेवाले अगुजराती लोग, विशेष कर कार्यकर्ता, हमेशा इस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी मांग करते रहे हैं। आज अितने समय वाद भी हम अुनकी मांग पूरी कर रहे हैं, अिससे हमें बड़ा आनन्द होता है।

यह पुस्तक सुविधाके खयालसे तीन अलग भागोंमें बांटी गयी है, परन्तु विषयकी दृष्टिसे तीनों भाग अेक सम्पूर्ण पुस्तकके ही अंग हैं। अिसका पहला भाग हम अक्टूबर, १९५७ में प्रकाशित कर चुके हैं, अिसमें 'आश्रमवासीके बाह्य आचारों' की चर्चा की गयी है। यह दूसरा भाग पाठकोंके सामने है। अिसमें 'आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं' का विवेचन किया गया है। तीसरा भाग प्रेसमें है। वह जल्दी ही पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जायगा। अुसमें 'आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्तों' का विवेचन किया गया है। पुस्तकके पहले भाग तथा तीसरे भागमें चर्चित विषयोंकी विस्तृत सूची अिस भागके अन्तमें दी गयी है, अिससे पाठकोंको अेक ही दृष्टिमें सम्पूर्ण पुस्तकके विषयोंका खयाल आ सके।

आशा है देशकी आश्रम-संस्थाओं, ग्रामसेवा द्वारा भारतके गांवोंमें आशा, अुत्साह और प्राणोंका संचार करनेका ध्येय रखनेवाली सार्वजनिक संस्थायें तथा गांधीवादी आश्रमोंका गहरा परिचय पानेकी अिच्छा रखनेवाले लोग अिस पुस्तकसे जरूर लाभ अुठायेंगे।

१५-१-५८

आदि-वचन

भाभी जुगतरामकी 'आश्रमी शिक्षा' नामक पुस्तकके कुछ प्रकरण में पढ़ गया हूं। अनुकी भाषा तो सरल और सुन्दर है ही। गांवके लोग आसानीसे समझ सकें ऐसी वह भाषा है। आश्रम-जीवनसे सम्बंध रखने-वाली छोटी-बड़ी सभी चीजोंका लेखकने सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है। अन्होंने बताया है कि आश्रम-जीवन सादा है, परन्तु अुसमें सच्चा रस और कला भरी हुयी है। यह परीक्षा सही है या गलत, यह तो पाठक सब लेख पढ़ कर देख लें।

पूना, १७-३-'४६

मो० क० गांधी

अर्पण

आश्रम-वन्धु नानुभाजीको

किसी ग्रंथके पृष्ठोंमें देखी नहीं थी, परन्तु ठीक यही हमारे विचार हैं, ठीक इसी तरह आचरण करना हम पसन्द करते हैं।

जीवनमें सीखनेके विषय सिर्फ़ कोअी बुधोग, कोअी कला-कौशल या कोअी तर्क ही नहीं हैं। परन्तु जन्मके साथ जड़ जमाये बैठी हुअी पुरानी घृणाओं और पुराने हठीले पूर्वग्रहोंसे हमें मुक्त होना है, कभी न किये हुअे नये विचारोंको खूनमें अुतारना है, नअी श्रद्धाओं हृदयमें स्थापित करनी हैं और तदनुसार आचरण करते हुअे सिरका सौदा करनेका शौर्य कमाना है। यह वात साधारण पाठशाला या बुधोगशाला नहीं दे सकती। असके लिये आश्रम-जीवनकी जरूरत है।

चरखा, पींजन और करघेके कला-कौशल तो बुधोगशालामें सीखे जा सकते हैं। परन्तु व्यर्थकी जरूरतों और व्यर्थके मौज-शौकमें काटछांट करके अपने लिये आवश्यक वस्त्रादि चीजें घरमें ही बना लेनेकी तैयारी—तैयारी ही नहीं, परन्तु वैसे जीवनमें आन्तरिक रस पैदा होना तो आश्रममें ही संभव है।

मलमूत्रका निपटारा कैसे किया जाय, असकी शास्त्रीय पद्धति तो किसी विद्यालयमें पाठ पढ़कर जानी जा सकती है। परन्तु अिनके प्रति जो घृणा हमारी जनताके रोम-रोममें घुसी हुअी है और अुस घृणासे भी अधिक जहरीली जो अस्पृश्यता जनतामें पैठी हुअी है, अुस पर तो किसी आश्रममें 'महाकार्य' करते करते ही विजय पाअी जा सकती है। हरिजन बालक या बालिकाको अपना पुत्र या पुत्री बना लेना और अपनी पुत्रीको हरिजन युवकके साथ ब्याह देनेकी अुमंग पैदा होना आश्रमी शिक्षाके बिना संभव ही नहीं है।

बीमारोंको क्या दवा दी जाय, अुनकी सेवा कैसे की जाय, अित्यादि शिक्षा किसी वैद्यशालामें मिल सकती है, परन्तु आत्मजनोंकी या अपनी बीमारीके समय घबरा न जानेकी, अनुचित भाग-दौड़ न करनेकी तथा मृत्युके सामने व्याकुल न बननेकी शिक्षा तो आश्रम-जीवनमें ही मिल सकती है।

हो सकता है कि आश्रममें रहते हुअे भी अैसी शिक्षा किसीको न मिले। असका दोष से अेक कारण होगा। या तो वह नामको ही आश्रम होगा; अिन प्रवचनोंमें जिसका चित्र दिया गया है और जिसका चित्र हमारे हृदयमें अंकित है, वैसा आश्रम वह नहीं होगा। अथवा अुस आश्रममें रहनेवाले अपने हृदयके द्वार बंद करके वहां रहे होंगे, आश्रमी शिक्षाको अुन्होंने अपने अन्दर घुसने ही नहीं दिया होगा।

आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आश्रमवाससे पहले जो श्रद्धाओं हममें नहीं थीं, अैसी बहुतसी नअी-नअी श्रद्धाओं आश्रमवासके कारण हमारे भीतर पैदा हुअी हैं और दृढ़ बनी हैं। वे कव पैदा हुअीं और कव दृढ़ हुअीं, अुनकी शिक्षा हमें किसने और कव दी, असका हमें पता भी नहीं। परन्तु हम देखते हैं कि आश्रम-जीवनने हम सब पर अेकसा असर किया है; और अेकसी परिस्थितियोंमें हम सबके हृदयमें अमुक भाव समान रूपमें ही प्रगट होते हैं; और समान परिस्थितियोंमें हम सब जहां हों वहां अेक ही प्रकारका आचरण करनेको तैयार होते हैं।

हम अपने बच्चोंके साथ कैसा बरताव करें, पति या पत्नीके साथ कैसा बरताव करें, जातिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार रखें, हमारा आहार-विहार कैसा हो, देशके कामोंमें किन सिद्धान्तोंसे काम लिया जाय, यह सब हमने कहाँ, किससे और कब पढ़ा ? यह सब हमें अपने आश्रममें एक-दूसरेसे किसी अकल्पनीय रूपमें मिल गया है।

हमें अपने आश्रमकी शिक्षा लेते लेते यह विश्वास हो गया है कि जिसे सचमुच आत्म-रचना करनी हो, भीतरकी गहरीसे गहरी जड़ों तक शिक्षाको पहुंचाना हो, बसके लिये आश्रम ही सच्ची पाठशाला है।

यह सच है कि जिस आत्म-रचनाके लिये हमने आश्रमवास स्वीकार किया है, बसमें हम अभी तक बहुत पीछे हैं। कुछ बातोंमें तो हम आज भी अतने कच्चे और पीछे हैं कि दुनियाको आश्रमी शिक्षाके हमारे दावे पर विश्वास ही नहीं होता। वे हमारी कमजोरियोंसे आश्रमका मूल्यांकन करते हैं और आश्रमको केवल बाह्य आचार पर जोर देनेवाली और अवृद्धि पर स्थापित अके निकम्मी संस्था मान बैठते हैं।

परन्तु जब हम अपने हृदयकी परीक्षा करते हैं, तब देखते हैं कि पहले हम कहाँ थे और आश्रमवासके बाद आज कहाँ हैं; और यह देखकर हमें आश्रम और आश्रमी जीवनमें छिपी हुई आत्म-रचनाकी अद्भुत, अकल्पनीय और अवर्णनीय शिक्षाका विश्वास हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें जो आत्म-रचना करनी है, बससे हम अभी कोसों दूर हैं। परन्तु हमें यह भी विश्वास हो गया है कि यदि हमें आश्रमी शिक्षाका लाभ न मिला होता तो हम अपने ध्येयसे कोसों नहीं, परन्तु खगोलशास्त्रियोंके 'प्रकाश-वर्षों' जितने दूर होते।

आत्म-रचना किसकी कितनी हुई, आश्रमी शिक्षा किसमें कितनी विकसित हुई, इसका प्रतिक्षण माप लेने लायक पाराशीशी हमारे पास मौजूद है। हमने कितने वर्ष आश्रममें बिताये, इस पर से वह माप नहीं लिया जायगा। परन्तु हमारी सच्ची पाराशीशी यह है कि हम स्वराज्य-रचना कितनी और कैसी कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों हममें आश्रमी शिक्षा पचती जाती है, ज्यों-ज्यों हमारी आत्म-रचनाकी लाल रेखा अंची होती जाती है, त्यों-त्यों हम स्वराज्य-रचना अधिक गहरी, अधिक विद्याल और अधिक सच्ची कर सकते हैं। हमारे घरमें, हमारे बंधेमें, हमारी देशसेवामें — हमारे रचनात्मक कामोंमें हम कितना सत्याग्रह रख सकते हैं, इस परसे हम अपनी आत्म-रचनाका अचूक माप निकाल सकते हैं। छोटा या बड़ा जो भी हमारा जन्मसिद्ध क्षेत्र है, बसमें हम स्वराज्य और सत्याग्रहके तेजस्वी तत्त्व कितने प्रकट कर सकते हैं, इस पर से हम और संसार हमारी आत्म-रचनाका अके अके अंश नाप सकते हैं।

हम खादी, ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम कुछ वर्षोंसे करते आये हैं; हम असहयोग, सविनय कानून-भंग, सत्याग्रह आदि राजनीतिक लड़ाइयोंमें भी कुछ वर्षोंसे भाग लेते आये हैं; हम अपने स्त्री-पुत्रों और जातिके लोगोंके साथ व्यवहार करते आये हैं। यह सब बाहरसे अकेसा दिखायी देता हो, तो भी क्या आश्रमी शिक्षाके पहले और आश्रमी शिक्षाके बादके हमारे व्यवहारोंमें तत्त्वतः अन्तर

नहीं पड़ गया है? वस्तु अके ही है, परन्तु गुण क्या दूसरे ही नहीं हो गये हैं? क्या अुसमें अके प्रकारका रासायनिक परिवर्तन नहीं हो गया है? और आश्रमी शिक्षाके कालमें प्रतिवर्ष और हर मंजिल पर हमारे वहीके वही कार्य क्या गुणोंकी दृष्टिसे भिन्न नहीं होते गये हैं? हमने वारडोलीके असहयोगके समय जैसी लड़ाई लड़ी या जैसा रचनात्मक कार्य किया, अुससे दांडीकूचके समयके हमारे वही कार्य गुणोंमें बदल गये थे और 'करेंगे या मरेंगे' के युगमें तो अुनमें भी कुछ अद्भुत रासायनिक विकास हो गया ।

हम सब आश्रम-बंधु जहां और जिस स्थितिमें हों, वहां हमें अपने परम अुपकारी आश्रम और अुसकी शिक्षाके प्रति अैसी श्रद्धा अपने भीतर जाग्रत रखनेमें मदद मिले, अिस हेतुसे ये प्रवचन मैंने जेलवासके मौकोंका लाभ अुठाकर लिख डाले हैं। और अुन्हें पढ़कर सब स्वराज्य-सैनिकोंमें आश्रमी शिक्षाके लिअे प्रेम अुत्पन्न हो, अुसके बिना आत्म-रचना संभव नहीं और आत्म-रचनाके बिना सच्चे स्वराज्यकी रचना संभव नहीं, यह सत्य अुनके हृदयोंमें स्फुरित हो, यह अिनके लिखनेका दूसरा हेतु है। पहला हेतु तो सार्थक होगा ही; क्योंकि हम सब आश्रम-बंधुओंके बीच प्रेमकी गांठ बंधी हुई है और अुस प्रेमके कारण अके-दूसरेके वचन अथवा प्रवचन हमें हमेशा मधुर लगते आये हैं। दूसरा हेतु सिद्ध करने जितनी मधुरता अिन प्रवचनोंकी भाषामें होगी?

स्वराज्य आश्रम,
वेड़छी

जुगतराम दवे

आत्म-रचना मयवा आश्रमी शिक्षा

छठा विभाग

आश्रमवासीका संसार

३
पान
हम
अब
सुने न

ह
अथवा नाम
विज्ञानियां क
कृष्ण और
क, पड़ान और
नरवीनचर के
दीर्घास्थिति

बीमारी कैसे भोगी जाय ?

कोखी सेवक अथवा आश्रमवासी जीवन कैसे विताये, अिसका अब तक हमने बहुत विचार किया। आज हम अिसका भी विचार कर लें कि अुसे बीमारी किस तरह भोगनी चाहिये और किम तरह मरना चाहिये।

मेरी भाषा सुनकर आपको हंसी आती है ! आप मनमें कहते होंगे : "क्या बीमारी और मौत पूछकर आती हैं ? क्या वे हमेशा अनमोचे मेहमानोंकी तरह अकल्पित दिशाओंसे नहीं आतीं ? अुम समय हमें विचार करनेका अवसर ही कहाँ रहता है ? बीमारी आती है तब वह हमें अुठाकर खटिया पर पटक देती है। अुन समय हम दुःखसे तड़पें और अूंढ़ अूंढ़ करें अथवा यह विचार करें कि बीमारी कैसे भोगी जाय ? और मौत आयेगी तब तो मरनेके ढंगका विचार करनेका हांय ही कहाँ रहेगा ?"

क्या बीमारी सचमुच आपके कथनानुसार अनमोचे मेहमानकी तरह आती है ? आप स्वीकार करेंगे कि जीवन-पद्धतिके जिन अनेक सिद्धान्तोंका हम विचार कर रहे हैं, अुनके अनुसार यदि जीवन विनायें तो बीमारी हमारे पास आ ही नहीं सकती। अगर हम अपने विचारोंके अनुसार खान-पान करें, अुनके अनुसार कपड़े पहनें, अुनके अनुसार शरीर-श्रमके अुद्योग करें, अुनके अनुसार स्वच्छता रखें, अुनके अनुसार आकाशकी गोदमें मोयें और ब्राह्म-मूर्तमें जागें तथा अुनके अनुसार मंयम और सेवाका जीवन वितायें, तो हमारे जीवनसे बीमारीका नाम-निशान ही मिट जाना चाहिये। विचार करेंगे तो आप यह भी देख सकेंगे कि बीमारी आनेका कारण यही होता है कि कहीं न कहीं हमसे अिन सिद्धान्तोंका भंग हुआ है।

हम भोजन-संबंधी कोखी सिद्धान्त न पालें, तरह-तरहके मिर्च-मसालों तथा मीठी चीजोंकी मददसे जरूरतसे ज्यादा न्वायें, चवाये त्रिना खायें, अनाजोंको कूटने, दलने, पीसने और पकानेमें अधिकांश पाचक तत्त्वोंको नष्ट कर डालें और फिर परिणाम-स्वरूप हमारा पेट खराब हो, आंठें कमजोर हो जायं, हमेशा शौच-संबंधी शिकायतें रहा करें, आंखें आयें, मुंह आये, तो अिसमें दोष किसका है ? बीमारी अचानक आधी या हमने अुसे स्वीता ?

हम स्वच्छता-संबंधी किसी सिद्धान्तका पालन न करें, नहाने-धानेका आलस्य करें अथवा नाम करनेको ही नहायें-धोयें ; हवा और प्रकाश-रहित मकानमें दरवाजे और खिड़कियां बन्द करके घुसे रहें ; कहाँ शौच जायं, कहाँ धूकें, कहाँ पानी गिरायें, कहाँ जूठन और कचरा फेंकें, अिसका कोखी विचार न करें और अपनी ही गंदगीसे अपने घर, पड़ोस और गांवके आसपासकी जगहको दुर्गंधमय और रोगका घर बना डालें ; मक्खी-मच्छर जैसे रोग-प्रचारकोंको पैदा करें और अुसके परिणाम-स्वरूप चमड़ीकी बीमारियोंसे पीड़ित हों तथा मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड जैसे बुखारों और अनेक

संक्रामक रोगोंके शिकार वनें, तो क्या जिसमें भी हमारा अपना दोष नहीं है? क्या यह नहीं कहा जायगा कि हम वीमारीको हाथ पकड़कर आग्रहके साथ न्योता देकर लाये?

हम शरीरको उसके धर्मके अनुसार परिश्रम करके तरोताजा, चपल और बलवान न रखें और बड़प्पनके खयालसे दिनभर बैठे या सोये रहें, लिखने-पढ़ने या बातें करनेके सिवा कोजी बुद्योग ही न करें, हाथसे कुदाली या कुल्हाड़ी चलानेके बजाय केवल कलम ही चलायें और रुपया-पैसा ही गिनें, पैरोंको पलथी मारकर बांध दें और अगर आवागमन करना ही पड़े तो अपने पैरोंसे न करके तरह तरहके वाहनों पर सवार होकर करें और जिसके परिणाम-स्वरूप हमारे शरीर कमजोर हो जायं, हाथ-पैर रस्सी जैसे हो जायं, छाती संकरी और पेट फुटवाल जैसा बन जाय, खाया हुआ हजम न हो, शरीरमें चर्बी बढ़ जाय, हम सर्दी, गठिया और दमे जैसी व्याधियोंसे पीड़ित रहें तो जिसमें किसका कसूर है? व्याधिका या हमारा?

हम दिनभर घरमें बन्द रहकर ठंडी छायामें रहें, खुली हवाका सेवन न करें, सूरजकी धूपका सेवन न करें, और घरकी छायामें भी शरीरको कपड़े पर कपड़ा पहनकर अंनमें लिपटा हुआ रखें और उसके परिणाम-स्वरूप हमारा चेहरा निस्तेज हो जाय, हमारी चमड़ी फीकी पड़ जाय, हम सर्दी-गर्मी सहन न कर सकें, वातावरणमें जरा फर्क पड़ते ही हमें जुखाम हो जाय, अजीर्ण हो जाय, तो यह हमारे दोषसे हुआ या वीमारी अपने-आप हमारे पास आजी?

हम कोजी संयम न रखें, ब्रह्मचर्यका पालन न करें और भोग-विलासको ही जीवनका धर्म बनाकर चलें और उसके फलस्वरूप शरीर सुख जाय, निस्तेज और निर्वीर्य हो जाय, भरी जवानीमें हम बूढ़े हो जायं, क्षय जैसे राजरोगसे तो क्या मामूली सर्दी या खांसीसे भी टक्कर न लें सकें जैसे मुर्दार बन जायं, तो जिसमें आश्चर्य क्या?

क्या यही नहीं कहना चाहिये कि हमने स्वयं खास प्रयत्न करके अपने शरीरको हर तरहसे हर रोगके लायक बना दिया है? वीमारीकी जड़में हमारा चटोरा-पन है, हमारा भोग-विलास है, हमारा आलस्य है, हमारी विचारहीनता है, यह स्वीकार करके क्या हमें वीमारीको अंक शर्मकी बात नहीं मानना चाहिये?

जिस प्रकार यदि हम जान लें कि वीमारी विना कारण या विन बुलाये नहीं आती, उसके आनेमें हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है, हमने जीवनके सिद्धान्तोंका भंग करके उसे बुलाया है और हमारे बुलानेसे ही वह आजी है, तो वीमारी कैसे भोगी जाय — वीमारीके समय कैसे रहा जाय, यह तुरन्त हमारी समझमें आ जायगा।

पेट फूल जाय तो हम अंक-दो लंघन करके पेटका भार हलका कर लेंगे और उसे आरामसे अपना काम करनेका मौका देंगे। अफरा अधिक हो तो आक या अरंडीके पत्ते पेट पर बांधकर या मिट्टीकी पट्टी रखकर और अन्तमें कोजी हलका-सा जुलाव

लेकर शरीरको खराबी निकालनेमें मदद देंगे। सिरदर्द, जुकाम वगैरा मामूली तकलीफें तो अितना करनेसे अपने-आप शान्त हो जायंगी।

बुखारसे भी हम घबराहटमें नहीं पड़ेंगे। हम समझ जायेंगे कि हमारी लम्बी लापरवाहीसे हमने शरीरमें बहुतसा मल और जहर जमा होने दिया है, और कुदरतने अब अकुलाकर खुसे निकालनेके लिये युद्ध छेड़ दिया है। हम कुदरतको अपना काम निश्चिन्त होकर करने देंगे, शान्तिसे पड़े रहेंगे और दुःख सहन करेंगे। कोबी सिर दबाओ, कोबी पैर दबाओ, सिर पर वाम लगाओ, डॉक्टरके यहां दौड़ो—अस प्रकार बेकारकी बांधली मचाकर हम आसपासके लोगोंको व्यर्थ परेशान नहीं करेंगे। खाना तो हमें बुखारमें भायेगा ही नहीं। न खा सकनेके कारण हम व्यर्थ घबराहटमें नहीं पड़ेंगे और नमक-मिर्चकी चरपरी सेव-पकौड़ियां वगैरा बनवा कर किसी भी तरह खानेमें मन नहीं रखेंगे। हम समझ जायेंगे कि शरीर रोगसे लड़नेमें लगा हुआ है, अुने नबी खुराक पचानेकी अभी फुरसत नहीं है। कुछ न भानेका जिसके सिवा और क्या अर्थ हो सकता है? जब तक हमें कड़ाकेकी भूख न लगे तब तक खाना बन्द रखेंगे। बुखार बहुत अतह्य होगा तो सिर और पेट पर गीली मिट्टीकी पट्टी रखेंगे। बुखारके दिनोंमें कड़वी चीजोंका सेवन करेंगे।

खाज-खुजली जैसे चमड़ीके रोग पैदा हो जाय तो भी व्यर्थकी घबराहटमें पड़कर हम तरह तरहके मलहम खरीदने नहीं दौड़ेंगे, परन्तु नहाने-धोनेमें अधिक सावधानी रखेंगे। मैले रहकर चमड़ी विगाड़नेका प्रायश्चित्त करनेको दिनमें दो-तीन बार भी नहायेंगे। जरूरत होगी तो गरम पानीमें नीमके पत्ते बुवाल कर अुससे नहायेंगे। चमड़ीको सूरजकी धूप खिलायेंगे, दूसरी तरफ पेटके भीतरका कचरा निकालनेमें भी शरीरकी सहायता करेंगे।

शरीर मोटा होने लगे अथवा दमे या गठिया जैसे रोगोंके चिह्न दिखायी देने लगे, तो हम समय पर चेत जायेंगे। हम तुरन्त समझ जायेंगे कि यह बैठा धंधा करनेका और खाने-पीनेमें किये गये असंयमका फल है। हम दिनचर्यामें बड़ा फेर-वदल कर लेंगे। अुसमें शरीर-श्रमका काम दाखिल करेंगे। पहले हलका काम करते करते धीरे धीरे अुसकी मात्रा बढ़ाते जायेंगे। खुराकमें मीठी और नमकीन चीजोंका शौक मिटाकर रोटी-दूध और साग-भाजी जैसे सादे अन्नका शौक बढ़ायेंगे। और वह भी अितना ही खायेंगे जिससे पेट कुछ खाली रहे।

धय जैसे किसी राजरोगके शिकार हो जाय तो भी हम व्यर्थ घबराहटमें नहीं पड़ेंगे। मरनेसे पहले मुरदा बन गये हों, अस तरह व्यवहार नहीं करेंगे। डॉक्टर-वैद्योंके पीछे पड़कर वरवाद नहीं होंगे। अिलाज करानेकी हमारी स्थिति है या नहीं, यह देखे बिना कुटुम्बको भूखा मारकर अपने-आपको जिलानेके लिये हाथ-पैर नहीं पीटेंगे। हम समझ जायेंगे कि शरीर सूर्यकी जीवनदायी धूप चाहता है। अुसे खुली स्वच्छ प्राणप्रद हवाकी जरूरत है। हम गांवका तंग, हवा-रोशनीसे वंचित, दुर्गन्धयुक्त वातावरणवाला घर छोड़कर किसी खेत जैसी खुली स्वच्छ जगहमें रहने चले जायेंगे। शरीरको कपड़ोंके

कैदखानेसे मुक्त करके अुस पर सूर्यकी कोमल किरणें नाचने देंगे और हवाको खेलने देंगे। खाने-पीनेके स्वादोंसे निर्वल वने हुअे शरीरका भार नहीं बढ़ायेंगे। हमारे कफ आदिकी औरोंको छूत न लगे अिसकी चिन्ता रखकर अुसे सावधानीसे गाड़ देंगे। आधा रोग तो अितना करनेसे ही मिट जायगा। गाय पालकर अुसका ताजा दूध सेवन करेंगे और शरीरमें कोअी खास दोष हो तो अुसके निवारणके लिये अुचित औषधि लेंगे। अिस प्रकार रहेंगे तो अीश्वर-कृपासे राजरोग पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे।

यह कोअी आरोग्यशास्त्र पर अथवा वैद्यकशास्त्र पर भाषण नहीं है। अैसा भाषण देनेकी मेरी योग्यता भी नहीं है। और न मुझे अिसकी आवश्यकता है। मेरा यह मतलब नहीं कि किसी भी रोगमें वैद्य-डॉक्टरोंकी शरणमें नहीं जाना पड़ेगा। परन्तु ८० फी सदी बीमारीमें तो ये मामूली बातें ही होती हैं, जो अिस प्रकार रहन-सहनमें सुधार करनेसे अपने-आप मिटाअी जा सकती हैं।

शरीरमें कुछ होते ही वैद्य-डॉक्टरके पास दौड़ जाना चाहिये, 'शरीरके रोगके बारेमें हम क्या जानें? जिसका काम वही करे। हम तो पैसा खर्च करके बोतलें भर लानेके सिवा और क्या कर सकते हैं?' अैसा खयाल रखना ही अेक तरहकी बड़ी बीमारी है। दूसरी बड़ी बीमारी है शरीरको जरा वेदना हुअी कि हिम्मत हार बैठना, हाथ-पांव पीटना या चिल्लाते रहना। "कुछ भी करो परन्तु अिस वेदनासे मुझे छुड़ाओ, वैद्यको लाओ नहीं तो डॉक्टरको लाओ। अेक रुपयेवाला डॉक्टर अैसा करनेमें असफल हुआ तो पांच रुपयेवाला लाओ और अुसकी दवा पेटमें पहुंचनेसे पहले बीस रुपयेवाले डॉक्टरको बुलाओ!" वेदनाके सामने अैसे कायर बन जाना, बीमारीके आगे अिस प्रकार पामर बन जाना, मस्तिष्कका संतुलन खो बैठना और डूबते हुअे आदमीकी तरह हाथ-पांव पछाड़ना किसी भी मनुष्यकी मनुष्यताको लांछित करनेवाला व्यवहार है, तो फिर सेवकको तो वह शोभा दे ही कैसे सकता है?

वेदना, दुःख, संकट — फिर अुसका कारण शरीरका दुःख हो अथवा दैवी या भौतिक विपत्ति हो — के विरुद्ध घबराये बिना, हिम्मत हारे बिना, मस्तिष्कको शान्त और स्थिर रखकर अटल खड़े रहना, कष्ट सहन करना पड़े तो हंसते हंसते सहन करना और समझके साथ अुसका अुपाय करना ही मनुष्यको शोभा देता है। यही वीरधर्म है। बीमारीका भी अिसी वीरधर्मसे सामना करना चाहिये।

घबराहटका अेक कारण सहनशक्तिका अभाव है, और दूसरा कारण अज्ञान है। शरीरके बारेमें, अुसे नीरोग और सशक्त रखनेके नियमोंके बारेमें, बीमारीके आने और मिटनेके बारेमें हमारा अज्ञान कितना भारी है? अिस सम्बन्धका ज्ञान न तो हमें घरमें मिलता है और न पाठशालामें। हम खुद बीमार होते हैं और हमारे आसपासके लोग भी समय समय पर बीमार होते हैं। परन्तु हम अपने अनुभवोंसे भी कोअी ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अुस समय हम कायर बन जाते और घबरा जाते हैं। अिसलिये वैद्य-डॉक्टरोंके अिलाज पर रुपया खर्च करनेके सिवा हमें कुछ नहीं सूझता।

हमारा अपना अज्ञान जितना बड़ा होता है, अतने ही डॉक्टर साहब हमें सर्वज्ञ और अकेला तारनहार दिखायी देते हैं। हम दिन बदनकर अतनेके सामने ताकते रहते हैं। वैद्य-डॉक्टर जैसे घबराये हुअे, कायर और बेवकूफ बीमारोंकी मूर्खताका लाभ न अठायें तो फिर किसका अठायें? वे जैसे जैसे हमारी घबराहट अधिक देखें, वैसे वैसे हमें अधिक चींकाते जायं और अधिक दाम निकलवाते जायं तो अिसमें आश्चर्य क्या ?

फिर वे देखते हैं कि हमें बीमारीके दुःखसे तो वचना है, परन्तु आहार-विहारमें जरा भी संयम नहीं रखना है, अंश-आराम पर काबू नहीं रखना है और गादी-तकिया छोड़कर मेहनत नहीं करनी है। अिसलिये वे हमें अैसी ही दवाअियां देते हैं, अिनसे दो घड़ी अूपर अूपरसे आराम मालूम होता है और पीड़ा दब जाती है, परन्तु रोग शरीरमें गहरा पैठता जाता है और थोड़े समय बाद अधिक जोर और अधिक वेदनाके साथ दुवारा फूट निकलता है। डॉक्टर अीमानदार हो और हमारा धन हरनेको अैसी युक्ति न करता हो, तो भी जब तक हम खुद आरोग्यके नियमोंका पालन करके अुसके काममें सहयोग न दें, तब तक वह हमें स्थायी रूपमें स्वस्थ कैसे कर सकता है ?

हम सेवकोंको तो खास तौर पर समझना चाहिये कि जैसे बीमारीसे घबराना शर्मकी बात है, वैसे ही बीमारीके वारेमें और शरीरके नियमोंके वारेमें अैसा अज्ञान रखना भी बहुत शोभास्पद नहीं है। हम आलस्य और अज्ञानवश अपना घर न संभालें, अुसे गन्दा रखें और गिर जाने दें, तो यही समझना चाहिये न कि हम गृहस्थ बनने लायक नहीं हैं? तब शरीर तो हमारी घरसे भी अधिक निकटकी, अधिक महंगी सम्पत्ति है। अुसके अिना हम तिनका भी नहीं तोड़ सकते और अुसके द्वारा हम बड़ेसे बड़े काम कर सकते हैं। अैसा शरीर परमेश्वरने हमें जन्मके साथ प्रदान किया है। अुसे हम जरा भी न जानें, अुसे संभालनेकी कला सीख लेनेका थोड़ा भी प्रयत्न न करें, तो हम अैसे सुन्दर और अनेक शक्तियां तथा गुणोंसे युक्त शरीरके स्वाभी बननेके लायक ही नहीं हैं। अुसके अुदार दाता परमेश्वरके सामने हमें शर्मसे सिर नीचा कर लेना पड़ेगा।

अिसलिये शरीरके वारेमें, आरोग्यके वारेमें, बीमारियों और अुनके अुपचारोंके वारेमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहना हम सेवकोंका धर्म है। स्कूल-कॉलेजोंमें पढ़नेसे ही वह ज्ञान मिलता है, यह निरा भ्रम है। हम खुद बीमार पड़ें, हमारे कुटुम्ब और संस्थामें बीमारी आये, अुस समय हम लगनपूर्वक अुस बीमारीके कारण, लक्षण और अुपचार जानकर लोगोंसे समझते रहें, तो हम कॉलेजमें पढ़े अिना भी आधे डॉक्टर तो बन ही जायंगे। अैसे परम आवश्यक कामके लिये अुतना प्रयत्न न करना शिथिलता और मंद बुद्धिकी निशानी है, और सेवकोंके लिये तो सचमुच लज्जत होनेकी बात है।

शरीर और अुसके आरोग्यसे सम्बन्ध रखनेवाला ज्ञान स्वयं बीमारीसे वचनेके लिये तो आवश्यक है ही, परन्तु हमारे सेवक-धर्मके पालनके लिये भी वह निहायत

जल्द ही है। सेवक-धर्म अत्यन्त विशाल है और अक्सर अनेक प्रकारकी सेवाओंका समावेश होता है। परन्तु सबसे सीधी और प्रत्यक्ष दिखानी देनेवाली कोषी सेवा ही तो वह बीमारोंकी सार-संभाल ही है। हम खादी-सेवक हों, राष्ट्रीय शिक्षक हों या स्वराज्यके सेवक हों; आश्रममें रहें, घरमें रहें, ग्रामसेवकोंके बीच जाकर बस जायं या स्वराज्यकी लड़ाई लड़ते हुये जेल चले जायं — बीमारोंकी सेवा करनेके मौके हमेशा आयेंगे ही। गीताकी भाषा चुराकर कहा जा सकता है कि “भाग्यशाली सेवकोंको रोगियोंकी सेवाके अवसर, खुले स्वर्गद्वारकी भांति, सदा मिल ही जाते हैं।”

ऐसे अवसर पर साधारण लोगोंके व्यवहारमें और समझदार सेवकोंके व्यवहारमें फर्क रहेगा। सामान्य लोग मानेंगे कि बीमारीके मामलेमें हमें क्या पता चल सकता है? यह काम वैद्य-डॉक्टरोंका है। ज्यादा करेंगे तो वे डॉक्टरके यहांसे दवा ला देंगे या डॉक्टरको बुला लायेंगे। लेकिन सेवक समझता है कि डॉक्टरके पास जाने जैसी बीमारी कभी-कभी ही होती है; ८० प्रतिशत रोग तो साधारण प्रकारके होते हैं, जो अुपवास करनेसे अथवा हम जिन सादे अिलाजोंका विचार कर चुके हैं अुन अिलाजोंसे आसानीसे मिट जाते हैं। वह रोगीकी घबराहटके समय अुसके पास रहेगा, अुसे साहस दिलायेगा, आनन्दमें रखेगा और अैसे छोटे-छोटे अिलाज करेगा जिससे अुसकी वेदना कम हो जाय। बीमार अुठ-वैठ न सके तब सेवक अुसे हर तरहसे बिनमांगी मदद देकर अैसा काम करेगा जिससे अुसे पूरा आराम मिले, जरूरत पड़ने पर वह रातको जागकर अुसकी सेवा करेगा, अुसका पाखाना, पेशाब, थूक व कफ प्रेमसे अुठाकर अुसे गाड़ने-दवाने वगैराकी अुचित व्यवस्था करेगा और अुसके कपड़े, अुसका बिछौना और अुसका मकान बहुत साफ रखेगा। सेवक जानता है कि स्वच्छता रोगीका आधा रोग दूर करती है। पुरानी आदत और गलत समझके कारण रोगी चाहे तो खाने-पीनेकी बिच्छा करेगा तो सेवक अुसे प्रेमसे रोकेगा और दवा या फल आदि खिलाना जरूर ही होगा तो प्रेमसे समझा कर अपने हाथसे खिलाये-पिलायेगा। वह जानता है कि बीमारीमें रोगीका चिड़चिड़ा और तेजमिजाज हो जाना स्वाभाविक है, अिसलिये अुसके साथ वह धीरज और खामोशीसे पेशा आयेगा और प्रेमपूर्ण सेवाके बलसे अुसे अपने वशमें करेगा। सेवक मौका देखकर बीमारको बीमारीके कारण समझाकर अुसकी घबराहट दूर करेगा और जो अिलाज चल रहे हों अुनमें अुसका सहयोग प्राप्त करेगा।

बीमार जब बीमारीसे अुठेगा तब प्रकृति स्वयं अुसके शरीरके दोष निकाल चुकी होगी। अिस बीच सेवा करनेवाले सेवकने रोग-संबंधी अुसका अजान दूर कर दिया होगा। वड़ेसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि संकटके समय सेवा करने और करानेवाले दोनोंके हृदय गहरे प्रेम-संबंधमें बंध जायेंगे और बीमारको बीमारीका सामना कैसे किया जाय अिसकी कला आ जायगी। अितना ही नहीं, अैसी प्रेमपूर्ण सेवा पानेवाले बीमारको स्वयं रोगियोंकी सेवा करनेका शौक स्थायी रूपसे लग जाय तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि सेवाका शौक अेक संक्रामक वस्तु है।

सेवककी ऐसी पद्धतिका रोगी और दुःसके सगे-संबंधी शूलमें काफी विरोध करेंगे। रोगी खुद तो सेवा और प्रेमके सामने लम्बे समय तक विरोध नहीं कर सकता। प्रेम और सेवामें मनुष्यको वश करनेकी कैसी अद्भुत शक्ति है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेवालोंको अचूक रूपमें होता है। परन्तु दूसरे सगे-संबंधियोंके विरोधको जीतना अतना आसान नहीं होगा। अन्हें बीमारके सुखकी ही अेकमात्र दृष्टि हो तब तो वे भी थोड़े समयके अनुभवसे शान्त हो जायेंगे। परन्तु अुनके मनमें अक्सर दूसरे ही मोह होते हैं। अुनके मनकी गहराबीमें यह चिन्ता छिपी रहती है कि रोगीके लिये बहुत रुपया खर्च करके डॉक्टरोंको नहीं बुलायेंगे और दवायें नहीं लायेंगे, तो जात-विरादरी और पास-पड़ोसमें हमारी निन्दा होगी।

सेवक कच्चा हो तो वह स्वयं भी अैसे मोहसे मुक्त नहीं होता। अपने वच्चोंकी बीमारीके समय वह स्वयं जानता है कि जिसमें धांधली मचाने या डॉक्टरोंके पास दौड़नेकी कोअी जरूरत नहीं है। परन्तु पत्नी प्रहार करती है, "तुम्हें वच्चेके लिये प्रेम नहीं है, वच्चेसे तुम्हें पैसा ज्यादा प्यारा है।" भाअी-वहन बीमार पड़े हों तब शायद मां-बाप अुसे अैसे वचन कहेंगे। कच्चा सेवक अपने विचारोंको जेवमें डालकर मन्मन्वियोंको खुदा करने लग जायगा। घरमें बीमारकी खाद हो तब निर्माही बनकर विचार अथवा चर्चा करने लायक संतुलन किसीके दिमागमें नहीं होता। दिमाग तुनकमिजाज हो जाता है और जरासी वातमें अुसे बुरा लग जाता है। परन्तु सच्ची कला मनुष्यको अैसे समय ही दिखानी होती है। क्या अैसी कला हम दिखा सकेंगे? अथवा हम स्वयं बीमारीके आंखोंके सामने खड़े होने पर अपना दिमाग खो बैठेंगे और अपनी श्रद्धा व समझ गंवा देंगे?

बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्यों और डॉक्टरोंके बारेमें कहा जाता है कि जब वे स्वयं बीमार पड़ते हैं अथवा अुनके घरमें कोअी अपना आदमी बीमार पड़ता है, तब वे बहुत धबरा जाते हैं और जिस तरहका व्यवहार करने लगते हैं मानो अपनी सारी विद्या भूल गये हों। सामान्य मनुष्यकी तरह वे दूसरे डॉक्टरोंके यहां भागदौड़ करते हैं, बीमारका दुःख भुलानेके लिये किसी अज्ञानी मनुष्यकी भांति वह जो मांगे सो अुसे देते हैं और अुसके सामने रोने बैठकर अुसकी हिम्मत छुड़ा देते हैं। यह केवल डॉक्टरोंके ही मामलेमें होता हो अैसी बात नहीं। क्या हम सेवकोंको यह आत्म-विश्वास है कि हम जिस प्रकारकी दुर्बलताके वश नहीं होंगे? दूरके रोगियोंके बारेमें हम जो सयानापन और धीरज दिखाते हैं, वही जब हमें या हमारे निकटके सम्बन्धियोंको अथवा जिनकी हम पर जिम्मेदारी हो अैसे विद्यार्थियोंको बीमारी हो जाय तब भी क्या हम दिखा सकेंगे? अथवा अैसी कसौटीके समय हम भी अपने विचार और विश्वास छोड़कर साधारण लोगोंकी तरह आचरण करने लगेंगे?

पढ़े-लिखे लोगोंमें बीमारी होते ही जैसे डॉक्टर और दवा ही मूझती है, वैसे देहातमें लोगोंको जादू-टोने मूझते हैं। अुन्हें तुरन्त शंका होती है कि कोअी भूत-प्रेत अथवा डायन दुःख दे रही है, किसीकी नजर लग गयी है अथवा किसी दुश्मनने मूठ चला दी

है। ओझा आकर सिर हिलाते हैं, झाड़ू घुमाते हैं, बकरे-मुर्गेका भोग चढ़ाते हैं, अतारा रखवाते हैं और तरह तरहके खर्च और ढोंग करवाते हैं।

गांवोंमें भी बहुतसे सुधारक मानते हैं कि यह सब अन्धविश्वास है। परन्तु जब अपने घरमें बीमारी आ जाती है तब वे अपने सुधारक विचारों पर दृढ़ नहीं रह पाते और परम्परासे चले आ रहे अन्धविश्वासोंके आगे सिर झुकाकर ओझाओंकी शरणमें चले जाते हैं। “शायद लोगोंका अन्धविश्वास सही हो; डायन भोग न मिलनेसे कुपित होकर कहीं प्राण ले ले तो? कुछ समयके लिये सुधारको दूर रखनेमें ही सलामती है।” कमजोरीमें अुनका मन इस तरह विचार करता है और वे ओझाओंका आश्रय लेते देखे जाते हैं।

हम पढ़े-लिखे लोग छुटपनसे इस प्रकारके अन्धविश्वासोंमें नहीं पले होते, इसलिये हमें ग्रामवासियोंके अिन अन्धविश्वासों पर हंसी आती है और अुन पर दया आती है। परन्तु अुनके यदि अपने अन्धविश्वास हैं तो हमारे भी अपने अन्धविश्वास हैं। जिस घबराहटके अवीन होकर वे ओझाओंकी शरण ढूंढते हैं, वैसी ही घबराहटके वश होकर क्या हम वैद्य-डॉक्टरोंकी शरण नहीं ढूंढते? असली भूत और असली डायन तो यह है कि हमने खाने-पीने और रहन-सहनमें ज्ञान अथवा संयम नहीं रखा और प्रकृतिके नियमोंको तोड़ा। इस बातको जैसे वे नहीं समझते वैसे हम भी नहीं समझते। कभी कभी तो अन्धविश्वासी देहातियों पर हंसनेवाले पढ़े-लिखे लोग बीमारी आने पर अैसे घबरा जाते हैं कि वे भी ओझाओंको बुलाकर डुगडुगी वजवाने लगते हैं। “कहीं गांवके लोगोंकी मान्यता सच हो तो? सिर्फ इस अवसर पर ओझा बुलवा लेनेमें क्या नुकसान है? व्यर्थ क्यों डायनके शिकार बननेका खतरा मोल लिया जाय?” अुनका घबराया हुआ दुर्बल मन इस प्रकार विचार करने लग जाता है।

बीमारीकी घबराहटमें लोग अेक जो बड़ी दुर्बलता दिखाते पाये जाते हैं अुसका अुल्लेख भी यहीं कर दूं। साधारणतः जो लोग वंश-परंपरासे मांस-मदिरा नहीं खाते-पीते और जिन पर अिनके विरुद्ध संस्कार पड़े होते हैं, वे जब बीमारीके फन्देमें फंस जाते हैं तब मनसे विलकुल दुर्बल बन जाते हैं और दवा तथा पौष्टिक खुराकके तौर पर ये चीजें लेने लग जाते हैं। इस प्रकार अंडे, मछलीका तेल, लीवरकी दवाओं, द्राक्षासव और ब्राण्डी जैसी चीजोंका प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।

कभी लोग तो अैसा कहते भी सुने जाते हैं कि हिन्दुस्तानके लोग अनेक पीढ़ियोंसे मांस-मदिराका सेवन छोड़नेसे रजोगुण-हीन बन गये हैं, दुर्बल शरीर और कायर स्वभाव-वाले बन गये हैं, यद्यपि आज मांसाहारी लोगोंमें और आहारशास्त्रका अध्ययन करने-वाले लोगोंमें अैसा मत जोर पकड़ता जा रहा है कि मांस शरीरमें अनेक रोग पैदा करता है और वह जो शक्तिवर्धक कहा जाता है अुसमें भी पूरा सत्य नहीं है। शराबको तो सभी लोग भयंकर और हानिकारक पेय मानते हैं। फिर भी अुन लोगोंके साथ विवादमें पड़नेकी हमें जरूरत नहीं है। मांसाहारी लोग खुराकमें भी अहिंसा पालन करने लग जायं, अैसी आशा रखनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने पीढ़ियोंसे अिन

चीजोंको छोड़ रखा है, जो उसे अपनी बड़ी विरासत मानते हैं और उसके लिये अपने पूर्वजोंका अर्थ स्वीकार करते हैं, वे बीमारीकी घबराहटमें अपने पूर्वजों द्वारा अपाजित सद्गुणोंको फेंक दें, यह क्या उन्हें शोभा देता है ?

फिर जिन चीजोंको मूल रूपमें वे हाथसे भी नहीं छूते, उन्हें चूर्ण या चाटनेकी औपधिके रूपमें लेने लें अथवा उनके अिजेक्शन लें यह क्या ठीक है ?

लेकिन यहां भी मांसाहार करके वे पीढ़ियोंकी टेक खोते हैं, जिस मुद्दे पर हम जोर देना नहीं चाहते। लेकिन बीमारीमें अितनी घबराहट होना कैसी दीन दशाका द्योतक है, जिसी और हम अिधारा करना चाहते हैं। वास्तवमें, बीमारीसे जिस हद तक डरना, दीन बन जाना मनुष्यकी मनुष्यता पर बड़ा लंछन ही है।

और आज हमने देखा कि यह डर कितना कल्पित और बेकार है। मैं आपको कह चुका हूं कि अस्मी फी सदी बीमारियां तो जरा भी डरने जैसी नहीं होतीं। हम स्वयं अपना व्यवहार ठीक करके प्राकृतिक सिद्धान्तोंके अनुसार खान-पान रखने लें, तो किसी वैद्य-डॉक्टरके पास गये बिना ही हम बीमारीको स्वयं मिटा सकते हैं। बहुतसी छोटी-छोटी बीमारियां तो लोग कुछ न करें, संयम पालन करके कुदरतको मदद न करें, तो भी अपना शरीर-शुद्धिका काम करके तीन-चार दिनमें शान्त हो जाती हैं। लेकिन धीरज किसे रहता है ? डॉक्टरवाले डॉक्टरके पास दौड़ जाते हैं और ओझा-वाले ओझोंके पास दौड़ जाते हैं; न खाने लायक चीज खाते हैं, न पीने लायक चीज पीते हैं, निर्दोष जानवरोंकी जान लेते हैं, और जो यश प्रकृतिका अपना होता है उसे बिन झूठे अिलाजोंके नाम लिखवाते हैं।

प्रवचन ३१

मृत्युके साथ कैसा सम्बन्ध रखा जाय ?

अब तक हमने सादी बीमारियोंके बारेमें ही विचार किया, परन्तु जीवनमें सच्ची गंभीर बीमारियोंके अवसर भी प्रत्येकके भाग्यमें कभी न कभी आते ही हैं; और उनमें से कोजी कोजी बीमारी मीत तक पहुंचा देनेवाली भी साबित होती है।

ऐसे मौकों पर जानकार वैद्य-डॉक्टरोंकी सलाह लेनी ही चाहिये। परन्तु यह मानना भूल है कि वैद्य या डॉक्टरकी गोली ही सब कुछ कर देगी। ऐसे मौकों पर तो सेवा-शुश्रूपाकी अुत्तमसे अुत्तम कला दिखानेकी, रोगीको प्रेम और सेवासे नहलाकर उसमें साहस और आशा बनाये रखनेकी और रोगके साथ युद्ध करनेमें उसका सहयोग प्राप्त करनेकी खास जरूरत होती है। ऐसा करते हुअे मृत्युको लौटाया न जा सके तो भी बीमारके अंतिम दिनोंमें उसे सुख-शांति, आशा और प्रेमका वातावरण तो दिया ही जा सकेगा। मैंने कहा कि गंभीर बीमारीमें वैद्य या डॉक्टरकी सलाह और सहायता ली जाय। परन्तु हम सेवक तो गरीबीका व्रत लिये होते हैं। हम गांवोंमें रहते हैं। वहांके लोग भी अत्यंत कंगाल स्थितिमें होते हैं। और जिस जमानेके

वैद्य-डॉक्टर सेवाभावसे काम करनेमें विश्वास नहीं रखते, तथा उनका दवाबियां भी सस्ती नहीं होतीं। जिसलिसे चाहें तो भी उनका सलाह या सहायताका लाभ हम बहुत थोड़ी मात्रामें ले सकते हैं।

जो अच्छेसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, वे ज्यादातर शहरोंमें ही रहते हैं। वेचारे गांव अन्हें कैसे निवाह सकते हैं? गांवसे कोसी दुःखका मारा अन्हें बुलाने जाय तो कष्टपूर्ण प्रवास और अुसमें लगनेवाला बहुतसा वक्त, अिन दोनोंका हिसाब लगाकर वे अुससे शहरी ग्राहकोंकी अपेक्षा भी अधिक फीस मांगते हैं। गांवके साधारण लोग अैसे अवसर पर बहुत रोना-पीटना मचाते हैं, रोगीको तड़पता छोड़कर डॉक्टरको बुलाने शहर जाते हैं, अपना वूता न हो तो भी कर्ज करके अुसकी भारी फीस चुकाते हैं और भारी किराया देकर अुसके लिसे गाड़ी या मोटर ले आते हैं। परन्तु गांवकी आबादीमें अैसा कर सकनेवाले मुश्किलसे सौमें दो-चार आदमी ही होते हैं। अधिकांश लोगोंको तो मन मसोसकर ही रह जाना पड़ता है।

सेवक अैसे समय दुखी नहीं होगा। वह जानता है कि अैन वक्त पर कुशल डॉक्टरकी मदद मिल सकने पर रोगियोंको लाभ जरूर हो सकता है, परन्तु यदि यह अुसके वूतेसे वाहरकी चीज हो तो वह अफसोस करने नहीं बैठेगा, वल्कि अुसके हाथमें जो भी अुपाय होगा अुसीमें अपना मन पिरोयेगा। वह जानता है कि वड़ेसे बड़ा डॉक्टर ला सकने पर भी अुसके पांच मिनटके लिसे आ जानेसे और अुसकी कीमतीसे कीमती दवासे भी सब काम पूरा नहीं होता। अुसके बाद भी खुद रोगीको और अुसके सेवकोंको बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। दवा और डॉक्टरकी अपेक्षा रोगीको वचानेकी कुंजी अुनके अपने ही हाथमें अधिक है। अैसा मानकर सेवक तो प्रेम और सेवा करनेमें कमाल कर देगा। रोगीको भी यह देखकर हिम्मत बंधेगी कि दिनरात चिन्ता रखकर अुसकी छोटीसे छोटी जरूरतको देखनेवाला कोसी है। जिससे रोगीका अपना हृदय भी प्रेम और आनन्दमें रहेगा। और जिस आनन्दके प्रभावसे बहुत संभव है वह वच भी जाय।

अंतिम बीमारीमें सगे-सम्बन्धी और डॉक्टर बीमार मनुष्यको अुसकी सच्ची हालतके वारेमें अंधेरेमें रखनेको सयानापन मानते हैं। वे अुसे अनेक झूठी बातें कहकर जिस बातको भुलानेकी कोशिश करते हैं कि मौत नजदीक आ रही है। परन्तु जिसमें कभी किसीको सफलता मिली हो अैसा मने नहीं देखा। वे खुद मौतके विचारसे पूरी तरह घबराये हुअे होते हैं और अुनका बोलना-चालना, अुनकी आंखें, अुनका चेहरा, अुनकी अेक-अेक हलचल जिस घबराहटको स्पष्ट बता देती है। रोगी जिसे समझे विना नहीं रहता, अल्टे वह तो सच्ची हालतसे भी अधिक गम्भीर स्थितिकी कल्पना कर-लेता है और मृत्युको भूलनेके वजाय अधिक निराश हो जाता है।

हम सेवक अैसी नीतिमें विश्वास नहीं रखते। हम यह नहीं मानते कि झूठका जाल खड़ा करनेसे किसीको कोसी लाभ हो सकता है। हम नहीं मानते कि जिस तरह किसीको लम्बे समय तक अंधेरेमें रखा जा सकता है। हमें जिसमें समझदारी नहीं परन्तु अुससे अुलटी ही बात दिखायी देती है।

अपनी बीमारीका सच्चा स्वरूप जाननेसे रोगी हिम्मत नहीं हारता। यदि अुसके आसपास प्रेम और सेवाका स्फूर्तिमय वातावरण रखा जाय तो सच्ची स्थितिकी समझनेसे बीमार हमारी सेवा-शुभूपामें हादिक सहयोग देता है। यदि रोग असाध्य ही तो वह धीरे धीरे अपने मनको अंतिम विदाजीके लिये तैयार करता है और नासमझ सम्बन्धी यदि घबराहट दिखाने या रोना-पीटना करते हैं तो उन्हें मांत्वना देता है। इस प्रकार मनसे तैयार हो जानेके कारण जब अन्तकाल आता है तब वह अितनी शान्तिपूर्वक प्रयाण कर सकता है मानो किसी दूसरे गांव जा रहा हो। अंतिम दिनोंमें सुन्दर सेवा और प्रेम मिलनेके कारण अुसका मन आखिरी समय तक प्रसन्न रहता है। वह अपनेको परम सौभाग्यशाली मानता है। इस दुनियाके दुःख-ददं और क्लेश-कष्ट भूलकर अुसके मीठे स्मरण लेकर विदा होता है और अुसका जीवन और मृत्यु दोनों सुधरे, अिसके लिये सगे-सम्बन्धियोंका उपकार मानते हुअे तथा परमात्माका यश गाते हुअे अिस लोकमें चल देता है।

बीमारीके सम्बन्धमें सेवकोंके धर्मका विचार करते हुअे संक्रामक रोगोंका भी विचार कर लेनेकी जरूरत है। कोढ़ जैसा भयंकर रोग जब किमी अभागे मनुष्यको लग जाता है तब अुमके निकटतम सम्बन्धी भी डर कर अुसका त्याग करते देखे जाते हैं। अेक ओर अुसके पाव अितनी बढबू मारते हैं कि अुसके नजदीक रहकर सेवा करना कड़ी परीक्षाका काम होता है; दूसरी ओर रोगकी छूत लग जानेका भय भी काम करता रहता है।

गांवोंके लोगोंसे पढ़े-लिखे लोग छूत लग जानेके विचारसे अधिक भयभीत होते हैं। यद्यपि यह छूतकी बात गलत नहीं और अुससे मुक्त रहनेके लिये समझपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये, परन्तु अुससे डर कर रोगीसे दूर भागना तो हमारी मनुष्यताके लिये कर्त्तक ही है। अुमका रोग अितना कष्टदायक और भयंकर है, अिसी कारणसे तो वह हमारी सेवाका अधिक पात्र है। हमने संबंधीके रूपमें जो प्रेम दिखानाया, मित्रके नाते जो स्नेह बताया और सेवककी हैसियतसे महानुभूतिका जो भाव प्रगट किया, अुसे अुमके सच्चे संकटके समय कायम न रख सकें तो हम झूठे ही साबित होंगे। जो मनुष्य छूत लगनेमें अितना अधिक डरता है, अपने जीवको अितना प्यारा बना लेता है, वह कभी सच्चा मित्र या सच्चा सेवक नहीं बन सकता।

कभी कभी गांवोंमें हैजा और प्लेग जैसे संक्रामक रोग फैल जाते हैं। घर-घर खाटें पड़ जाती हैं और अनेक घरोंमें तो सभी सदस्य अिकट्टे बीमार पड़ जाते हैं और कोजी किसीको पानी पिलानेवाला भी नहीं रहता। लोग विचार कर सकें और आयी हुअी आफतको समझ नकें, अिससे पहले तो बीमार पटापट मरने लगते हैं; और मरने-वालोंकी सेवा करनेकी बात तो दूर रही, मुर्दोंको अुठाकर ले जानेवाला भी कोजी नहीं रहता। अैसा दृश्य हो जाता है मानो यमराजने अपनी तमाम फौज लेकर गांव पर आक्रमण कर दिया हो।

ऐसे समय अच्छे अच्छे लोगोंमें घबराहट फैल जाती है। मौतकी मारसे बचनेके लिये जिसे जिधर सूझता है वह अुधर भागने लगता है। जिनके पास साधन हों वे गांव छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें सुविधा हो वे अस्पतालका आश्रय लेते हैं। संबन्धी संबन्धियोंकी प्रतीक्षा नहीं करते, मित्र मित्रोंको संभालनेके लिये नहीं ठहरते। और सार्वजनिक सेवक? वे भी बहुत वार झूठे सावित होते हैं और अपने सेवक-धर्मको तिलांजलि देकर प्राण बचानेको भाग जाते हैं।

परन्तु मौतका भय सिर पर सवार होता है तब जैसे लोगोंमें घबराहट फैल जाती है वैसे किसी किसी बहादुरकी छातीमें शौर्य भी स्फुरित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति निकल आते हैं जो अपनी अथवा अपने परिवारवालोंकी जानकी रक्षाका काम भीश्वरको सौंप कर ऐसे समय बीमारोंके पास रहते हैं, अुनकी सेवा करते हैं और मुर्दे अुठाते हैं।

ऐसे भयंकर संक्रामक रोग फैल जाते हैं, तब हमारे जैसे सेवकों पर विशेष कर्तव्य आ जाता है। जैसे रोगका आक्रमण सामुदायिक रूपमें होता है, वैसे अुसका सामना भी सामूहिक रूपमें करना जरूरी हो जाता है। सारा गांव घबराहटमें हो और अपने अपने लिये विचार करनेके सिवा किसीको कुछ सूझता न हो, अुस समय यदि हम सेवक अपना दिमाग कावूममें रखें, साहस और शौर्य धारण करें और गांवके संकटके समय अुसका त्याग न करनेका संकल्प घोषित करें, तो हम गांवका सारा वातावरण बदल सकते हैं। अिससे घबराहटके वजाय लोगोंमें हिम्मत पैदा होगी, भाग-दौड़के वजाय स्वयंसेवकोंके दल बनेंगे, बीमारोंकी अच्छी तरह सेवा-शुश्रूपा होगी, अुसके लिये कामचलाअू अस्पतालों जैसी कोअी व्यवस्था खड़ी हो जायगी और वैद्य-डॉक्टरोंकी भी मदद आ मिलेगी। अिस प्रकार ठीक समय पर यदि सच्चा सेवक मिल जाय तो भय, पलायन और स्वार्थवृत्तिके वजाय गांवमें साहस, सेवा और संगठनकी भावना पैदा हो जायगी। रोग अपना भोग लिये बिना तो नहीं जायगा। गांव थोड़ेसे आदमी भले गंवा दे, फिर भी अन्तमें साहस और सेवाका पदार्थपाठ लेकर और अधिक सीधा खड़ा होगा।

अैसा करते हुअे कौन यह कह सकता है कि सेवक हमेशा सही-सलामत रहेगा और अुसे कुछ भी खतरा नहीं होगा? यदि खतरा न हो तो अुसके कामकी कीमत ही क्या?

जोखिम अुठानेमें यदि वह अैसे रोगका शिकार हो जाय तो क्या होगा? कोअी सेवक २०-२५ वर्षसे सेवाका अनुभव लेकर आज परिपक्व हुआ है और हजारों लोगोंको प्रेरणा दे सकता है। क्या अुसे अपना परिपक्व जीवन अैसे खतरेके काममें डाल देना चाहिये? कोअी खादीकार्यका विशेषज्ञ हो गया है, कोअी राष्ट्रीय शिक्षाका विशेषज्ञ बन गया है, किसीके पास अितिहास, साहित्य अथवा विज्ञानका ज्ञान जीवन भरके परिश्रमके फलस्वरूप अिकट्ठा हो गया है। अुसे वह अेक भयंकर महा-मारीको भेंट चढ़ा दे, यह क्या निरा पागलपन नहीं? अैसे समय सुरक्षित जगह खिसक-

जाने और जीते रहकर अपने अनुभवके क्षेत्रमें लम्बे समय तक सेवा करते रहनेमें ही क्या अधिक सच्ची सेवा नहीं है ?

और फिर रोगसे जूझना सेवकका मुख्य कार्य नहीं है। मनुष्य अपना मुख्य काम छोड़ दे तो ही वह दोषी ठहरता है; रास्ते चलते जो काम आ पड़े उसीको हाथमें लेता जाय तो वह कभी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचेगा और बीच ही में लटक जायगा—यिस तरहकी सलाह देनेवाले उस नाजुक समयमें बहुत मिलेंगे। सेवकके अपने मनके भीतरसे भी यह आवाज थुंकेगी। वह कितनी ही मोहक क्यों न हो, हमें अपने सबसे सच्चे धर्मसे भ्रष्ट करनेवाली है; वह खतरेसे भागनेकी अच्छाईसे, मौतके डरसे पैदा हुआ है। अगर हम अैन वक्त पर मौतका खतरा हंसते हंसते ठुठानेकी तैयार न हो सकें, हानि-लाभका हिसाब लगाने बैठ जायें और उससे डर कर भाग जायें तो हमारा जीवन निष्फल ही माना जायगा। यही समझना चाहिये कि हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी जानकारी और अनुभव हमारे किसी काम न आया।

वीमारीके समय और मौतके समय भी हम ठीक तरहसे आचरण करेंगे, तो मौतके बाद रोने-पीटनेके रिवाज अपने-आप हमारे लिये अस्वाभाविक हो जायेंगे, हमें जिस वातका संतोष होगा कि हमने मरनेवालेकी यथाशक्ति सेवा की है और मरनेवाला खुद भी सुख और संतोषके साथ तथा हम सबका अपुकार मानते हुअे विदा लेगा। सदाके लिये विदा लेना कुटुम्ब या संस्थामें अेक गम्भीर घटना तो होगी ही। परन्तु वीमारीमें हमने सही ढंगसे बरताव किया होगा, तो हमें शोक-प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय तो हम गम्भीर भावसे अन्तरमें गहरे अुतरेंगे, परमेश्वरकी महिमाको अधिक अच्छी तरह समझेंगे और सेवाधर्मके पालनमें अधिक मजबूत बनेंगे।

समाजमें मृत्युके बाद रोने-पीटनेका दिखावा करनेका रिवाज प्रचलित है। आश्रम जैसे स्थानोंमें भी उसकी छाया प्रसंगोपात्त दिखायी दे जाती है। सेवक स्वयं ये सब विचार अपना नहीं पाते अथवा अपने सब स्वजनोंके जीवन पर वे अिन विचारोंका प्रभाव नहीं डाल पाते। अैसे समय केवल अुलहना देनेसे, भाषण सुनानेसे अथवा हंसी करनेसे ये रिवाज नष्ट नहीं होते। परन्तु वीमारीके समय जिसने अुपर बताया प्रेम और सेवाका वातावरण देखा होगा, जिसने मरनेवालेको संतोष और आनन्दके साथ विदा लेते देखा होगा, वह स्वयं समझ जायगा कि मरनेके बाद रोने-पीटनेका प्रदर्शन करना अैसे अवसरकी गंभीरताको शोभा नहीं देता। वह अपने-आप समझ लेगा कि वीमारकी खाटके पास व्यर्थकी भागदौड़ और धवराहट दिखाना जितना गलत है, अुतना ही उसके मरनेके बाद शोक-प्रदर्शन करना भी गलत है।

अितना विचार करनेके बाद जिस वारेमें क्या सचमुच अलग विचार करना वाकी रह जाता है कि हमारी अपनी मौत आ चढ़े तब हम क्या करें, उसका कैसे स्वागत करें ? वह दुःखकी होगी या सुखकी, सूचना देकर आयेगी या अचानक, असमयमें होगी अथवा पूरा समय होने पर होगी, क्या सचमुच जिसकी भी चिन्ता करना रह जाता है ? हमें तो विश्वास है कि यदि जीवन अुत्तम प्रकारसे जीना आता है तो मौत भी अुत्तम

प्रकारसे मरना आयेगा ही। यदि जीवन संयमका होगा तो मरण यातनाका नहीं परन्तु आनन्दका ही होगा। यदि जीवन सेवकका विताया होगा, तो मृत्यु भी सेवकको शोभा देनेवाली—अर्थात् रोगशय्या पर नहीं परन्तु आत्म-समर्पण और वलिदानकी ही होगी। हम सच्चे सेवककी तरह, सत्यके आग्रहीके रूपमें जीयें, तो मृत्यु हमारे लिये अनजान चोर-डाकू जैसी नहीं रहेगी। वह अन्तिम रूपमें आये अुससे पहले तो हम कितनी ही बार अुसके हाथोंमें ताली मार आये होंगे, और अुसके साथ हमने बहुत निकटका प्रेम-सम्बन्ध बना लिया होगा। अुसके वारेमें हमारे हृदयमें किसी प्रकारकी घबराहट नहीं रहेगी।

सच्चा जीवन तब माना जायगा जब हम मौतके डर या चिन्ताको अुड़ा देंगे। 'जीना है तो सिद्धान्तोंकी रक्षा करके ही जीना है; अिसके लिये किसी भी क्षण मृत्युकी भेंट करनेको तैयार रहना है'—अिस प्रतिज्ञाके साथ जीना ही अुत्तम और सच्चा जीवन है। केवल धोंकनीकी तरह सांस लेना और भट्टीकी तरह भक्षण करना कोअी जीवन नहीं है। सच्चा जीवन तो मौतके साथ खेलते खेलते ही जीना होता है। अन्तमें मृत्यु कब और कैसे आयेगी, अिसकी चिन्ता परमात्माको सौंपकर हम तो निर्भयतासे सेवाका जीवन विताते रहें और अैसा जीवन विताते अुअे मृत्युको अपने प्रिय साथीके रूपमें सदा साथ ही रखें।

प्रवचन ३२

बुढ़ापेके चिह्न

हम बीमारी और मौतका विचार कर चुके हैं। आज हम थोड़ा बुढ़ापेका विचार करेंगे। बुढ़ापेके वारेमें मैं बात करना चाहता हूं अिसका अर्थ आपमें से कोअी अैसा तो नहीं करता कि बूढ़े होने पर भी हम क्या खायें, अथवा बुढ़ापा जल्दी न आने देनेके लिये कैसी दवायें ली जायं वगैरा बातें मैं कहूंगा? मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं कि बुढ़ापेका डर मौतके डरसे भी भद्दा है। आपमें से ज्यादातर लोग तरुण हैं, फिर भी बुढ़ापेसे गाफिल रहनेकी बात नहीं है। आपमें से बहुतसे नये ताजे जवान हैं। आपके दिमागमें देशसेवा करनेकी बड़ी बड़ी अुमंगें अुछल रही हैं, आप अुत्साहसे नाच रहे हैं। सेवाके लिये गांवमें रहेंगे तब वहां कैसी कैसी मुश्किलें आयेंगी, अिसकी बातें कोअी अनुभवी आपसे कहता है तब आप अुत्साहमें अुन्हें हंस कर अुड़ा देते हैं। "अिस नये जीवनमें सत्याग्रह आयेंगे, जेल-यात्राओं होंगी" — अिस तरह कोअी याद दिलाता है, तो अुसे सुनकर आपका खून अधिक गरम होकर दौड़ता है। यह अनुभव तो आप जल्दीसे जल्दी करना चाहते हैं।

कभी कभी आप अपने घर अपने प्रियजनोके बीच जाते हैं। वहां वे आपको और घबरा देते हैं—“आज तो तू अुगता हुआ जवान है, तुझे साहसके काम करनेका शौक है, आज तुझे भविष्यका विचार नहीं सूझ सकता। परन्तु हमेशा तू अैसा तरौताजा

नहीं रहेगा। कभी न कभी बीमार भी होगा। आज तू किसीके यहां भी पड़ा रह सकता है और कैंसा भी खाना खा सकता है, परन्तु यह शक्ति हमेशा रहनेवाली नहीं है। आज तो तू अकेला है, जिसलिअे रोट्टी मिल गयी कि निश्चित होकर, राजाकी तरह मस्त होकर, धूमता है। परन्तु आगे चलकर तू वाल-बच्चेवाला बनेगा और तुझ पर जिम्मेदारियोंका बोझ बढ़ेगा।”

असके सिवा, सगे-संबंधी यह भी कहेंगे: “आज तो हमारे हाथ-पैर चलते हैं। हम रोजगार-बंधा करके घरका खर्च चला सकते हैं और मौका आने पर तेरा भी भार अुठा लेते हैं। परन्तु हमारी शक्ति कब तक बनी रहेगी? अब हम बूढ़े होंगे। यदि तू इसी प्रकार जीवन बितायेगा और कमायेगा नहीं, तो बुढ़ापेमें तू हमें किस तरह सहारा दे सकेगा? परन्तु हमारी बात जाने दे। तू अपना ही विचार कर। क्या तू खुद भी किसी न किसी दिन बूढ़ा नहीं होगा? आज कमाकर बुढ़ापेके लिअे अगर बचायेगा नहीं तो अुस समय तेरा कौन बेली होगा?”

ये सब सलाहें और चेतावनियां आप सुनते हैं और अुन पर खिलखिला कर हंस देते हैं। सभी सेवक सेवाके क्षेत्रमें नये नये आते हैं तब आपके जैसे ही अुत्साहमें होते हैं। हम सब भी यहां अुत्साहसे ही आये थे, परन्तु आज हमारे अुत्साहका पारा कहां है? आप सबके परिचयमें अधिकाधिक आते जायेंगे तब आपको मालूम होगा कि हमारा पारा अेकसा नहीं टिका। किसीका कम तो किसीका अधिक अुतर गया है।

यदि हमें अपना तरुणायीका अुत्साह स्थायी रूपसे बनाये रखना हो और दिन-प्रतिदिन बढ़ाना हो, तो अपने जीवनकी मर्यादाओं समझकर अुन पर दृढ़तासे कायम रहना होगा। जो सेवक अैसा नहीं कर सके हैं, अुनके अुत्साह पर जोर पड़ा है और अन्तमें वे अुत्साह-हीन होकर टूट गये हैं।

अपने गृह-जीवनमें विवेक न रखकर समाजके साधारण विचारहीन मनुष्योंकी भांति जो अपना सन्तान-विस्तार बढ़ाते ही जाते हैं, वे लम्बे समय तक यह अुत्साह कायम नहीं रख सकते। अपने निर्वाहकी व्यवस्था वे अपने कार्यक्षेत्रमें कर लेते हों, तो थोड़े ही वर्षोंमें वे देखेंगे कि अुनके बड़े हुअे खर्चका बोझ दरिद्र गांवका क्षेत्र अुठा नहीं सकता। अपनी जरूरतोंका आंकड़ा सेवकको खुद ही अितना बड़ा लगेगा कि ग्रामवासियोंके सामने रखनेमें अुसे शर्म आयेगी और देर-सवेर बगलमें विस्तरा दबाकर वह वहांसे चला जायगा।

निर्वाहकी व्यवस्था यदि किसी संस्थाकी तरफसे होती होगी और वह संस्था भी यदि अुसीके जैसी होगी और अुसका बढ़ता हुआ भार कुछ कहे बिना अुठाती रहेगी, तो संस्थाका आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जायगा, अुसके महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताओंको सेवाका मुख्य काम छोड़ कर शहरोंमें धनवानोंके दरवाजे भीख मांगनेका धंवा स्वीकार करना पड़ेगा अथवा संस्थाका काम समेट लेना होगा। संस्था अपनी मर्यादा समझनेवाली होगी तो अैसे सेवकोंको कह देगी, “आज तक आपने जो सेवा की अुसके लिअे आपको

धन्यवाद है। परन्तु अब आपका भार बढ़ गया है। अुसे संस्था अुठा नहीं सकती और मजदूर होकर आपको छोड़ती है।”

बच्चोंवाले सेवक बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न खड़ा होने पर यदि अुसे अपनी मर्यादामें रहकर हल नहीं करते, परन्तु साधारण लोगोंकी तरह स्कूल-कॉलेजों और बोर्डिंगोंके खर्च सिर पर ले लेते हैं, तो भी वे अपने लिये अैसी ही नाजुक परिस्थिति पैदा कर लेते हैं।

अिसी तरह वीमारीके मौकों पर जो सेवक अपनी मर्यादामें नहीं रहते और साधारण लोगोंकी तरह बैंच-डॉक्टरों और दवावालोंके बिल चुकानेको तैयार होते हैं, अुनके जीवनमें भी आगे-पीछे ग्रामसेवाके कार्यसे अलग हो जानेका अवसर आये बिना नहीं रहता।

जो अपने आहार-विहारमें — रोजाना जिन्दगीमें खुला हाथ रखनेकी आदत डाल लेते हैं, मेहमानोंके आने पर खिलाने-पिलाने वगैरामें संसारका कोअी भी कमाअु सद-गृहस्थ जिस ढंगसे व्यवहार करता है वैसा ही करते हैं, अुन्हें भी सेवाके क्षेत्रमें थोड़े ही दिनके मेहमान समझना चाहिये।

जो सेवक सगे-संबंधियोंके बीच दूसरे संबंधियोंके जैसा व्यवहार करने लगता है, घर जाने पर अुदार हाथों छोटों-बड़ोंको भेंट देता है, वहन-भानजियोंको कपड़े, गहने आदि देकर खुश करना चाहता है, यह मानता है कि कौटुम्बिक खर्चमें अपना हिस्सा देना चाहिये, कुटुम्बियोंको आग्रह करके अपने पास बुला लाता है और अुनसे खर्च मांगनेमें शरमाता है, वह सेवा-जीवनको छोड़के ही रास्ता तैयार करता है — भले दुनियावी व्यवहारमें यह सब अच्छा माना जाता हो। अैसा करनेके कारण कितने ही सेवक वर्षोंके सेवा-जीवनके बाद हारकर खानगी धन्धे करे लगे हैं। किसी सेवकके जीवनका यह कैसा करुण अन्त है!

अिस प्रकार सेवा-जीवन छोड़कर सदाके लिये हट जानेसे पहले हम अपने विचारोंसे धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। अुपरोक्त खर्चीली आदतें डाल लेनेवाले सेवकोंके मनमें कैसे कैसे विचार आने लगते हैं सो अब देखिये :

पहला विचार यह आयेगा : “मुझे अपने कामको पक्की बुनियाद पर खड़ा करना चाहिये। हर साल लोगोंके पास भिक्षा मांगने तथा कोअी कुछ कहे और कोअी कुछ कहे सो सुनते रहनेके वजाय बम्बअी, मद्रास और कलकत्तेका चक्कर लगा आअूंगा और अेक बड़ा कोष अिकट्टा करके संस्थाको मजबूत बना दूंगा। फिर निश्चित होकर व्याजसे काम चलाअूंगा।”

अैसी बात नहीं है कि अिस तरह चन्दा जमा होना बहुत आसान है और यह बात भी नहीं है कि शहरोंमें दाताओंके वाग्वाण सहन नहीं करने पड़ते। तो फिर नजदीकके दाताओंके ही क्यों न सहन किये जायें? वे हमारे कामको प्रत्यक्ष देखते हैं, अिसलिये सम्भव है अुनकी कटु आलोचनामें हमारे कुछ सच्चे दोष समाये अुअे हों।

दूसरे, जैसे चन्दे जब तक देशमें थोड़ी संस्थाओं हैं तब तक शायद मिल जायं, परन्तु ग्रामसेवकोंके लिखे तो हम यह चाहते हैं कि वे देशके सात लाख गांवोंमें बैठें। सात लाखके बजाय वे सात हजार गांवोंमें ही बैठें और सब झोली लेकर शहरोंमें निकल पड़ें तो भी क्या स्थिति हो, जिसका विचार करने लायक है।

और मान लें कि चन्दा करना आसान है, तो भी अपनी स्थिति ऐसी मजबूत और सुरक्षित कर लेना, ऐसी हालत बना लेना कि हमें जनताकी कोअी गरज ही न रहे, हमारे ग्रामसेवाके कामके लिखे घातक है। अुससे पहले तो हम ग्रामवासियोंसे अलग पड़ जायेंगे और यह मानकर कि हमें अुनकी गरज नहीं है, शायद अुनके साथ हम अधीरता और अुद्धतताका बरताव भी करने लगेंगे। अुन्हें भी हमारे कामके प्रति ममता अथवा आदर न रहेगा। अैसा होना क्या अपने बैठनेकी डाली पर ही कुल्हाड़ी मारना नहीं होगा ?

सुरक्षित होनेके प्रयत्नमें दूसरे दोष भी हमारे स्वभाव और कार्यप्रणालीमें आये विना नहीं रहेंगे। पैसेका जोर बढ़ जायगा तो हमारा मन भी झोंपड़ीसे पक्के मकान बनाकर सुख-सुविधाओं बढ़ानेका होगा, अेक आदमीसे काम चलता होगा वहां तीन आदमी रखनेकी अिच्छा होगी, हम अपने रेल-किराये और फुटकर खर्चमें खुला हाथ कर लेंगे। जिसके अतिरिक्त हमें काल्पनिक योजनाओं बनाकर कामका विस्तार करनेका मोह होगा।

जिस प्रकार फण्ड अेकत्र करके संस्थाकी स्थिति सुरक्षित बनानेसे हमारा आराम और कामका विस्तार बढ़ेगा, सच्ची ग्रामसेवा मन्द पड़ जायगी और अेक दिन विना दुनियादवाले बंगलेकी तरह हमारा यह कृत्रिम ढंगसे बढ़ाया हुआ काम अेकाअेक ढह पड़े तो कोअी आश्चर्यकी बात नहीं होगी।

अब खर्चीली आदतें बना लेनेवाले सेवकोंको दूसरा विचार कैसा सूझेगा यह देखें: "मुझे अपने कुटुम्बियोंका भार तो पूरी तरह अुठाना ही चाहिये और सबको सन्तोष देना ही चाहिये। क्या मैं अितना निकम्मा हूं कि अुन्हें सन्तोष देने लायक भी न कमा सकूं? अलबत्ता, ग्रामसेवाकी संस्थासे मुझे अधिक वेतन नहीं मांगना चाहिये। वहांसे तो मैं नियमानुसार ही लूंगा, अथवा कुछ नहीं लूंगा। मैं अपना सेवाका काम करनेके अलावा कुछ न कुछ सहायक घन्था करूंगा। मैं चाहूं तो अैसे अनेक अुद्योग ढूंढ़ सकता हूं, जिनमें मुझे थोड़ा समय देना पड़े और फिर भी मेरी व्यावहारिक जरूरतें अच्छी तरह पूरी हो जायें। अुत्तम घन्था खेतीका है, जिसलिखे मैं वही करूंगा। कोअी अच्छी जमीन ढूंढ़कर खरीद लूंगा। फिर कोअी अच्छी रकम देनेवाला किसान ढूंढ़कर जमीन अुसे दे दूंगा। जिससे न तो मुझे कोअी चिन्ता करनी पड़ेगी और न समयकी कुरवानी देनी पड़ेगी। और घर बैठे आमदनी होती रहेगी। अथवा मजदूर रखकर खुद खेती कराअूं तो भी मुझे अुसमें बहुत दिन नहीं लगाने पड़ेंगे। यह तो अनुभव और होशियारीका ही सवाल है।"

अस प्रकार सेवक अपनी जानकारी और होशियारीके अभिमानमें होश भूल जाता है। 'अुत्तम खेती' को कहावत पकड़ कर वह भ्रममें पड़ जाता है, परन्तु वह कहावत क्या अँती खेतोके लिये लागू हो सकती है? जो खेती समय अथवा परिश्रमकी भेंट चढ़ाये बिना घर बैठे आमदनी दे, उस खेतीको यह कहावत कैसे लागू हो सकती है? सेवकको सोचना चाहिये कि अस तरह खेतीका धन्धा करनेसे क्या ग्रामसेवकके अँक भी सिद्धान्तकी रक्षा होती है? वह खेतमें कौनसी फसल अुगायेगा? अुसे गांवकी स्थिति सुधारनी है; असका अुसमें ध्यान रखा जा सकेगा? वह मजदूरोंके साथ किस तरहका बरताव करेगा? दूसरे किसानोंकी तरह अुनको मेहनतका लाभ खूद खा जायगा अथवा अुनके लिये पैदावारका बड़ा भाग रहने देनेकी हिम्मत करेगा? अुसके मनमें तो अब कोअी खानगी धन्धा करनेकी अुमंग पैदा हो गयी है। असलिये अँसे विचार अुसे शायद ही सूँगे। अससे अपने केन्द्रमें ग्रामसेवक और धन्धेके स्थानमें धन्धेदार— अँसा अुसका द्विभुजी जीवन बन जायगा।

किती सेवकको संवंधियों अथवा मित्रोंका बल होता है, तो अुनके मारफत वह कोअी व्यापार खड़ा कर लेता है अथवा अुनके चलते व्यापारमें कुछ भाग रखवा लेता है। और व्यापार तो व्यापार ही है! अुसमें ग्रामसेवाके सिद्धान्तोंको बाधक होने देना पठितमूर्खका काम माना जायगा। व्यापार शुरू किया फिर तो जँसा मौका और जँसा संयोग हो अुसका लाभ अुठाना ही चाहिये, जिसमें आसानीसे फायदा होता हो वही धन्धा करना चाहिये। यह धन्धा करने लायक है और यह धन्धा करने लायक नहीं है, अितनी बारीकीमें जो जाने लगे अुससे कुछ नहीं हो सकता। पीसने-कूटनेकी मिल लगानेकी सुविधा होगी तो वह मिल चालू कर देगा; फिर अपने केन्द्रमें आकर वहनोंको चक्कियां चलानेका अुपदेश देगा और संभवतः खुद भी पीसने बैठ जायगा! मौका देखेगा तो मिलके कपड़ेकी दुकानमें या हकीके व्यापारमें हिस्सा रख लेगा और अपने केन्द्रमें खादीका ब्रतधारी बनकर फिरेगा! अपने पास पँसेका जोर होगा तो अुसे अँसे शेयरोंमें लगायेगा जिनसे अच्छा व्याज मिले, फिर भले अुस पँसेसे कोअी राष्ट्रके लिये हानिकारक और गांवके लिये विघातक धन्धा ही क्यों न चलता हो।

यह न समझिये कि सेवक लाचार होकर जब अँसे धन्धेमें पड़ते हैं तब अुनका मन अन्दरसे दुखता नहीं होगा। जरूर दुखता है। परन्तु व्यवहार तो चलाना ही चाहिये, प्रतिष्ठाका जीवन तो बिताना ही चाहिये और अुसके लिये कमाअी किये सिवा कोअी चारा नहीं— यह खयाल होनेसे वे मन मारकर अँसे धन्धे करते हैं और कभी कभी शर्मके मारे अपने जीवनका यह पहलू सेवाक्षेत्रके साथियोंसे गुप्त रखनेकी कोशिश करते हैं। परन्तु अँसा करनेसे वे दम्भके अपराधमें फँस जाते हैं और अन्तमें लोगोंमें मान-प्रतिष्ठा खोकर सेवक होनेकी अपनी योग्यता भी गंवा देते हैं।

अँसे धन्धे करनेमें पूँजीकी जरूरत सबसे पहले होती है। सेवकको समयकी कुरबानी किये बिना कमाना है, असलिये अुसे तो पूँजीके जोर पर ही कूदना होगा। सब सेवकोंके पास वह जोर नहीं होता। असलिये वे आशा ही आशामें कर्ज लेनेको प्रेरित होते हैं।

और लाभवाले व्यापार-धन्वे मिल जाना कोअी सबके लिअे थोड़े ही संभव है ? वे मिल नहीं सकते, फिर भी लोक-रिवाजके खर्च तो करने ही पड़ते हैं। जैसे सेवकोंको भी अन्तमें कर्ज करनेके सिवा और क्या सूझ सकता है ?

बिस प्रकार कर्जके रास्ते पर अेक बार सेवक लग गया कि अुसमें फंसकर अुसे आगे-पीछे अपने सिद्धान्तोंको और सेवामय जीवन वितानेके संकल्पको छोड़ना ही पड़ता है। कर्ज करनेकी आदत भी अेक तरहका व्यसन है। पहले-पहल अुसमें पड़ते समय मन आनाकानी करता है। परन्तु हम चेत न जायं तो धीरे धीरे अधिकाधिक कर्ज लेनेका साहस होता जाता है।

हमारे किसान बिस आदतमें फंसकर कितने बरवाद हो गये हैं, यह ग्रामसेवकोसे छिपा नहीं है। अुस आदतसे अुन्हें छुड़ाना हमारे सेवाके कार्यक्रमका अेक महत्त्वपूर्ण अंग है। सेवक खुद ही यदि कर्जका व्यसनी बन जाय तो यह काम वह कैसे करेगा ? और कर्जका बोझ अुसे गांवमें कब तक चैनसे बैठने देगा ? कर्ज करनेको मनुष्य निर्दोष वस्तु समझता है। 'हमें कहां किसीका रुपया मुफ्त लेना या छीनना है ?' अैसी दलीलों द्वारा वह अपने-आपको भुलावेमें डालता है। परन्तु सेवकके लिअे तो कर्ज करना सचमुच अपने धर्मका बड़ा द्रोह ही है।

पैसा कमानेकी लालसा पैदा होनेके कुछ कारणों पर हम विचार कर चुके हैं। अैसा ही अेक कारण है बुढ़ापेका डर। यदि सेवक नित्य नया, नित्य ताजा, नित्य तरुण न रहे, लकरीका फकीर बन जाय, तो वह अपने सिद्धान्तोंमें जरूर शिथिल हो जायगा। और शिथिल होने पर अुसे बुढ़ापेका डर सताने लगता है। अुसे दुर्बलताके क्षणोंमें ये विचार आने लगते हैं : "ग्रामसेवामें तो कभी अेक पायी वचानेकी आशा नहीं हो सकती। फिर जब बुढ़ापे या बीमारीसे काम करेकी शक्ति खो बैठेगे तब हमारा क्या होगा ? आज हममें पूरी शक्ति है तब भी जैसे तैसे निर्वाह होता है; लोग आधे खुशीसे और आधे बेमनसे तथा आलोचनाओं करते हुअे पैसे देते हैं। परन्तु अुस समय क्या वे हमें याद करेंगे ? हमने सारी जिन्दगी अुनकी सेवामें वित्ता दी। क्या वे बिसकी कद्र करेंगे ? हमने किसी अेक आदमीकी नौकरी की हो तो अुसकी तरफसे कद्रकी आशा रख सकते हैं, परन्तु यह तो सारी प्रजाकी सेवा ठहरी। सबका काम किसीका काम नहीं ! और फिर अुसमें हमारे बहुतसे कार्यक्रम अैसे भी होते हैं जिनसे लोग नाराज हो जाते हैं। सचमुच बुढ़ापेका विचार करनेके वारेमें संशंकी लोग जो बात कहते थे वह हंसीमें अुड़ा देने लायक नहीं थी। और अपना ही विचार करके बैठे रहना भी हमारे लिअे अुचित्त नहीं होगा। हमें कुछ हो जाय तो वादमें स्त्री-पुत्रोंका क्या होगा, बिसका भी विचार न करें तो कहा जायगा कि हमने गृहस्थ-धर्मका पालन नहीं किया।"

आपका मस्तिष्क अैसे विचार-विभ्रममें फंसा कि आप संसारमें चारों ओर चल रहे व्यवहारकी ओर दृष्टिपात करेंगे और भविष्यकी सुरक्षाके लिअे दूसरे धन्वांवाले और नौकरीपेशा लोग जो युक्तियां आजकल करते हैं वही सब करनेकी आपकी भी अिच्छा होगी। आप सोचेंगे : "मेरी संस्था भले ही सेवाके लिअे स्थापित हुअी हो, परन्तु यह

निरा अन्याय माना जायगा कि वह सेवकको आजकी रोटीके लायक ही दे। हम जैसे सेवकोंकी बीमारी और बुढ़ापेका विचार करके हमें आजकी जल्दतरसे ज्यादा देना असुका कर्तव्य है। और किसी घन्वेकी अपेक्षा हमारी संस्थाओंका यह कर्तव्य अधिक है, क्योंकि हमें देहातमें अनेक असुविधाओं सहकर रहना पड़ता है, वहाँके जलवायुमें बीमारीकी संभावना काफी मात्रामें रहती है, हमेशा तंगीमें रहना पड़ता है, काममें भी न दिन-रात देखना होता और न छुट्टी भोगनेका मौका मिलता है, और बहुत बार हमारे हिस्से लड़ाइयोंमें पड़नेकी जिम्मेदारी आनेके कारण जेलके कष्ट भी हमें भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार हर दृष्टिसे शरीरकी घिसाजी दूसरे किसी भी घन्वेसे हमारे काममें अधिक होती है। संस्था वेतनकी रकम निश्चित करते समय अिन परिस्थितियोंका विचार करे, ऐसी मांग करनेका हमारा हक है। उसे वेतनका क्रमिक स्तर निश्चित करना चाहिये, ताकि समय समय पर हमें संचालकोंका मुंह ताकने न जाना पड़े।”

अिसीमें से आगे चलकर अिस विचारकी शाखा अपने-आप फूटेगी: “मुझे जीवन-भर अपना काम करना हो, तो मेरी संस्थाको पेंशनकी कोजी न कोजी योजना क्यों नहीं बनानी चाहिये? यह व्यावहारिक न दिखायी दे तो उसे दूसरी किसी घन्वा करनेवाली संस्थाकी तरह प्रोविडेंट फंडकी योजना बनानी चाहिये, जिससे मैं अपने वेतनमें से थोड़ी थोड़ी रकम नियमित वचाता रहूँ और उसमें संस्था भी अपना अुचित हिस्सा जोड़ती रहे।”

जिसके विचार यहां तक जायं वह अपनी मृत्युके बाद रहनेवालोंकी सुरक्षाके लिअे बीमा कराके समझदारी न दिखाये, यह तो हो ही कैसे सकता है?

ये सारे सुरक्षाके विचार मजबूतसे मजबूत मनोबलवाले सेवकोंको भी जीवनमें समय समय पर आते रहते हैं। ग्रामसेवकोंके जीवनमें भी ऐसा प्रसंग आवे बिना कैसे रह सकता है? शायद अुनके धंधेकी अस्थिरताके कारण अुन्हें वे अधिक मात्रामें आते होंगे। गम्भीर बीमारियोंके समय मन कमजोर हो जाता है, तब रक्षाका विचार सूझे बिना नहीं रहता। काममें यश न मिले, बढ़-बढ़कर पीछे हटना पड़े, तब भी दिमाग अिस दिशामें चलने लगता है। समय समय पर आनेवाले जेलयात्राके अवसरों पर आश्रितोंकी चिन्ता खड़ी होती है, अुस समय भी जैसे विचार मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं।

कोजी जैसे विचार करे तो व्यवहार-कुशल मनुष्योंको अुसमें कोजी अनुचित बात मालूम नहीं होगी, बल्कि जो न करे अुसे ही वे मूर्ख समझेंगे।

परन्तु आप अिस बातसे सहमत होंगे कि यदि हम सेवक सुरक्षा ढूँढ़ने लगेँ और व्यवहार-कुशल लोगोंके विचारके अनुसार चलने लगेँ, तब तो हमें देशकी कुछ भी सेवा करनेकी आशा छोड़ ही देनी चाहिये। हमारा आचार रुपयेकी पूंजी पर, ब्याज पर या बीमे पर नहीं है, परन्तु हमारी अपनी गहरी श्रद्धा पर है। जिस अुत्साहसे आज हम सेवाका जीवन स्वीकार करनेके लिअे आगे आये हैं, वही अुत्साह जिन्दगीके आखिर तक हमें कायम रखना है। आज आप जिस तरह बुढ़ापेकी सुरक्षा और बीमेके विचारोंको सुनकर

तिरस्कारसे अनुकी तरफ हंसते हैं, वैसा ही भाव हमें अंत तक कायम रखना है। हमें अपने सेवाके काममें रस है, हमारा यह विश्वास है कि वह जीवन अर्पण करने लायक काम है। हमें अपनी जनता पर प्रेम है, हमें अपने राष्ट्र पर श्रद्धा है और हमें परमेश्वर पर श्रद्धा है। हमारी यह श्रद्धा ही हमें चाहे जैसी आफतसे बचायेगी। वही हमारी बचावकी हुयी पूंजी और वही हमारा वीमा है।

आप अतुसाही और नये खूनवाले युवक हैं, बिसलिये आपको श्रद्धाकी यह बात स्वाभाविक प्रतीत होती है। जब बिस पर शंका होने लगे, भविष्यकी सलामती और वीमेके विचार आने लगे, तब समझ लीजिये कि हमारी जवानीका पानी ढलने लगा है और हममें बुढ़ापा घुसने लगा है, फिर भले हमारी बुद्धि २५ वर्षकी हो और हमारा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो।

बुढ़ापेसे बिस प्रकार डरना किसी भी नौजवानके लिये लांछन जैसा है। और सेवक तो कितना ही बूढ़ा हो जाय फिर भी उसे अपना मन सदा जवान रखना होगा। हमारा काम कष्टका है, साहसका है, सतत सत्याग्रहका है। परन्तु साथ ही उसमें निरन्तर नये नये अनुभव और नये नये प्रयोग होते रहनेके कारण वह हमें नित्य नये और नित्य तरुण रख सकता है। परमात्मासे प्रार्थना करें कि हम सदा ताजे तरुण सेवक ही बने रहें। शरीरसे बूढ़े हो जायं तब भी मनसे तरुण ही रहें; हम सलामती ढूंढनेवाले बूढ़े कभी न बनें।

प्रवचन ३३

हमारा जाति-सुधार

हम सेवक अपने स्त्री-वच्चों और कुटुम्बियोंके प्रति अपना धर्म किस तरह पालें, अनुकी सेवा किस ढंगसे और किस भावनासे करें, बिस बारेमें हम काफी लम्बाबीसे विचार कर चुके हैं। आज मैं जातिके प्रश्नकी चर्चा करना चाहता हूँ।

यहां आश्रममें हम ब्राह्मणसे लेकर भंगी तक सब जातियोंके लोग अेकसाथ रहते हैं और बिस तरह व्यवहार करते हैं जैसे अेक जातिके हों और अेक पिताकी संतान हों। आम तीर पर जिन्हें जातिके बन्धन समझा जाता है — अर्थात् खाने-पीने और छूतछातके बन्धन — अनुका हम सेवक पालन नहीं करते। हम सब देशसेवाके समान ध्येयसे साथ रहनेवाले और साथ मिलकर सेवा करनेवाले हैं। हम छुआछूत तो रख ही कैसे सकते हैं? अेक परिवारके हम सब लोग साथ मिलकर अपने हाथसे खाना बनाते हैं, और साथ बैठकर भगवानका स्मरण करके भोजन करते हैं। बिसमें हम कोबी असाधारण वस्तु करते हैं, अैसा हमें खयाल तक नहीं आता।

कभी कभी जब पुराने विचारोंके कोबी मेहमान आ जाते हैं अथवा ग्रामवासियोंके अपने बृद्ध सगे-सम्बन्धी आते हैं, तभी याद आता है कि हम समाजमें प्रचलित जाति-

व्यवस्थाके नियमोंसे अलग प्रकारका व्यवहार कर रहे हैं। हमारा आचरण देखकर अन्हें थोड़े दिन तो बड़ी परेशानी होती है।

एक तरफ वे देखते हैं तो दूसरे जाति-भाजियोंकी तुलनामें हम अपने व्यवहारमें अधिक धर्मबुद्धि रखते जान पड़ते हैं। हम दूसरोंसे ज्यादा संयम और सादगीसे रहते हैं, छल-कपटके काम नहीं करते, पुरानी संस्कृतिके अतिराधिकार जैसा चरखा कातते हैं और मोटी खादी पहनते हैं, सत्यके पालनका थोड़ा-बहुत आग्रह रखते हैं, और यद्यपि हम न देवाल्योंमें जाते हैं और न संध्या-वन्दन या होम-हवनका पुराना ढंग अपनाने हैं, फिर भी श्रद्धासे प्रार्थनायें करते हैं, भजन गाते हैं और गीता-पारायण करते हैं।

दूसरी तरफ वे देखते हैं कि हम सबको छूते हैं और सबके साथ बैठकर खाते-पीते हैं। अुसमें न तो ब्राह्मण-भंगीका जातिभेद है और न हिन्दू, मुसलमान, औसाजीका धर्मभेद है। परम्परासे चली आ रही जाति-व्यवस्थाके अनुसार तो यह कितना भयंकर पाप है? कैसा घोर अधर्म है?

अुनकी पुरानी समझमें यह बात आती ही नहीं कि एक तरफ तो जैसा घोर अधर्म और दूसरी तरफ अपरोक्त काफ़ी निर्दोष जीवन—ये दोनों हममें एकसाथ कैसे रह सकते हैं; हम जैसे पापके शापसे जल क्यों नहीं मरते? अुनकी पुरानी विचारधाराके अनुसार तो हम शराबी, लम्पट, कपटी और पापी होने चाहिये।

साथ ही, दूसरा भी विचित्र दृश्य अुन्हें देखनेको मिलता है। अुनके सजातीय लोगोंमें हमारे जैसे सेवामार्ग पर लगे हुए कुछ ही आदमी हैं। अधिकांश तो दुनियामें दुनियाकी रीतिसे जीवन विताते हैं। अुनमें से ज्यादातर जाति-व्यवस्थाके नियमोंका पालन करते हैं, अथवा गांवमें सगे-सम्बन्धियोंके बीच आते हैं तब तो पालन करते ही हैं। वे खाते समय रेशमी बस्त्र पहनते हैं, अलग अलग जातिवालोंके साथ खानेका अवसर आने पर आड़ी लकड़ीकी पाल बांधकर धर्मकी रक्षा करते हैं। वे हरिजनोंको अपने घरका पाखाना साफ करनेके लिये भी घरमें आनेकी छूट नहीं देते, फिर अुन्हें छूनेकी तो बात ही कहां रही?

पुराने लोगोंको यह सब सन्तोषजनक मालूम होता है। परन्तु जिस अूपरकी चमड़ीके नीचे देखें तो अुन्हें क्या दिखायी देगा? बीड़ी-तम्बाकू और अुससे भी गन्दे ब्यसनों पर अुन्हें आपत्ति नहीं। वे खाने-पीने और बोलने-चालनेमें कोजी संयम या स्वच्छता नहीं रखते, अुन्हें रोजगारमें सच-झूठकी परवाह नहीं होती। अुन्हें गहने-गांठे और तरह-तरहके कपड़े पहनकर जातिमें दिखावा करनेकी आदत है। घरमें वे स्त्रियोंके साथ, मां-बापके साथ अपमानका, अुद्धतताका और झगड़का बरताव करते हैं। जिसके अलावा, पुराने लोग ध्यान नहीं देते, हालांकि वे जानते तो हैं कि ये लोग स्पर्शास्पर्शमें शायद ही कभी जातिके नियमोंका पालन करते हैं।

जिन दोनोंमें से बुजुर्गोंके हृदय किसे आशीर्वाद दें? दूसरे लोग जातिवालोंके बीच आते हैं तब सबके जैसे बनकर रहते हैं और कुलकी प्रतिष्ठा बनाये रखते हैं। मौका देखकर

जातिभोज देकर अन्तमें वृद्धि भी करते हैं। यह सब बुजुर्गोंको अच्छा लगता है और जिससे दबकर अन्तका अवर्मा आचरण वे सह लेते हैं। हममें धार्मिकता जैसी कोयी चीज है, यह अन्तको आत्मा स्वीकार करती है। जिसलिये वे हमें शाप नहीं दे सकते। परन्तु हम जात-पातमें अन्तकी अिज्जतको धक्का पहुंचाते हैं, यह अन्तसे कैसे सहन हो सकता है? न हमारा व्यवहार सहन होता, न हमें सच्चे दिलसे शाप ही दिया जाता, जिस प्रकार हम दो तरफसे अन्तमें परेशानीमें डालते हैं।

यह तो पुराने चरमेवाले वृद्धोंकी बात हुआ। परन्तु आपमें जो नये सेवक आश्रम-जीवनका स्वाद लेने अभी अभी आये हैं अन्तमें भी यहां विचारमें पड़ जाने लायक बहुतसी बातें देखनेको मिलेंगी।

यहां छुआछूतमें और भोजनमें जातिभेद नहीं रखा जाता, अतना तो आप पहलेसे जानकर आये हैं। आपके अतने तैयार होने पर भी आपको बहुतसी बातोंमें परेशानी होगी। अंसी कुछ बड़ी बड़ी बातों पर अब हम विचार करेंगे और यह देखेंगे कि हमारी अन्त विचित्रताओंके पीछे कोयी न कोयी अंचा हेतु किस तरह छिपा हुआ है। अतना तो आप देखेंगे ही कि हम जो कुछ करते हैं वह धर्मबुद्धिसे ही करना चाहते हैं। हम सेवकको शोभा देनेवाले ढंगसे जीवन वितानेकी अिच्छा रखकर चलते हैं। जिसमें जाति-भाअियोंको अथवा अन्य किसीको दुःखी या तंग करनेका हमारा हेतु विलकुल नहीं है, न होना चाहिये। आप यह भी देखेंगे कि हम पुराने लोगोंके बहुत-से रीति-रिवाजोंके पुजारी हैं। हम पिछली पीढ़ीके सुधारवादियोंकी तरह अपनी जाति-व्यवस्थाको और दूसरी तमाम संस्थाओंको निरे जंगलीपनकी निशानियां नहीं मानते। हम सुधारक तो अवश्य हैं, परन्तु पिछली पीढ़ीके सुधारवादी और हम अेक नहीं हैं। फिर भी अूपरसे देखनेवाले लोग हमें अन्तकी पंक्तिमें विठा देते हैं। आपने भी जाने-अनजाने अपने मनमें अैसा किया होगा।

अिन पुराने सुधारवादियोंका सुधार कैसा था? वे तो पश्चिमसे आयी हुआ नयी सम्यताकी तड़क-भड़कसे अन्धे हो गये थे। अपने देशकी तमाम बातोंसे वे शरमाते थे और पश्चिमकी भली-दुरी प्रत्येक वस्तुका अनुकरण करनेमें ही जीवनकी सार्थकता मानते थे।

वे अपने गोरे गुरुओंसे सीखे थे कि हम भारतीय जंगली और पिछड़े हुअे लोग हैं, जातिभेदों, धर्मभेदों और भापाके भेदोंसे अिन्न-भिन्न हो गये हैं, और जिसलिये गौरांग प्रभुओंकी गुलामी करनेके ही योग्य हैं। अन्तकी सबसे बड़ी आकांक्षा यही रहती थी कि जिस जंगली समुदायमें से जैसे भी हो अलग हो जायं और हर बातमें गोरे साहवोंकी नकल करके काले साहव वन जायं।

कपड़ोंमें अन्होंने अपने अर्धनग्न जंगली जाति-भाअियोंका तरीका छोड़कर गोरे साहवोंकी पोशाक पहनना शुरू कर दिया। और यहांकी गरमीमें भी बूट-भोजे और चुस्त कोट-पतलून बगैरसे अ्नुन जाना पसंद किया।

५२३

मातृभाषासे वे शरमाने लगे; अपने वच्चोंको वचपनसे अंग्रेजी सिखाने लगे। बाप-बेटा, पति-पत्नी वगैरा अंग्रेजीमें ही बोलने और पत्र-व्यवहार करने लगे। उनकी पत्नी अंग्रेजी पढ़ी-लिखी न हो तो गोरोंके बीच वे शरमसे आंख अुठाकर भी नहीं देख सकते थे और बूढ़े मां-बापसे तो वे अितने लज्जित होते थे कि कभी वार सम्भ मित्रोंके सामने यह कहकर अपनी अिज्जत वचाते थे कि ये लोग घरके रसोअिये अथवा नौकर हैं।

खान-पानके मामलेमें भी अुन्हें गोरोंके सामने कितना शरमिन्दा होना पड़ता था? मेज पर बैठनेके वजाय हमारे लोग जंगलियोंकी तरह जमीन पर बैठकर खाते हैं! छुरी-कांटेके वजाय जंगलियोंकी तरह हाथसे खाते हैं! और सम्भताके झंडे जैसे मांस, मदिरा तथा चुस्टके प्रति जन्मसे ही घृणा करना सीख लेते हैं! फिर गोरोंका सम्भ समाज अुन्हें अपनी मेज पर स्थान कहाँसे दे?

आप देखेंगे कि हम आश्रमवासी सेवक सुधारक हैं और जड़मूलसे सुधार करने-वाले हैं। परन्तु अुन सुधारकोंसे हमारी जाति विलकुल अलग है। तलवार भी लोहेकी होती है और हल भी लोहेका होता है, परन्तु दोनोंकी जाति तो अलग-अलग होती है न?

जाति-व्यवस्थाके सम्बन्धमें हम किस प्रकारके सुधारक हैं, अुसके पुराने तत्त्वोंमें से किन्हें हम सोने जैसे कीमती मानते हैं और किन्हें रोगके समान, अिसकी थोड़ी तफसीलमें अुतरें।

जातियोंमें अेक जाति अूंची और अेक जाति नीची, अिस पुरानी कल्पनाको हमने छोड़ दिया है। पुराने लोगोंने तो ब्राह्मणोंसे भंगी तककी अूंची नीची जातियोंकी मानो क्रमवार सीढ़ी ही बना दी है। अुसमें कौन किसके हाथका खा सकता है और कौन किसे छू सकता है, अिसका क्रमवद्ध शास्त्र बना लिया गया है! अुस सीढ़ीके निचले छोरकी जातियोंको तो छुआ भी नहीं जा सकता और सबसे अाखिरी जातिकी तो परछाँअी भी नहीं पड़ने दी जा सकती, अैसी व्यवस्था कर दी गअी है!

सब अीश्वरकी सन्तान हैं—अुनमें अूंचनीचके भेद मानना हमें महापाप दिखाअी देता है। मनुष्य जैसा मनुष्य—अुससे यह कहना कि मैं तुझे छुअूंगा नहीं, तेरे साथ बैठकर खाअूंगा नहीं, तेरे घड़ेका पानी नहीं पीअूंगा, तेरे तवेकी रोटी नहीं खाअूंगा, अिससे बड़ा अपमान अुसका और क्या हो सकता है? तू नीचा और मैं अूंचा, अिस मान्यताके जैसा घोर अभिमान और कौनसा है? लेकिन हम तो सेवाधर्मको स्वीकार करनेवाले ठहरे; हम अभिमान रखें तो सेवक कैसे बन सकते हैं? और किसीका अैसा अपमान करें तो अुसकी क्या सेवा कर सकते हैं?

छुआछूत और खान-पानके रिवाज जाति-व्यवस्थाके अतिरेक हैं। हमने अुन्हें खुल्लम-खुल्ला छोड़ दिया है। हम मानते हैं कि जातियाँ भी अिस मैलको धो डालें तो शुद्ध हो जायँगी।

हमारे व्यवहारसे जातिबन्धु दुःखी होते हैं, क्रोधमें आ जाते हैं। परन्तु हम पहलेके सुधारवादियोंकी तरह न तो उनके साथ झगड़ा करने जाते हैं और न उनकी निन्दा करते हैं। वे हमें जाति-बहिष्कृत कर देते हैं तो हम नम्रतासे उनकी असुविधायें सहन कर लेते हैं, उनकी सेवा करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं, और उनकी तरफसे मिलनेवाले लाभों और सुविधाओंका बलिदान करते हैं। जिसका परिणाम अच्छा आ रहा है। दिन-दिन उनका रोप कम होता जाता है, हमारे आचरणके प्रति वे बुदार बनते जा रहे हैं और छुआछूत तथा खान-पानके भेदोंके रोग जातिके शरीरमें से भी हटते जा रहे हैं।

प्रवचन ३४

सच्चा वर्ण-धर्म

जाति-व्यवस्थाके अनेक तत्त्वोंके विरुद्ध हमने विद्रोह किया है, परन्तु धंधोंके वारेमें जातियां जिस सिद्धांत पर जोर देती हैं उसे हम अन्तःकरणपूर्वक शिरोधार्य करते हैं। वह सिद्धान्त क्या है? "बेटा बापका धंधा करे। अधिक रुपया कमानेके लोभमें दूसरी जातियोंका प्रतिद्वंद्वी बनने न दीड़े।"

खूबी तो देखिये कि जो लॉग खाने-पीने और छुआछूतके जातिधर्मका पालन करनेमें बड़े कट्टर दिखायी देते हैं, वे जातिके इस मूल धर्मका पालन करनेकी जरा भी परवाह नहीं करते; और हम जो जातिप्रथाके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले माने जाते हैं वे श्रुस पर मोहित हैं।

रुपयेका लोभ यदि जातिबंधुओंमें निन्दाका पात्र माना जाता हो, अुससे दुनियामें अिज्जत-आवरू बढ़ती न हो और जातिका धंधा करते हुअे स्वाभिमानपूर्वक गुजारा हो जाता हो, तो मनुष्य चाहे जिस धंधेके पीछे क्यों पड़े? क्यों दूसरोंके धंधोंमें हिस्सा बंटाने जाय? क्यों अपने धंधेमें धोखा-धड़ी या मिलावट करे? क्यों दूसरे लोगोंको चूस कर खुद उनकी मेहमतका फल चुराये?

किसी वणिक्को रुपयेका लोभ होता है तो वह अेक जगहका माल दूसरी जगह लाने ले जानेका अपना जातिधर्म छोड़कर जुलाहोंके धंधेमें हाथ डालता है। वह खुद करघे पर बैठता और अपने दोनों हाथोंसे बुनता तब तो हमें बहुत अंतराज न होता; हम यह मान लेते कि गांवमें अेक और जुलाहा पैदा हो गया। परन्तु वह तो सैकड़ों जुलाहोंको अिकट्टा करके अुनके हाथोंके द्वारा कपड़ा बुनता है, मिल खोलकर हजारों मजदूरोंके हाथोंसे कातता है, पींजता है और बुनता है, और अुनके परिश्रमके फलका शोषण करता है।

कोभी किसान रुपयेके लोभमें पड़ता है तो खेतीका जातिधर्म छोड़कर व्यापार करने लगता है। अुसके घरमें किन चीजोंकी जरूरत है अिसका विचार छोड़कर वह यह देखता है कि बाजारमें किस चीजके खूब पैसे पैदा होते हैं और फिर अुसे पैदा करनेके लिये सैकड़ों मजदूरों और बल-जोड़ियोंका पसीना बहाकर अुन्हें निचोड़ लेता

है। लोभकी कोअी सीमा नहीं होती। असलिये वह गांवकी जमीनको अपने हाथमें करनेसे हिचकता नहीं और खुद परिश्रम करनेवाले किसानको भूमिहीन बना देता है। पैसावाला हो तो ट्रैक्टर जैसी मशीनें लाकर अन्हें बेकार कर देता है। यह जाति-धर्मका कितना भयंकर द्रोह है? जैसे थोड़ेसे लोभी गांवमें निकल आते हैं तो गांवके किसानोंको किसान न रहने देकर मजदूर बना देते हैं, जातिका धंधा करके आनन्द करनेवाले मोहल्लोंके मोहल्लोंको बेकार और दरिद्र बना डालते हैं, और अन्हें पेट भरनेके लिये जहां तहां भटकनेवाले बना देते हैं।

आज जुलाहोंके मोहल्ले देखिये, रंगरेजोंकी वस्तियां देखिये, मोचियों और चमारोंके मोहल्ले देखिये। पैसेके लोभियोंने सबको अुजाड़ दिया है। वकरोके बीचसे शेर निकल जाता है या मुर्गोंके बीचसे गीदड़ निकल जाता है तो भी अितना नाश नहीं होता। वे अेक या दो प्राणियोंको अुठाकर भाग जाते हैं; वे घबराहट फैलाते हैं परन्तु वह थोड़ी देरमें मिट जाती है। लेकिन पैसेके लोभियोंने अैसी स्थिति पैदा कर दी है मानो लोगोंके बीच रोग फैल गया हो और अुसने सबको खतम कर डाला हो।

सच पूछें तो जातियोंको हम खान-पानका धर्म छोड़नेवालोंने नष्ट नहीं किया है। परन्तु असि धंधेके धर्मको आग लगानेवाले लोभियोंने ही अुनका सत्यानाश किया है।

अब हम जातिके महाजनों अथवा पंचायतोंकी संस्थाका विचार करें। आजकल सरकारी अदालतोंके कानून चल पड़े असलिये अुनका बल घट गया है। अुनकी आजाको लोग पहलेकी तरह नहीं मानते। फिर भी बहुतसी जातियोंमें यह संस्था अपने सदस्यों पर जबरदस्त हुकूमत चलाती है। रोटी-व्यवहार अथवा बेटो-व्यवहारके चले आ रहे कानूनको कोअी तोड़ता है, तो ये पंचायतें जाति-बहिष्कारका शस्त्र अुठाकर अुसे बशमें करती हैं। जातिभोज देनेके अवसर पर यदि कोअी अपना कर्तव्य पालन न करे और जाति-भाअियोंके मिष्टान्नके हकको मार दे, तो अुसे भी सजा देकर ये ठिकाने लाती हैं।

परन्तु अत्यन्त बलवान पंचायतें भी अपनी सत्ताका अससे अधिक अुपयोग करती नहीं देखी जातीं; और काममें ली जानेवाली यह सत्ता भी पेटमें सोनेकी कटारी मारने जैसी है। कोअी आर्थिक दृष्टिसे कमजोर हो गया हो और जातिके लोगोंको भोज न दे सके, तो अुसकी रक्षा करनेके बजाय पंचायत अुसे दवाती है, अुसे घरवार बेचनेको मजबूर करती है। अैसी सत्ताका और किस तरह वर्णन किया जाये?

जातीय पंचायतोंकी सत्ताके शुभ मार्गमें अुपयोग होनेके आजकल बहुत ही कम अुदाहरण देखे जाते हैं। शराब और ताड़ी पीनेवाली जातियोंकी तरफसे कहीं कहीं असि व्यवसनके विरुद्ध बंधन लगानेकी घटनाअें हुआ हैं। सरकारके अन्यायके विरुद्ध कर-बन्दीके सत्याग्रह जैसी लड़ाअियां छोड़ी गयीं, तब किसान जातिने जातीय विधानका अुनमें काफ़ी अुपयोग किया था।

परन्तु जातिसत्ताका असा स्वरूप तो तभी देखनेको मिलता है, जब जातियोंके भीतर राष्ट्रीयताकी भावनाका संचार हो और नये खूनवाले लोग संकुचित और तमोगुगी पंचायतोंकी परवाह न करके अुनके खिलाफ सिर उठायेँ । देशमें राष्ट्रीय वातावरण जमता है तब ज्यादातर तो पुरानी जातीय पंचायतें अुससे चौंकर दूर ही रहना पसन्द करती हैं। फिर भी गन्धेके साथ अेरंडको भी पानी मिल जाता है, जिस न्यायसे जातिकी पंचायतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वे शादी-नामीके तर्कके रिवाजों, लेने-देनेके रिवाजों वगैरामें हलके हलके सुधार करके यह दिखानेका प्रयत्न जरूर करती हैं कि वे जीवित हैं।

परन्तु जातियोंमें सच्चा जीवन आ जाय तो अुनकी पंचायतें कैसे अच्छे अच्छे काम कर सकती हैं? वे असा अुच्च वातावरण पैदा कर सकती हैं कि रूपयेका लोभ करके जातिका धंधा छोड़नेवाले मनुष्य लोकलाजसे मरने जैसे हो जायँ। जातिमें कोअी अनाय हों तो अुनके नाय बनकर अुन्हें रास्तेसे लगा सकती हैं, अपंगोंका पालन-पोषण कर सकती हैं। वे जातिके धंधेके विरुद्ध कोअी प्रतिद्वन्द्वी खड़ा हो जाय तो अुससे टक्कर लेकर जातिकी रक्षा कर सकती हैं। गांवके लोग अवुद्धिसे अयवा सस्ते मालके लोभमें पड़कर विदेशी या बाहरका माल लाने लगेँ और अपनी जातिको प्रोत्साहन देनेका राष्ट्रधर्म भूल जायँ, तो पंचायतें जातिकी तरफसे पुकार अुठा सकती हैं, लड़ सकती हैं, सत्याग्रह छेड़ सकती हैं। साथ ही वे जिस वातकी भी सावधानी रख सकती हैं कि कोअी अदमी जातिके धंधेमें मिलावट और धोखा करके अुसकी प्रतिष्ठाको हानि न पहुंचाये।

जिसके सिवा, जातिके लोग आजकल जातिके जो धंधे करते हैं वे केवल यांत्रिक ढंगसे करते हैं। जिसलिअे वाप जितना जानता है अुससे लड़का कुछ कम ही जानता मालूम होता है। पंचायतें सजीव हों तो अपने धंधोंके शास्त्रका विकास कर सकती हैं, अुनमें कलाका विकास कर सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं, शास्त्रीय शिक्षा देनेकी व्यवस्था कर सकती हैं—सार यह कि अपने धंधेमें बुद्धि लगाकर अुसकी प्रगति कर सकती हैं, और जिस प्रकार अपने धंधेके बारेमें जातिके बालकोंमें प्रेम और अभिमान पैदा कर सकती हैं।

जातिके बालक केवल जातिका धंधा सीखें, यहीं न रुककर ये पंचायतें अुन्हें सुन्दर सर्वांगीण शिक्षा देनेकी भी योजना बना सकती हैं। किसानोंके लड़के हल चलाना जानते हों तो भी अुन्हें आजकलके पढ़े-लिखे लोगोंके सामने नीचा देखना पड़ता है। कुम्हार और चमारके लड़कोंको अपने धंधे आते हों तो भी पढ़े-लिखोंकी बातें वे नहीं समझ सकते और शरमिन्दा होते हैं। जिसका और क्या परिणाम हो सकता है? जातिके बच्चों पर यही असर पड़ता है कि अुनके धंधे ही बुद्धिकी जड़ बना देनेवाले और अप्रतिष्ठित हैं। असलमें अुन्हें अपने धंधेकी भी पूरी शास्त्रीय शिक्षा नहीं मिलती, तो फिर सर्वांगीण विशाल शिक्षाकी तो बात ही क्या की जाय? असी स्थितिमें जातिके बच्चे जातिके धंधे छोड़ दें, दुनियामें प्रतिष्ठित माने जानेवाले

धंधोंकी तरफ झुकें और जातियोंको नाशकी ओर ढकेलें तो कोअी आश्चर्य नहीं? पंचायतोंमें प्राण हो तो वे अिस नाशको रोककर जातिकी और अुसके धंधेकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं।

कुछ धनिक जातियोंमें आजकल जातिके वच्चोंकी शिक्षाके लिये कुछ प्रयत्न करनेका अुत्साह पाया जाता है। भाटियों, बनियों और पाटीदार वगैरा जातियोंमें बड़ी-बड़ी शालाओं और छात्रालय बनाकर अुनका लाभ जातिके वच्चोंको मुफ्त या सस्तेमें दिया जाता है। ये जातियां जातिके वच्चोंकी शिक्षाका कर्तव्य-पालन करनेका दिखावा करती हैं और अपने मनमें अिसका संतोष मान लेती हैं।

यह दिखावा और संतोष कितना झूठा होता है? प्रथम तो अैसी जातियां जो धंधे करती हैं अुनमें मूल जातिधर्मका केवल द्रोह ही होता है। जाति और राष्ट्र दोनोंके कल्याणका अुनमें कोअी विचार नहीं होता। अेकमात्र विचार धन कमानेका होता है। विदेशी कपड़े वगैरा चीजोंका व्यापार देशको गुलाम बनानेवाला होने पर भी वे अुसे नहीं छोड़तां। अनेक जातियोंके धंधोंका अपहरण करनेवाले कारखाने खोलनेमें अुन्हें कोअी आपत्ति नहीं होती। और फिर वे सट्टे और जुअेको अिज्जतका धंधा मानती हैं। पंचायतोंकी धर्मबुद्धि जाग्रत हो तो वे अपने लोगोंको अैसे धर्म-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी धंधे कभी न करने दें।

फिर अेरणकी चोरी करके जो सुअीका दान दिया जाता है अर्थात् केवल जातिके लिये ही संस्थाओं खोली जाती हैं, अुसमें भी विलकुल संकीर्ण दृष्टि पायी जाती है। वास्तवमें वे जिन अनेक जातियों, लोगों और गांवोंसे धनके स्रोत अपनी तिजोरीमें लाती हैं, अुन सबका अुनके धनमें हिस्सा हं ता है, और अुन सबको अपनी संस्थाओंका लाभ देना अुनका फर्ज है।

अेक तीसरी दृष्टिसे भी मुझे अिसमें बड़ा दोष दिखायी देता है। अुनकी संस्थाओंमें जातिके सच्चे धंधेकी शिक्षा देनेका प्रबंध नहीं होता। परन्तु सच्चे धंधेका नाश करनेवाली, धन और असंयमका रंग लगानेवाली अराष्ट्रीय शिक्षा ही अुनमें दी जाती है।

अब यदि जातीय धंधोंके बारेमें हम अैसे विचार रखते हैं और अुन्हें जाति-धर्मका गौरवपूर्ण नाम देते हैं, तो हम सेवक अपनी अपनी जातियोंके धंधोंमें क्यों नहीं लगे रहते?

पहली बात तो यह है कि जब देशमें गुलामीका दावानल फैला हुआ हो तब अुसे बुझानेके लिये प्रत्येक जाति, संस्था या व्यक्तिको अपने काम-धंधे छोड़कर दौड़ आना चाहिये। हमने धनके लोभके कारण, हमारा घरका धंधा—खेती, कारीगरी या जो भी हो—लोगोंमें हलका माना जानेके कारण अथवा हमारे कामचोर शरीर अुसकी मेहनतसे वचना चाहते हैं अिस कारण नहीं, परन्तु देशका कार्य करनेके अुद्देश्यसे ही, अपनी जातियोंके धंधोंसे छुट्टी ली है। हमने सारा जीवन और सारी शक्ति देशकी सेवामें अर्पण कर दी है।

जातियोंमें प्राण होते तो वे ज्ञानपूर्वक अपने बालकोंका दान देशके चरणोंमें करतीं। आज युनमें वह शक्ति नहीं है। बहुत बार तो वे यह मान लेती हैं कि हमारा देशकार्यमें लगना भी जातिके प्रति पाप करनेके बराबर है। फिर भी हम मानते हैं कि हमारी देशसेवा सब बातोंको देखते हुअे जातियोंको भी अूर बुझाती है। जिन जातियोंमें से अधिक लोग विशाल देशकार्यमें लगते हैं और बलिदान देते हैं, युन जातियोंका वातावरण राष्ट्रीय बन जाता है और वे अनेक मुझार अनायास कर लेती हैं। इस प्रकार हम जातिसे निकले हुअे लग पर भी अप्रत्यक्ष रूपमें अुसकी सेवा ही करते हैं।

और, हम सेवकोंका मुख्य कार्य क्या है? हमारे गांवोंके नष्ट हो चुके अनेक धंधोंको सजीव करना। पश्चिमके व्यापारी भयंकर राज्यदल और यंत्रदलके साथ हमारे देश पर चढ़ आये। इस चढ़ावमें अेक भी जाति या अेक भी अुद्योग जीवित नहीं रह पाया। भागती हुअी सेना जैसे जान बचानेको जहां जी चाहे वहां छिप जाती है, वैसे ही लोगोंने जिसके हाथ जो धंधा लगा वह पकड़ लिया है। कुछ लोग अुन विदेशी व्यापारियोंके और अुनकी सरकारके दलाल बन गये हैं। परन्तु अधिकांश लोग तो अपने धंधे और धर्म खोकर दरिद्र और जड़ बन गये हैं। आज अैसी स्थिति हो गयी है कि जातिके धंधेसे चिपटा रहनेवाला भूखों मरता है। सारी जाति-व्यवस्था क्षिथिल हो गयी है। अपनी अपनी जातिके धंधे करते हुअे अनेक जातियोंके मांहल्ले आनन्द किया करते थे, लेकिन आज वे अुजाड़ हो गये हैं। अपने धंधेसे दाल-रोटी मिलनेमें संतोष मानने-वाला जाति-स्वभाव मिट गया है। हमारे लोग जो चीज पैदा करें अुसीसे काम चला लेनेका स्वदेशी धर्म लोगोंमें लुप्त हो गया है। मेहनतसे हाथोंकी चमड़ी कड़ी न पड़े और कपड़ोंको दाग न लगें, अैसे अप्रामाणिक और स्वाभिमानको बेचनेवाले धंधोंके लिये लोग स्पर्धा करने लगे हैं। सबको व्यापारी बनना है। सबको बड़ी बड़ी तनखाहें पाना है। परन्तु इसमें सभी सफल हो जायें तो सरकारके सगे-संबंधी क्या करें? अधिकांश लोगोंको तो जातिके धंधोंकी अपेक्षा भी सस्त मेहनत करनी पड़ती है, अुनके कपड़े भी भूतोंकी तरह रंग जाते हैं और जाति-व्यवस्थासे जो सुख-संतोष अुन्हें मिलता था वह अब सपनेमें भी देखनेको नहीं मिलता।

आजकल लोग अपना परिचय 'मैं अमुक जातिका हूं' कहकर देते हैं। परन्तु जातिधर्म रहा कहां है? जातियोंका पूरी तरह संकर — मिश्रण हो गया है। पुरानी जातियोंके तो नाम ही शेष रह गये हैं। असलमें आज अजीब अजीब नये धंधे निकले हैं और अुनकी नयी जातियां बन गयी हैं। अिन्सानको जिसमें जड़ मशीनोंकी तरह अथवा बिना सींग-पूंछके बैलकी तरह काम करना पड़ता है, अैसी अनेक प्रकारकी मजदूर-जातियां निकल आयी हैं। मनुष्य-जातिकी प्रतिष्ठाको गिरानेवाली तरह तरहकी कारकुनी जातियां भी पैदा हो गयी हैं।

अैसी स्थितिमें पुराने विचारके लोगोंकी तरह हम थोये जाति-अभिमानसे कैसे चिपटे रह सकते हैं? हमारे जैसे सेवकोंका आज अेक ही धर्म है — विदेशी व्यापार और

अुसे देश पर थोपनेवाले विदेशी राज्यके विरुद्ध युद्ध करना। हमने स्वदेशी और स्वराज्यके धर्मोको देशमें फिरसे स्थापित करनेका सैनिक धर्म अपनाया है। आज तो वही हमारी जाति और वही हमारा धर्म है। अुसमें हम विजय प्राप्त कर लेंगे तब देशके गांवोंमें और अुद्योगोंमें नया जीवन आयेगा और जातियोंकी रचना फिरसे सही आधार पर होगी।

अिस अर्थमें हम किसी भी जातिके हों, तो भी जो धंधे सच्चे राष्ट्रीय हैं, जिनका नाश होनेके साथ राष्ट्रके प्राण निकल गये हैं, अुन खादी और ग्रामोद्योगोंमें हम लगे हुअे हैं; हम खुद अिन्हें सीखते हैं और लोगोंमें भी फैलाते हैं, अुनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और अुनके शत्रुओंसे जूझते हैं।

अिस वीच आप देख सकेंगे कि जाति-व्यवस्थामें घुसा हुआ अेक भयंकर जहर निकालनेका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। अमुक धंधा मैला और अमुक अुजला है और अुसके कारण अमुक जाति अूंछी और अमुक नीची है—यह विचार ही वह जहर है। हम सब राष्ट्रीय धंधोंको समान आदरके साथ करके अिस जहरको निकालनेकी कोशिश कर रहे हैं।

जुलाहेका पेशा संस्कारी निःस्वार्थ सेवकोंने अपना लिया है, अतः अब जुलाहा नीचा और अछूत रह ही नहीं सकता।

हलकेसे हलका काम भंगीका माना जाता है। वह भी हमने अपना लिया है। वह काम स्वच्छ, सरल और सुन्दर ढंगसे कैसे किया जाय, अिसको कलाका हम विकास कर रहे हैं। छोटी बुद्धिके लोग डरते हैं कि अिससे भंगी सिर पर चढ़ जायेंगे, मैला काम करनेसे अिनकार कर देंगे, अुन्हें तो अज्ञान और दलित ही रखनेमें समाजका हित है। हमारी दृष्टिसे यह अत्यन्त पापपूर्ण कल्पना है। पाखाने साफ करनेके कामको समाजमें सबको पवित्र मानना चाहिये, अुससे घृणा न करनी चाहिये। भंगी स्वच्छ बन जायं और अुसे करनेसे अिनकार कर दें, तो भी हमें परेशानीमें पड़नेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। मेरी मान्यताके अनुसार हमारे समर्थनके कारण भंगी काम करनेसे शायद अिनकार नहीं करेंगे, परन्तु अपने कामके वारेमें शर्तें जरूर सामने रखेंगे। वे यह शर्त अवश्य रखेंगे कि पाखाने बड़े और हवादार होने चाहिये। अुनमें वाल्टी वगैरा सामान वे अच्छा मांगेंगे। वे यह भी कहेंगे कि हम बिगाड़े बिना अुनका अिस्तेमाल करने और मिट्टी डालने या ढक्कन ढांकनेकी सभ्यता सीखें। वे पानीकी काफी मात्राके बिना काम नहीं करेंगे और यह शर्त भी रखेंगे कि जब वे काम करें तब हम अुनकी मदद पर रहें। अन्तमें वे पशुकी भांति सिर पर मैलेकी टोकरी अुठानेको हरगिज तैयार नहीं होंगे, परन्तु अिसके लिये सुविधावाली गाड़ियोंकी मांग करेंगे।

नीचेसे नीचे माने जानेवाले धंधोंकी और अुनके जरिये जातियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ानेका सही रास्ता यही है कि अुन धंधोंको प्रतिष्ठित लोग करने लें। हम सेवकोंने यह रास्ता अपनाया है। अिसलिये हम देशमें यह परिणाम आया हुआ और आता हुआ प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

सुधारकका कन्या-व्यवहार

अब जातियोंके संबंधमें मुझे अेक ही विषयकी चर्चा करनी है। वह है वर-कन्या-व्यवहारका। जातियां भोजन-व्यवहारकी तरह अिसे भी अपना खास विषय मानती देखी जाती हैं, और कुछ अच्छे परन्तु अधिकांश हानिकारक नियम बनाकर वे अत्यन्त कठोरतासे जातिके लोगों द्वारा अुनका पालन कराती हैं।

जैसे सब जातियोंमें अूँच-नीचकी सीढ़ियां बना दी गयी हैं, वैसे प्रत्येक जातिके भीतर भी अूँचे कुल और नीचे कुलकी सीढ़ियां बना दी गयी हैं। शहरके निवासी, अमीर और राज्याधिकारी जातिमें अूँचे माने जाते हैं। अैसे अुच्च कुलवालोंके यहां कन्याअें देनेके लिये जातिके लोग आपसमें स्पर्धा करते हैं और बूतेसे बाहर दहेज देनेको तैयार होते हैं। अिस प्रकार वर-विक्रयका भद्दा रिवाज पड़ जाता है। और अुच्च कुलके वर थोड़े ही मिलते हैं, अिसलिये अेक वरको बहुतसी कन्याअें व्याह देनेका रिवाज भी चल पड़ता है। दूसरी ओर जो लोग नीचे कुलके माने जाते हैं, अुन्हें कन्याओंकी हमेशा कमी पड़ती है। मां-बाप वड़ी रकमें मिलें तो ही अुन्हें अपनी कन्याअें देते हैं। यह हुआ कन्या-विक्रयका रिवाज।

जातिके पंच अुच्च कुलवाले होते हैं, अिसलिये वे भला अिन रिवाजोंके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? परन्तु जातिका नीचा माना जानेवाला वर्ग कभी कभी विद्रोह करता है, कुलीनोंसे अलग हो जाता है और अपनी अलग चारदीवारी बनाकर अुसमें वर-कन्या-विक्रयका रिवाज बन्द करता है। अैसे विद्रोहसे थोड़ा क्षणिक संरक्षण जरूर मिलता है, परन्तु वह जड़का नहीं, डाल-पत्तियोंका ही सुधार होता है। अुसमें अेक संकट मिटाने जाते हैं तो दूसरा नया ही संकट आ पड़ता है। वह यह कि अुपजातियां बहुत ही तंग बन जाती हैं। अधिकांश तो आजकल सौ-दो सौ कुटुम्बोंकी टोलियां ही बन गयी हैं। कभी कभी दो-चार गांवों तक अथवा अेक गांव तक ही अुनकी हद बंध जाती है। अिससे वर-कन्याके चुनावके लिये विशाल क्षेत्र नहीं मिलता, आपसमें अदला-बदली होने लगती है और कभी जातियोंमें तो ससुराल और पीहर आमने-सामनेके घरोंमें ही हो जाते हैं। यह सब वंशशुद्धिकी दृष्टिसे अत्यंत हानिकारक है।

जातियोंकी सारी रचना अूँच-नीचके भेदों और मिथ्याभिमान पर ही हुयी है। अिसीमें से कुछ और भी भयंकर और मनुष्य-जातिका नाश करनेवाले रिवाज चल पड़े हैं। अुच्च कुलोंका बड़ा अभिमान यह होता है कि अुनके लड़के तो पालनेमें से ही कन्याके व्याहके लिये पसन्द कर लिये जाते हैं। यह हुआ बाल-विवाहके रिवाजका मूल। अुनका दूसरा अभिमान यह है कि हमारी लड़कियां विधवा हो जाने पर सारी अुन्न पवित्र वधव्यका व्रत पालती ह, हलके कुलों या जातियोंकी लड़कियोंकी तरह

किसीके घर नहीं बैठतीं। यह हुआ वाल-विधवाओंके दुःखी और अपमानित जीवनकी बुनियाद।

आजकी जाति-व्यवस्थाके वर-कन्या-व्यवहारमें अेक भी अैसा अच्छा तत्त्व नहीं है, जिसका हम सेवक वफादारीसे पालन कर सकें। हम सेवक और सुधारक न हों और अपने लड़के-लड़कियोंके हितकी चिन्ता रखनेवाले साधारण मां-बाप हों, तो भी जातिके अैसे रीति-रिवाजोंको अपना धर्म समझकर हम कैसे मान सकते हैं? कोअी भी अच्छे और अपना पितृधर्म समझनेवाले मां-बाप अपने पुत्र-पुत्रीका वाल-विवाह करके वड़प्पनके खातिर अुनके जीवनकी शिक्षा पर कुठाराघात कभी नहीं करेंगे। पुत्र-पुत्री वालिग और अच्छी शिक्षा पाये हुअे हों, तो विवाह जैसे जीवनके महत्त्वपूर्ण विषयमें मां-बाप अुनकी अच्छाका स्वाभाविक रूपमें ही पर्याप्त आदर करेंगे। वर-कन्याके चुनावमें मां-बाप अपनी सलाह दें तो वह भी अूंचे-नीचे कुलकी तथा दहेज वगैराकी गलत दृष्टिसे नहीं देंगे, परन्तु सशक्त नीरोग शरीर और धंधेकी कुशलताकी दृष्टिसे ही देंगे। खास तौर पर अैसे मां-बापकी यही दृष्टि रहेगी कि अपने पुत्र-पुत्रीको जिस ध्येय और आचार-विचारकी शिक्षा दी गयी है अुससे मिलती-जुलती शिक्षा पाकर वड़े हुअे साथी ही अुन्हें मिलें।

हम आश्रमवासी सेवक अिस सिद्धान्तके अनुसार ही चलते हैं, या हमें चलना चाहिये। आज अधिकांश सेवक वाल-विवाहसे तो मुक्त हो गये हैं। विक्रयके रिवाजसे भी ज्यादातर लोग छूट गये हैं। परन्तु मुझे अभी तक अैसी स्थिति नहीं दिखायी देती, जिसमें हम छाती ठोक कर कह सकें कि सभी अुच्च कुलकी तरफ दृष्टि नहीं दौड़ाते। हमारा आदर्श सेवा, शरीर-श्रम और गरीबीका होते हुअे भी कन्याके लिये पैसे-टकेसे सुखी और आरामदेह घर ढूँढ़नेके बारेमें हमारा आकर्षण नहीं रहता, अैसा बहुतसे सेवक नहीं कह सकते।

फिर भी, अितने सुधार तो मामूली ही हैं और अुन्हें जातियां सहन कर लेती हैं। परन्तु सेवक यदि सही तौर पर व्यवहार करनेके आग्रही हों तो अुन्हें अिससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा।

हमारे लिये जातिकी चारदीवारीमें वन्द रहना लगभग असंभव है। जातियां आजकी तरह सड़ी-गली और छिन्न-भिन्न न हों, तो जातिमें से ही संतोष देनेवाले अच्छे जोड़े जुटा लेना सबसे स्वाभाविक और सुविधापूर्ण हो जाय। अैसा हो तो समान धंधा जाननेवाले, समान आचार-विचार रखनेवाले और अच्छी तरह परिचित जीवन और स्वभाववाले जातिके लोगोंको छोड़कर विवेकी माता-पिताको अन्यत्र क्यों जाना पड़े? परन्तु आज तो जातियोंके छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं। जैसे हिन्दुस्तानके खेत अितने छोटे छोटे टुकड़ोंमें बंट गये हैं कि अुनमें लाभदायक खेती हो ही नहीं सकती, वैसे ही जातियां भी अैसे छोटे टुकड़ोंमें छिन्न-भिन्न हो गयी हैं कि वे अच्छी वंशवृद्धिके लिये निकम्मी बन गयी हैं। धंधे, आचार-विचार और शिक्षाकी

दृष्टिसे देखें तो आजकी जाति जाति ही नहीं, केवल एक वेमेल शम्भुमेला है। वह जाति नहीं, परन्तु भयंकर संकर है। खुसमें से वर-कन्याके अच्छे जोड़े जुटाना लगभग असंभव ही है।

असके सिवा, हम सेवकोंके जीवन राष्ट्रीयता, त्याग और सेवा पर रचे हुये होते हैं, असलिये वे जातिके साधारण ढंगसे अलग प्रकारके होते हैं। एक तरहसे यों भी कहा जा सकता है कि हमारी समान ध्येय और समान जीवनवाली एक अलग जाति ही खड़ी हो रही है। अलग अलग जातियों और प्रान्तोंसे आये हुये सदस्योंकी हमारी एक नयी जाति ही है। वह नयी होने पर भी वनी है जाति-रचनाके सच्चे सिद्धान्तोंका अनुकरण करके। पुरानी जातियोंसे वह ज्यादा कुदरती है, असलिये हमारे वच्चोंके नये जोड़े अस नयी मंडलोंमें से बननेके खुदाहरण अधिकाधिक संख्यामें सामने आने लगे हैं, और यह स्वाभाविक है।

पुरानी जातियां यह देखकर चीक अउती हैं और हममें से भी कुछ सेवक अभी तक ऐसा होते देखते हैं तब चीकते हैं और असे बड़ा अयम मानकर दुःखी होते हैं। असलमें तो असे जोड़े ही सच्चे जोड़े हैं, प्रकृतिके प्रवाहका अनुसरण करनेवाले हैं। असलिये मां-बापको आशीर्वाद देकर सच्चे सजाति-विवाहोंके रूपमें अिनका स्वागत करना चाहिये।

जातिके प्रति हम आश्रमवासी कैसी दृष्टि रखते हैं, असकी मैंने खूब विस्तारसे चर्चा की है। मैंने अच्छे और बुरे सभी अर्थोंमें जाति शब्दका प्रयोग किया है। तत्त्वज्ञानियोंको ऐसा लगेगा कि अस शब्दका सही अुपयोग नहीं हुआ है। वे कहेंगे कि असमें तो मैंने वर्ण-व्यवस्थाके सिद्धान्तोंका ही स्वीकार किया है और जातिका शुद्ध खंडन किया है। यह बात सच है।

जातिका बोलवाला हमारे समाजमें अितना हो गया है कि जैसे घासफूस बढ़कर मूल फसलको नष्ट कर डालता है, वैसे असने वर्णका नाश कर डाला है। अितना ही नहीं, असने साधारण लोगोंकी बुद्धिमें यह भ्रम पैदा कर दिया है कि जाति ही वर्ण है। प्राचीन वर्ण-व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा लोगोंने जातिको दे दी है।

परन्तु कहां खुदार वर्ण और कहां संकुचित जाति? अिन दोनोंके स्वभाव ही अलग अलग हैं। वर्ण समाजकी सेवा करनेके लिये है और जाति केवल स्वार्थका ही विचार करती है। वर्णने समाज-कल्याणके खातिर सबके लिये संयम और त्यागके धर्म निश्चित कर दिये हैं। कोअी दूसरेके धंधेमें दखल न दे, धनके लिये स्वर्ग न को जाय, कोअी अंश-आरामकी जिन्दगी न वितावे—ये वर्णकी आज्ञाएँ हैं। जाति तो अपना ही विचार कर सकती है। अूँच-नीचका भाव और असृश्यता अुसके आधार हैं। आत्मरक्षाके लिये अुसे बाल-विवाह और वर-कन्या-विक्रय जैसे रिवाज और तंगसे तंग बाड़े बनानेके ही अुपाय सूझते हैं। धंधे पर वह कोअी कावू नहीं रख सकती। रखे भी कैसे? अुसके धर्ममें तो जो ज्यादा कमाये वही

अँचा माना जाता है। और मूल धँवेसे चिपटे रह कर भला जिस तरह अँचा अुठा जा सकता है?

वर्णमें धँवा अेक होता है, परन्तु सबको सेवक, ज्ञानी और अीश्वर-भक्त बनना पड़ता है। जातियाँ तो जो मजदूर हो गया अुसे हमेशा मजदूर रखनेके लिये अज्ञानमें बन्द रखती हैं, कोअी भंगीके घरमें पैदा हुआ तो अुसे अस्पृश्य बना देती हैं, ताकि वह कभी सिर अँचा न कर सके।

पालन करने योग्य तो वर्णधर्म ही है। जातिधर्म सर्वथा त्याज्य है। मैंने जिस चर्चामें सब जगह 'जाति' शब्द अिस्तेमाल किया है, सो प्रचलित लोकभाषाके रूपमें ही किया है। अब आप समझ जायेंगे कि जहाँ जहाँ जातिके अच्छे लक्षण बताये गये हैं, वहाँ वर्णधर्मका ही वर्णन है।

हम सेवक जाति-व्यवस्था अथवा वर्ण-व्यवस्थाके मूल सिद्धान्तोंको मानते हैं। हमारे गाँवोंको यदि स्वदेशी और स्वराज्यके सिद्धान्तोंके अनुसार जीकर सुखी और संतोषी बनना हो, तो हमारा विश्वास है कि अुन्हें जिस वर्ण-व्यवस्थाको ही फिरसे जीवन प्रदान करना चाहिये। फिर भी विधिकी कैसी लीला है कि जातियोंके प्रचलित मुख्य रिवाजोंके विरुद्ध खुले आम बलवा करनेवाले कोअी हों तो वे हम ही हैं! अुनके रोटो-व्यवहारके विरुद्ध, अुनके बेटो-व्यवहारके विरुद्ध, अुनके अँच-नीचके भेदोंके विरुद्ध, अुनके कुलाभिमानके विरुद्ध हमने खुला विद्रोह कर दिया है। परन्तु यह किसलिये है? अिसीलिये कि धँवे और ध्येयकी वुनियाद पर नये सिरसे वर्णधर्मकी स्थापना की जा सके।

यह विद्रोह सेवकोंके सारे जीवनको मय डालनेवाला है। जिसमें हमें अपनी स्त्री, मां-बाप, कुटुम्बियों, ससुरालवालों और सब जाति-भाअियोंका विरोध सहना पड़ेगा। जिसमें हमें सत्याग्रहकी अपनी संपूर्ण कला और अहिंसा अुँडेलनी होगी। अुनके साथ सेवा और प्रेमका संबंध तो हमें दस गुना बढ़ाना है, लेकिन सोचे अुअे सुधारोंके अमलमें मनको जरा भी कमजोर नहीं होने देना है।

असलमें, जातिके क्षेत्रकी हमारी यह लड़ाजी देशके विशाल क्षेत्रकी लड़ाअीके लिये हमारी बढ़ियासे बढ़िया तालीम है।

झूठे अलंकार

आज हम अलंकार अर्थात् गहनोंके विषयमें बातचीत करेंगे। किसीको लगेगा, “यह कैसा विचित्र और अप्रस्तुत विषय है! क्या हम नहीं जानते कि हम आश्रममें रहने आये हैं और आश्रममें गहने पहननेकी छूट नहीं हो सकती?” आश्रमकी ऐसी कल्पना करके जो लोग आये हैं, उन्हें मैं बधाजी दूंगा। और जिसमें शक नहीं कि वे यहां खुसका अबूरा अमल देखें, तो भी आश्रमकी सच्ची कल्पना तो जो अन्होंने की वही हो सकती है। नाक-कानके गहने, हाथ-पैरके गहने, गलेके गहने — यह सारा ठाट आश्रमवासी सेवक-सेविकाओंके लिये तो क्या, किसी सज्जन या सन्नारीके लिये भी शोभास्पद नहीं है।

रानीपरज जातिकी वनवासी वहनों कांसे-पीतल और पत्थरके भद्दे गहनोंसे हाथ-पैर भर लेती हैं। अन्हें हम समझाते हैं: “तुम्हारे ये गहने तुम्हें शोभा नहीं देते; वे सच्चे यानी सोनेके नहीं हैं। उनके नीचेकी हाथ-पैरोंकी चमड़ी घायी नहीं जा सकती, जिसलिये खुस पर दाग पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा गहनोंके भारसे तुम्हें काम करनेमें असुविधा होती है — अित्यादि।” ये भली वहनों हमारी बात मान जाती हैं, समझ जाती हैं और अूंकी जातिकी स्त्रियां अन्हें अपदेश देनेमें खुत्साहसे भाग लेती हैं। परन्तु उनका अपना क्या हाल है? वे कदाचित् उत्तर देंगी, “जिसमें से किसी आलोचनामें हमारा समावेश नहीं होता। हमारे गहने भद्दे नहीं हैं, झूठे नहीं हैं, बहुत भारी भी नहीं हैं।” वे भद्दे, झूठे और भारी नहीं होंगे, परन्तु निकम्मे तो हैं न? उनके पहननेसे शोभा बढ़ती है, ऐसा तो कोजी संस्कारी स्त्री कहेगी ही नहीं। ऐसा कहे तो वह अपने मुंह अपने गुर्गोंका अपमान करती है। क्या गुर्गोंकी शोभा कम होती है कि खुसकी पूर्तिके लिये गहने पहननेकी जरूरत पड़े?

स्त्रियां दलील देंगी, “हम तो केवल सौभाग्यके चिह्न-स्वरूप ही गहने पहनती हैं। हाथमें चूड़ियां और नाक-कान और गलेमें अेकाथ छोटी-सी चीज।” पुराने रिवाजके कारण यह विचार लोगोंमें ठीक माना जाता है, परन्तु हम तो मानते हैं कि गहने सौभाग्यके नहीं परन्तु गुलामीके चिह्न हैं। हाथ-पैरके गहने सौभाग्यके नहीं परन्तु वेदियोंके चिह्न हैं। और सौभाग्यके लिये भी नाक-कान छिद्रवानेको तैयार होनेसे बड़ा मानभंग और क्या हो सकता है? सौभाग्य तो वही है कि पत्नी अपने पतिके धर्म-जीवनमें ओतप्रोत हो जाय। यह सौभाग्य केवल स्त्रीको धारण करना है तो बात नहीं, पतिको भी धारण करना है। खुसे भी धर्मपत्नीके धर्म-जीवनमें अेकाकार हो जाना चाहिये।

अिन सब अलंकारों अथवा गहनोंकी बातमें मुझे लम्बा समय देनेकी जरूरत नहीं। वे तो साधारण समाजमें भी अेक हद तक आलोचनाके पात्र हैं। हमारे देशमें

लोगोंको गहनोंका बहुत शौक है। फिर भी बन-ठनकर गहनोंके चलते-फिरते प्रदर्शन बनकर निकलना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दासी जितनी गहनोंसे लदती है, अतनी रानी या सेठानी लदना पसन्द नहीं करती।

हमें तो आज स्थूल आभूषणोंके वजाय सूक्ष्म अलंकारोंकी बात करनी है — अर्थात् बन-ठनकर फिरनेकी, नखरे करनेकी हलकी वृत्तिकी बात करनी है। इसमें केवल लड़कियोंकी ही आलोचना नहीं करनी है। इस मामलेमें लड़के लड़कियोंसे पीछे नहीं हैं। आजकल हमारे स्कूल-कॉलेजोंमें लड़के-लड़कियोंको इस बारेमें सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिलता। जो मिलता है वह अुलटा मिलता है। समाजमें भी कोअी सही पथ-प्रदर्शन नहीं करता। समाजमें छोटे-बड़े सबकी रसवृत्तिका स्तर गिर गया है। अुसमें पश्चिमके नकली रीति-रिवाजोंने वृद्धि कर दी है। अैसे मामलोंमें किसीका पथ-प्रदर्शन करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्याचार माना जाता है।

अच्छा तो अब मैं आपको आपके सूक्ष्म अलंकार बताता हूं। सरल बनवासी गहनोंकी तरह आपमें अुन्हें तुरंत अुतार डालनेका साहस है या नहीं, इसकी भी परीक्षा हो जायगी।

यहां अेक बार खादी-कार्यालयमें काम बहुत बढ़ गया था। इसलिये हिसाबके कामके लिये अेक होशियार और काफी भावनाशील नौजवानको रखा गया। वे भावनाशील जरूर थे, परन्तु जरा शौकीन भी थे। हमारे गांवोंमें बहुत लोग शौकीन होते हैं, परन्तु अुनके मुकाबलेमें वे भाअी ज्यादा शौकीन नहीं थे। वे अुंगलीमें सोनेकी सुन्दर हीरा-जड़ी अंगूठी पहनते थे। गांवोंसे रानीपरज गहनें सूतके जो बंडल कातकर लातीं, अुन्हें वह भाअी तौलते और हिसाब लगाकर अुन्हें मजदूरी चुकाते थे। अंगूठीवाले हाथसे यह काम आश्रमका अेक कार्यकर्ता अर्थात् गरीबोंका सेवक करे, यह शोभा नहीं देता, अैसा खयाल भी अुन्हें क्यों होने लगा? परन्तु जब अुन्हें यह विचार सुझाया गया तो वे तुरंत समझ गये और अुन्होंने अंगूठी अुतार दी।

हमारी बात सुनकर अुस कार्यकर्ताने अपनी अंगूठी जितनी खुशीसे अुतार दी अुतनी खुशीसे कोअी और कार्यकर्ता अपनी कलाअीकी घड़ी अुतार देगा या नहीं, इसमें शंका है। घड़ीके बारेमें तो अैसा कहनेमें मेरे जैसेको जरा संकोच रखना पड़ता है। जो साथी पूरी तरह परिचित है, वह अच्छे अर्थमें ही मेरी सूचनाको लेगा और वाद-विवाद नहीं करेगा, अैसा विश्वास हो तो ही सूचना देनेकी हिम्मत होती है।

मैं जानता हूं कि आपमें से जो लोग सुन्दर सुशोभित घड़ियां कलाअी पर वांछते हैं वे यह बात निकलनेसे मनमें परेशान होने लगे हैं। आपका मन आलोचना करता होगा कि गहनोंकी बातसे मैं घड़ी पर क्यों आ गया। “क्या घड़ी किसी भी सम्य मनुष्यके लिये अपनी नाड़ीकी धड़कनकी तरह जरूरी नहीं है? और यहां आश्रममें तो समयके पालन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। अुतना कड़ा पालन घड़ीकी मददके बिना सिर्फ सूर्य और तारोंकी गति देखकर कैसे किया जा सकता है?” वगैरा जवाब आपके होठों पर आकर तैयार हो गये होंगे।

पर आश्रममें तो हमने हर सार्वजनिक स्थान पर दीवारकी घड़ियां लगा रखी हैं और हमारा घंटा भी जीति-जागते देवकी भांति सारे दिन हमें जगाता रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अलग घड़ी न रखे तो भी काम चल सकता है। फिर भी मैं यह माननेको तैयार हूँ कि घड़ीके बिना सम्य मनुष्यका जीवन कांटेकी तरह नहीं चल सकता। और यह बात भी जरूर स्वीकार करने लायक है कि चलते-फिरते घड़ी गिर न जाय और किसी भी क्षण समय देखनेकी सुविधा रहे, जिसके लिये उसे कलाजी पर बांधना सुविधापूर्ण है। लेकिन यह तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जिस बातको भूल नहीं सकते कि आपकी कलाजी पर एक सुन्दर, आकर्षक और आपके लिये काफी मोहकी एक चीज बंधी हुई है। क्या गहना पहननेवालेके मनमें भी कुछ ऐसा ही भान नहीं होता ?

जब तक हम अपनेको सद्गृहस्थ अथवा यूँचे मानकर जीवन बिताते हैं, जब तक हम दिनभर गद्दी-तकियोंके साथ चिपके रहते हैं, और पुस्तक तथा कलम ही हमारे कामके मुख्य औजार हैं, तब तक हमें घड़ीकी आलोचना समझाना आसान नहीं है। परन्तु आप खेतमें मजदूरी करनेवाले किसानका विचार कीजिये, मवेशी चरानेवाले ग्वालेका खयाल कीजिये। आपको तुरन्त मालूम होगा कि उस जीवनके साथ कलाजीकी घड़ीका भेल नहीं बैठता। हमारी अिच्छा यह होनी चाहिये कि हम सेवकोंका जीवन दिनोदिन किसान और ग्वालेसे मिलता-जुलता बने। स्पष्ट है कि वह गद्दी-तकियेका तो ही ही नहीं सकता। हमारे वातावरणमें आकर्षक घड़ी सचमुच एक गहना बन जाती है, और इसलिये वह आलोचनाकी पात्र बन जाय तो कोजी आश्चर्य नहीं।

आपकी प्रिय घड़ीकी गिनती यदि अलंकारमें हो गयी, तो फिर आपकी नाजुक सुन्दर नोकदार फाब्रुण्टेन पेन जिस श्रेणीमें आनेसे कैसे बच सकती है? आजके जमानेमें पेनके बिना कोजी भी कार्यकर्ता या विद्यार्थी लगभग अपंग बन जाता है। आश्रममें रहकर देशके मजदूरोंका जीवन बितानेकी हमारी कितनी ही अिच्छा क्यों न हो, तो भी जीवनमें लिखना बन्द कर देना कैसे सम्भव हो सकता है? क्या डायरी न लिखी जाय? पैसेका हिसाब न लिखा जाय? अपने कामकाजके विवरण न लिखे जाय? अथवा पत्र-व्यवहार न किया जाय ?

और एक ही स्थान पर बैठकर काम करना हो तो दवात-कलमसे शायद काम चल जाय, परन्तु हम ग्रामसेवकोंको तो गांव-गांव भटकना पड़ता है। भटकना न हो तो भी सफाईसे चलनेवाली पेनको छोड़कर बार बार अटकने और काले घबरे गिरानेवाली कलमसे लिखकर लिखनेका आवा आनन्द गंवा देनेमें कौनसी समझदारी है ?

जिस तरह आपकी मनचाही पेनके बचावमें बहुतसी बातें कही जा सकती हैं। घड़ी और पेन अिस्तेमाल करनेवाले बड़े बड़े देशसेवकोंके नाम भी आप सबूतमें पेश कर सकेंगे।

परन्तु अितने पर भी अीमानदारीसे यह कहना और लोगोंसे मनवाना आसान नहीं है कि आपकी प्रिय पेन केवल कलम है, अलंकार नहीं है। जिन रानीपरज

वहनोंकी मजदूरी आप अपनी सुन्दर पेनसे वहियोंमें लिखते हैं, वे तो समझ ही जायंगी कि आपका पेनका शौक और उनका पैरोंकी ज्ञानका शौक दो अलग चीजें नहीं हैं। उन्हें प्रत्येक क्षण यह भान रहता है कि उन्होंने सुन्दर कीमती ज्ञानका पैरोंमें पहन रखे हैं, और जब उनकी सहेलियां उन्हें देखती और उनका वखान करती हैं तो उन्हें खुशी होती है। क्या आप यह कह सकेंगे कि आपको भी प्रत्येक क्षण यह भान नहीं होता कि आपके हाथमें एक सुन्दर कीमती वस्तु है? अगर आपकी पेनको देखकर कोअी आपकी रसिकताकी प्रशंसा करे, तो क्या आप मुस्कराकर उसे स्वीकार नहीं करेंगे?

जिस नयी दृष्टिसे हमने घड़ी और पेनको देखा, उसी दृष्टिसे अब हमारे कपड़ों और बहुत-सी व्यक्तिगत चीजोंको भी हम देखेंगे। हमने शरीर-रक्षाके लिये और सम्यताके लिये कपड़े पहने हैं अथवा शोभाके लिये, यह किसीसे गुप्त रखना संभव नहीं है। हमारी आंखें और हमारे अंग-प्रत्यंग हमारा भीतरी भाव प्रकट कर देते हैं। जिससे भी अधिक कोअी प्रमाण चाहिये तो वह जिस बातसे काफ़ी मात्रामें मिल जायगा कि हमने कपड़ेका पीत और डिजाइन पसंद करनेमें कितनी सावधानी रखी थी और दर्जीके साथ उसकी कटाओी वगैराके मामलेमें कितनी दिलचस्पीसे बातें की थीं।

जिस प्रकार अलंकार सोने-चांदीके आभूषणों तक ही सीमित नहीं हैं। मूल वस्तु तो हमारे मनमें है। जिन जिन चीजोंके पीछे वन-ठनकर खूबसूरती दिखानेकी वृत्ति छिपी हुआ हो, उन सबमें अलंकारका तत्त्व आ ही जाता है। शरीर पर गहने, कपड़े या ऐसी कोअी बाहरकी चीज लटकानेसे ही आभूषण बनता हो तो बात नहीं। कुदरतके दिये हुए केशोंमें से भी रसिक मनुष्य अलंकार पैदा कर लेता है। उनकी कटाओीमें, उन्हें जमानेके ढंगमें, उनमें डाले जानेवाले तेलकी सुगन्धमें— जिस प्रकार हर बातमें कितनी रसिकतासे मन लगाया जाता है!

जिन सब बातोंसे आपमें से शायद कोअी यह आशा रखेगा कि मैं आपको यह निर्णय दूंगा कि आश्रममें हमें कैसे और कितने बाल रखने चाहिये। परन्तु मैं ऐसी कोअी बात करना नहीं चाहता। ऐसा नियम हमेशाके लिये बनाना संभव भी नहीं है। यह तो फैशनका प्रश्न है। और फैशनको रोज नये नये वेश धारण करनेकी आदत होती है। आज जो फैशन माना जाता है वह जरा पुराना हुआ कि नापसंद हो जायगा, और वह कोअी नया रूप ले लेगा। आज सिरके बीचमें बड़ी गुच्छेदार चोटी और चारों तरफ घुटा हुआ सिर रखने अथवा आधे सिर पर चोटीके आसपास बालोंका चक्र रखकर विशाल कपाल घुटानेका विचार भी आपसे सहन नहीं होगा, जब कि किसी जमानेमें यह फैशन था और बड़ेसे बड़े शौकीन लोग भी ऐसा फैशन रखकर अपनेको रूपके अवतार मानते थे। आजकल सिरके आगेके भागमें बाल बढ़ाने और पीछेके बाल कटवा डालनेका फैशन प्रचलित है, परन्तु एक जमानेमें पिछले भागमें सुन्दर घुंघराली जुफें और आगे छोटे बाल रखनेमें शोभा मानी जाती थी।

स्त्रियोंमें लंबी चोटीका रिवाज बहुत पुराने समयसे चला आ रहा है। अंक समय अुसमें स्त्रियां रूपका अभिमान अनुभव करती होंगी। परन्तु आजकल तो पुराना रिवाज ही जानेके कारण अुसमें से रूपका भाव लगभग अुड़ गया है। वह सौभाग्यके चिह्नके रूपमें अंक कर्तव्यके तीर पर ही वारण की जाती है। रूपका विशेष ध्यान रखनेवाली स्त्रियोंको धर अुससे संतोष नहीं होता। आज अलग अलग अंगरे चोटियां कटवानेके नये फैशन चालू हो चुके हैं।

बालोंके शौकीनोंको सबसे बड़ा शौक मांग निकालनेका होता है। अिस मांगकी रेखा शायद ही किसी दशकमें स्थिर रहती पायी जायगी। किसी समय मांगकी रेखा स्त्रियोंमें बीचमें और पुरुषोंमें अंक तरफ रखनेका फैशन था। फिर धीरे धीरे पुरुषोंकी मांगकी रेखा बीचकी तरफ और स्त्रियोंकी अंक तरफ खिसकने लगी। आजकल वह रेखा किस स्थान पर रहती है, यह मैं नहीं जानता।

अिसलिये मान लीजिये कि आज मैं आपको सिर मुंडाकर सदा दिखाव रखनेकी सलाह देता हूँ, लेकिन वह कब फैशनका रूप नहीं ले लेगा, यह कौन कह सकता है? हम तो अितना ही कह सकते हैं कि बन-उनकर धूमनेकी वृत्ति अूँचे दर्जेकी वृत्ति नहीं है। हम खूबसूरत हैं, अिस बातका हमें भान होना, वार-वार आँरिनेमें मुँह देखकर अुस भानको जाग्रत रखना हीन वृत्ति है। जिन्हें यह बात सही लगेगी अुन्हें अपने-आप पता चल जायगा कि वे बालों, कपड़ों और दूसरी निजी बातोंके बारेमें कैसा आचरण करें।

अन्तमें अंक और दिशाकी चेतावनी देनेकी भी जरूरत है। अलंकार-वृत्ति न रखनेका अर्थ मैला-कुचैला, अव्यवस्थित और लापरवाह रहना न किया जाय। कुछ लोग अैसा बन जानेको आश्रम-जीवनका लक्षण मानकर चलते हैं। वे दूसरोंकी पट्टियोंकी टीका रसपूर्वक करेंगे, परन्तु अपने बाल गन्दे, मैले और अव्यवस्थित रखेंगे। वे दूसरोंकी फाअुन्टेन पेनकी आलोचना अवश्य करेंगे, परन्तु अुन्हें खुद न तो कलम बनाना आयेगा और न अिस्तेमाल करना आयेगा। अुनका हीलडर अगर खो न गया हो तो टेड़ी और घिसी हुआ निववाला जरूर होगा। अुनकी लिखावट बेडंगी और धब्बोंवाली होगी। अुन्हें स्याहीसे सुन्दर अक्षरोंमें लिखनेकी सदा अरुचि होगी। अिस अरुचिके कारण वे पेंसिलसे धुंधला और गन्दा ही लिखेंगे। अिसके सिवा, वे दूसरोंकी घड़ीकी आलोचना करनेमें तो बहादुर होंगे, परन्तु खुद अंक भी काम नियमसे या समय पर करनेकी सावधानी नहीं रखेंगे। गाड़ियां चूकना, देर-सवेर जाने-आनेके कारण साधियोंके लिये सदा कष्टरूप होना अुनका स्वभाव बन जायगा। वे दूसरोंके सुन्दर और फैशनदार कपड़ोंकी हंती अुड़ायेंगे, परन्तु अपने कपड़े न साफ रखेंगे, न व्यवस्थित। टोपी चाहे जैसे सिर पर रख लेंगे और अुसमें से चोटी बाहर मुँह निकालती होगी। घोंतीकी आंग डीली और लटकती होगी। बटन या तो टूट गये होंगे अथवा सावित होंगे तो बन्द नहीं किये होंगे। सार यह कि अुनकी तमाग चीजें जहाँ तहाँ पड़ी रहती होंगी और सदा गुम होती रहती होंगी।

आश्रम-जीवनमें अलंकारोंको स्थान नहीं है, जिस नियम परसे लोग ऐसी कल्पना कर बैठते हैं और जिसलिसे हम पर खूब हंसनेका लाभ प्राप्त करते हैं। यह भी असंभव नहीं कि किसी किसी आश्रमवासीने अपने इस तरहके व्यवहारसे ऐसी कल्पना बनानेका लोगोंको कारण दिया हो। परन्तु आज मैंने अलंकारोंके संबंधमें जो बातें कहीं, उन परसे मैं आशा रखता हूँ कि आपमें से तो कोसी यह हरगिज न समझे होंगे कि मैं आपसे ऐसा अव्यवस्थित बननेकी सिफारिश करता हूँ। हमें छैल-छबीले नहीं बनना है, परन्तु स्वच्छ और व्यवस्थित जरूर बनना है। आश्रमवासी झूठे अलंकार नहीं पहनेंगे, परन्तु सच्चे अलंकार तो अवश्य धारण करेंगे।

तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सच्चे अलंकार कौनसे हैं।

सबसे पहला अलंकार है नीरोग शरीर। नीरोग बालकके गाल पर कुदरती लालीकी जो शोभा होती है वह कभी रंग लगानेसे आ सकती है?

स्वच्छता दूसरा अलंकार है। हमारे अंग-अंग, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे कपड़े और हमारी तमाम चीजें साफ न हों, तो कितने ही सुगंधित द्रव्य छिड़कनेसे हम सुन्दर कैसे दिखायी देंगे?

व्यवस्थितता तीसरा अलंकार है। हम घरकी चीजें व्यवस्थित न रखें और असे तोरणों और तस्वीरोंसे भर दें, तो जिससे क्या घरकी शोभा बढ़ जायगी?

ये सच्चे अलंकार हैं और अिनका शौक तो हमें पैदा करना ही है। अिन अलंकारोंका शौक पैदा करनेके बाद अुन झूठे अलंकारोंकी हमें अिच्छा नहीं होगी, वे हमें हलके लगेंगे और सेवकके नाते — नहीं-नहीं मनुष्यके नाते भी, हमें हीनता अनुभव करानेवाले मालूम होंगे।

प्रवचन ३७

सेवकके सेवक कैसे ?

आश्रममें आपने देखा होगा कि हम अपने कामोंके लिसे नौकर रखना पसन्द नहीं करते; अपने सब काम हम स्वयं करनेका आग्रह रखते हैं। हम खाना बनानेके लिसे रसोअिया नहीं रखते। पाखाने साफ करनेके लिसे भंगी नहीं रखते। कपड़े धोनेके लिसे धोवी नहीं रखते। पानी भरने, झाडू लगाने वगैरा कामोंके लिसे भी कामवाली नहीं रखते।

मित्र कभी वार टोकते हैं कि ये सब काम अपने हाथों करनेके वजाय आप नौकरी क्यों नहीं कराते? और अितना समय बचा कर शिक्षा और सेवामें क्यों नहीं लगाते? परन्तु हम जिस मोहक तर्कमें फंसना नहीं चाहते। अेक बात तो यह है कि अिन सब कामोंको हम नीरस मजदूरी या बेगार नहीं मानते, परन्तु अपनी शिक्षाके साधन मानते हैं। जैसे खादी, खेती वगैरा बड़े अुद्योग, जैसे पुस्तकें और शिक्षक हमारी शिक्षाके साधन हैं, वैसे ही ये काम भी हमारी शिक्षाके साधन हैं। अिन्हें नौकरोंसे कराना हमें रुपया खर्च करके शिक्षाके अवसरको व्यर्थ गंवा देने जैसा लगता है।

असके अलावा, नौकरोंसे हमें अपने काम करानेमें बड़ा संकोच रहता है। हमें शरम आती है कि हम खुद सेवक हैं; हमारे लिये सेवक कैसे ? नौकरको नौकर रखना शोभा देता है ?

परन्तु शरम और संकोच छोड़कर नौकर रखनेको तैयार हो जायं, तो भी हमारे सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी होती है। जैसे निजी कामोंके लिये नौकर डूढ़ने हों तो सामान्यतः कौन मिलेगा ? जिनके पास जीवन-निर्वाहके कुछ न कुछ साधन हैं, जिन्हें स्वाभिमानपूर्वक निर्वाह चलानेकी कोअी न कोअी कला आती है, वे तो जैसे निजी काम करनेको तैयार नहीं होंगे। असलिये जो बिलकुल दीन-हीन, दलित और दरिद्र होंगे, जो सबसे पिछड़े हुअे और नीचे होंगे, अुन्हींमें से हमें नौकर मिल सकेंगे। अब सच पूछा जाय तो हम इसी वर्गके सेवक हैं। अुन्हींको तो हमने अपने सेव्य, अपने सच्चे अुपास्य देव, अपने साक्षात् दरिद्र-नारायण और अपने भारतकी मूर्ति मानना सीखा है। जैसे लोगोंको हम अपने सेवक कैसे बना सकते हैं ? हम सेवक अर्थात् जिनकी सेवा करने योग्य हैं। असके वजाय क्या हम अुनके मालिक बन जायं और अुनसे अपनी व्यक्तिगत नौकरी करायें ? सेवाकी हमारी सारी भावनाओंकी हत्या किये बिना यह कैसे हो सकता है ?

असके सिवा, अैसी निजी नौकरीमें कम पैसे देनेकी दृष्टिसे कच्ची अुन्नके लड़के-लड़कियोंको रखा जाता है। यह भारी समाज-द्रोह है। क्या यह समझानेके लिये किसी दलीलकी जरूरत है ? और हमारे लिये तो जैसे बच्चोंकी तरफ नौकरकी दृष्टिसे देखना सचमूच असंभव है। हमारे भीतर बैठे हुअा सेवक और शिक्षक यह स्थिति कैसे सहन कर सकता है ? एक ओर हमारे यहां अनेक विद्यार्थी शिक्षा पाते हों, अुद्योगके समय अुद्योग करते हों, खेलके समय खेलते हों, प्रार्थनाके समय प्रार्थना करते हों, और दूसरी ओर हमारी आंखोंके सामने अुन नौकर बनाये हुअे लड़कोंसे हम नौकरी कराते रहें यह कैसे हो सकता है ? क्या वे भी अुपरोक्त सारी शिक्षा पानेके योग्य नहीं ? अुनके साथ दूसरा व्यवहार करनेके लिये हम अपने मनको कैसे तैयार कर सकते हैं ? शिक्षाकी जो गंगा बह रही है, अुसके पवित्र जलरो अुन्हें हम कैसे वंचित रख सकते हैं ?

कोअी यह तो हरगिज नहीं कहेगा कि "हम अिन्हें वंचित कहां रखते हैं ? हमने अुन्हें नौकरके रूपमें रखा है और वे राजीवृत्तीसे नौकर रहे हैं, असलिये अपना काम करते हैं।" साधारणतः लोग इसी तरह मनको समझाते हैं। परन्तु हमें अपने मनको अैसा जड़, अैसा भावनाहीन बना लेना शोभा नहीं देता। हमें तो अुनके लिये भी अपनी सारी शिक्षाके कार्यक्रम खुले रखने चाहिये, अुनमें शारीक होनेके लिये प्रेमसे अुन्हें निमंत्रित करना चाहिये, अुनमें अुनकी दिलचस्पी पैदा करनेके लिये खास कोशिश करनी चाहिये।

असके वजाय, अुन्हें नौकर रखनेसे हमारा मन कितना नीच बन जाता है ? यदि वे दूसरे विद्यार्थियोंके साथ प्रार्थनामें भजन सुनने बैठ जायं अथवा कथाओंमें

व्याख्यान सुनने चले जायं, तो हम उनसे नाराज होंगे और अन्हें कान पकड़कर वहांसे उठा देंगे। जो तच्चा सेवक और शिक्षक है, वह विद्यार्थी-अवस्थामें रहने योग्य बालकोंके साथ असा हृदयहीन व्यवहार कर ही कैसे सकता है? और करे तो उसका जीवन दंभी है, यही मानना चाहिये। हमारे जीवनमें रहनेवाला यह विरोध किसी बातका द्योतक हं गा कि अपने विद्यार्थियों और सेवकोंके प्रति हम जो प्रेम, ममता और सेवाभाव दिखाते जान पड़ते हैं, वे सब कृत्रिम हैं, अपर अपरके ही हैं। हमारा हृदय तो प्रेम, सेवा आदिके पात्र बनने लायक बालकोंके प्रति अति कठोर हो सकता है, और होता भी है।

हम कितनी ही सावधानी क्यों न रखें, तो भी अिस दंभ अथवा झूठका असर हमारे विद्यार्थियों पर पड़े बिना रह नहीं सकता। हम मुंहसे कितनी ही कीमती शिक्षा देते हों, तो भी विद्यार्थियोंकी मार्मिक दृष्टि हमारे झूठको परखे बिना कैसे रहेगी? और जब हम उनके प्रति कोमल भाव बतायेंगे तब वे कैसे मानेंगे कि ये भाव हमारे दिलकी गहराजीमें से निकलते हैं।

अिस प्रकार नौकर रखनेकी बातका हमारे जीवनके सिद्धान्तोंसे किसी भी तरह मेल नहीं खाता। फिर भी व्यवहारमें उसके बिना काम नहीं चल सकता। हमारे जैसी आश्रम-संस्थाओंमें अधिकसे अधिक अपने निजी कामोंके लिये नौकर न रखनेका आग्रह हम रख पाते हैं। हमें भी पीसने, कूटने आदि कामोंके लिये, खेती और गी-सेवाके कुछ कामोंके लिये नौकरोंकी मदद लेनी ही पड़ती है। शिक्षा वर्गैराके सम्बन्धमें कुछ कार्यक्रम तो अवश्य ही करनेकी हमारी अिच्छा रहती है, अिसलिये कितना ही चाहने पर भी हम अपने जीवनके तमाम जरूरी कामकाज खुद नहीं निवटा सकते।

अिसी तरह सेवाधर्मसे बंधे हुअे बहुतसे कुटुम्बोंमें भी नौकर न रखनेका सिद्धान्त मान्य होनेके बावजूद शारीरिक दुर्बलता और जरूरी कामोंके कारण नौकरोंकी सहायताके बिना काम चलाना बहुत मुश्किल होता है। अैसी हमारी दीन दशा है। कुछ सेवकोंको वचपनसे सेवा-जीवनके अनुरूप तालीम नहीं मिल पाती। उनके मन नये जीवनके लिये तैयार हो गये और वे ग्रामवासी तथा आश्रमवासी बन गये। परन्तु पुरानी आदतोंसे कमजोर बने हुअे शरीर अुन जीवनकी तमाम मुसीबतोंको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुजोंकी पत्नियोंकी स्थिति अिससे भी कठिन होती है। वे पतिके साथ ग्रामवासी तो बन जाती हैं, परन्तु खुद मनसे पतिका धर्म नहीं अपना पातीं। अिसलिये उनका तो शरीरके साथ मन भी बीमार होता है। अैसी स्थितिवाले सेवकों और आश्रमवासियोंका जीवन थोड़ी-बहुत नौकरोंकी मदद लेने पर ही चलता है।

परिस्थितियोंसे अिस प्रकार निर्वल बने हुअे परन्तु प्रयत्नशील सेवक क्या करें? क्या वे अपनी कमजोरीसे निराश होकर सेवा-जीवनका त्याग कर दें? अैसा निर्णय तो उनके अपने लिये और देशके गांवोंके लिये आत्मघातके समान होगा। गांवोंका जीवन स्वीकार करनेवाले अैसे अनेक सेवकों और उनके स्त्री-पुत्रोंको भी हम जानते हैं, जो कुछ समय बाद मनकी निर्वलताको जीत सके हैं। उनके शरीर भी गांवोंके

आरोग्यप्रद वातावरणमें अधिक नीरोग और मजबूत बने हैं। और अन्तमें वे नौकरोंके बिना काम चलाने लगे हैं। असा बहुतेके बारेमें हम अपनी आंखोंसे देखते हैं। वे यदि पहलेसे ही निराश हो गये होते, तो अुनके जीवनमें प्राप्त हुआ यह सुन्दर अवसर व्यर्थ ही चला जाता।

दूसरी तरफ, हिन्दुस्तानके गांव सबल और निबल जितने भी सेवक मिलें अुन सबके भूत्रे हैं। मुशिक्षित स्त्री-पुस्र सेवके लिये शहरोसे गांवमें चले आवें, अिसके लिये वे टकटकी लगाये वडे हैं। भले किसीका शरीर बीमार और अशक्त रहता हो, लेकिन अितने ही कारणसे अुसकी सेवाओंका लाभ खोना आज हमारे गांवोंको पुसा नहीं सकता।

अैसे सेवकोंको ग्रामवासियोंसे मेहनत-मजदूरी करानी पड़ेगी। वे भले असा करें, परन्तु नम्र भावसे करें; अपनी कमजोरी समझ कर संकोचके साथ करें। काम करने-वालोंको वे न्यायपूर्वक मेहनताना तो देंगे ही, परन्तु अितनेसे संतोष नहीं मानना चाहिये। अुनके साथ समानताका, मित्रताका वरताव रखना चाहिये। अुनके साथ अपने कुटुम्बी-जनोंका-सा वरताव करना चाहिये। अुनसे जो काम कराया जाय, अुसमें धरके वडे लोगों और वच्चोंको भी हाथ बंटाना चाहिये। काम नीचा होनेके कारण नौकरोंसे कराते हैं, असा अुन्हें जरा भी खयाल न होने देना चाहिये। हम सचमुच वह काम नहीं कर पाते, हमारा शरीर काम नहीं देता, अिसका दुःख सदा हमारे मनमें जाग्रत रहना चाहिये।

अिसके अलावा, अिससे नौकरी ली जाय अुसकी खास तीर पर सेवा करनेकी जिम्मेदारी सेवकको प्रेमपूर्वक अपने अूपर लेनी चाहिये। हम ग्रामसेवक हैं और ग्राम-वासियोंको चरखा वगैरा सिखाना हमारा फर्ज है। तो यह फर्ज अदा करनेकी सबसे पहली और सबसे सीधी शुरुआत हम अपने अुपकारी सहायकोंसे ही क्यों न करें? हम ग्राम-शिक्षक हों तो सबसे पहले अपनी शिक्षाका लाभ हम अपने सहायकों और अुनके वच्चोंको ही क्यों न दें? अिन सहायकोंके वच्चोंके साथ भी हमें वसा ही वरताव करना चाहिये, जसा हम अपने धरके वच्चोंके साथ करते हैं।

सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य नौकरोंके साथ कितना ही अच्छा वरताव क्यों न रखे, तो भी अुन्हें पूरी तरह कुटुम्बीजन बना लेना अुसके लिये संभव नहीं होता। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने और सोने-सैठनेमें भेद रहेगा ही। यह भेद सेवकको दिन-रात चुभता रहेगा, अुसके जीवनको सेवाके सिद्धान्त पर अधिकाधिक चलाता रहेगा और अेक दिन जरूर असा आयेगा जब वह अपने सेवक-जीवनमें से अिस दोषको निकाल देगा, स्वयं अिसका नौकर बननेको निकला है अुसे अपना नौकर बनानेके पापको अपने जीवनमें से धो डालेगा।

अिस संबंधमें अेक आमक विचारसे सचेत रहनेकी जरूरत है। "हम गांवकी किसी गरीब स्त्रीसे या लडुके-लडुकीसे वरतन मंजवाने वगैराके काम करायें तो अिसमें नया बुराजी है? हम अुन्हें अुद्योग और कमाजीका जरिया देते हैं। यह अुनकी

सेवा ही हुआ न ? ” गरीब आदमियोंको दो पैसेकी कमाजी होती है, जिसलिये वे कोअी भी काम करनेको राजी हो जाते हैं, अपने बच्चोंको काम पर भेजनेके लिये तैयार हो जाते हैं। परन्तु अुनकी गरीबीका लाभ अुठाकर हम अुनसे अपमानजनक काम करायें तो यह हमारा हलकापन है। जिसमें अुनकी कुसेवा है। आज हम निजी नौकरीके जिन कामोंकी बात कर रहे हैं, अुन्हें गरीब आदमी भी अगर वह स्वाभिमानी हो तो करनेको तैयार नहीं होगा। सेवकके नाते हमारे लिये यही अुचित है कि अैसे लोगोंको हम अुनका सम्मान बढ़ानेवाले चरखा आदि ग्रामोद्योग दें। यह सच है कि लोगोंको अैसे कामोंमें लगाना आसान नहीं है। खादीके हमारे केन्द्रोंमें प्राण-संचार करना बहुत कठिन होता है! जिससे जाहिर होता है कि यह काम कितना कठिन है। परन्तु मुश्किल हो या आसान, अैसे सम्मानपूर्ण अुद्योगोंका मार्ग खोलकर ही हम लोगोंकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। किसीसे सेवा लेनी ही पड़े तो भले नम्र भावसे और अीश्वरसे क्षमा-याचना करके लें, परन्तु अुसमें हम अैसी आत्म-वंचना न करें कि हम नौकरकी सेवा कर रहे हैं।

हमारे आश्रममें अनेक स्त्री-पुरुष रोज तरह तरहके काम करने आते हैं। कोअी परिवारोंमें घरका काम करने आते हैं; कोअी खादी-कार्यालयके लिये पूनियां बनाने और चरखा चलानेके लिये आते हैं; कोअी भण्डारके लिये अनाज कूटने, फटकने या पीसनेके लिये आते हैं; तो कोअी मकानोंके किसी कामकाजके सिलसिलेमें मजदूरी करने आते हैं।

दुनियामें मजदूरीकी प्रतिष्ठा अभी कायम नहीं हुआ है और मजदूरोंके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। मजदूर कामकी चोरी जरूर करेंगे, यह मानकर अुनके सिर पर हमेशा सवार रहने और अुन्हें टोकते रहनेका हमारे यहां रिवाज है। जो बैसा करता है वह व्यवहार-कुशल माना जाता है और जो नहीं करता अुसकी गिनती वेवकूफोंमें होती है। हम सब अैसे समाजमें से ही आये हैं, जिसलिये यह कहना मुश्किल है कि आश्रममें आनेवाले मजदूरोंके साथ जिसी तरहका बरताव करनेकी आदतसे हम पूरी तरह मुक्त हैं। जिसलिये आज बताया गये ये विचार हम सबके हजम करने लायक हैं। हमारे यहां कोअी नौकर नहीं और कोअी सद्गृहस्थ नहीं; और अगर हैं तो मजदूर पसीना बहाकर कमाते हैं जिस कारण वे आदरके पात्र हैं और सद्गृहस्थ पराजी मेहनत पर सफेदपोश बनते हैं जिसलिये अुनका स्थान नीचा है। अतः कामके सिलसिलेमें आश्रममें आनेवाले स्त्री-पुरुषोंको आप कोअी मजदूर अथवा नौकर न समझें। वे सब हमारे आदरणीय साथी और सहायक हैं। अुनसे कोअी तू-तड़ाक न करें। अुन्हें बिज्जतसे बुलायें। हम अुनके सेवक हैं, यह भावना अुनके साथके अपने व्यवहारमें हम सदा जाग्रत रखें।

आश्रमवासिनियां

कल हम नौकरों और मजदूरोंके संबंधमें बातें कर रहे थे। आपने देख लिया कि अुनके प्रति देखने और व्यवहार करनेकी हमारी आश्रम-दृष्टि कैसी होनी चाहिये। इसी प्रकार स्त्रियोंके प्रति देखने और व्यवहार करनेकी भी आश्रमकी एक खास दृष्टि है।

आश्रमवासी वहनोंमें ज्यादातर तो आश्रमवासी सेवकोंकी स्त्रियां, पुत्रियां, माताओं और बहनें वगैरा होती हैं। वे अत्यन्त सहानुभूति और आदरकी पात्र हैं, खास तौर पर अुनके जीवनके शुरूके वर्षोंमें—जब कि यहां आकर अुन्हें अपार कठिनावियां अुठानी पड़ती हैं।

आप विद्यार्थियोंकी स्थितिमें और अुनकी स्थितिमें जमीन-आसमानका फर्क है। आपको भी आश्रम-जीवन कठोर तो मालूम होता है, परन्तु आप यहां सोच-समझकर आये हैं। आप इस दृढ़ निश्चयके साथ यहां आये हैं कि कठोर जीवनसे हारना नहीं है, परन्तु अुसे अपने जीवनमें हमें गूथ लेना है। सेवाकी शिक्षा तो कठोर ही हो सकती है, वह फूलोंकी सेज नहीं हो सकती। अैसी श्रद्धा आपमें है, इसीलिये आप यहां आये हैं।

परन्तु ये बहनें यहां किन परिस्थितियोंमें आयी हैं? पति आश्रममें रहते हैं, इसलिये पत्नियोंको अुनके पीछे-पीछे चलकर आना पड़ा है। पति वम्बडी-कलकत्तेमें नौकरी-बंधा करते होते तो वे अपना कर्तव्य मानकर वहां चली गयी होतीं। अुन्हें आपकी तरह पहलेसे आश्रमके निवेदन पढ़कर अथवा किसीसे अुसका वर्णन सुनकर आश्रमकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। पतिदेव यदि आश्रमके रंगमें पूरे रंगे हुअे हों, तो शायद अुन्होंने अपनी पत्नीके मनमें आश्रम-जीवनके बारेमें श्रद्धा जाग्रत करनेका प्रयत्न किया होगा। परन्तु अक्सर वह कच्चा आश्रमी ही होगा और अपना यह फर्ज अदा करनेमें अुसने जरूर भूल की होगी। बेचारा मनमें डरता होगा कि पत्नी आश्रमकी दूसरी ही दुनियामें आ पड़ेगी तब अुसका और मेरा क्या होगा? इस ढरके मारे अुसने पहलेसे मौन ही रखा होगा।

पत्नीको ससुराल अथवा पीहरमें थोड़ा-बहुत राष्ट्रीय वातावरणका लाभ मिला होगा, तो संभव है अुसे यहांका जीवन बहुत कठिन न लगे, वर्ना अुसकी पूरी परे-पानी समझनी चाहिये। अुसने अपने गृहस्थ-जीवनके बारेमें अनेक प्रकारके खयाल बनाये होंगे। अुन सब पर यहां आश्रममें प्रहार होने लगेंगे। अुसने रंग-विरंगे कपड़े-लत्तोंका षीक बढ़ाया होगा, लेकिन यहां तो सब सादे खादीके कपड़े ही पहनते हैं। इसके सिवा,

पति भी उसे खादीकी तरफ मोड़नेको स्वाभाविक रूपमें अधीर होता होगा। गहने-गांठे तो आसपासका वातावरण देखकर उसे खुद ही पहननेमें शर्म आयेगी। घरका काम करना हलकेपनकी निशानी है और उसके लिये मैं नौकर रखूंगी, जैसे मनोरथोंका उसने पोषण किया होगा। परंतु यहां अत्साही पति नौकर कैसे रखे? वह तो खुद वरतन मांजने या कपड़े धोनेका काम करके उस बेचारीको शर्मिन्दा कर देगा। नौकर रखना तो दूर रहा, पति उसे समझाने लगेगा कि घरका कामकाज जल्दी ही पूरा करके यथासंभव समय बचाया जाय और भरसक आश्रमकी प्रवृत्तियोंमें भाग लिया जाय; कताजी-यज्ञमें भाग लिया जाय; प्रार्थनाओंमें दिलचस्पी ली जाय और आश्रमके भंडारमें, औषधालयमें, बाल-मंदिर या कन्या-वर्गमें अथवा परिश्रमालयमें भाग लिया जाय। पत्नीको अपनी रसोजीकी कलाका विकास करने और प्रदर्शन करनेका अत्साह होगा, परन्तु पतिदेव सादगी पसन्द करते होंगे, खान-पानमें आश्रम-जीवनको शोभा देनेवाली सादगी रखनेका आग्रह रखते होंगे और थोड़े समयमें आश्रमके साधारण स्वयंपाक-गृहमें शामिल हो जानेके लिये पत्नी पर धीमा-धीमा और सहन हो सकनेवाला दबाव डालते होंगे।

पति अपनी पत्नीको शिक्षित बनानेका ऐसा प्रयत्न करे, तो उसे अनुचित कैसे कहा जा सकता है? पत्नी उसकी सच्ची धर्मपत्नी बने, उसने स्वयं जिस जीवनको अपनाया है उसमें पत्नी भी रस लेने लगे, ऐसी अिच्छा रखना और उसके लिये प्रयत्न करना पतिका स्वाभाविक धर्म है। यह एक महान और अत्यन्त आवश्यक शिक्षाका काम है।

वह लोकसेवाके लिये आश्रममें रहता है, परन्तु लोकसेवा आज उसे अपने घरमें ही शुरू करनेकी नौबत आ गयी है। इस शिक्षामें उसे अपनी संपूर्ण कलाका अुपयोग करना पड़ेगा। पत्नी समझदार, चतुर और हर प्रकारकी परिस्थितिमें घुलमिल जानेवाली आनन्दी स्त्री होगी, तो धीमे, ठंडे और मीठे प्रयोगोंसे ही उसका काम चल जायगा। ऐसा होनेकी आशा तभी रखी जा सकती है, जब वे दोनों परम भाग्यशाली हों। परन्तु जीवनका प्रवाह अितना सरल और सीधा कहां होता है? यह तो एक तीखी, तेजस्वी और आवदार शिक्षा है। इसमें कठोर और आंसुओंसे भीगे हुअे सत्याग्रहोंके प्रयोग भी आवश्यक होंगे।

हम सब आश्रमवासी जैसे समय प्रेम, ममता और सहानुभूतिका सिंचन अुन पर करें, यह कितना जरूरी है? आमके एक कोमल पीदेको उसकी पुरानी भूमिसे अुखाड़कर नये खड्डुमें रोपते हैं, तब हमें कितनी कोमलतासे काम लेना पड़ता है? हमें जैसे समय दूसरोंको कष्ट पहुंचाकर नीचे दरजेका आनन्द लेनेकी अिच्छा होती है। नयी बहनोंके कपड़ों और गहनोंकी आलोचना करनेकी अिच्छा होती है। अुनके बोलने-चालनेकी हंसी अुड़ानेको जी चाहता है। या तो हम अुनकी पुरानी आदतोंके लिये कड़वे वचन कह डालते हैं, अुनका तिरस्कार करते हैं; या अुनकी खुशामद करके अुनकी कमजोरियोंको प्रीत्साहन देने लगते हैं। हम आश्रमवासी यदि ऐसी हीन वृत्तिके वशमें हो जायं, तो

हम बुनका स्थायी अहित कर बैठते हैं। परन्तु यदि हमारी तरफसे बुन्हें ठीक समय पर सहानुभूति और सहायता मिले, प्रेमभरी सेवा और विश्वासपूर्ण सलाह मिले, तो थोड़े ही समयमें नयी भूमिमें बुनकी जड़ें जम जायंगी और कुम्हलायी हुयी पत्तियोंमें फिरसे ताजा रस बहने लगेगा। भले ही कोखी वहन अपने पतिके पीछे बिचकर ही आवी हो, परन्तु कुछ समय बाद वह स्वयं सच्ची आश्रमवासिनी बन जायगी। उसे आश्रम-जीवनमें रस आने लगेगा। वह जिस ढंगसे रहने लगेगी, मानो रवेच्छापूर्वक स्वतंत्र रूपसे सेवा-जीवनकी शिक्षा पानेके लिये यहां आवी हो। और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह परिवर्तन उसमें कब हो गया।

खुद सेवकोंको भी अपनी पत्तियोंकी शिक्षाका यह प्रयोग करनेके लिये अपने जीवनमें बहुतसी योग्यतायें पैदा करनी होंगी। कहीं सेवक ऐसा मानते हैं कि पत्नीसे अमुक आचार-विचारोंका आग्रह करनेका अर्थ उससे लड़ना-झगड़ना और तकरार करना है; समझानेका अर्थ चर्चा और बहस कर-करके उसे थका देना है; सत्याग्रह करनेका अर्थ जरा-जरासी बातमें नाराज होते रहना है। परन्तु शिक्षाका कोखी भी काम बितना सादा और आसान नहीं होता—खास तौर पर पत्नीको आश्रम-जीवन पर आरुढ़ करनेका काम तो हरगिज आसान नहीं होता।

जिसके लिये पत्नीको शिक्षित करनेके साथ पतिको स्वयं शिक्षित होना पड़ेगा और अपनी योग्यता बढ़ाते रहना होगा। पत्नीके साथ व्यवहार करने और उसके प्रति देखनेका सारा तरीका ही उसे सुधार लेना पड़ेगा। उसे पुराने जमानेकी यह दृष्टि छोड़नी होगी कि पत्नी मेरी आश्रित है और मेरी सेवा करना ही उसका धर्म है। उसे यह समझना होगा कि अपनी निजी सेवामें ही पत्नीका सारा समय लगाये रखना, उसे अपनी सम्पत्ति मानकर, अपने भोगका साधन समझकर उसके साथ व्यवहार करना उसका द्रोह करनेके समान है।

जिस तरहका व्यवहार करनेसे पति अपनी शिक्षक अथवा सेवककी योग्यता खो बैठता है, क्योंकि वह मुंहसे तो उसे सेवाकी बातें सुनाता है, परन्तु उसके साथके व्यवहारमें उसके मालिक या भोक्ताके रूपमें ही रहता है। उसके उपदेश और आचारमें मेल न होनेसे पत्नी पर वह अच्छा प्रभाव कैसे डाल सकता है? किसी भी स्त्रीसे पतिके व्यवहारका यह असत्य कैसे छिपा रह सकता है? वह पतिकी आंखों परसे भांप लेती है कि ये जवानसे तो आश्रमके संयम-जीवनकी चर्चायें करते हैं, परन्तु जिनकी आंखोंमें लम्पटता भरी हुयी है। ये मुंहसे गरीबोंकी सेवाकी बातें सिखाते हैं, परन्तु खुदको पानीका प्याला भी चाहिये तो पत्नीको हुक्म फारमाते हैं। भले जवानसे वे कितना ही समझाने, झगड़ने और नाराज होनेका दिखावा करें, उससे क्या होता है? चतुर स्त्रियां जवानी बातोंके पीछे छिपी हुयी बुनके मनकी बात अच्छी तरह पढ़ लेती हैं। सेवकने खुद जिस हद तक शिक्षा प्राप्त की होगी, उसी हद तक वह पत्नीको शिक्षा देनेमें सफल होगा।

तब पत्नीकी ओर देखनेकी सेवककी दृष्टि कैसी हो? "वह एक स्वतंत्र सेविका है। उसे भी सेवा-जीवनकी तालीम पानी है। उसे भी आश्रम-जीवन और देशकार्यमें अपना हिस्सा देना है। उसे अपना समय और अपनी शक्ति इस तालीममें ही खर्च करने देना चाहिये। उस पर पतिके हकका दावा करना अचित्त नहीं। मुझे एक प्रेमी मित्र और साथीके नाते पत्नीको उसके जीवनके इस मुख्य कार्यमें हर प्रकारसे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना चाहिये।" सेवक अपनी धर्मपत्नीको इसी दृष्टिसे देख सकता है।

सेवक यदि पत्नीकी ओर यह दृष्टि रखेगा, तो एक-दूसरेके प्रति उन दोनोंका सारा व्यवहार बदल जायगा, शुद्ध बन जायगा। उनका गृह-जीवन आश्रमको शोभा देनेवाला हो जायगा। उनके आहार-विहार आदि खूब सादे हो जायेंगे। दो आनन्दी पक्षियोंकी तरह वे घरके सारे काम साथ मिलकर करेंगे और सेवाकार्य भी साथ साथ करेंगे। संयमी जीवनमें स्वाभाविक ही उनका रस जाग्रत होगा और वे सच्चे दिलसे इस बातकी सावधानी रखेंगे कि कुटुम्बका जंजाल बहुत ही संकुचित रहे। यह जंजाल बढ़ने देना और पत्नीकी शरीर-सम्पत्तिको और सेवाकी अुमंगोंको छिन्न-भिन्न कर डालना उसका भारी अहित करनेके बराबर है— इस विचारको अपने जीवनमें एक क्षणके लिये भी वे नहीं भूलेंगे।

अैसे सेवक-सेविकाकी जोड़ीको संतान होगी तो उसके प्रति रहे प्रेम और जिम्मे-दारीकी भावना उनमें संयमी जीवनका रस खूब बढ़ा देगी। संतानकी सुंदर शिक्षाके विचारसे अुन्हें अपना जीवन अधिक स्वच्छ और पवित्र रखनेकी स्वाभाविक प्रेरणा होगी। अब तक जो संयम अुन्हें कण्टसाव्य मालूम होता था, वह संतान-प्रेमके कारण स्वाभाविक और सरल हो जायगा।

आश्रमोंके पवित्र वातावरणमें वहनोंको इस प्रकार जीवन-परिवर्तन करनेका अवसर मिलना ही चाहिये। किसी आश्रमके मुख्य अुद्देश्योंमें वहनोंकी अैसी सेवाके लिये भी अवश्य स्थान है। इसके लिये हम सबको आश्रमका वातावरण सदा पवित्र और स्फूर्तिदायक रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। जहां अैसा अुच्च वातावरण न हो, उसे आश्रमका पवित्र नाम कैसे शोभा दे सकता है? वह तो मशुवत् जीवन वितानेवाले लोगोंका एक अखाड़ा ही कहलायेगा।

पतिकी तरफसे और आश्रमवासी साथियोंकी ओरसे इस प्रकार प्रेम और सहानुभूति मिलनेसे आश्रमवासिनी वहनोंके जीवन अुन्नत बने हैं। आश्रम-संस्थाओंमें इसके अनेक अुदाहरण हमें मिल सकते हैं। वे शुरूमें तो पतियोंके पीछे ही आश्रममें आती थीं। उनके पास स्वतंत्र विचारोंकी कोअी पूंजी नहीं थी। फिर भी समय बीतने पर आश्रम-सिद्धान्त उनकी रग-रगमें पैठ गये हैं। गरीबोंकी सेवा और उसके लिये गरीबीका जीवन अुन्हें सच्चे दिलसे पसन्द आ गया है। वे हरिजनोंको भी अपने कुटुंबोंमें मिला लेनेकी हृद तक अुदार बन गयी हैं और पतिके अथवा आश्रमके सेवाकार्योंमें स्वतंत्र

भाग ले सकी हैं। अन्होंने शराव और विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर वरना देने जैसे बहादुरीके काम किये हैं; अन्होंने सत्याग्रहकी असी लड़ाइयोंमें भी वीरतापूर्वक भाग लिया है, जिनमें जेलयात्राका कठोर कष्ट भोगना पड़ता है और कौटुम्बिक जीवन छिन्न-भिन्न हो जाता है।

सेवकोंकी माताओं और दूसरे सम्बन्ध रखनेवाली स्त्रियोंके प्रति आश्रमवासियोंका क्या कर्तव्य है, जिसका भी हम यहीं विचार कर लें। वह जरा अधिक नाजुक और कठिन है। अणु पर प्रेमका दबाव भी अल्पमात्रामें ही डाला जा सकता है। अणुके विचारों और अणुकी आदतोंको हमें काफी हद तक सम्मानपूर्वक सहन करना होगा। अणुहें सहन करना और फिर भी आश्रम-जीवनके सिद्धान्त न छोड़ना, यह सेवकोंके लिये बड़ी कौमती तालीम है।

हम आश्रम जैसे स्थानमें रहते हैं, दुनियाकी दृष्टिमें दुःख और दरिद्रताका जीवन बिताते हैं, जिस विषय पर वे बहुत बार दुखी होती और आंसू बहाती हैं। हम जातीय रिवाजके अनुसार शादी-गमीके मौकों पर धूमधाम करके जातिमें नाम नहीं कमाते, स्पर्शास्पर्श और खाने-पीनेकी रुढ़ियां छोड़ देते हैं, बाल-बिवाहों और बेजोड़ विवाहोंका विरोध करते हैं, और बालिग पुत्र-पुत्रीकी अिच्छाका आदर करके अन्तर्जातीय और अन्तर्प्रजातीय विवाहोंको भी आशीर्वाद देते हैं। जिन कारणोंसे अणुके आंसू बहानेके प्रसंग हमारे जीवनमें अवश्य आयेंगे।

ये आंसू देव न सकनेके कारण सेवक अपना जीवन बदलनेको तैयार हो जाय, तो वह अपनी या मां-बहन बगैराकी कोअी सेवा नहीं करेगा। अपने सिद्धान्तों पर अटल रहकर भी सेवक माता, बहन आदिके दिल और कअी अपुआयोंसे जीत सकता है। आश्रमके जीवनमें घरकी अपेक्षा सुविधाओं कम होनेसे अणुहें कामकाज, खाने-पीने, सोने-बैठने बगैराकी तकलीफें अधिक महसूस होंगी, यह समझमें आने लायक बात है। जिसे समझने जितना प्रेमपूर्ण और कोमल हृदय हमें रखना चाहिये। खुद असुविधाओं अुठाकर भी अणुहें असी बातोंमें जहां तक हो सके सुखी करना हमारा धर्म है। प्रेमपूर्वक व्यक्तिगत सेवा-शुभ्रूपा करके जितना सुख दिया जा सकता है, अुससे तो अणुहें नहला ही देना चाहिये। परन्तु जो सुख केवल वन खर्च करके अथवा नाँकर-चाकर रखकर या हमारा सेवा-जीवन छोड़कर ही दिया जा सकता है, अुसके बारेमें बहुत संभव है हम लाचार हो जायं। अैसे नाजुक मौकों पर जो निराश नहीं होते, धीरजके साथ खुद कष्ट सहन करते हैं और प्रेम तथा सेवाके प्रवाह बहा सकते हैं, वे कुछ वर्षोंकी कड़ी कंसर्टीसे गुजरनेके बाद अन्तमें अणुके हृदयोंको जीतनेमें सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं।

आश्रममें अैसे अुदाहरण भी कम नहीं हैं, जिनमें वृद्ध माताओं और बहनों अन्तमें प्रमसे खादी पहनने और चरखा कातने लग गयी हैं, हरिजन बालकोंको अपने बालकोंके साथ बिठाकर प्रेमपूर्वक अपने हायोंसे खिलाने-पिलाने लगी हैं और दूसरी तरहसे भी आश्रम-जीवनमें काफी धुल-मिलकर हमारे कार्यको आशीर्वाद देनेवाली बन गयी हैं।

आजकी अधिकांश बातें तो हमारे आश्रमके पुराने सेवकों तथा अनुकी पत्नियों, माताओं वगैराके साथ सीधा सम्बन्ध रखती हैं। फिर भी नये विद्यार्थियोंको वे जान-बूझकर सुनायी गयी हैं। जिस परसे आश्रमवासी वहनोंके प्रति व्यवहार करनेकी आश्रम-दृष्टि आपकी समझमें आ जायगी। स्त्रियोंका सम्मान करना तो आम तौर पर प्रत्येक सज्जनका धर्म है ही। परन्तु आश्रमवासिनी वहनोंको केवल सम्मान नहीं, खुससे बहुत अधिक हमें देना है। अनुके नाम आश्रमके विद्यार्थियों या कार्यकर्ताओंके रजिस्टरमें भले न हों, फिर भी हमें यह समझकर ही व्यवहार करना है कि वे हम सबके जैसी सेविकायें अथवा विद्यार्थिनियां ही हैं। मैंने विस्तारसे बतला दिया है कि अनुके लिये सेविकाका जीवन अपनाना हमारी अपेक्षा कितना कठिन है। जिसलिये अनु पर सहानुभूति, प्रोत्साहन और प्रेमकी दृष्टि करना हमारा परम कर्तव्य है। आलोचना और हंसी करके अनुके अत्याहको मार देनेका पाप हम कभी न करें।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

सातवां भाग

शिक्षा

आश्रमके बालक

आज हम आश्रमके बालकोंके सम्बन्धमें विचार करेंगे। आश्रमवासिनी वहुनोंका विचार करनेके बाद अुनके और हम सबके प्यारे बालकोंका विचार करना स्वाभाविक ही है।

कोजी यह आशा तो नहीं रखते होंगे कि बालकोंके विचारमें मैं जिस बातकी चर्चा करूँगा कि अुन्हें कौनसी पाठशालामें विठायी जाय और कौनसी पुस्तकें पढ़ायी जाय। हम तो छोटे मुन्ने-मुन्नियोंका विचार करेंगे। अुनके लिये पाठशाला कैसी? अथवा पाठशाला हो तो मांकी गोद और आश्रमका विशाल चौक ही अुनकी पाठशाला है। अुनके घरमें जो कामकाज होते हैं, बुद्योगशालाओं, खेतों और गोशालाओंमें जो प्रवृत्तियां चलती हैं, हम सब आश्रमवासी जो कुछ बोलते-चालते हैं, वही अुनकी पुस्तकें हैं।

अतः बच्चोंकी शिक्षाके लिये सबसे पहले अुनके मां-बापों और हम सब आश्रम-वासियोंको जो करना है वह यह है कि हम अपना जीवन अत्यंत निर्मल, दम्भरहित, सच्चा और प्रेमपूर्ण रखें। जिस तरह रहनेमें हमारे मन पर तनाव पड़ता हो, तो भी अिन बच्चोंके प्यारके खातिर खुशसे पड़ने दें। हमें मनमें यह विचार निरन्तर जाग्रत रखना चाहिये कि ये छोटे शिशु हमारे जीवनकी छोटीसे छोटी बातें बारीकीसे देखते हैं; अुन्हें देखकर वे अपने जीवनकी रचना करेंगे, जिसलिये हम अुनके सामने भूलकर भी बुरा नमूना पेश न करें।

हम जिस भ्रममें न रहें कि बालक बुद्धिहीन और बलहीन छोटे प्राणी हैं। वे अभी बोलना-चालना भले न सीखे हों, फिर भी वे बहुत ही चपल और बुद्धिमान होते हैं। अपनी तेज आंख, कान और स्पर्श आदिसे और तेज बुद्धिसे वे जिस अपरिचित किन्तु अद्भुत संसारको समझनेकी कोशिश करते हैं; और जैसे जैसे समझते जाते हैं वैसे वैसे उसके घूंट पीते जाते हैं। वे वस्तुओंको पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, सहलाते हैं, मुंहमें डालते हैं, गिराते हैं—जिस प्रकार अनेक प्रयोग कर-करके दुनियाकी विविध वस्तुओंका जरूरी पदार्थ-विज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमें लगता है कि वे निरर्थक हलचल करते रहते हैं, निकम्मे खेल खेलते रहते हैं; परन्तु असलमें तो वे गंभीरतासे हमारी दुनियाको समझनेकी कोशिश करते हैं। वे स्वयं अपना आत्म-शिक्षण करते रहते हैं। जिसमें अुन्हें अितना आनन्द आता है कि हम बड़े जिसे खेलना कहते हैं—अर्थात् हेतुहीन भागदौड़ अथवा लड़ाई-झगड़ा—अुनके लिये अुन्हें न कोजी दिलचस्पी होती है और न फुरसत होती है। परन्तु जिसमें शंका नहीं कि अपनी प्रवृत्तियों और अपने प्रयोगोंमें अुनकी आत्मा रमती और आनन्द लूटती है। जब जब कोजी नया रहस्य खुलता है, कोजी नया भेद अुनकी छोटी बुद्धिमें प्रगट होता है, तब वे बहुत खुश होकर खिलखिला अुठते हैं। कभी कभी भेद हठीला बन जाता है और घूषटका पट खोलकर अपना मुंह नहीं दिखाता, तब वे परेशान और निराश होकर रो भी पड़ते हैं।

अस प्रकार अेक तरफ पदार्थ-विज्ञानके प्रयोग चलते हैं और दूसरी तरफ वे अपने शरीरसे अलग अलग काम करनेकी कलाओं भी सीखने लगते हैं। पदार्थ-विज्ञानके अुनके प्रयोगको हम जल्दी नहीं समझ सकते, परन्तु चलने, पकड़ने वगैरा कामोंके लिये वच्चे कितनी सक्त मेहनत करते हैं, कितने गंभीर होते हैं, कितनी जोखिम अुठाते हैं, कितनी वार गिरते हैं और लड़खड़ाते हैं ! अनेक वार मनचाही जगह सर कर लेते हैं, तब आनन्दसे हंस अुठते हैं और आसपास हममें से कोअी हो तो शावासीके अुद्गारके लिये हमारी तरफ देखते भी हैं।

यह सब तो हम अंधे हों तो भी देख सकते हैं। परन्तु अितनी आसानीसे हम अुनका भाषा सीखनेका प्रयत्न नहीं समझ सकते। क्या आपकी यह कल्पना है कि भाषा अुनके कोमल मस्तिष्कमें अपने-आप चिपट जाती है ? जब हम बोलते हैं तब क्या अेक कान और अेक आंख होकर वच्चे हमारी तरफ ताकते नहीं रहते ? बड़ी मेहनतसे अनेक अनुमान लगा लगा कर वे हमारे शब्दोंमें भरे हुअे अर्थोंका निर्णय करते हैं। कितनी ही वार वे जो गलत अर्थ लगा लेते हैं, अुन्हें वादमें बदलते भी होंगे। और हमारे बोलनेमें कोअी सीधा और सरल अर्थ थोड़े ही होता है ? अुसमें अनेक प्रकारके अलंकार और भाव भरे रहते हैं। हम कहते हैं, “खड़ा रह” ; परन्तु हमारा भाव होता है, “भाग जा, नहीं तो मारुंगा।” यह सारा भेद खोलना अुनके लिये आसान नहीं होता। बड़े प्रयत्नसे वे अपने छोटेसे दिमागमें भाषाका सारा ढांचा तैयार करते हैं, और वरस दो वरसके परिश्रमके वाद हमारे बोले हुअे शब्दोंको अुनके समस्त अर्थों, भावों और अलंकारों-सहित समझना सीखते हैं; अितना ही नहीं, अुसके जवाब भी अपनी तोतली वाणीमें और अत्युक्ति, वक्रोक्ति, अन्योक्ति अित्यादि भांति भांतिके अलंकारोंका अुनयोग करके देने लग जाते हैं।

वच्चे हमारी जीभकी भाषा तो काफी जल्दी सीख लेते हैं; मगर हमारी आंखोंमें चमकनेवाले तेजकी भाषाको और हमारे गालों पर बदलते रहनेवाले अुतार-चढ़ाव और रंग-छटाओंको रहस्यमयी भाषाको ग्रहण करना अुन्हें अत्यंत कठिन जाता होगा। ज्यों ज्यों बालक हमारी ये भाषायें समझने लगते हैं, त्यों त्यों अुन्हें बड़ी अुम्रके आदमियोंके वरतावमें कुछ अस्वाभाविकता, कुछ कुदरतके विरुद्ध होनेकी शंका होने लगती है। बड़े प्रयत्नके अंतमें वे समझने लगते हैं कि हाथीके दांत खानेके और दिखानेके अलग अलग होते हैं !

यह आविष्कार अुनके निष्पाप हृदयको प्रिय नहीं लगता। हमारे असत्यकी शंका तो अुन्हें बहुत जल्दी हो जाती होगी, परन्तु अीश्वरने बड़ोंके प्रति श्रद्धा और प्रेमका जो भाव अुन्हें दिया है अुसके कारण अुनकी छोटीसी बुद्धि यह माननेसे अिनकार करती होगी कि हम अितने नीच हैं। और वे लम्बे समय तक हमारे व्यवहारमें कोअी अच्छा और बुद्ध हेतु ढूंढनेके लिये बुद्धि-मंथन करते होंगे। अच्छे स्वस्थ शरीरवाले होने पर भी हम डरपोक हैं, यह पता लगाने और हमारे वारेमें अैसा विश्वास करनेमें हमारे श्रद्धालु बालकोंको कितनी कठिनाअी होती होगी ? परन्तु जब वे अनेक

बार अवलोकन करते हैं कि हम बाहरसे मुंह लाल रखते हुअे भी, अूपरसे साहस दिखाते हुअे भी व्यवहार तो डरपीक जैसा ही करते हैं, तब अुनका भ्रम दूर हुअे बिना कैसे रह सकता है?

हम कहकर मुकर जाते हैं, अपनी टेक नहीं रख सकते; दूसरोंको धोखा देते हैं, कमजोरको दबाते हैं और जबरदस्तसे भागते हैं; सार्वजनिक रूपमें खान-पान वगैरा भोगोंके मामलेमें संयम दिखानेका दंभ करते हैं, परन्तु खानगीमें लुक-छिप कर भोगका आनन्द लेते हैं; हम मुंहसे तो प्रेम बताने हैं, परन्तु सेवा करनेका अवसर आने पर छटक जाते हैं; हम छोटोंसे सेवा करा-कराकर अुन्हें सतगया करते हैं और अुन्हें कष्ट देकर खुद आलसी जीवन बिताया करते हैं; हम कभी बार अपने व्यवहारमें भेदभाव रखते हैं और दीन-हीनों और अुनके बच्चोंके प्रति बिना कारण तिरस्कार प्रगट करनेमें शरमाते नहीं हैं; हम घरके कोनेमें बैठकर जवानसे तो बहादुरी दिखाते हैं, मगर अैन मीके पर जान बचाकर भाग जाते हैं। हमारा यह सारा व्यवहार खुला होता है और बालकोंको अज्ञानी समझकर हम अुनके सामने अपने दोष छिपानेकी भी बहुत परबाह नहीं करते। अिसलिये अुन्हें हमारे जीवनका असत्य खोज निकालनेमें देर नहीं लगती। देर केवल अपने श्रद्धास्पद गुरुजनोंको अितना नीचा माननेमें ही लगती है। परन्तु अन्तमें बहुत आनाकानीके बाद अैसा माननेके सिवा अुनके सामने कोअी चारा नहीं रहता।

क्या आप यह मानते हैं कि हमारे असत्यका बालकोंके जीवन पर कोअी असर नहीं होता? असर जरूर होता है। यह जानेंगे तो ही हमें अपनी जिम्मेदारीका सच्चा खयाल होगा।

बालक पदार्थ-ज्ञान, भाषाज्ञान और क्रियाज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिस तरह परिश्रम करते हैं, अुसी तरह जीवनकी अच्छीसे अच्छी पद्धति और जीवनके सच्चेसे सच्चे सिद्धान्त ढूंढनेका भी परिश्रम करते हैं। जन्मसिद्ध संस्कारोंसे तो अुनका सत्यको ही जीवनका सिद्धान्त मानकर चलना स्वाभाविक है। परन्तु हमारे प्रति अुनके मनमें जो श्रद्धा होती है अुसके कारण बालक धीरे-धीरे अिस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सत्य और सरलताको जीवनका सिद्धान्त माननेमें अुनकी भूल हो रही है। सच्चा मार्ग तो वही होना चाहिये जिसका हम अनुभव की और सयाने गुरुजन अनुसरण करते हैं। अैसा करते हुअे वे समझने लगते हैं कि झूठ तो अेक मिर्च-मसालेवाली कला है; किसीको धोखा देना, किसीकी चीज छीन लेना, भाग जाना, झूठ बोलना — ये अपना अभीष्ट काम बना लेनेके बड़े सुन्दर और छोटोंसे छोटे रास्ते हैं!

फिर तो जैसे-जैसे अिसकी खूबियां वे देखते हैं, वैसे-वैसे अिसमें अुन्हें मजा आने लगता है। झूठ-मूठ रोकर आपसे मनचाहा करवा लेनेका रास्ता कितना छोटा और आसान है! आपके देखते हुअे मिट्टी खायें तो आप अुनके मुंह पर तमाचा जड़ देते हैं, परन्तु अब वे आपसे छिप कर काम करनेकी कला सीख गये हैं। आप न देखें अिस

तरह चालाकीसे वे मिट्टी खानेके प्रयोग करते हैं; और ज्यों-ज्यों अुसमें अुन्हें सफलता मिलती है, त्यों-त्यों अिस पद्धतिमें अुनकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। अुन्हें भीतरसे यह अिच्छा रहती है कि आप अुन्हें लाड़-प्यार करें, अुनका आदर करें। परन्तु यह सब प्राप्त कैसे किया जाय? अिसकी कला भी अब अुन्हें आती है। वे आपकी कमजोरियां और आपके शौक जान गये हैं। अुन्हें पता चल गया है कि अुनका आलिङ्गन और चुम्बन करनेमें आपको आनन्द आता है। अिसका लाभ अुठानेके लिये वे क्या करते हैं? वे नाराज होते हैं, आपसे दूर दूर भागनेका दिखावा करते हैं, आपके साथ अबोला लेते हैं, आपके हाथसे खानेको कोअी चीज नहीं लेते। अन्तमें अुनकी कला खूब सकल होती है। आप दीन बनकर अुन्हें भनाते हैं, दुलाते हैं, प्यार करते हैं, खिलौने देते हैं, अुनके सामने हार स्वीकार करते हैं। वे आपके सिर पर चढ़कर और आपको अनेक प्रकारसे तंग करके अपनी विजयकी घोषणा करते हैं।

अब बच्चोंको अिस बातमें अैसा मजा आने लगता है, मानो अुन्होंने जीवनकी किसी नवीन कलाका आविष्कार किया हो, और झूठ तथा चालाकीकी अिस कलाका वे दिनोदिन विकास करते रहते हैं।

हम गैर-जिम्मेदारीका, कमजोरीका और झूठका जो जीवन बिताते हैं, अुसका बच्चों पर अिस तरहका भयंकर असर होता है। वे हमसे सवाये झूठे निकलते हैं। बचपनमें पड़ी हुआी यह आदत हम अुम्रभर नीतिकी शिक्षा दें तो भी बदलनेकी आशा नहीं है। कोअी सौमें अेक — नहीं हजारोंमें अेक बालक, पूर्वजन्मके संस्कारोंके कारण कहिये अथवा परमेश्वरकी कृपासे कहिये, हमारे झूठ और कपटपूर्ण व्यवहारको देखनेके बावजूद सत्यके प्रति अपनी श्रद्धा कायम रख सकता है। हम बड़े लोग जरा-जरा सी बातमें सत्यको छोड़ देते हैं, अिसका कारण हमारी निर्वलता ही होगी, परन्तु हृदयसे तो हम सत्यका मार्ग ही पसन्द करते हैं, यह अुदार अर्थ करके अैसे बालक हमारी दुर्बलताको हृदयसे क्षमा कर देते हैं और खुद हमारा अनुकरण न करके सत्य पर डटे रहते हैं।

परन्तु हम बहुत बार अिस प्रकार आचरण करनेवाले बच्चोंकी कदर नहीं कर पाते। हम अुन्हें भोले-भाले और मूर्ख समझकर अुनकी हंसी अुड़ाते हैं और कभी-बार तो अुन पर नीच — असत्यका आचरण करनेके लिये अन्यायपूर्ण दबाव भी डालते हैं। बहुतसे सत्यनिष्ठ बालक दबावसे दब कर अंतमें अपनी निष्ठा खो बैठते हैं और जीवनके वारेमें सारा रस गंवा देते हैं। हजारोंमें अेक ही बालक अैसा बलवान निकलता है, जो हमारे जुल्म और दबावके विरुद्ध सत्याग्रह छेड़नेकी ताकत दिखाता है। वे हमारा जुल्म सहन करते हैं, हमारी मार सहन करते हैं, हमारी हंसी और तिरस्कार सहन करते हैं। वे नाराज नहीं होते, रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, परन्तु अपना सत्यका मार्ग भी नहीं छोड़ते। अैसे बालक अूपरसे दुःख भोगते दिखायी देते हैं, परन्तु अैसा करनेमें अुन्हें दुःख महसूस नहीं होता। हम सामान्य लोग जिस आनंदका अुपभोग नहीं कर सकते, वैसे वीरभोग्य जीवन-रसका वे अुपभोग करते हैं।

बालकोंके साथ कैसा बरताव किया जाय, अन्हें कैसी शिक्षा दी जाय, अिस संबंधमें मैंने आज कुछ नहीं कहा। आज तो अुनके जीवनकी केवल रूपरेखा ही मैंने आपके सामने रखी है।

बाल-जीवनमें निहित यह सारा रहस्य माननेमें आपको कठिनायी जरूर होती होगी। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि बालक यह सब समझकर और ज्ञानपूर्वक करते हैं। परन्तु आप अुनका सारा व्यवहार देखेंगे, तो जरूर स्वीकार करेंगे कि आजकी कहीं हुआ सारी बातें अुनके जीवनमें चल रही हैं। सच्ची जरूरत अिस बातकी है कि हम बच्चोंको अिस तरह सच्चे रूपमें पहचानने लें। अिसके बाद हमें अपने-आप मालूम हो जायगा कि अुनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय और अुन्हें कैसी शिक्षा दी जाय।

यदि हम समझ लें कि बच्चे केवल हमारे खिलौने नहीं हैं, तो हम अिस मान्यताको छोड़ देंगे कि अुन्हें गोदमें अुठाने, अुछालने और चुम्बन करनेसे ही हमारे कर्तव्यकी अितिथ्री हो जाती है। अिसके अलावा, यदि हम यह भी जान लें कि बालक बलहीन, ज्ञानहीन और दयापात्र प्राणी नहीं हैं, वे व्यर्थ ही हाथ-पैर नहीं हिलाते; यदि हम जान लें कि अुन्हें निरर्थक प्रवृत्तियां करने अथवा खेलते रहनेकी फुरसत नहीं है, वे अत्यन्त गंभीरतापूर्वक हमारे समस्त जीवनका, हमारी बोलचालका, हमारे भोग-विलासका अवलोकन करते हैं; यदि हम जान लें कि हमें देखकर अुन पर जो संस्कार पड़ेंगे और अुन पर जो असर पड़ेगा अुसके अनुसार वे या तो हमेशाके लिये अुच्च जीवनकी और अभिमुख होंगे अथवा सदाके लिये नीच जीवनके कीड़े बन जायेंगे — यदि यह सब हमारी समझमें आ जाय तो हम अेकदम सावधान हो जायेंगे। बालकोंके सामने सही अुदाहरण रखनेके लिये, अुनकी सच्ची शिक्षाके लिये, हम अपने जीवनको पवित्र, संयमी और सत्य-परायण रखेंगे।

प्रवचन ४०

बाल-शिक्षाकी आश्रमी पद्धति

कल हमने अिस बातका विस्तारसे विचार किया कि बच्चोंको किस नजरसे देखा जाय; यह समझनेका प्रयत्न किया कि अुनके छोटेसे जीवनमें कैसे प्रवाह चलते रहते हैं। बहुतेसे माता-पिताओं और सगे-संबंधियोंको तो ये सारे विचार नये ही लगेगे और अिन्हें सुनकर वे अश्रुद्वारासे सिर हिलायेंगे। परन्तु हम आश्रमवासी और सेवक तो बालकोंके जीवनको अिसी ढंगसे देखेंगे। अिस तरह देखने पर बालकोंके साथ हमारा बरताव कैसा होना चाहिये वैसा अपने-आप हो जायगा। हम अुनके साथ अैसा व्यवहार करेंगे, जित्तसे अुनकी सच्ची सेवा हो, अुन्हें सच्ची शिक्षा मिले।

यह व्यवहार कैसा होना चाहिये, अुसकी थोड़ी रूपरेखा आज आपके सामने रखनेका मेरा अिरादा है। अिससे आप बच्चोंकी शिक्षाका पाठ्यक्रम बना सकेंगे। मैं तो थोड़ीसी फुटकर सूचनाअै ही रख देना चाहता हूं। हमने बच्चोंके जीवनको जिस तरह समझा,

असके आधार पर; और हम आश्रम-जीवनको समझनेका रोज जो प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर, आगे चलकर हमें अपने-आप अिस विषयमें विचार करना आ जायगा।

“ कपड़े नहीं परन्तु खुली हवा

सबसे पहले जो सुझाव देनेका मेरा मन होता है वह यह है कि बच्चोंको कपड़ों, जूतों और गहनोंसे कभी लादा न जाय। शिक्षित माता-पिता और अुनकी देखादेखी गांवके मां-बाप भी बच्चों पर ये जुल्म करते देखे जाते हैं। बच्चोंको लोग यह ठाट-वाट कराते हैं, असके पीछे क्या हेतु होता है? ठंडसे अुनकी रक्षा करनेका अुद्देश्य तो कभी-कभी ही होता है। ज्यादातर तो अुन्हें बच्चोंको बन-ठनकर खिलौनोंकी तरह घूमते देखनेका ही मोह होता है। अुनके मनमें यह लोभ भी होता है कि हमारे बालकोंको सजे-धजे देखकर गांवके लोगोंका ध्यान आकर्षित हो।

शुरूमें तो बच्चे मां-बापके अैसे पागलपन-भरे मोहको समझ ही नहीं सकते। अुनकी समझमें नहीं आता कि मां-बाप क्यों अुनके हाथ-पैरोंमें, शरीर पर और सिर पर थैलियों पर थैलियां चढ़ाते जाते हैं, क्यों वे अुनके पैरोंको मोजोंमें डालकर भूतते हैं और तंग जूतोंमें जकड़कर मसल डालते हैं। बेचारे मुश्किलसे तो चलना सीखते हैं, चीजोंको पकड़ना-छोड़ना सीखते हैं; अस पर यह बंधन अुन्हें अत्यन्त असह्य हो अुठता है। मां-बाप कभी सत्याग्रह करके कैदखाने गये हों और अुन्होंने बगैर हवा-रोशनीवाली कोठरियोंमें बन्द होनेका मजा चखा हो, तो शायद अुन्हें असकी कुछ कल्पना हो जायगी कि वे बच्चोंके लिये कपड़ोंका कैसा कैदखाना बना रहे हैं।

अिसके सिवा, बच्चे अभी कहां हमारी तरह 'सभ्य' बन पाये हैं? हमने शरीरको ताजी हवा लगती रहे अिस तरह खुले रहनेको शर्मकी वात समझना सीखा है। बच्चोंको तो अभी तक खुली और ताजी हवाका स्पर्श मीठा लगता है। अुनका यह सुख छीन लेनेसे वे रो अुठते हैं। हम बड़े लोग सयाने बनकर गद्दी-तकियोंके सहारे बैठे रहनेको बड़प्पनकी निशानी समझते हैं; लेकिन बालकोंको तो खूब आजादीसे चलना-फिरना, तरह तरहकी प्रवृत्तियां करना है। यह आजादी छीन लेने पर वे गला फाड़कर रोने लगते हैं।

बहुतसी माताअें बच्चोंका रोना बन्द नहीं कर पातीं, और रोनेका कारण भी नहीं समझ पातीं। अैसी माताओंको मैंने बच्चोंके कपड़े, जूते बगैरा अुतार देनेकी सलाह दी है। अनुभव यह आया है कि अैसा करने पर हर बार बच्चे फूलकी तरह हंसने लगते हैं। परन्तु आम तौर पर मां-बाप यह समझनेको तैयार ही नहीं होते। वे तो मनमें यही समझते हैं कि हमने अपने लाड़लोंको महंगे-महंगे कपड़े पहनाकर अुन्हें बड़ा सुख पहुंचाया है। अिसलिये जब बालक रोते हैं तब असके असली कारणकी कल्पना भी वे कैसे कर सकते हैं? वे तो अुन्हें चुप रखनेके लिये भूख न होने पर भी अुनके पेटमें कुछ मिठाअीका भार बढ़ाकर अुलटे अुन्हें परेशान करते हैं; अथवा कपड़ोंकी कैदके अलावा झोलीकी दूसरी कैदकी सजा देते हैं और अितने जोरसे झुलाने लगते हैं मानो अुनका दम निकाल देना है!

परन्तु हमारे जुलमके विरुद्ध बच्चोंका यह विद्रोह लंबे समय तक नहीं टिकता। वे प्रकृतिके नियमों और हमारे जीवनके बीचका अन्तर धीरे धीरे समझने लगते हैं, हमारी कला अपनाने लगते हैं। हमारी तरह वे कपड़ोंके बिना शरमाना सीख जाते हैं; हमारी जिस मान्यताको स्वीकार कर लेते हैं कि सुधारके लिये बंधनोंको सह लेनेमें ही समझता है; यह भी समझने लगते हैं कि अनेक प्रकारकी ज्ञानवर्धक प्रवृत्तियां करनेकी अपेक्षा बस-ठनकर बैठने और तुतला-तुतलाकर बोलते रहनेमें ही अधिक आनंद और सम्मान मिलता है। वस, कलियुगका प्रभाव अतः पर पूरा पड़ गया! अब भले महात्मा गांधी सादगी और शरीर-श्रमके ढोल पीटें, भले धर्मशास्त्र संयम पर जोर दें; परन्तु जिस प्रकार तैयार हुआ बालकों पर यह सारा अपुदेश पत्थर पर पानीकी तरह बरकर सिद्ध होगा।

आश्रमवासी माता-पिता भी, जिन्होंने अपने जीवनमें अनेक सुधार किये हैं और जो दूसरे कोअी सुधार सूझें तो उन्हें भी करनेमें नाराज नहीं होंगे, यह विचार न आनेके कारण आम लोगोंकी तरह बच्चोंको बस्त्रालंकारकी कैदमें जकड़कर खुश होते हैं और मानते हैं कि हमने बच्चोंको अच्छे ढंगसे रखा है। आशा है वे जिस सूचना पर गंभीर विचार करेंगे।

झोली नहीं परन्तु शिशु-घर

बच्चोंसे संबंध रखनेवाला दूसरा विचार हम झोलिके बारेमें करेंगे। माताओंकी अत्यन्त प्रिय और लोगोंमें काव्य-कलाका विषय बनी हुआ जिस झोलिके बारेमें नये सिरेसे और हमारे समझे हुआ नये सिद्धान्तोंके अनुसार हम विचार तो करें।

माताओंमें यह झोली कैसे अितनी अधिक प्रिय हो गयी है? अतः उनके पास लुठे हुआ बच्चोंको चुप करनेके दो साधन हैं—अेक साधन अीश्वरका दिया हुआ अर्थात् बच्चोंको दूध पिलाना, कुछ न कुछ खिलाना; और दूसरा साधन अपना खोजा हुआ अर्थात् झोलीमें डालकर अन्हें झुलाना। बच्चा थक गया हो, नींदसे घिरा हुआ हो और अुस कारणसे रोता हो, तब तो झोलिके नशीले झूलोंका अुपाय अुस पर रामबाण जैसा सिद्ध होता है और अुसे तुरन्त चुप करके सुला देता है। परन्तु बालकके रोनेके कारण केवल नींद और भूख ही थोड़े होते हैं? कभी कभी अुसे अुपर चढ़ना हो और अुससे चढ़ा न जाता हो, तो निराश होकर वह रोने लगता है। कभी वह पेटमें दर्द अुठनेसे भी रोता है। प्रत्येक रोग पर झोलिका अिलाज कैसे काम देगा?

जिस सुन्दर झोलिका हम थोड़ा प्रयत्नकरें। वह मांको सुन्दर क्यों लगती है, और बालककी दृष्टिमें वह कैसी है?

मां दिनभर बालकको गोदमें लेकर बैठी नहीं रह सकती। वह गरीब देहातिन हो तो अुसे मेहनत-मजदूरी करनी पड़ती है। सम्य शहरी महिला हो तो दिनभर बालककी सेवा-चाकरी करके वह अुब जाती है। वह अपने काममें लगी रहे तब तक बालकको सही-सलामत रखनेका कोअी न कोअी साधन अुसे चाहिये। जमीन पर सुला कर काममें लगी रहे तो बालकके लिये अुसे तरह-तरहकी चिन्ताओं रहती हैं।

जमीन पर बालकको जीव-जन्तु काट सकता है; जमीनसे मिट्टी खोदकर वह मुंहमें भी डाल सकता है। झोली अिन सब चिन्ताओंसे मांको अकसाथ बचा लेती है। जिस-लिजे मांको वह सुन्दर और सुविधावाली लगे, जिसमें क्या आश्चर्य है?

परन्तु अुसमें पड़े हुअे बालकके क्या हाल होते होंगे? बालकको करवट बदलने, लोट लगाने, अुठने और सरकनेकी अिच्छा होना स्वाभाविक है। अैसी अिच्छाअें होने पर झोली अुसे कैसी लगती होगी, जिसकी कल्पना करके देखिये। पशु-संग्रहालयोंके पिंजरोंमें शेर-चीतोंको अिधरसे अुधर चक्कर लगाते देखकर किसी भी भावनाशील मनुष्यको अुन पर दया आती है। तोतेको तंग पिंजरेमें अुपर-नीचे चढ़ते-अुतरते देखकर भी हमें दुःख हुअे बिना नहीं रहता। परन्तु झोलीमें पड़े हुअे बच्चेकी अपेक्षा शेर-चीता और तोता कहीं ज्यादा स्वतंत्रता भोगता है। बालकको तो अुसकी झोली दसों दिशाओंसे जकड़कर पकड़ रखती है। न अुससे बायीं तरफ धूमा जाता है, न दाहिनी तरफ; न नीचे अुतरा जाता है, न खड़ा हुअा जाता है। अधिकसे अधिक वह कुछ हाथ-पैर अुंचे कर सकता है।

मैंने आपको विस्तारसे कल्पना कराअी है कि बालकोंका मन और शरीर कितने चपल होते हैं, अुनके जीवनमें अुद्योगीपन कितना अधिक होता है? अैसे बच्चोंको झोलेरूपी पिंजरेका बंधन कितना असह्य लगता होगा? वे कितनी लाचारी और निराशा महसूस करते होंगे? ज्यादातर छोटे बच्चोंको जब झोलीमें डाला जाता है तब वे रो पड़ते हैं। यह किसने नहीं देखा है? परन्तु बच्चा रोता है तब हम अुसे अधिक जोरके झूले लगाते हैं, मरेको मारने जैसी बात करते हैं। अन्तमें हताश होकर, रो-रो कर, थककर चूर होकर बालक सो जाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि झूलेका आनन्द लेकर वह सो गया! झोलिके झूलेका आनन्द तो बच्चे जब जरा बड़े होते हैं, अपने-आप अुसमें चढ़-अुतर सकते हैं, अपने-आप झूले चढ़ा सकते हैं और अुसे बन्द रख सकते हैं तभी लेते हैं। तब तक तो अुनके लिजे वह अेक अत्यन्त तंग पिंजरा ही है।

फिर भी यह सच है कि मांकी गैर-हाजिरीमें बच्चेकी रक्षाके लिजे पिंजरेके बिना काम चल ही नहीं सकता। पिंजरा भले रखिये, परन्तु काफी बड़ा रखिये। पांच-छह हाथ लंबा-चौड़ा और कटहरेसे सुरक्षित छोटा चबूतरा रखिये और अुस पर नरब चटाअी जैसी कोअी चीज विछा दीजिये, ताकि बच्चेको न तो जमीन चुभे और न वह मिट्टी बगैरा मुंहमें डाले। अुस चबूतरे पर अैसी कोअी चीज न रखिये जो बच्चेको हानि पहुंचाये। अैसा चबूतरा हर बातमें अुत्तकी रक्षा करेगा और अुसके जीमें किसी तरहकी चहल-पहल करनेकी अिच्छा होगी तो अुसमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं डालेगा।

असलमें जिस चीजमें अितनी आजादी और साथ ही अितनी रक्षा हो, अुसे हम पिंजरा नहीं कहते, परन्तु घर कहते हैं। घरके बंधन पिंजरेकी अपेक्षा काफी लम्बे-चौड़े होनेके कारण अुसमें रहना हमें कठिन नहीं लगता, बल्कि वह आनन्द ही देता है। घर हमारे विकासको रोकता नहीं, परन्तु पोषण देता है। बालकके लिजे

भी असा चबूतरा घरकी तरह आनन्द और विकासका साधन बनेगा। हमारे बड़े घरमें असा चबूतरा बालकके लिये छोटासा शिशु-घर ही होगा।

मेरे सुझाये हुये जिस शिशु-घरसे मिलती-जुलती खोज माता-पिताओंने भी की तो है। वह है हमारा सुन्दर पालना। वह लंबाजी-चौड़ाजीमें झोलीसे बड़ा होता है। उसमें बच्चेको सिकुड़कर नहीं पड़ा रहना पड़ता। उसमें बच्चेको हिलने-डुलनेकी अधिक आजादी रहती है। उसके झटके भी झोली जैसे तेज और परेशान करनेवाले नहीं होते।

परन्तु पालनेमें बच्चोंको शिशु-घर जितना विस्तार तो हरगिज नहीं मिल सकता। इसी तरह वजन और कीमतमें भी वह भारी पड़ता है। और हम तो राष्ट्रीय दृष्टिसे अर्थात् ग्रामवासियों और उनके सेवकोंके घरकी दृष्टिसे विचार करते हैं। जिसलिये मुझे शिशु-घर ही हर प्रकारसे सुन्दर लगता है।

खिलौने नहीं कामकी चीजें

बच्चोंके जीवनमें हमने खिलौनोंको बहुत ही बड़ा स्थान दिया है। जिस पर अब हम नये दृष्टिकोणसे विचार करें। उनके लिये खिलौनोंका संसार बना देनेमें हमारा हेतु क्या है? वे हमें तंग न करें, खिलौनोंके साथ खेला करें और उनमें रमे रहें, यही न? यह हेतु मनमें आना पाप है। जिससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि मां-बाप दिनभर काम-धंधा छोड़कर बालकको गोदमें लेकर बैठे रहें। मेरा कहनेका मतलब बिलना ही है कि जिस प्रकार हमने केवल अपनी सुविधाकी दृष्टि ही रखी और बच्चोंकी आवश्यकताओंका जरा भी खयाल नहीं किया, जिसलिये हम सच्चे खिलौने पैदा नहीं कर सके।

हमने अभी तक जो विचार किया है उसमें परसे आप समझ सके होंगे कि बच्चे दिनभर जो भी चपलता प्रगट करते रहते हैं, वह उनके लिये केवल निरर्थक खेल नहीं है। वे तो हमसे भी कहीं अधिक बुद्धिगी, अत्यन्त जिज्ञासु और अत्यन्त अेकाग्र होते हैं। यह बात सच हो तो उससे यह सार निकलता है कि बच्चोंको खिलौने नहीं चाहिये, बल्कि कामकी चीजें चाहिये।

परन्तु आप कहेंगे कि खिलौने नाम दीजिये अथवा कामकी चीजें—जिससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? केवल खेलनेकी अर्थात् समय गुजारनेकी दृष्टिसे ही जो चीजें बनायी जावंगी उनमें अद्भुत और बिना सिर-पैरकी पागल कल्पनाओं ही खेलेगी। भड़कीले रंग, अजीब अजीब आवाजें, व्यंग-चित्रों जैसे वेमेल आकार—जिसी तरहकी बातें हमें सूझेंगी। हम यह मान लेते हैं कि जो बड़ोंको अद्भुत और आकर्षक लगता है वह बच्चोंको भी वैसा ही लगता होगा!

हम लड़कीकी नकल करके पुतली बनाते हैं; गाय या घोड़ेकी छोटी नकल बनाते हैं। मोटर-गाड़ीकी नकलके तौर पर छोटी मोटर बनाते हैं। आजकलके यांत्रिक युगमें यांत्रिक करामतें भी भर देते हैं। पुतलीका सिर बिबर-बुधर हिलनेवाला बनाते हैं, घोड़ेको कुदाते हैं और मोटर-गाड़ीको कल लगाकर दौड़ाते हैं। मूल वस्तुओंके नाटकके

रूपमें ये खिलौने हमें आकर्षक मालूम होते हैं, परन्तु वच्चोंकी आंखें क्या अभी अितनी खुली होती हैं? वे तो आपके खिलौनोंमें किसी प्रकारका अर्थ नहीं देख सकते। अउनके जीवनमें अनेक प्रयोग और बुद्योग चलते रहते हैं। अउनमें ये चीजें अउनके किसी विशेष अुपयोगमें नहीं आतीं। वे अिन्हें सहलाकर देखते हैं, गिराकर देखते हैं, काटकर देखते हैं और अन्तमें अुन्हें निकम्मी मानकर फेंक देते हैं।

हम तो अपने खिलौनोंको सुन्दर मानकर वार वार अुन्हें वालकोंके सामने रखते रहते हैं। वे नाराज हो जाते हैं तब खुश करनेको अुन्हें खिलौने खेलनेके लिये देते हैं। अससे वच्चे और चिढ़ते हैं और अधिक रोने लगते हैं।

खिलौने यदि यांत्रिक करामातवाले होते हैं तो थोड़ी देर वालक अउनकी गति, च्वनि अित्यादिकी तरफ खिंचते जरूर हैं, परन्तु हमारी तरह 'वाह, कारीगरने कैसी सुन्दर कारीगरी की है!' ये अुद्गार प्रगट करके वे प्रसन्न नहीं हो सकते। अउनमें अस गति, आवाज आदिका रहस्य जाननेकी अिच्छा अुत्पन्न होती है। परन्तु यह अउनकी छोटी बुद्धिके वृत्तेसे बाहर होता है, असलिये वे निराश होते हैं और अधिक चिढ़ते हैं।

वच्चोंको अपना समय अुपयोगी ढंगसे वितानेके साधन देना जरूरी है, परन्तु अउनकी योजना यह सोचकर बनानी चाहिये कि वालकोंको क्या चीज अच्छी लग सकती है, अुन्हें किस चीजकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि बहुत छोटे वच्चोंके लिये तो 'शिशु-घरों' में कुछ अैसे साधन रखने चाहिये: लकड़ीके छोटे चिकने थंभों जैसे साधन—अलग अलग दो तीन मोटाअियोंके। वच्चोंको अुस अुझमें खड़े होने और बैठनेमें बहुत रस होना स्वाभाविक है। ये साधन अुन्हें अस काममें सहायक होंगे और असलिये हमारी पुतलियों और मोटरोंसे बहुत ज्यादा प्रिय मालूम होंगे। शिशु-घरमें छोटे, नीचे चवूतरे या चौकियां भी रखी जा सकती हैं, जिन पर वच्चे थोड़ी-सी मेहनतसे चढ़कर विजेताके अभिमानसे बैठ सकें।

हम वड़ोंके जीवनका अनुकरण करनेवाले खिलौने अर्थात् हल, गाड़ी, गाय, घोड़ा, पुतली वगैराका समय वच्चे दो-तीन वर्षकी अुझमें पहुंचे तब जरूर आता है। अुस अुझमें अउनका अवलोकन बढ़ जाता है और हमारे अलग अलग कामकाजको वे कुछ समझने लगते हैं। परन्तु वे सच्चे काम कर सकें अितनी शक्ति अउनके हाथ-पैरोंमें अुस समय तक नहीं आती। असलिये अुन्हें गाड़ी चलाना, गुड़ियाको खेलाना, गायको पानी पिलाना वगैरा कामोंकी नकल करनेकी अिच्छा होना स्वाभाविक है। परन्तु अिन खिलौनोंको यांत्रिक और अपने-आप चलने-फिरनेवाले बनानेसे वालकका मन गलत दिशामें खिंच जाता है। गाड़ी और घोड़ा मोटी लकड़ीके, पहियोंवाले, न टूटनेवाले और रस्सी बांधकर वालक दौड़ते दौड़ते चला सकें अस प्रकारके सादे होंगे तो अुन्हींसे वे खुश हो जायंगे। खिलौनोंके रूप-रंगमें नहीं परन्तु अुन्हें लेकर दौड़ लगानेमें ही वच्चोंको असली दिलचस्पी होती है।

यह नकल करनेकी अुझ थोड़े ही महीनोंमें गुजर जायगी, और गुजर जानी चाहिये। जरा आगे चलकर वच्चोंमें सच्चे—हमारे जैसे ही काम करनेकी तीव्र

बिच्छा धुत्पन्न होती है। हमें अन्नकी जिस बिच्छाको संतुष्ट करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। अन्हें पानी भरनेके लिये छोटे घड़ोंकी जरूरत होगी, जमीन पर चलानेके लिये छोटे हलकी जरूरत होगी, खाना बनानेके लिये छोटे चूल्हेकी जरूरत होगी, बूहारनेके लिये छोटी झाड़की जरूरत होगी। ये कामकी चीजें बच्चे अुठा सकें अितनी छोटी किन्तु सच्चा काम दे सकने लायक होंगी, तो ही बच्चोंको पसन्द आयेंगी।

बालक ६-७ वर्षकी अुम्रमें पढ़ेंगे तब तो अुन्हें जिससे भी आगेका काम करनेवाली चीजोंकी जरूरत होगी; अर्थात् वे हमारे साथ मिलकर हमारे बड़े कामोंमें अपना हाथ आजमानेको तैयार होंगे। वे हमारी गाड़ी पर चढ़ बैठेंगे और हमारे हाथसे रास लेकर बँलोंको हांकने लगेंगे, हमारे पास बैठकर निदायी करने लगेंगे, हमारे साथ मिलकर सच्चे कपड़े धोयेंगे, छोटे बछड़े-बछड़ियोंको चरायेंगे, नहलायेंगे और घरमें जो भी धंधा होता होगा—बुनायी, बड़यीगिरी, कुम्हारकाम—अुसे करनेमें जुट जायेंगे। अन्नका काम जब तक खेलके रूपमें होगा तब तक अन्नकी आत्माको संतोष नहीं होगा। अब अुन्हें यही देखकर संतोष मिल सकेगा कि हमने सबके साथ काम किया, वह काम करना हमें आ गया और अुसे करके हमने अुपयोगी काममें अपना छोटासा हिस्सा दिया।

अुस समय हम कभी बार अुन्हें द्रुतकार कर निकाल देते हैं, अपने काममें बाधक समझते हैं और वे हाथ-पैर तोड़ वैंगे जिस डरसे अन्न पर दया करके अन्नका अुत्साह मार देते हैं। और यदि हम साधन-संपन्न और शौकीन हों तो अन्नके लिये गुड़ियों, मोटरों, हवायी जहाजों, बहुतसे छोटे-छोटे वेकार बरतनों, झूठी चक्कियों वगैरका बड़ा परिग्रह खड़ा कर देते हैं। और जब बहुत खर्च करके लायी हुयी ये सब चीजें वे खो देते हैं या व्यवस्थित ढंगसे नहीं रखते, तो हम अुन्हें मूर्ख और व्यवस्था-शक्तिसे रहित कहकर डांटते हैं और नसीहतोंके चावुक लगाते हैं।

आजकी बातोंमें मैंने बालकोंकी कामकी चीजोंके नाम गिनाये हैं। अन्नके बारेमें अितना स्पष्टीकरण यहां कर दूं कि जिनका निर्देश हुआ है वे ही कामकी चीजें अुपयोगी हैं और दूसरी कोअी चीजें अुपयोगी नहीं हैं अैसा न समझा जाय। मैंने तो अुदाहरणके रूपमें ही ये नाम गिनाये हैं। मां-बाप अपने-अपने जीवन और धंधोंसे ही जो कामकी चीजें स्वाभाविक रूपमें पैदा की जा सकती हों अुन्हें पैदा कर लें। मैंने जो नाम सुझाये हैं अन्नसे अितना तो आप सवने देख लिया होगा कि अिन खिलौनोंके लिये किसीको बड़े कारखानोंमें आर्डर देनेकी जरूरत नहीं।

आजकी मेरी तमाम सूचनाओंमें अेक संबद्ध सूत्रके रूपमें जो विचार किया गया है अुसे आपने समझ लिया होगा। बच्चोंकी शिक्षाका यह अर्थ नहीं है कि अुन्हें किसी भी युक्ति-प्रयुक्तिसे चुप रखा जाय और हमारे रास्तेमें रकावट बननेसे रोका जाय। अुसका यह अर्थ भी नहीं कि हमारे घरकी शोभाके लिये अुन्हें बहुतसे गहनों और कपड़ोंसे लाद दिया जाय तथा निरर्थक खिलौनोंके जंजालमें फंसा दिया जाय। परन्तु सच्ची शिक्षा यही है कि अन्नकी आत्मशिक्षाकी जो प्रवृत्तियां कुदरती तौर पर चलती हों

अुन्हें समझकर अुनमें बालकोंकी पूरी मदद की जाय और अुसके लिये अुन्हें बृचित वातावरण दिया जाय। अिसके लिये हाथ-पैर आदि अंगोंकी स्वतंत्रता अुनकी पहली जरूरत है। दिनभर बिना किसी रोकटोकके छोटे-छोटे काम करनेकी सुविधा अुनके लिये कर देना, अुसमें प्रोत्साहन देना अुनकी दूसरी जरूरत है। अिसके लिये अुन्हें कुछ साधनोंकी भी जरूरत रहेगी। परन्तु आपने देखा कि वे बहुत ही सादे और थोड़े हैं। परिग्रहका जाल बढ़ाकर जैसे हमें अपने जीवनका गला नहीं घोटना चाहिये, वैसे बालकोंके जीवनका गला भी नहीं घोटना चाहिये।

असलमें बच्चोंको चुप रखने और हमारे कार्योंमें बाधक बननेसे रोकनेका सच्चा अुपाय भी अिसीमें है। अैसी छूट और सुविधा मिलने पर बच्चोंको हमारे कामोंमें रुकावट बननेकी फुरसत ही नहीं रहेगी। वे अपनी प्रवृत्तियोंमें मस्त और आनन्दमग्न रहा करेंगे। हमने अुनकी जरूरतें सचमुच समझ ली हैं और अुन्हें आत्मशिक्षाके लिये सच्चा वातावरण हम दे सके हैं, अिसका अन्दाज लगानेकी कुंजी यह है कि बालक मस्त और आनन्दी रहें।

प्रवचन ४१

बाल-शिक्षाके बारेमें कुछ और

चुम्बन और आलिंगनकी मर्यादा

बच्चोंके प्रति हमारे व्यवहारके बारेमें आज कुछ और सूचनाओं आश्रम-जीवनकी दृष्टिसे मैं देना चाहता हूं।

अेक वस्तु अत्यन्त महत्वकी है। बहुतोंको बच्चोंको गोदमें लेने, अुछालने और अन्य कभी प्रकारसे अुन्हें खिलौनों या पुतलोंकी तरह खेलानेकी आदत होती है। वे समय-समय पर अुन्हें अुठा अुठाकर चिपटा लेते हैं और अुन्हें चूमते भी हैं। मेरा खयाल है कि बच्चोंको देखकर हमें जो भावावेश होता है अुस पर अंकुश रखना चाहिये। बच्चे कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, छोटे और कमजोर होते हैं। अिसलिये दौड़कर अुन्हें अुठाने और दवानेकी अिच्छा होना सच्चे और शुद्ध प्रेमका लक्षण कभी नहीं कहा जा सकता। बच्चे हमेशा हमारे अैसे बरतावको नापसन्द करते जान पड़ते हैं।

वे बहुत छोटे होते हैं तब तक अैसा बरताव नापसंद करनेका मुख्य कारण यह होता है कि अिससे अुनकी प्रवृत्तियोंमें व्यर्थ बाधा पड़ती है। कितने अेकाग्र मनसे वे किसी अुच्चारणका अर्थ ढूंढते हैं, अथवा किसी वस्तुको अुछालकर और गिराकर पहचाननेकी कोशिश करते हैं! अुसमें हम किसी कारणके बिना, अुनकी अिच्छा जानें बगैर, भूतकी तरह अुन पर आक्रमण करते हैं और अुनकी रसपूर्ण प्रवृत्तियोंमें बाधा डालते हैं। अुनकी नापसंदगी जरा भी छिपी नहीं रहती। वे हमारी पकड़से छूटनेके लिये जी-त्तीड़ कोशिश करने लगते हैं, अुसका विरोध करने लगते हैं और अन्तमें

रोते लगते हैं। जरा बड़े बच्चोंको तो मान-अपमानके सूक्ष्म भेद भी समझमें आने लगते हैं। उनके मुंह वगैराके भावों परसे स्पष्ट दिखायी देता है कि अन्हें हमारे वरतावसे अपमान होनेका भान भी होता है।

अतनी चेतावनी देनेके बाद और संयम पर जोर देनेके बाद मैं बालकोंके स्वभावका अेक लक्षण आपको बता दूँ। वह यह कि अन्हें हमारी मददकी पग-पग पर जरूरत होती है। हमारी बड़ी दुनियामें बहुत कुछ अैसा होना स्वाभाविक है, जिसे वे अु नहीं सकते, लांघ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। अिसमें हमें महानुभूतिपूर्वक अुनकी मदद करनी ही चाहिये। कभी-कभी अुन्हें गोदमें अुठाकर अूपर चढ़ाना और नीचे अुतारना चाहिये, कभी किसी शब्दका अुच्चारण धीमी आवाजसे सिखाना चाहिये।

परन्तु याद रखिये कि जो प्रयत्न अुनके बूतेसे बाहरके न हों अुनमें झूठी दया करके, अुन्हें परिश्रमसे बचानेके अिरादेसे अुनकी मददको हरगिज न दौड़ जाना चाहिये। अैसी मेहनतमें अुन्हें जीवनका सच्चा आनन्द आता है। हमें अनावश्यक हस्तक्षेप करके अुनका विजयका महंगा आनन्द नष्ट न कर डालना चाहिये। ठीक समय पर मौजूद हों तो प्रोत्साहनके शब्दों या हावभावसे अुनका हौसला हम बढ़ायें। अैसे प्रेमभरे प्रोत्साहन और कद्रके वे बहुत भूखे होते हैं। और अुनका भूखा होना कितना स्वाभाविक है? विलकुल छोटे बच्चे अपने शिशु-धरमें थंभे जैसे साधनोंको पकड़ कर महाप्रयत्नसे खड़े हों, फिर भी हम अगर ताली बजाकर अुन्हें बधायी न दें तो हम कितने अुदासीन कहे जायेंगे? वे चौकी पर चढ़ बैठें तो भी हम अुन्हें प्रेमसे गोदमें न अुठा लें और शावाशीका आलिंगन न करें, तो हम कितने नीरस माने जायेंगे? वे भापा-शिक्षणमें अेकाव सुन्दर शब्द या प्रयोग काममें लें और हम अुनकी तरफ ध्यान भी न दें, तो अुसमें बालकोंकी दिलचस्पी क्यों न अुड़ जायगी? वे अपनी नकली गायका झूठा दूब दूहकर हमें पिलाने आयें और हम अुसे झूठमूठ पीकर अुनके नाटकका अंतिम अंक खेलकर न बतायें, तो हम बालकोंका जी कितना खट्टा करेंगे?

बालक कोयी तीन वर्षकी अुम्रके हों, तब तक विजयके अैसे प्रसंगों पर हम बड़ोंको अुन्हें अनेक प्रकारसे प्रोत्साहन देना चाहिये। ताली बजा कर, पीठ थपथपा कर अुन्हें शावाशी देनी चाहिये और अुनकी प्रवृत्तियोंमें अत्यंत ज्वलंत विजयके प्रसंग देखें तब तो हमारा प्रेम अितना अुमड़ना चाहिये कि गोदमें लेकर अुनका आलिंगन न करें तब तक अुनकी पूरी कद्र करनेका हमें सन्तोष ही न हो। बच्चोंके प्रति हमारा व्यवहार हमेशा सभ्य, शिष्ट और दबा हुआ ही रहे यह ठीक नहीं। कुछ प्रसंगों पर वे खिलखिला कर हंस पड़ते हैं, आकर हमसे चिपट जाते हैं और आशा रखते हैं कि हम भी अुतनी ही अुमंगके साथ अुनका स्वागत करें।

परन्तु वे जरा बड़े हो जायं और भिन्न भिन्न प्रकारके कामोंमें दिलचस्पी लेने लगें, तब हमारी अुमंग और अुत्साह यहीं न रुकना चाहिये। तब ये भाव दूसरे ही ढंगसे प्रगट होने चाहिये। अब हमें अलग अलग कामोंकी खूबियां और कलाअें अुन्हें

धीरज और प्रेमसे सिखानी चाहिये। भिन्न-भिन्न वस्तुओंके गुण-धर्म और भाषाके भेद-अनुके सामने प्रेमसे खोलकर दिखाने चाहिये। अनुके टूटे-फूटे प्रश्नोंको कभी हंस कर न झुड़ाना चाहिये, बल्कि प्रेमसे अनुके उत्तर देने चाहिये।

कभी-कभी हम अंधूरे और बनावटी जवाब देकर बच्चोंको गड़बड़में डाल देते हैं। कभी-कभी हम कह देते हैं कि दातुन किये बिना खानेसे पाप लगता है और यह अपेक्षा रखते हैं कि बालक श्रद्धालु बनकर हमारी बात मान लेगा। सच पूछा जाय तो यह बालकको अश्रद्धालु बनानेका अुपाय है। अैसे संक्षिप्त स्पष्टीकरण हम अिसीलिअे देते हैं कि हमें विस्तारसे उत्तर देनेमें रुचि नहीं होती। परन्तु बच्चे पर यदि हमारा भीतराी प्रेम अुमड़ता हो, तो अुसे कोअी भी बात सिखानेमें हमें अरुचि क्यों होनी चाहिये? अुलटे अेक प्रकारका अलौकिक आनन्द ही होना चाहिये।

स्वच्छता और स्वास्थ्य

दो बातोंमें बालकोंका संपूर्ण आधार मां-बाप और बड़ों पर होता है: (१) स्वच्छता और (२) स्वास्थ्य। हम बच्चोंकी शिक्षाकी दूसरी जिम्मेदारियां न अुठा सकें तो शायद अीश्वर हमारा कसूर माफ कर देगा, लेकिन अिन दो मामलोंमें हम बच्चोंको दुःखी होने देंगे तो कभी क्षमाके पात्र नहीं माने जायेंगे।

हमारा यह कारण अीश्वरके दरबारमें कदापि नहीं माना जायगा कि हम गरीब थे अिसलिअे, अथवा अज्ञानमें थे अिसलिअे, या पराधीन थे अिसलिअे, हम अपने बच्चोंको स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रख सके। हमसे अेक अत्यंत कठोर प्रश्न पूछा जायगा — “तुम अैसे थे तो बच्चोंके माता-पिता बननेमें तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती?”

अिस मामलेमें हम गांवोंमें क्या परिस्थिति देखते हैं? वहां बालकोंको साफ रखनेकी कला ही माता-पिता जानते मालूम नहीं होते, और अिसके लिअे अनुके पास समय और पानी जैसे साधन भी काफी मात्रामें नहीं होते। अिसलिअे बच्चे खाज-खुजली और दाद वगैरासे हमेशा पीड़ित रहते हैं। अनुकी आंखें आयी हुअी रहती हैं, कानोंसे पीव बहा करता है, नाकमें घाव पड़ जाते हैं। अनुके सिरमें जूके ढेर हो जाते हैं और मैलकी पपड़ी जम जाती है। अुन्हें गंदी जमीन पर और गंदी गुदड़ियोंमें रखा जाता है, और बिलकुल मैले कपड़े पहनाये जाते हैं।

अैसी स्थितिमें पलनेवाले बालकोंको अिस दुनियाका अीश्वरके आनन्द-लोकके रूपमें परिचय ही नहीं होने पाता। वे अिस दुनियाको दुःखभूमि और नरकवासके रूपमें ही देखते हैं। अिस स्थितिमें अनुके त्रस्त मनमें अूचे विचार और अुदार संस्कार कैसे पैदा हो सकते हैं? अनुके जीवनमें अुत्साह, आनंद और स्फूर्ति कहाँसे आ सकती है?

आश्रमवासी वहनें अपने बालकोंको स्वच्छ रखनेका कुल मिलाकर अच्छा प्रयत्न करती हैं, यह हमें स्वीकार करना चाहिये, और अिसके लिअे हम अुन्हें धन्यवाद देते हैं। वे ग्रामवासी वहनोंकी अपेक्षा अच्छी सुविधाअें भोगती हैं। हमें आश्रममें पानीकी काफी सुविधा रहती है। और वहनें अपने कार्यक्रमोंमें बच्चोंको संभालनेके कामको आग्रहपूर्वक स्थान देती हैं। यह सुविधा अुन्हें न मिल सके तो वे अपने पतिसे आश्रमका

काम छुड़वा लेंगी ; परन्तु बालकोंको अस्वच्छ रखनेको हरगिज तैयार न होंगी। माताओंके लिये जैसा आग्रह और जैसा हठ रखना बड़ी तारीफकी बात है। ग्रामवासी वहाँ भी यदि जैसा आग्रह रखें, तो अपनी कठिन परिस्थितिमें भी वे बालकोंको अधिक स्वच्छताका लाभ प्रदान कर सकती हैं।

सफाईके मामलेमें आश्रमकी वहाँ जिस तरह धन्यवादकी पात्र हैं, उसी तरह वे अपने बच्चोंकी तन्दुरुस्तीके वारेमें भी धन्यवादकी पात्र हैं, जैसा सब वहाँके लिये नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह नहीं है कि उनमें बिच्छाका अभाव है, बल्कि यह जान पड़ता है कि आरोग्य-सम्बन्धी सिद्धान्तोंका अन्होंने पूरी तरह विचार नहीं किया है।

बच्चोंकी खुराकके वारेमें अक्सर उनके विचार कच्चे मालूम होते हैं। बड़ोंको जिन अस्वास्थ्यकर खाद्योंको — तले हुए, तीखे, चरपरे पदार्थों और अत्यंत मीठी गरिष्ठ मिठाइयोंको — स्वादिष्ट माननेकी आदत पड़ जाती है, वे ही बच्चोंको भी कभी वार मोहवश खिलाये जाते हैं। कभी वार माताओं बालकोंको जरूरतसे ज्यादा भी खिलाती हैं। खाने-पीनेके मामलेमें मां-बाप अपनी जीभकी कमजोरीको जीत नहीं पाते, उसीका यह परिणाम है। बच्चोंके पालन-पोषण पर हमारी यह कमजोरी जो भयंकर असर करती है, उसे देखकर भी हमें चेतना चाहिये और अपनी कमजोरीको जीतना चाहिये।

असके अलावा, माताओंको बालकोंके सामान्य रोगोंके वारेमें आवे वैद्य और शरीर-शास्त्री बन जाना चाहिये। फिर भी वहाँ इस विषयका बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखती हैं। परिणामस्वरूप बच्चे न पचनेवाली भारी खुराक खा-खाकर और वह भी आवश्यकतासे अधिक मात्रामें खाकर अपना स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं, अन्हें सदा दस्त लगते रहते हैं, बुखार आता रहता है और उनका शरीर क्षीण होता रहता है।

भोजनके बाद स्वास्थ्य पर असर करनेवाले तत्त्व हैं खुली हवा और व्यायाम। माताओं अस मामलेमें भी सही विचार न जाननेके कारण बहुधा बालकोंको बहुत ज्यादा कपड़ोंमें लपेटे रहती हैं और अन्हें खुली हवा और प्रकाशसे बड़ी मात्रामें मिलनेवाले स्वास्थ्यके लाभसे वंचित कर देती हैं।

असके सिवा, अन्हें सयाने और समझदार तथा सम्य वनानेके अुत्साहमें और ज्यादातर अस चिन्तामें कि अन्हें पहनाये हुए कपड़े मैले न हो जायं, माताओं उनकी दौड़ने-कूदने वगैराकी प्रवृत्तियोंको दवानेकी ही हमेशा कोशिश करती हैं। जिन प्रवृत्तियोंका रहस्य न समझनेके कारण वे बालकोंकी प्रवृत्तिको अूधम और जंगलीपन मानती हैं और जिनसे अन्हें मुक्त रखनेमें ही सच्ची शिक्षा समझती हैं।

जिन सब कारणोंसे बालकोंके जीवनमें चलनेवाली विविध प्रकारकी आत्मशिक्षा रुक जाती है और सबसे बड़ा नुकसान तो यह होता है कि उनका स्वास्थ्य स्थायी रूपमें बिगड़ जाता है। असका असर उनके जीवन पर, उनके विचारों पर, स्थायी छाया फैला दे तो कौजी आश्चर्य नहीं। आश्रममें माताओं स्वास्थ्य-रक्षाके वारेमें सही विचार समझ लें तो कितना अच्छा हो?

सेवक अपने बच्चोंको कैसे रखें, कैसी शिक्षा दें, जिस विषयमें मोटे मोटे सुझाव आज मैंने आपके सामने रखे हैं। अंसी और भी बहुतसी बातें विचारणीय हैं। अुदाहरणके लिये, बच्चोंको साधुओं अथवा सिपाहियोंका डर दिखानेकी आदत, अुन्हें सजा देने और गालियां देनेका बुरा रिवाज और बहुत छोटी अुमरमें पढ़ने-लिखनेका छन्द लगा देनेका आग्रह ये सब प्रश्न महत्त्वके होने पर भी हमारी आश्रमकी हवामें अुनकी लग्बी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं। हम सब अिसे समझते हैं और काफी हद तक अिस पर अमल भी करने लगे हैं।

मेरे सुझावोंमें से अनेक विचार आपको नये लगेंगे। कुछ विचार हमारे देशके पुराने संस्कारोंके अनुसार हैं। परन्तु मैंने जो कुछ कहा है अुसका बड़ा भाग नये विज्ञान पर आधारित है। हमारे पुराने लोगोंकी अिन वस्तुओंका पूरा खयाल नहीं हुआ था अथवा गलत खयाल था। खिलौनोंके वारेमें, बच्चोंको गोदमें लेने और अुनका आलिंगन करनेके वारेमें मैंने जो कुछ कहा है, अुसमें से बहुत कुछ पुराने लोगोंने अिस ढंगसे सोचा हो अंसा नहीं मालूम होता। परन्तु हम अिसकी चिन्ता क्यों करें कि वह पुराना है और यह नया है? सत्य क्या है, हमारी तालीम पायी हुयी बुद्धि किसे स्वीकार करती है, अितनी चिन्ता रखें तो बस है। अंसा करके हम पुराने रीति-रिवाजोंका अथवा पूर्वजोंका अपमान करते हैं, यह मानना भूल है। क्या हमारे पूर्वज सत्य और ज्ञानके पुजारी नहीं थे? आप यह श्रद्धा रखिये कि जब तक हम भी सत्य ज्ञानके पुजारी रहेंगे, तब तक अुनके सुपात्र वारिस ही माने जायेंगे।

बालकोंकी शिक्षाके वारेमें ये सब सुझाव दो अुद्देश्योंसे दिये गये हैं :

हमारे आश्रमके बालक सुखी और संस्कारी बनें, हम सेवकके नाते अपनी सेवाका लाभ अुनको भी दें—यह हमारा पहला और निकटका अुद्देश्य है।

हमारा दूसरा अुद्देश्य ग्रामवासी माताओंमें बाल-संगोपनका सच्चा ज्ञान फैलाना है।

किसी भी प्रकारके लोक-शिक्षणके लिये हम पढ़े-लिखोंको अेक ही अुपाय करते आता है—भाषण देना और पत्रिकाओं छपवाना। पर अिस काममें यह अुपाय बहुत कम सफल हो सकता है। अुत्तम अुपाय तो यह है कि हम आश्रमोंमें बालकोंको सही तरीकेसे शिक्षा दें तथा अुनके साथ सच्चे सिद्धान्तोंके अनुसार व्यवहार करें। जैसे फूलकी सुगन्धको वायु अपने-आप बहाकर ले जाती है, वैसे ही जिन सिद्धान्तोंको हम अपने जीवनमें अुतारेंगे, वे अपने-आप ग्राम-जीवनमें पहुंच जायेंगे।

आश्रम अेक प्रयोगशाला है। हम लोगोंमें जो सुधार करना चाहें, जिन सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहें, अुन्हें हम आश्रमकी प्रयोगशालामें पकाकर तैयार करें; फिर अुनके प्रचारकी चिन्ता करनेकी हमें कोयी जरूरत नहीं रहेगी। आचरणमें आये हुअे विचार स्वयं ही अपना प्रचार कर लेंगे।

लड़के-लड़कीका भेद

हम पिछले तीन दिनसे बालकों और अनुकी शिक्षाका विचार कर रहे हैं। एक और बहुत महत्त्वका विचार न कर लें तब तक यह विषय पूरा नहीं होगा। वह है लड़के-लड़कीके बीच भेद रखनेका। यह भेद पाप है, अश्वर द्वारा हमें सीपे हुअे बालकोंका भारी द्रोह है, असा हम सब मानते हैं। फिर भी यह अितना पुराना है, हमारे रोम-रोममें जिस तरह रम गया है कि हमारे वरतावमें अुसका जहरीला असर समय-समय पर दिखायी दिये बिना नहीं रहता। हमारी प्यारी लड़कियोंके जीवनको यह भेद विलकुल दुखी कर डालता है। जिससे लड़कियोंके जीवन अूँचे हो जाते हैं, सो बात भी नहीं। जिस भेदसे लड़कियोंके जीवन सूख जाते हैं, कुम्हला जाते हैं और लड़कोंके जीवन गंदे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं।

लड़कों और लड़कियोंके बीच हमारे समाजमें जो भेदका व्यवहार किया जाता है, अुसकी गन्वको भी हमारे आश्रममें अथवा घरमें प्रवेश न करने देना चाहिये। लड़का सौभाग्यका चिह्न है और लड़की दुर्भाग्यका, यह समझ लोगोंकी रग-रगमें अितनी गहरी पैठ गयी है कि शिक्षित माता-पिता भी जिससे विलकुल अछूते नहीं रह सकते। और हम आश्रमवासी भी बुद्धिसे अैसे भेदको पाप माननेके वावजूद व्यवहारमें अुससे बच सकते हैं, यह साहसपूर्वक नहीं कह सकेंगे।

यह पापपूर्ण विचार न जाने किस कारणसे दुनियाके सब लोगोंमें घर कर बैठा है! पुरुष अधिक बलवान होनेके कारण घरमें मालिकका स्थान भोगता है और स्त्री पर हुकूमत करता है, जिसलिअे क्या लड़केका सम्मान अविक होता है? लड़का बापका वारिस बनकर अुसका नाम चलाता है और श्राद्ध करके बापके लिअे स्वर्गका मार्ग खुला कर देना अुसके हाथमें है, जिसलिअे क्या अुसकी अिज्जत ज्यादा होती है? भले कुछ भी कारण हो अथवा अैसे कयी कारण अिकट्ठे हो गये हों, परन्तु भेदका विष समाजकी नस-नसमें फैला हुआ है।

लड़कीका जन्म होनेका पता चलते ही घरमें सबका मुंह अुतर जाता है और वे जन्म देनेवाली अभागी मांके प्रति तिरस्कारका भाव या अधिक हुवा तो दयाका भाव दिखाये बिना नहीं रह सकते। लड़कीको जन्म देनेवाली माताकी सेवामें भी तुरन्त फर्क पड़ जाता है।

और अुसके बाद अुस बदनसीव लड़कीके सारे लालन-पालनमें यह जहर हमेशा ही दिखायी देता है। लड़कीको दूध आदि पीप्टिक खुराक कम दी जाती है। लड़की पर यह असर डाल दिया जाता है कि 'मुझे दूध नहीं भाता' कहना ही लड़कियोंको हमेशा शोभा देता है। अनुकी बीमारी पर कम ध्यान दिया जाता है।

अनुके बारेमें यह मान लिया जाता है कि वे जंगली घासकी तरह विना चिन्ता किये बढ़ती रहती हैं।

लड़कियोंकी शिक्षा पर भी कम ध्यान दिया जाता है। गंभीरतापूर्वक यह तर्क किया जाता है कि अन्हें कहां नौकरी करने जाना है जो पढ़ाया जाय? अथवा जिस दृष्टिसे और अितनी-सी बातके लिये अन्हें पढ़ाया जाता है कि आजकलके जमानेमें मध्यम वर्गकी लड़कियोंकी पढ़ाओ बढ़ती जा रही है और अुससे वर मिलनेमें आसानी होती है।

कामकाजके मामलेमें लड़कियोंको बहुत ही छोटी अुम्रमें घरके कामोंमें लगा दिया जाता है। वे विलकुल बच्ची हों तभीसे अन्हें घरमें जो खाना दिया जाता है अुसमें अैसी वृत्ति रखी जाती है मानो खाना खिलाकर अुन पर मेहरवानी की जा रही हो। यह विचार रखनेमें शर्म नहीं महसूस की जाती कि अुनसे खाना-खर्चका मुआवजा मजदूरीके रूपमें जल्दीसे जल्दी वसूल कर लिया जाय।

यह तो आप जानते ही हैं कि मैंने बालकों और बड़ों, दोनोंके लिये शरीर-श्रम और कामकाजको सच्ची शिक्षाका साधन बताया है। जिस प्रकार जिस रिवाजसे लड़कियोंको, हमारा अिरादा न होने पर भी, अनजाने सच्ची शिक्षाका गुप्त लाभ मिल जाता है। हम देखते हैं कि जिसके फलस्वरूप लड़कियां भिन्न भिन्न प्रकारके काम करनेमें बहुत अच्छी कुशलता, कला और चपलता प्राप्त कर लेती हैं और लड़के ठोट रह जाते हैं।

परन्तु काम तो वेगार भी हो सकता है और शिक्षा भी हो सकता है। वह किस दृष्टिसे दिया जाता है, जिस पर सारा आधार रहता है। क्या हम यह कह सकेंगे कि घरमें लड़कियोंको हम शिक्षाकी दृष्टिसे काम देते हैं? यह दृष्टि हो तब तो जिस अुम्रमें कितने प्रेमसे, कितनी नरमीसे, भार लगने दिये विना, अन्हें काममें लगाना चाहिये और ममतासे अपने समयका बलिदान करके अन्हें वे काम सिखाने चाहिये? क्या हम लड़कियोंको जिस तरह शिक्षा देते हैं?

हमें तो घरके कामकाजमें अुनसे तुरन्त हिस्सा लेना है। जिसलिये हम अुन पर कामका बूतेसे ज्यादा बोझ डालते हैं। टोक टोककर अुनसे मेहनत कराते हैं। अन्हें नया काम सिखानेमें भी हम जेलकी प्रणाली—अर्थात् डांट-फटकार और डण्डेका तरीका—ही अस्तियार करते हैं। अैसे बरतावसे लड़कियोंमें कुछ कुशलता तो आती है, परन्तु अुनकी आत्मा बचपनसे रुंध जाती है।

लड़कियोंके प्रति हमारी यह दृष्टि अुनके विवाह करनेमें भी अुनके सच्चे हितका विचार नहीं करने देती। लड़कियां बड़ी हो जायंगी तो अुनकी पवित्रताकी रक्षा नहीं हो सकेगी और दुनियामें बदनामी होगी, जिस डरसे अन्हें छुटपनमें ही ब्याह दिया जाता है। जिससे बचपनमें ही अुनके जीवनका शिक्षाका द्वार बन्द हो जाता है। बहुतसे माता-पिता तो खुले आम अुनका विक्रय करते हैं और अच्छी कीमत पानेके लिये बूढ़े या वीमार आदमीके साथ अुनका ब्याह कर देते हैं।

जिन्हें मां-बापके घरमें अपरोक्त व्यवहार मिला हो, अउके लिये समुरालमें अच्छे व्यवहारकी आशा कैसे रखी जा सकती है? अउनमें से कोयी बेचारी आगे चलकर विधवा हो जाय, तो सब अउसकी तरफ जिस तरह देखने लगते हैं, मानो सारी दुनियाके अनिष्ट थीर अपशकुन अउसके अभागे शरीरमें अिकट्ठे हो गये हैं। वह सामने मिल जाय तो लोग अपशकुन मानते हैं। घरमें वच्चोंको सिखाया जाता है कि सुवह सुवह अउसका मुंह न देखा जाय। अउसे सब शुभ कामोंसे दूर रखा जाता है। अउसके निर्वाहकी भी परिवारमें अच्छी व्यवस्था नहीं होती। तिरस्कारसे अउसके सामने रोटीका टुकड़ा फेंका जाता है थीर कड़ी मेहनत कराकर अउसे कुचल डाला जाता है।

अुदाहरण देकर सावित किया जा सकेगा कि कुछ वहनें अैसी स्थितिमें भी अपना तेज प्रगट कर सकती हैं। परन्तु अिन अपवादोंसे अैसी वहनोंकी प्रवल आत्माका ही प्रमाण मिलेगा। अिससे हम अपनी वहनोंके प्रति होनेवाले अन्यायपूर्ण व्यवहार पर स्वीकृतिकी मुहर हरगिज नहीं लगा सकते।

लड़कियोंको दुर्भाग्यका चिह्न माननेकी गलत कल्पना पर चलकर हम सचमुच कितना बड़ा पाप कर रहे हैं! अिससे लड़कियोंका जीवन जन्मसे मृत्यु-पर्यंत दुःख और तिरस्कारकी अग्निमें जलता है। साथ ही लड़कोंका जीवन भी दूषित होता है।

कोयी मूर्ख मनुष्य अपने आये शरीरको सहलाये और दूसरे आयेको काटकर और जलाकर कष्ट दे, तो परिणाम क्या होगा? क्या अउसके सताये हुअे अंग ही दर्द करेंगे? क्या अउसका तमाम शरीर वीमार और निकम्मा नहीं हो जायगा? और अउसके सहलाये हुअे अंग भी दुःखके भागी नहीं होंगे? लड़कियोंके प्रति अपमान और तिरस्कार प्रगट करनेसे लड़कोंकी अपने-आप अेक प्रकारकी खुशामद होने लग जाती है। अुन्हें मुंह लगाया जाता है। अउके जीवन पर अिसका खराब असर हुअे अिना कैसे रहेगा?

लड़कोंको वचपनसे ही कामकाजमें दिलचस्पी लेनेसे दूर रखा जाता है और अुन्हें वचपनसे ही यह मानना सिखाया जाता है कि काम करना लड़कियों, नौकरों और नीचे दर्जेके लोगोंका काम है। संसारके लोग आज जो दुःख भोग रहे हैं, अउसके मूलमें अिस जहरके सिवा और क्या है? लोग आज कामकाजको हलका समझते हैं, अपने भोग-विलासका भार दूसरोंके सिर पर रखना चाहते हैं। अिस जुल्मकी मात्रा जब असह्य हो जाती है तब विद्रोह और मारकाट होती है।

आश्रमोंमें सेवाकी शिक्षा पानेवाले हम लोगोंके जीवनमें भी अिस अन्यायका जहर दिखायी देता हो, लड़के-लड़कियोंके बीच व्यवहारमें सूक्ष्म भेद भी आ जाता हो, तो अिसे हमारी शिक्षा पर सचमुच बड़ा लंछन समझना चाहिये। हमें खूब जाग्रत रहना चाहिये और अिस पापकी जरा-सी छायाको भी सहन न करना चाहिये।

यह समझकर कि खास तौर पर बाल्यावस्थामें किये जानेवाले भेदका जहर बहुत ही गहरा और जिन्दगी भर बना रहनेवाला असर डालता है, यह सावधानी रखना जरूरी है कि लड़कियोंकी बाल्यावस्थामें तो अउके प्रति भूलकर भी भेदभाव न रखा

जाय। हम जिस भ्रममें हरगिज न रहें कि छोटा बच्चा प्रेम, तिरस्कार अथवा भेद-भावको नहीं समझता।

खाने-पीनेके मामलेमें तो मां-बापको लड़के-लड़कीके बीच भेद करना ही नहीं चाहिये। मनुष्यके जीवनमें खाने-पीनेकी बात अैसी है कि अुसमें किये जानेवाले भेदभावका असर बहुत ही दुःखजनक होता है। यह वस्तु दिखनेमें तुच्छ लगती है, परन्तु अुससे मनुष्यका खाने-पीनेका रस नष्ट हो जाता है, अैसे घरमें रहना अुसके लिये कठिन हो जाता है और भेदभाव करनेवालेके लिये अुसके मनमें गहरा रभाव जम जाता है। छोटे बच्चों पर तो अिसका असर कोमल पौदों पर पाला पड़ने जैसा ही होता है। सौतेली मांके हाथों पलनेवाले बालकोंके जीवन कैसे गमगीन, नीरस और जहरीले बन जाते हैं, यह कौन नहीं जानता? अिसकी जड़में भेदभाव ही होता है न? लड़कियोंके मामलेमें सगी माताअें ही सौतेली माताअोंकी तरह बरताव करें, यह कितना भयंकर है?

पुत्रियां भी पुत्रोंकी तरह हमारी ही हैं। वे भी हमारे प्रेम और आदरकी अुतनी ही हकदार हैं। युगोंसे हमने अुनके अिस हकको ठुकराया है। अिसलिये वे आज हमारे प्रेम और सेवाकी अधिक हकदार बन गयी हैं। अुन्हें सुन्दर शिक्षा दी जाय तो वे भी पुत्रोंकी तरह ही हमारे लिये कुल-दीपक सिद्ध होंगी, पुत्रोंकी तरह ही भारतमाताकी सुयोग्य सेविकाअें निकलेंगी।

प्रवचन ४३

बच्चोंको पाठशाला क्यों न भेजा जाय ?

आश्रमके बालकोंकी बचपनकी शिक्षाका विचार हमने कर लिया। यही बालक जरा बड़े हो जायं, तब अुनकी पढ़ाअीका क्या प्रवन्ध किया जाय? सेवकोंके सामने यह प्रश्न हमेशा ही खड़ा होता है और अुन्हें अनेक दिशाअोंसे परेशान करता है। किसीके अपने लड़के-लड़की होंगे, किसीके भाअी-बहन होंगे। अिस प्रकार किसी न किसीकी पढ़ाअीकी जिम्मेदारी अुन पर अवश्य होगी। अिसे वे कैसे पूरा करें? आम तौर पर लोग लड़के-लड़की पांच वर्षके हुअे कि अुन्हें गांवकी पाठशालामें बैठा देना अपना फर्ज समझते हैं। सेवकका कर्तव्य क्या अितनी आसानीसे पूरा किया जा सकेगा? बहुतसे सेवक और आश्रमवासी यह पाठशालाका राजमार्ग ही अपनाते हैं। फिर भी हम तो आश्रम-जीवनके सिद्धान्तोंके अनुसार ही चलना चाहते हैं। ये सिद्धान्त हमें अिस कर्तव्यके संबंधमें क्या कहते हैं?

बालकके पांच वर्षका होते ही अुसे पाठशालामें भरती करानेका रिवाज चला आ रहा है, मगर हमारे विचारोंके अनुसार यह अुन्न बालक या बालिकाको पाठशालामें बैठानेके लायक नहीं है।

अन्हें पाठशालामें न बैठानेका यह अर्थ हरगिज न लगाया जाय कि अन्हें शिक्षा न दी जाय। शिक्षा तो जन्मसे ही शुरू कर देनी है। वह कैसी हो, जिसका दिग्दर्शन मैंने पिछले चार-पांच दिनमें विस्तारसे कराया है। अुसमें पांच-सात वर्षकी अुभ्रके बालकोंकी शिक्षाके भी कुछ पहलुओं पर हमने विचार किया है।

अुन्हें जिस अुभ्रमें हमारे साथ रहकर हमारे अनेक कामोंमें भाग लेनेकी तीव्र जिच्छा अुत्पन्न होती है। हाथ-पैर और जिन्द्रियों पर अुनका काफी काबू हो चुकता है, जिसलिजे बड़ोंकी तरह सच्चे काम करनेकी लगन पैदा होना स्वाभाविक है। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बरतन मलना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, आटा पीसना, अनाज फटकना और झाड़ना—घरके ये तमाम काम सीखने और अुनमें सच्चा हिस्सा लेनेकी अुमंग और चटपटी अुनके मनमें होती है। जिसी प्रकार हमारे दूसरे बच्चे—खेतमें जाना, नींदना, गोड़ना, पेड़ोंको पानी पिलाना, खेतोंमें पक्षी अुड़ाना; अथवा चरखा और करघा चलाना, अुनकी कुकड़ियां भरना; अथवा हमारे घरमें जो भी अुद्योग चलते हैं अुनके अलग अलग अंगोंमें साथ देना; घरमें गाय, बैल वगैरा पशु हैं तो अुन्हें पानी पिलाना और चराने ले जाना, छछ बिलोना, गाड़ी हांकना;—अिन सब कामोंमें भी बड़ोंके साथ लग जानेकी वृत्तिको बालक जिस अुभ्रमें किसी तरह रोक नहीं सकते। आप देख सकेंगे कि मैंने ये जो बहुतसे काम गिनाये हैं और दूसरे बहुतसे जो काम मां-बाप अपनी-अपनी परिस्थितियोंके अनुसार सोच सकेंगे, अुन सबमें अिन बालकोंको कितनी सुन्दर शिक्षा मिल सकती है! कहां अिनसे मिलनेवाली तालीम और कहां पाठशालाकी पढ़ाबी? पाठशालाओंमें अुन्हें लिखने, पढ़ने और गिननेकी यांत्रिक प्रक्रियाओंमें घंटों लगाने पड़ते हैं। न तो वहां हाथ-रोंको खुराक मिलती है, न आंख-कानको मिलती है और न दिमागको मिलती है। छोटे-छोटे कारकुन बनाकर अुन्हें कमरोंमें बैठा दिया जाता है और हलचल या विनोद करें तो अुसे अुबम मानकर डांट पिलायी जाती है। अिन पाठशालाओंको सुधार कर कितना ही अच्छा बना दिया जाय, तो भी जिस समृद्ध और विविध शिक्षाका प्रबंध वहां नहीं हो सकता।

हमारे सेवकोंमें से कुछकी यह कल्पना होती है कि गांवकी पाठशालाओंमें शिक्षक अच्छे नहीं होते, पुस्तकें हमारी पसंदकी नहीं रखी जातीं, स्वच्छ और नीरोग वातावरण नहीं होता, आवाजा लड़कोंकी संगतिसे हमारे बच्चोंको गालियां देने आदिकी अनेक बुरी आदतें लग जाती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा राष्ट्रीय वायुमण्डल वहां नहीं होता, जिसलिजे वे पाठशालायें खराब हैं और अुनमें अपने बच्चोंको नहीं भेजना चाहिये; और जब तक ये पाठशालायें संतोपजनक रूपमें न सुधरें, तब तक आश्रमके बालकोंकी पढ़ाबीके लिजे हमारे विचारोंके अनुसार चलनेवाली विशेष राष्ट्रीय पाठशालाओं खोलनी चाहिये।

परन्तु अुन्हें कितना ही क्यों न सुधरें, वे अिन बालकोंकी सारी भूख बुझा नहीं सकतीं। असलमें तो जिस अुभ्रमें बालकोंकी शिक्षाके लिजे पाठशाला-प्रणाली ही

निकम्मी चीज है। बालकोंकी आत्मा तो हमारे विविध कामोंकी ओर आकर्षित होती है। अिन कामोंको सीखने और हमारे साथ मिलकर अिन्हें करनेके लिये अुनके तन-मन अिस समय अत्यंत अुत्सुक होते हैं। पाठशालाओंमें कितना ही सुधार किया जाय या अुनमें राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें भी क्यों न चलायी जायं, तो भी वे अिन सब कामोंका प्रबंध कैसे कर सकती हैं? और शिक्षक कितने ही अच्छे हों तो भी गांवके अितने बालकोंकी जिज्ञासाको वे कैसे सन्तुष्ट कर सकते हैं? बने हुअे मकानके छप्परके नीचे बगीचा लगाया जा सके तो ही पाठशालामें अिन बच्चोंको शिक्षा दी जा सकती है। छप्परके नीचे बगीचा लग ही नहीं सकता। चौकोर छप्परको तोड़कर लम्बा छप्पर बांधें तो भी बगीचा कैसे लगेगा? अिसके लिये तो छप्परको तोड़कर खुला मैदान करना ही जरूरी है। अिस अुत्रमें बच्चोंकी सच्ची पाठशाला हमारा अपना घर और हमारे अुद्योग ही हैं।

यह सही है कि मां-बाप और बड़ोंको बच्चोंके प्रति अब तककी अपनी रीति-नीति बदलनी पड़ेगी। अुन्हें अपनेमें शिक्षकके जैसा धीरज और सिखानेका रस पैदा करना होगा। जैसे बच्चोंके पालक-पोषक बनना माता-पिताका स्वाभाविक धर्म है, वैसे अुनके शिक्षक बनना भी अुनका अीश्वर-दत्त धर्म है।

परन्तु वे तो बालक जब भीतरी अुत्साहसे प्रेरित होकर काम करने आते हैं, तब अुन्हें अूधमी, अुत्पाती और बाधक मानकर दुतकार देते हैं; हंसकर अुनका स्वागत नहीं करते, प्रेम और धीरजसे अुन्हें काम करनेकी कला नहीं सिखाते। जिन्हें अपने प्यारे बच्चोंके लिये कुछ मिनटका त्याग करनेमें आनन्द नहीं आता, परन्तु जो अुन पर आंखें निकालते हैं, अुन्हें डांटते हैं और अितनेसे बच्चे भाग न जायं तो अुन्हें पीटते भी हैं, वे अपने अीश्वर-दत्त शिक्षक-धर्मका पालन न करनेका पाप करते हैं।

बच्चोंकी अुस समयकी हलचलोंको सहानुभूतिसे समझनेका प्रयत्न करें तो मां-बाप क्या देखेंगे? बच्चे आन्तरिक स्फूर्तिसे विवश होकर कामकाज ढूंढते हैं—जैसे मधुमक्खियां फूल ढूंढती हैं। अुनकी मूल अिच्छा हमारे चालू कामोंमें हमारे साथ जुड़ जानेकी होती है। वे जानते हैं कि अुन्हें अभी ये काम करना नहीं आता। हम कोअी काम कैसे करते हैं, यह देख-देखकर और हमसे पूछ-पूछकर सीख लेनेकी वे अपने छोटेसे मनमें योजना बना लेते हैं। वे कैसे धीरे-धीरे, हंसते-हंसते, हमारी आंखोंको देखते-देखते, हमें जरा भी तकलीफ न हो अिसकी सावधानी रखते हुअे, हमारे सहायक बनकर हमें खुश करनेका प्रयत्न करते हुअे आते हैं!

वेशक, वे गीता पढ़े हुअे नहीं होते, फिर भी अुनकी जिज्ञासा—ज्ञानपिपासा दूसरेसे ज्ञान प्राप्त करनेकी गीताकी प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवाकी पद्धति अुन्हें कितने सुन्दर ढंगसे सिखा देती है!

परन्तु अुस समय हमारा बरताव कैसा होता है? केवल अुन्हें दुतकारने फटकारनेवाला! अब वे क्या करें? जिज्ञासाको तो वे रोक नहीं सकते। स्वभाव बदला नहीं

जा सकता। वे हमारी नजर बचाकर किसी न किसी काममें लग जाते हैं। अुसमें कोअी पय-प्रदर्शक नहीं होता, सलाह-मशविरा देनेवाला नहीं होता, असलिये अुलटा-सीवा कर बैठते हैं। कभी कभी अनुभवकी कमीके कारण अपने हाय-पैरोंको चोट भी लगा देते हैं। फिर देखिये हमारा गुस्सा ! हम बच्चोंके प्रति अपन शिक्षक-धर्मको बिस तरह भूलकर अुनकी अुगती हुआ ज्ञान-पिपासाकी हत्या करते हैं।

अिस विचारके अनुसार देखें तो पढ़े-लिखे माता-पिता गांवोंके अपढ़ माता-पिताकी अपेक्षा बच्चोंका अधिक अहित कर बैठते हैं। पढ़े-लिखे माता-पिताओंको तो बच्चे जरा दौड़ने-कूदने लगे कि अुन्हें पाठशाला भेज देनेके सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। अपढ़ ग्रामवासी माता-पिताओंमें बच्चोंको छोटी अुम्रमें पाठशालामें केंद करनेका अुत्साह नहीं होता। वे हमें समझा नहीं सकेंगे, परन्तु अुनका मन भीतर ही भीतर अुन्हें कहता रहता है कि छोटे बच्चोंको अिस प्रकार पाठशालामें बन्द करनेमें कुछ बेजा काम हो रहा है। कअी गांवोंमें तो पाठशाला ही नहीं होती, असलिये बच्चे अुसकी केंदसे बच जाते हैं। बड़ुतोंको घरकी गरीब हालतके कारण बच्चोंसे कुछ काम लेना पड़ता है, असलिये पाठशाला भेजना संभव नहीं होता। अैसे माता-पिता बालकोंसे जब काम कराते हैं, तब वे प्रेमसे अुन्हें समझाकर सिखाते हैं; बच्चों पर बोझ न पड़े, अिसकी सावधानी रखते हैं और सौंपा हुआ काम वे खेलते खेलते करें अिसीमें संतोप मानते हैं। अैसे माता-पिता भले ही अपढ़ हों, फिर भी कहा जा सकता है कि वे अुत्तम कोटिके शिक्षकोंका काम करते हैं।

परन्तु हमारी सामाजिक स्थिति अितनी खराब है कि गरीब मां-बाप चाहें तो भी बच्चोंको हमेशा अपने साथ रखकर काम नहीं करा सकते; अुन्हें बालकोंको किसी खुशहाल आदमीके यहां घरका कामकाज करने या पशु चरानेके लिये रखना पड़ता है। वहां बालक कामकाज तो करते हैं और पिटते-पिटाते कामचलाबू ढंगसे कुशल भी बनते हैं। परन्तु अुन्हें अपने वृतेसे ज्यादा काम करना पड़ता है, असलिये वे बचपनसे ही शरीरको कमजोर बना लेते हैं और ज्यादातर कष्ट और तिरस्कार, गाली-गलौज और मारपीटके वातावरणमें रहनेके कारण वे बुद्धिके मंद रहते हैं और जीवनके कोअी अुच्च गुण अुनमें विकसित नहीं हो पाते।

अैसे बालक अधिक अभाग्य हैं या वे बालक जिन्हें बचपनसे पाठशालामें बन्द कर दिया जाता है, अिसका निश्चित माप निकालना कठिन है।

बचपनसे नौकरी करनेवाले खेतियों और काश्तकारोंके बच्चे पाठशाला जानेवाले बच्चोंसे कामकाजमें तो अधिक कुशल हो ही जाते हैं। जरा बड़ी अुम्रमें अुन्हें अधिक प्रेम और ममता दिखानेवाले और बुद्धिपूर्वक मार्ग बतानेवाले किसी सज्जनका सहारा मिल जाय, तो मैं मानता हूं कि वे अुसका लाभ पाठशालामें पढ़े हुअे बच्चोंसे ज्यादा अुठा सकते हैं। कष्ट और तिरस्कारके वातावरणके बदले प्रेम और ममताके वातावरणमें रहनेसे अुनकी मंद दीखनेवाली बुद्धि थोड़े ही समयमें चपलता और तेजस्विताके लक्षण बताने लगती है।

दूसरी तरफ, छुटपनसे पाठशाला जानेवाले बच्चे कामकाजमें ठोट रहते हैं। अतना ही नहीं, अउनके भीतर कामके लिये अरुचि और तुच्छताका भाव आ जाता है; और जैसे आलस्यकी आदतवालोंमें चालाकी, झूठ, चोरी वगैरा दुर्गुण बढ़ते पाये जाते हैं, वैसे अउनमें भी ये दुर्गुण बढ़ते हैं। अिसलिये अैसे बच्चोंको आगे चलकर अच्छे वातावरणमें रहनेका मौका मिलता है तब भी अिन दुर्गुणोंके कारण अुस वातावरणमें मिल जाना अउनके लिये बड़ा कठिन होता है।

हमारे आश्रममें हमें ये दोनों प्रकारके अनुभव हुअे हैं। गांवोंके जो अपढ़ बालक यहां आते हैं, वे थोड़े ही मासमें कैसे अुत्साही, चपल, तेजस्वी, श्रद्धालु और प्रत्येक काममें कुशल साबित होते हैं? और शहरी मित्र अपने बच्चोंको पाठशालासे हटाकर यहां भेजते हैं, वे महीनों तक पानीमें तेलकी तरह, अलग अलग ही तैरा करते हैं। कोअी कोअी मिल भी जाते हैं तो अुन पर यहांके वातावरणका जोर पड़ता दिखायी देता है, और कोअी तो खुद हार कर और हमें भी हराकर अन्तमें वापस चले जाते हैं।

आश्रमवासियोंको और जो माता-पिता बच्चोंकी सच्ची शिक्षाका विचार करनेकी परवाह करते हैं, अुन सबको पांचसे दस वर्षकी अुम्र तक तो बालकोंको पाठशालामें भेजना ही नहीं चाहिये। अुनकी सच्ची प्राथमिक पाठशाला अुस समय घरके काम और अुद्योगोंसे संबंध रखनेवाले काम ही हैं। “हम तो शिक्षाशास्त्रको न समझनेवाले साधारण मनुष्य हैं, बच्चोंको घर पर रखकर अुद्योग और काम सिखाने हों तो अुनके लिये कैसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाय, यह हम कैसे जान सकते हैं?” अैसी चिन्ता करनेकी कोअी जरूरत नहीं। क्योंकि अिस अुम्रमें बालकों पर अितने काम अमुक समय पर अवश्य करनेका बंधन लादा नहीं जा सकता। वे आंतरिक स्फूर्तिसे प्रेरित होकर, जहां भी अुनके योग्य काम हो रहे होंगे वहां खुद अुसी तरह चले जायेंगे, जैसे तितलियां फूलों पर चली जाती हैं। हमारे लिये अितना ही करनेको रह जाता है कि अुस समय हम हंसते हुअे अुनका स्वागत करें, कुछ मिनट खर्च करके अुन्हें रास्ता दिखायें, शिक्षकके प्रेम और धीरजसे स्वयं कोअी काम अुन्हें करके बतायें और मुंहसे अुसका रहस्य समझाकर वह काम अुन्हें सिखायें तथा संबंधित कार्यके बारेमें आगे-पीछेकी जानने योग्य बातें कहकर अुसमें अुनकी दिलचस्पी भी बढ़ा सकें तो जरूर बढ़ायें।

साधारण ग्रामवासी माता-पिता, जो बहुत पढ़े-लिखे न हों, अिस विचारके अनुसार बच्चोंको शिक्षा दें, तो वे अिस बातका विश्वास रखें कि बड़ी-बड़ी पाठशालाओंकी अपेक्षा अिस पद्धतिसे अुनके बालक अधिक अच्छी शिक्षा पायेंगे। बच्चोंको अिस अुम्रमें लिखने-पढ़नेकी झंझटमें डालनेकी जरूरत नहीं, अैसा करना हानिकारक भी है। अिसलिये मां-बापका अपढ़ होना अिसमें जरा भी बाधक नहीं होगा। बालकोंकी शिक्षाके लिये जो कुछ आवश्यक है, वह तो अुनके पास काफी मात्रामें है। अुनके पास अुद्योगोंकी कला है, अनुभवपूर्ण ज्ञान है। यह पढ़ायी काफी है। अितना

वे बालकोंको प्रेमसे दे दें तो बहुत है। साथ ही वे बालकके प्रेमके खातिर अपने जीवनको शुद्ध, स्वच्छ, परिश्रमी, सेवापरायण तथा सत्यके शौर्यवाला रखनेकी कोशिश करेंगे, तो बालकोंको अन्होंने पूरी शिक्षा दे दी, असा वे मान सकते हैं। वे परम पिता परमेश्वरके सामने अमानदारीसे यह जवाब दे सकते हैं कि अन्होंने अपने बालकोंके प्रति शिक्षक-धर्मका पूरा पूरा पालन किया है।

परन्तु पांच वर्षका होते ही बालकको पाठशाला भेज देनेका रिवाज प्रबल बन गया है। जरा आंखें खोलें तो अिसका भयंकर परिणाम हमें दीयेकी तरह साफ दिखायी दे सकता है। पाठशालाओंमें बच्चोंको शिक्षा नहीं मिलती; अितना ही नहीं, वे सदाके लिये अैसे बन जाते हैं कि कोयी शिक्षा ग्रहण ही न कर सकें। और देखनेकी बात तो यह है कि अुसी समय शिक्षाकी गंगा लोगोंके घरोंमें, खेतोंमें और अुद्योगोंकी जगहों पर बह रही होती है। वहांसे अुठाकर बच्चोंको पाठशालाकी बंदबूदार तलैयामें बकेल दिया जाता है। अिससे हमारी नयी पीढ़ी दिन-दिन निष्प्राण होती जा रही है; और जब हम देखते हैं कि यह परिणाम बालकोंको छुटपनसे पाठशाला भेज देनेके बड़े रिवाजमें फंसनेसे आता है, तब हमारा दिल जलकर खाक हो जाता है।

परन्तु बालकोंको पाठशालासे बचानेकी हमारी बात कौन सुनेगा ? गांवका दुःखी देहाती हमारी बात सुनकर अिस प्रबल रिवाजके विरुद्ध सिर अुठायेगा यह आशा रखना बहुत अधिक होगा।

अिसका अेक ही अुपाय है और वह यह कि हम आश्रमवासी और सेवक साहस करके अपनी श्रद्धाका अमल अपने बच्चों पर करें। यह साहस हममें है ? जब हमारे संबंधी, प्रियजन और मित्र हमें अुलाहना देंगे कि हम बच्चोंका अहित कर रहे हैं, पाठशाला जानेकी अुन्नमें अुन्हें आवारा बना रहे हैं, तब क्या हम अपनी श्रद्धा पर डटे रह सकेंगे ? लोगोंके पाठशाला जानेवाले बच्चोंको तेजीसे कहानियोंकी पुस्तकें पढ़ते देखेंगे, तब हमारा मन बसमें रहेगा ? हम अपनेको अपराधी मानकर लोगोंके सामने शर्मसे नीचे तो नहीं देखेंगे ? यदि हम रिवाजके बलके आगे हार न जायं, बल्कि अपने बच्चोंको घरके अुद्योगोंमें मिलनेवाली शिक्षाकी खूबियां बतानेकी हिम्मत और श्रद्धा रख सकें, तो लोग हमारी चीजकी तरफ आकर्षित हुअे बिना नहीं रहेंगे।

अंग्रेजी पढ़ाईका क्या होगा ?

कल हमने जो बात की, वह तो दसके वर्षके बालकोंके संबंधमें हुई। अन्हें पाठशाला न भेजनेकी सिफारिशको मानना अपेक्षाकृत आसान है। मनुष्यके मनमें यह हिम्मत रहती है कि असा करनेसे कदाचित् मेरे बच्चे औरसे ठोट और पीछे रह जायेंगे, तो भी भूलको सुधार लेने और सबकी कतारमें अन्हें ला देनेमें बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत समय भी नहीं लगेगा।

परन्तु इस अुम्रसे आगेकी शिक्षाका क्या हो ? अन्हें हाईस्कूल और कॉलेजमें भेजकर अंग्रेजी पढ़ाये बिना काम चलेगा ? अब तक जो विचार आप सुनते आये हैं, अुन परसे आपने कल्पना कर ली होगी कि आगेके लिये भी मैं बालकोंको पाठशालामें न भेजनेकी ही सिफारिश करूंगा। आप भले ही मेरे सामने आंखें फाड़कर देखते रहें, परन्तु मैं कहता हूं कि आपकी कल्पना गलत नहीं है।

यह गोली निगलना आपको कठिन लग रहा है न ? कारण स्पष्ट है। आपको डर है कि बच्चोंको आप पढ़नेकी अुम्रमें पढ़ायेंगे नहीं तो अुम्र बीत जानेके बाद वे इस कमीको किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकेंगे और अुनका सारा भविष्य बिगड़ जायगा।

परन्तु जब मैं आपसे यह सिफारिश करता हूं कि बच्चोंको हाईस्कूल और कॉलेजमें न भेजिये, तब क्या मैं यह कहता हूं कि अन्हें शिक्षासे वंचित रखिये ? बात यह है कि वहां भेजनेसे हम चाहते हैं वसी शिक्षा अन्हें नहीं मिलती। हम नहीं चाहते वसा कुशिक्षण ही अधिक मिलनेका खतरा है और हमें वह खतरा नहीं चाहिये। लेकिन वहां न भेज कर भी अपने बच्चोंको हमें शिक्षा तो देनी ही है। वह अंग्रेजी शिक्षा नहीं होगी, परन्तु अुच्च शिक्षा तो अवश्य होगी। वह कैसी होगी और किस ढंगसे दी जा सकेगी, इसकी कल्पना मैं आज आपको कराना चाहता हूं।

परन्तु आपके मनकी शंका मिटना कठिन है। आपको खयाल होगा : “ शिक्षा जैसे जीवनके अेक बड़ेसे बड़े मामलेमें बच्चों पर नया प्रयोग करने जायं और अुसमें वांछित परिणाम न आये, तो वे ‘अतोभ्रष्ट’ और ‘ततोभ्रष्ट’ नहीं हो जायेंगे ? स्कूल-कॉलेजकी शिक्षा न मिलनेके कारण बच्चोंकी वृद्धि अविकसित रह जाय और वे जीवनमें सफल न हों, तो हमें सदाके लिये पछतावा रहेगा कि हमने अपनी अेक सनकके खातिर बच्चोंका जीवन बिगाड़ दिया और बच्चे भी जीवनभर हमें कोसते रहेंगे। ”

अैसे विचार करके हम अधिकांश सेवक और आश्रमवासी श्रद्धा खो देते हैं। हम अपने सेवा-जीवनके खातिर बहुतसे कष्ट और अनेक असुविधाओं सहनेको तैयार रहते हैं, अनेक खतरे अुठानेका और कुर्बानियां करनेका साहस दिखा सकते हैं। गांवोंके

मलेरियामें हमारे शरीर सूख जायं तो भी हम हारते नहीं; गरीबीसे नाता जोड़ लेनेके कारण जात-पातके रिवाजोंके अनुसार न चलकर लोकनिन्दाके शिकार बनते हैं तब भी नहीं हारते; हरिजनोंके प्रश्नके सिलसिलेमें सगे-संबंधी हमें छोड़ दें तब भी हम विचलित नहीं होते; गांवोंके जीवनमें घुल-मिल जानेकी लगनमें काफी शरीर-श्रम भी आनंदसे करते हैं; हम अपनी सारी शक्ति सेवामें लगाकर अपने साहित्य आदिके शौकोंमें भी काफी कमी कर सकते हैं। “अपने सिद्धान्तोंके खातिर हम जितना बलिदान कर सकें अतना थोड़ा है, परन्तु —” हमें खयाल होता है, “परन्तु यह सवाल दूसरा ही है। यह तो अपने वच्चोंकी पढ़ाईका, अतनी सारी जिन्दगीको सफल या असफल बनानेका सवाल है। यद्यपि आजकलके स्कूल-कॉलेजोंकी पढ़ाई हमें अनेक प्रकारसे पसन्द नहीं है, फिर भी जीवनमें आगे बढ़नेके लिये सब अुसीको अपनाते हैं। तो फिर हमें अपने मनकी अेक तरंगके लिये अपने वच्चोंको अुससे वंचित रखनेका क्या अधिकार है ?”

अधिकांश सेवक जब वच्चोंको स्कूल-कॉलेजमें भेजनेका समय आता है, तब बिस प्रकारके विचार-विभ्रममें पड़े बिना नहीं रह सकते। यह हमारे अनुभवकी बात है। बिसका सीधा अर्थ क्या यह नहीं निकलता कि अुन्होंने अपने सिद्धान्तोंके खातिर बहुत त्याग किया है, परन्तु अब अुनकी त्यागशक्तिकी हद आ गयी है? क्या बिसका यह अर्थ नहीं कि अुसे वे वच्चोंकी पढ़ाई तक ले जानेमें कांप अुठते हैं?

वे यह मानकर मनको भले ही धोखा देते हैं कि जहां तक हमारा संबंध है हम अपने सिद्धान्तोंका पूरी तरह अमल करते हैं, परन्तु यही कहना चाहिये कि असली परीक्षाके समय वे अपने सिद्धान्तोंसे डिग गये। अब तक मनमें जो शंका घुसी नहीं थी, वह आज कसौटीके समय अुनमें घुस गयी है: “कहीं हमने आश्रम-जीवन स्वीकार करनेमें बड़ी मूर्खता तो नहीं की? लोग तो यही मानते हैं और हमें सनकी, पोथी-पंडित और भगत मान लेते हैं। हमने अपनी वेवकूफीसे अपनी जिन्दगी विगाड़ ली और वह अब सुधर नहीं सकती; परन्तु अपने वच्चोंको तो हम संभय रहते अुसका शिकार होनेसे बचा लें! हमने आज तक माना कि आश्रमका सेवा-जीवन ही सच्चा जीवन है, परन्तु सच्चा जीवन क्या सचमुच असा होता है? यह तो बड़ा कष्टमय जीवन है; गांवोंके संकरे खड्डेमें पड़े रहने जैसा है। बिसमें धन नहीं है, मान नहीं है, बड़े बड़े काम करके कीर्ति कमानेकी गुंजाबिश भी नहीं है। यह खड्डा नहीं है, बिस तरहकी कुछ लोगोंकी रायें सुनकर हम तो बिसमें फंस गये, परन्तु अब अपने वच्चोंको हरगिज नहीं फंसायेंगे।

“और स्कूल-कॉलेजकी पढ़ाईको हमने गलत समझा, बिसमें भी हमारे चश्मेका रंग ही कारण क्यों नहीं हो सकता? दुनियाके लोग तो अुसीको अच्छा मानते हैं। हां, कोअी कोअी अुसकी आलोचना जरूर करते हैं, परन्तु वह पराये वच्चोंको फकीर बनानेकी बात ही तभी तक। अपने वच्चोंका मीका आता है तब वे हमारी तरह मूर्खता नहीं दिखाते। अुन्हें तो वे यही शिक्षा पाने भेजते हैं।

“हमारे बच्चे पढ़-लिखकर खूब कमायें, देश-विदेशमें बड़े बड़े व्यापार करें, बड़े सरकारी अधिकारी बनें और सुखी हों, यह किन मां-बापोंको अच्छा नहीं लगता? हम सेवाकी ओर मुड़ गये हैं, इसलिये ऐसा सुख अुनके लिये न चाहें यह ठीक है। परन्तु वे प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर अपनी विद्यासे अनेक रोगियोंके आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े अिजीनियर बनकर नहरें, पुल, कारखाने वगैरा बड़े बड़े तामीरी काम करके देशके अुपकारक बनें, जगद्-विख्यात विज्ञानाचार्य और संशोधक बनकर दुनियामें अमर हों, होशियार वकीलके रूपमें अदालत-कचहरीको ही नहीं, परन्तु विधान-सभाओं और राष्ट्र-सभाओंको भी गुंजानेवाले हों और देशके प्रख्यात नेता बनें, अैसी अिच्छा हम क्यों न करें? अुस महान जीवनके लिये सीढ़ीका काम देनेवाले स्कूल-कॉलेजोंको हम अपने हाथसे तोड़ डालें और अपने बच्चोंके लिये रहने न दें, यह तो अुनके प्रति द्रोह ही होगा।

“हम खुद बहुत बड़ी शक्तिवाले नहीं, इसलिये गांवोंकी सेवामें लगे और अपनी अल्पशक्तिके अनुसार जीवनका जितना भी सदुपयोग हो सका हमने किया। यह सब ठीक है। परन्तु हमारे बच्चोंमें अीश्वरने वीजरूपमें जो शक्ति रखी है, अुसका अंदाज अपने देहाती गजसे हम कैसे लगायें?”

मैं समझता हूं कि अैसे अवसर पर सेवकोंके मनमें अुठनेवाली दलीलोंका मैंने सच्चा प्रतिबिम्ब आपके सामने रखा है। वे मानें या न मानें, परन्तु वे अपने बच्चोंको स्कूल-कॉलेजमें पढ़ानेको तैयार होते हैं, तब वे अपनी कुछ मूलभूत श्रद्धाअें छोड़ ही देते हैं।

वे किसी समय तो यह मानते थे कि देशके सबसे समर्थ पुरुषोंको ग्रामसेवामें पढ़ना चाहिये; परन्तु आज यह मानने लगे हैं कि ये छोटे काम हैं और बड़ी शक्ति रखनेवालोंको अुनमें पड़कर अपना रूपया पाअियोंमें नहीं बदलना चाहिये।

वे किसी समय त्याग और मूक सेवाको जीवनका सार मानते थे; लेकिन आज यह मानने लगे हैं कि दुनियामें कीर्ति, ख्याति और सम्मान पाकर अमर होना जीवनकी सार्थकता है।

वे किसी समय यह आलोचना करते थे कि हाअीस्कूल और कॉलेजोंकी पढ़ाअी मनुष्यके मौलिकता, साहस, वीरता, देशभक्ति आदि सब गुणोंको नष्ट कर देती है, अुसे धन और कीर्तिका तथा भोग-विलासका रस लगा देती है और सेवा-जीवनके लिये नालायक बना देती है; वहांकी शिक्षा लेकर धन और कीर्ति कमानेमें, डॉक्टर, अिजीनियर, विज्ञानाचार्य या सभावीर बननेमें हजारोंमें अेक ही सफल होता है और सो भी शिक्षाकी अपेक्षा वसीलके कारण ही; अधिकांश लोग तो नौकरीकी तलाशमें मारे-मारे फिरनेवाले निराश और निस्तेज बेकारोंकी भीड़में मिल जाते हैं और कॉलेजमें थोड़ा-बहुत जो जवानका जोर मिलता है, वह भी दुनियाके धक्के खाकर थोड़े ही समयमें मर जाता है। अब वे अपनी अिस आलोचनाको निगल गये हैं और सफल जीवनकी सीढ़ी अगर कोअी है तो वह कॉलेज ही है, यह मानने लगे हैं।

भले ही हमने ग्रामजीवनमें लंबा समय बिताया हो, भले हमने बसकी तारीफोंके बहुतसे गीत गाये हों, भले मुंहसे यह घोषित किया हो कि बसमें जीवनका सच्चा सुख है, परन्तु सच्ची परीक्षाका समय आने पर पता चल गया कि हमारे मनकी गहराईमें कैसे विचार थे ! दुनियाने उसे प्रत्यक्ष देख लिया है और हम खुद भी आँखें बन्द न कर लें तो उसे स्पष्ट देख सकते हैं ।

हम ग्रामवासमें अथवा आश्रम-जीवनमें अितने वर्ष व्यतीत करके भी बसका कोअी संतोषजनक फल नहीं देखते, जिसका कारण भी अब पकड़में आ गया । हम बसका दोष गांववालोंकी जड़ता, फूट बर्गरा पर और अपने दूसरे संयोगों पर मढ़ते थे । परन्तु अब परीक्षा होने पर सच्ची बात प्रगट हो गयी । हमारा मन ही हमारे काममें कहां था ? जिस काममें मन नहीं होता, बसमें हमारी पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि नहीं लगती, पूरी संशोधन-शक्ति भी अुपयोगमें नहीं आती । बसमें नित्य नये साहस करनेकी हिम्मत भी हम कैसे दिखा सकते थे ? यह सब न करने पर यदि सफलता न मिली तो जिसमें आश्चर्य कैसा ?

फिर हमने अितने वर्ष तक ग्राम-जीवनकी कठोरता भोगी, परन्तु बससे हमारे हृदयमें कभी प्रसन्नता क्यों नहीं मालूम हुअी ? लोगों पर हमारे जीवनकी गहरी छाप पड़ती क्यों नजर नहीं आती ? जिसका कारण भी अब हमें मालूम हो जाना चाहिये । हमने कठिनाअियां अूपर अूपरसे तो भोगीं, परन्तु आंतरिक आंखके सामने बृद्धि-सिद्धिमें लोटनेवाले अधिकारी, डॉक्टर, अिजीनियर और सभाअूर ही रहते थे । यही आदर्श हमने छिपे-छिपे सेवन किया ही, तो फिर ग्राम-जीवनसे हमारे चेहरे पर प्रसन्नता कैसे प्रकट हो सकती है ?

ग्रामसेवाके शुरूके अुत्साहमें हमें यह कल्पना नहीं आयी थी कि बच्चोंकी पढ़ाईका अैसा कठिन प्रश्न किसी दिन हमारे सामने खड़ा होगा । हम तो गांवोंमें बस गये, ग्रामवासियोंके जैसी अथवा लगभग वैसी गरीबी हमने स्वीकार की, हम पैतृक संपत्ति भी बहुत कुछ छोड़ बैठे और कमावोंके कोअी साधन भी रहने नहीं दिये । परन्तु अब मन डिग गया है और बच्चोंको अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ानेका विचार मनमें समा गया है ।

अब हम चारों ओरसे कठिनाअियां अनुभव करते हैं । जिस विचारके लिये जीवनमें स्थान ही नहीं था, उसे जीवनमें स्थान देनेमें व्यर्थकी दौड़बूप करनी पड़ती है । पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी हाईस्कूल या कॉलेज हमारे छोटेसे गांवमें ही ही कैसे सकता है ? अब यदि बच्चोंको पढ़ाना हो तो छात्रालयके भारी खर्चका बंदोबस्त करना पड़ेगा । हमें खयाल होता है : "अिससे तो यदि पहलेसे ही कहीं शहरमें बंधा करते होते तो बच्चे आसानीसे घर रहकर पढ़ सकते थे । गांवोंमें रहनेसे अुलटे खर्चके खड्डेमें अधिक अुतरना पड़ता है ! अब पैसा कहाँसे लायें ? "

हमारे आसपास ग्रामवासियोंकी जिस मामलेमें कैसी स्थिति है और वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं, अिसे यदि अैसे परेशानीके समय देखें तो अिस मोहसे हम

आसानीसे बाहर निकल सकते हैं। गांवमें मुश्किलसे दो-चार परिवार जैसे होते हैं जो अपने बच्चोंको अंग्रेजीकी पढ़ाईके लिये शहरमें भेज सकते हैं। अधिकांश तो अपनी स्थितिका खयाल करके यह मानकर मनको समझा लेते हैं कि हमारे भाग्यमें बच्चोंको यह शिक्षा देना नहीं लिखा है। इस पढ़ाईके लिये अन्हें मोह तो खूब होता है। वे सरकारी कर्मचारियोंको देखते हैं, वकीलों, डॉक्टरों तथा व्यापारियोंको देखते हैं, तब अन्हें कभी वार यह कहते किसने नहीं सुना कि हमारे बच्चे भी पढ़-लिखकर धूँचे पद पर चढ़ें, धन और मान प्राप्त करें तो अंनके भाग्यसे वैलोंकी पूँछ मरोड़ना छूटे? परन्तु यह समझकर कि यह आकांक्षा अंनके लिये आकाशके चंद्रमा जैसी है, वे शांति वारण करते हैं।

परन्तु हम सेवक क्या अपने मोहको जिस तरह आसानीसे समेट सकते हैं? हम तो ज्यादातर दूसरे ही विचारमें पड़ जाते हैं: “आज तक हम कैसे भी रहे, परन्तु अब तो बच्चोंके भविष्यका प्रश्न आ गया है। इसलिये किसी भी तरहसे रुपया जुटाना ही चाहिये।” अेक वार जिस निश्चय पर पहुँचे कि रुपया जुटानेके तरह तरहके अुपाय सूझने लगते हैं। अैसी स्थितिमें ग्रामसेवाकी या आश्रम-सिद्धान्तोंकी चारदीवारीमें बंद रहकर थोड़े ही विचार किया जा सकता है?

कुछ सेवकोंमें अपनी कमानेकी शक्तिका अभिमान जाग्रत होता है। वे मनमें कहते हैं: “मैंने देशके खातिर दारिद्र्य स्वीकार किया है, परन्तु चाहूं तो जितना चाहिये अुतना धन कमानेकी ताकत मैं रखता हूं।”

कुछ सेवक कमानेका कोअी सरल मार्ग मिल जाने पर अपना ग्रामसेवाका काम जारी रखकर कोअी न कोअी सहायक धंवा ढूँढ़ लेते हैं। वे जिस तरह मनको धोखा देते हैं कि हम अैसे अुस्ताद हैं कि अेकसाथ दो घोड़ों पर सवारी कर सकते हैं। परन्तु सच पूछा जाय तो अुस्तादीके अभिमानमें वे अपने सेवा-जीवनको अपने ही हाथों निष्फल बना देते हैं। लेकिन अैसा मौका भी सबको नहीं मिल सकता। साधारण सेवक तो अपनी सारी जिन्दगीकी श्रद्धाको छोड़कर जीवनमें परिवर्तन कर डालते हैं और कमानेके धंधेमें लग जाते हैं। शुरुमें वे यह कहकर अपने मनको धोखा देते हैं कि बच्चोंकी पढ़ाईकी जिम्मेदारीसे मुक्त हो जायेंगे तो फिर सेवा-जीवन अपना लेंगे। परन्तु ज्यादातर परिणाम दूसरा ही होता है। सेवा-जीवनमें वापस लौट आनेकी आशा शायद ही पूरी होती है। क्योंकि अेक ओर बच्चोंकी पढ़ाई पूरी होती है, तो दूसरी ओर धंधेके क्षेत्रमें फंसा हुआ वाप स्वयं अपनी पढ़ाई भूल चुकता है।

परन्तु जीवनमें अैसा जड़मूलसे परिवर्तन करना बड़े साहसका काम है। हमारा वर्णन किया हुआ परिवर्तन गलत दिशाका भले ही हो, परन्तु अुसके लिये भी अेक प्रकारकी हिम्मतकी जरूरत रहती है। बच्चोंकी पढ़ाईके लिये भी सब कोअी अैसा नहीं कर सकते। अधिकांश सेवक तो सरल मार्ग ही ग्रहण करते हैं। वे आंखें बन्द करके ग्रामवाससे चिपटे रहते हैं और विवेक खोकर बच्चोंकी महंगी पढ़ाईका भार अपने सेवाकार्य पर डालते हैं। वे खादी, ग्रामोद्योग, आदि द्वारा सेवा करते

होंगे तो यह भार अिन मृतप्राय युद्योगोंके सिर पर पड़ेगा, और किसी संस्था द्वारा काम करते होंगे तो यह भार अुस संस्थाके सिर पर पड़ेगा।

अैसे सेवक अपने अपनाये हुअे मार्गको मध्यम मार्ग मानते होंगे; सेवा भी होती रही और वच्चोंकी पढ़ाअी भी हो गअी, यों अपने मनको मनाते होंगे। परन्तु सच पूछा जाय तो कुल मिलाकर अुनके जैसेके भारी बोझके नीचे खादी, ग्रामोद्योग वगैरा कुचल जाते हैं; और संस्था भी अशक्त हो जाती है।

अुनके मध्यम मार्गका सबसे भयंकर फल तो मैं दूसरा ही मानता हूं। वह है अुनके वच्चोंके जीवन पर होनेवाला असर। अुन्हें जो शिक्षा लेनेको वे भेजते हैं, वह अैसी है कि अुससे वच्चे और चाहे कुछ भी बन जायं, परन्तु पिताका सेवामार्ग तो हरगिज नहीं स्वीकार कर सकेंगे। वे अैसी आदतें डाल लेंगे कि शरीरसे देहाती जीवन अुन्हें सहन नहीं हो सकेगा। और बुद्धिसे ग्रामसेवा और आश्रमी शिक्षा अुन्हें निकम्मी वस्तुअें लगेंगी। सेवकोंके वच्चे अिस तरहकी शिक्षा लेकर आयें, अिससे अधिक करुणाजनक वस्तु अुनके लिये और क्या हो सकती है?

मैं तो साफ साफ भायामें और जरा भी संकोच और शर्म रखे विना कहता हूं कि सेवक अपने वच्चोंको हाअीस्कूल-कॉलेजकी शिक्षा दिलानेके मोहमें हरगिज न फसे; अुन्हें शिक्षा देनेका कर्तव्य वे खुद ही पूरा करें।

“खुद ही?” आप चींककर पूछेंगे। “हम खुद तो कैसे दे सकते हैं? हमें शिक्षकका काम कहां आता है? किसीको आता हो तो भी अिसके लिये वह समय कहांसे लाये?”

हां, हां! हमें खुद ही अपने वच्चोंको शिक्षा देनी चाहिये। अिसके लिये आवश्यक जानकारी तो हम सबके पास है ही और अिसमें समय मिलनेकी अितनी ज्यादा चिन्ता करनेकी बात भी नहीं है। अधिक विस्तारसे कल अिसकी चर्चा करेंगे।

प्रवचन ४५

अुच्च शिक्षा

आअिये, आज हम अिस बातका विचार करें कि अपने वच्चोंको हाअीस्कूल-कॉलेजमें न भेजकर भी अुन्हें अुच्च शिक्षा देनी हो और वह भी हमें खुद देनी हो, तो यह कैसे संभव हो सकता है?

याद रखिये कि मैं घरमें कॉलेज खड़ा करनेकी युक्ति नहीं बतानेवाला हूं। परन्तु जिसे मैं अुच्च शिक्षा मानता हूं और मुझे आशा है कि विचार करेंगे तो आप भी मानेंगे, वह अुच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं यही मैं आज बतानूंगा।

अुच्च शिक्षाका अर्थ यह हो कि अंग्रेजोंसे भी हमें अंग्रेजी अधिक अच्छी बोलना आये अथवा अुसका अर्थ अैसी शिक्षा हो जिससे दुनियामें बन और मान कमानेके द्वार खुल जायं, तो भी कॉलेजोंसे निकलनेवाले नमूनोंमें ये दो सिद्धियां प्राप्त कर

सकनेवाले बहुत ही थोड़े पाये जाते हैं। मुख्य शिक्षाका यही अर्थ करना हो और पढ़ानेका अितना ही अुद्देश्य हो, तब तो अंग्रेजीके लिये वच्चोंको किसी अंग्रेज सद्गृहस्थके सहवासमें रख देना अथवा अुन्हें विलायत भेज देना और धन तथा मानके लिये अच्छे वसीले पैदा कर देना ही जिसका सीधा रास्ता है।

परन्तु अिन दो वस्तुओंको अुच्च शिक्षाका नाम देना तो कॉलेजके संचालक भी पसन्द नहीं करेंगे। इसमें अुन्हें अपनी शिक्षाका अपमान लगना चाहिये। वे कभी यह दावा नहीं करते कि कोअी जर्मन अथवा फ्रांसीसी या रूसी आदमी अंग्रेजी कॉलेजमें गये विना अुच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। वे यह जरूर कहते हैं कि हमारे देशमें हिन्दुस्तानियोंको अंग्रेजी कॉलेजमें जाना ही चाहिये; परन्तु जिससे वे अितना ही कहना चाहते हैं कि हमारे देशमें आज अंग्रेजी कॉलेजोंके सिवा देशी भाषाओं द्वारा पढ़ानेवाले कॉलेजोंका अस्तित्व नहीं है। शायद वे यह भी कहना चाहते हैं कि जिस देशकी भाषाओं अितनी समृद्ध नहीं हैं कि अुच्च ज्ञान धारण कर सकें और न कभी वैसी हो सकेंगी, जिसलिये हमारे पास अंग्रेजीकी शरण लेनेके सिवा कोअी चारा नहीं है।

मैं अभी अुच्च शिक्षाका जो स्वरूप आपके सामने विस्तारपूर्वक रखनेवाला हूँ, अुसे सुननेके बाद आप अपने-आप सोच लीजिये कि यह शिक्षा स्वभाषा द्वारा दी जा सकती है या नहीं? अैसा लगे कि स्वभाषामें अुसे धारण करनेकी शक्ति नहीं है, तो भले आप अंग्रेजी अथवा किसी और भाषाकी शरणमें जायिये। भाषा मुख्य वस्तु नहीं है, परन्तु शिक्षा अथवा ज्ञान ही मुख्य वस्तु है। परन्तु आप देखेंगे कि अुसमें परभाषाकी शरण लेनेकी जरूरत ही नहीं है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अच्छेसे अच्छा माध्यम स्वभाषाका ही हो सकता है।

अब कॉलेजकी शिक्षाके दूसरे अुद्देश्य — 'अुससे जीवनमें धन और मानके दरवाजे खुलते हैं' — का विचार कीजिये। अुसका यह अुद्देश्य है, यह तो किसी किसी पढ़े-लिखेको मेहनत किये विना बहुत पैसा कमाते देखकर बना हुआ लोगोंका साधारण खयाल ही है। कॉलेजोंके संचालक यह कभी नहीं कह सकते कि अुनकी शिक्षाका हेतु अितना स्थूल है। वे अपना अुद्देश्य बुद्धि-वैभव बढ़ाना ही बतायेंगे। वे कहेंगे, "जो मनुष्य औरोंसे बुद्धिमें श्रेष्ठ होंगे वे कम बुद्धिवालों पर सत्ता भोगेंगे, अुनसे अधिक अमीर होंगे और शरीरसे मेहनत न करके भी अपनी बुद्धिके बलसे सुखी होंगे। यह तो बुद्धिका स्वाभाविक फल है। परन्तु हमारी शिक्षाका मूल हेतु बुद्धिका विकास करना ही है।"

अुच्च शिक्षाका अर्थ हमें बुद्धिका सुन्दर विकास मानना ही चाहिये; और वह विकास अंग्रेजी कॉलेजमें पढ़े विना संभव नहीं अैसा हमें विश्वास हो जाय, तो हमें किसी भी कीमत पर वहां जाना होगा। परन्तु बुद्धिका सच्चा विकास हम किसे कहेंगे?

बुद्धिका फल जो कम बुद्धिवालों पर हुकूमत करना — बिना परिश्रम किये धनिक बनना — ही मानता हो, उसे तो शायद अंग्रेजी कॉलेजका आश्रय ही लेना पड़ेगा। अलवत्ता वहाँ भी मुश्किलसे अेक-दो फीसदी लोग ही यह फल प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांशके भाग्यमें तो असफल और निराशामय जीवन ही रह जाता है।

परन्तु यहाँ हमें यह प्रश्न अुठाना चाहिये कि जिस बुद्धिका फल यह निकले, उसे बुद्धिका विकास कहना क्या बुद्धिमान मनुष्यको शोभा देता है? अगर यही बुद्धि हो, तो अबुद्धि किसे कहेंगे?

हमें अुच्च शिक्षा तो लेनी है, उसके द्वारा बुद्धिका विकास भी करना है, परन्तु उस बुद्धिसे फल बिससे भिन्न ही पैदा करना है।

हम जैसे-जैसे दूसरोंसे बुद्धिमें आगे बढ़ें, वैसे-वैसे अपने सुखभोगमें ही उसका अुपयोग न करके सेवामें उसका अुपयोग करें, हरअेक देशवासीकी बुद्धि हमारे बराबर ही विकसित न हो जाय तब तक हम शान्तिसे न बैठें।

हम औरोंसे अधिक सच्चे बनें, अधिक संयमी बनें, अधिक नम्र बनें, अधिक अुद्यमी बनें और अुनके लिये बुद्धिमय जीवनके सच्चे मार्ग अंकित कर दें।

हम सच्चा शुद्ध विचार करना जानें और उसके अनुसार आचरण करनेका चरित्र-बल दिखायें; दूसरोंमें भी इसकी शिक्षाको फैलाकर भ्रम, बुद्धिका आलस्य, अथद्वा, अंधश्रद्वा वगैरासे अुन्हें सचेत करें और अुन्हें बुद्धिमय जीवनका रस लायें।

दूसरे बुद्धिमान लोग अिनके अज्ञानका लाभ अुठाकर अिन पर सत्ता जमाने या अिनके श्रम और धनका अुपहरण करने आयें, तब हम जान देकर भी अिनकी रक्षा करें।

यदि अैसा फल देनेवाली बुद्धि चाहिये तो वह शिक्षाके बिना हरगिज नहीं मिलेगी। वह अुच्च शिक्षासे ही प्राप्त की जा सकती है। परन्तु उस अुच्च शिक्षाके लिये अंग्रेजी कॉलेजोंमें जानेकी जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यह बतलाऊंगा कि सेवादर्म स्वीकार करनेवाले माता-पिता अैसी शिक्षा बच्चोंको अच्छी तरह दे सकते हैं।

प्रथम तो हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरह तरहके गृहकार्योंमें कुशल हों। अिसे हम बुद्धि-विकासकी पहली सीढ़ी मानते हैं। स्कूल-कॉलेजोंमें जानेवालोंके हाथ-पैरोंमें अनुभवकी कमीके कारण स्थायी रूपमें अकुशलता रह जाती है, अिसे हम पसन्द नहीं करते। कुछ बच्चे छुटपनसे हुक्म देना सीखते हैं। अिसे हम कुशिक्षाका लक्षण समझते हैं। हम अपने बच्चोंके लिये अपने घरोंमें अथवा आश्रमोंमें कामकाजके लिये पूरी तरह प्रोत्साहनका वातावरण पैदा करेंगे। वे बारह वर्षके होंगे तब तक तो हम अुन्हें प्रत्येक प्रकारका गृहकार्य कुशलतासे करना सिखा देंगे। करना ही नहीं सिखा देंगे, परन्तु काफ़ी मात्रामें अुन कार्योंसे संबंध रखनेवाला वैज्ञानिक और आसपासका दूसरा ज्ञान भी देनेका प्रयत्न करेंगे।

वे माताके साथ काम करके सुन्दर रसोजी बनाना सीखेंगे और अुसके साथ ही भिन्न-भिन्न अन्नोके गुण-दोष, अुनके भीतरके तत्त्व, वे तत्त्व नष्ट न हों अिस दृष्टिसे कौनसा पदार्थ पकाया जाय और कौनसा न पकाया जाय, अित्यादि बातोंके बारेमें और आहार-शास्त्रके सिद्धान्तोंके बारेमें हमसे ज्ञान प्राप्त करेंगे।

हम अुन्हें अनाज-सफाअीकी सब क्रियाओंमें प्रवीण बनायेंगे। सूप तथा मूसल अुनके हाथोंमें कलामय ढंगसे नाचेंगे। साथ ही अनाजकी रक्षा करनेका शास्त्र तथा अुसके कौनसे भाग निकालने और कौनसे हरगिज न निकालने चाहिये, यह भी हम अुन्हें शास्त्रीय ढंगसे समझायेंगे।

मामूली झाड़ू लगानेसे लेकर पाखाना-सफाअी तकके सब काम अुन्हें हमारे पथप्रदर्शनमें सुन्दर और आकर्षक ढंगसे करना आयेगा; और साथ साथ गंदगीको गाड़नेसे जीवाणु कैसे कीमती खाद बनाते हैं और खुला रखनेसे मक्खी, मच्छर वगैरा जन्तु गन्दगीमें से ही कैसे रोग फैलाते हैं, अित्यादि विषयोंका विज्ञान अुन्हें सिखाकर हम अुनकी आंखें खोलेंगे।

घरमें बीमारीके समय हमारे वच्चे रोगियोंकी देखभाल करनेकी कला सीख जायंगे और मामूली रोगोंके अिलाज जान जायंगे; घाव किस कारणसे पकता है और क्या करनेसे अुसे पकनेसे रोका जा सकता है, किस तरह मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और अुससे संबंधित जीवाणुओंका स्वभाव कैसा है—अिस प्रकारका बहुतसा शास्त्र हम अुन्हें सिखायेंगे। हम अुन्हें हवा, पानी, प्रकाश, व्यायाम आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले स्वास्थ्यके सिद्धान्त भी सिखायेंगे।

संभव है ये सारी बातें हम तमाम सेवक न जानते हों। परन्तु आपको कभी यह विचार आया है कि यह सब न जानना सेवककी हमारी योग्यतामें अेक बड़ी न्यूनता ही मानी जायगी? अब अपने वच्चोंको शिक्षा देनेका रस पैदा होने पर हम यह सारा ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करने लगेंगे। और अैसा करनेमें हमें कितना अलौकिक आनंद आयेगा?

कुछ तो हम जानकार मित्रोंसे जान लेंगे और कुछ पुस्तकोंकी सहायतासे जान लेंगे। हम देखेंगे कि अिसका अधिकांश आसानीसे सीख लिया जा सकता है। आज तक हमने अुसे नहीं सीखा, यह केवल हमारी बुद्धिका आलस्य ही था। हम अिस भ्रममें थे कि बड़े कॉलेजोंमें गये दिना और अंग्रेजी पढ़े दिना कोअी ज्ञान मिल ही नहीं सकता।

अब तक गहरे पानीमें अुतरे दिना, बुद्धिसे काम लिये दिना काम करनेकी हमारी आदत थी। अब हमने अपने वच्चोंको सिखानेके निमित्तसे यह सब सीखा, अिसलिअे हम यह क्यों न मानें कि यह वच्चोंने अप्रत्यक्ष रूपमें हम पर बड़ा अुपकार किया है? विज्ञानकी आंखसे प्रत्येक प्रवृत्तिको देखना हमें आयेगा, तब अिन प्रवृत्तियोंमें हमारा रस कितना ज्यादा बढ़ जायगा? अब तक हमारे सब काम निर्जीव थे। अब वे हमें सजीव लगेंगे। अब लोगोंमें भी हम अपने कामोंके लिअे अधिक दिलचस्पी पैदा कर सकेंगे।

नी-दस वर्षकी अुन्न तक बालक जैसे काम खेलके रूपमें, अपनी भीतरी प्रेरणासे हमारे साथ करते थे। अुनके छोटे होनेके कारण हम अुन पर कर्तव्यके रूपमें कोयी काम लादते नहीं थे और न अुन पर किसी कामका आचार रखते थे। परन्तु अब वे बड़े हो गये हैं, जिसलिये अुन्हें स्वतंत्र काम सौंपे जाने चाहिये। स्वतंत्र रूपमें काम करनेका मौका न मिले तब तक अुनमें सच्ची कुशलता नहीं आ सकती।

और देखिये, आदरकी कुदरत भी कैसी है? जिस अुन्नमें बच्चोंमें भी स्वतंत्र रूपमें काम करनेका स्वर्यभू अुत्साह प्रकट होता है। अुनके जीवनके विकासके लिये जिस शिक्षाकी अुन्हें जरूरत है, अुसकी भूख अुन्हें कुदरती तौर पर लगती है। विविध कार्य करते हुये अुनके मनमें अनेक प्रश्न भी जिस अुन्नमें स्वाभाविक तौर पर अुठते हैं। अुनके ये प्रश्न हम यदि सहानुभूतिपूर्वक सुनें, अुनमें गहरे जाकर स्पष्टीकरण करते रहें और हमें न आता हो अुसका स्पष्टीकरण ढूंढनेकी कोशिश करें, तो बच्चोंको अपने कामोंमें सजीव दिलचस्पी मालूम होगी। अुनकी बुद्धि अुन कामोंके आचार पर जैसे ही दौड़ने लगेगी, जैसे रेलकी पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ती है। अुन्हें नबी नयी बातें सूझने लगेंगी।

अब हम यह भी देखेंगे कि बच्चोंकी जिज्ञासा-वृत्तिको केवल घरके सादे कामोंसे सन्तोष नहीं होता। वे अपने लिये अधिक बड़े और विशाल कार्य-क्षेत्रकी मांग करेंगे। यदि हमारे घर या आश्रममें खेती-बाड़ी या कतायी, पिजायी और बुनायी जैसा कोयी-ग्रामोद्योग चलता होगा, तो बच्चे अुसकी ओर आकर्षित हुये बिना कभी नहीं रहेंगे। किसानों, जुलाहों, सुतारों, लुहारों और कुम्हारों वगैराके बच्चे कितने भाग्यशाली हैं? अुन्हें जैसे रसीले अुद्योगोंमें अपना हाथ आजमानेका मौका स्वाभाविक तौर पर मिल जाता है।

जिसमें आपत्ति अेक ही है। कारीगर मां-बापके पास बच्चोंको सिखानेकी दृष्टि नहीं होती। वे अुन्हें जिस ढंगसे काममें लगाते हैं, मानो वे छोटी अुन्नके मजदूर हों, और अुनसे शिक्षा देनेकी दृष्टिसे नहीं परन्तु अपनी कमायी बढ़ानेकी दृष्टिसे ही काम करते हैं।

हम सेवक तो यह समझकर ही बच्चोंको जिन अुद्योगोंमें लगायेंगे कि अुद्योग अुनकी शिक्षाका आगोका 'वर्ग' है। हम सेवकोंके घरोंमें कतायी-पिजायीके अुद्योग तो चलते ही होंगे। जिनमें हमारे बच्चोंने मांके दूबके साथ सीख लिया होगा। अब हम अुनके लिये बुनायी सीखनेकी भी कुछ न कुछ सुविधा कर देंगे। किसी सज्जन जुलाहेके परिवारमें अुन्हें बुनायी सीखनेके लिये भेजनेकी व्यवस्था करेंगे। अुद्योगकी कला जुलाहा सिखायेगा और शास्त्र हम सिखाते रहेंगे। यह राष्ट्रीय अुद्योग कैसे नष्ट हुआ, जिसका इतिहास भी अब हम अुन्हें बतायेंगे। और अुसके अुद्धारके कैसे कैसे प्रयत्न — अर्थात् स्वदेशी आन्दोलन — हुये हैं जिसकी बातें भी कहेंगे।

खेती-बाड़ी और पशु-पालनकी शिक्षाका अवसर भी हमें बच्चोंके लिये ढूंढ देना चाहिये। जिसके बिना तो किसी भी लड़के या लड़कीकी शिक्षा हमें बिना हड्डियोंके

शरीर जैसी ही लगेगी। हमारे पास जमीनकी सुविधा शायद ही होगी। परन्तु जिससे क्या? किसानोंमें हमें सज्जन मित्र मिलना कठिन न होना चाहिये। उनके साथ हम बच्चोंको ये दोनों काम सिखानेका बन्दोबस्त कर सकते हैं। जैसे मेहनती और तरुण सहायक किसे अच्छे नहीं लगते? किसान मित्र उनसे हल चलाने, चड़स चलाने, क्यारियां बनाने वगैराका काम करायेंगे और पशु-पालनमें दूध दुहना, पशुओंको चारा-दाना देना, मट्टा विलोना वगैरा काम करायेंगे।

परन्तु संभव है वे जिसके भीतरका शास्त्र बालकोंको न समझा सकें। वह काम हमारे करनेका है। यह हमें सदा खटकता रहेगा कि हमारे पास भी यह पूंजी कम है। बच्चोंकी शिक्षा जैसे-जैसे विशाल होती जायगी, वैसे-वैसे हमारी अपनी पूंजी हमें बहुत थोड़ी प्रतीत होती जायगी। वनस्पति-शास्त्र और खेती-वाड़ीमें होनेवाली भिन्न भिन्न फसलोंके बारेमें हम कितना कम जानते हैं? गाय-बैलोंके पालन-पोषणके विषयमें भी हम बहुत नहीं जानते।

परन्तु हम प्रयत्न करें तो यह ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हम किसानोंके साथ बातें करेंगे तो उनसे ही जिस विषयका बहुत-सा ज्ञान अिकट्टा कर सकेंगे। उन लोगोंको बोलनेकी आदत नहीं होती, परन्तु उनकी जानकारी अपार होती है। साथ ही, भूमि-माता और गाय-माता दोनोंकी स्थिति हमारे यहां कैसे कंगाल हो गयी है और उन दोनोंको फिरसे कैसे पुष्ट किया जाय, जिसके विचारोंमें भी हम बच्चोंका प्रवेश करायेंगे।

जैसे-जैसे बच्चोंकी सीखनेकी भूख बढ़ती जाय और हमें सुविधा मिलती जाय, वैसे-वैसे कुम्हार, लुहार, बढ़ी वगैरा मित्रोंकी सहायतासे अिन ग्रामोद्योगोंकी तालीम भी हम अपने बच्चोंको सहज ही दे सकते हैं।

कितनी विशाल, कितनी विविधतापूर्ण, कितनी ज्ञान-विज्ञानके रससे भरी हुआ है यह शिक्षा! जिसकी तुलनामें आप हाजीस्कूलोंमें मिलनेवाली शिक्षाको रख ही नहीं सकते। और मैंने विलकुल मोटी मोटी बातें ही, जो याद आयीं, यहां गिना दी हैं। बच्चोंको हम चौदह-पंद्रह वर्षकी अुम्र तकमें तो जिससे कहीं अधिक शिक्षा दे सकते हैं।

परन्तु लोगोंको शंका होती है कि हमारे पास अपने काम-धंधे होते हैं, हमें बच्चोंके साथ सिरपच्ची करनेका समय ही कहां रहता है? ऐसी शंका होनेका कारण यही है कि हमें सच्ची शिक्षाकी कल्पना नहीं होती। जिसीलिये हम चौंकते हैं। हमें यह वहम हो गया है कि पाठशालामें बच्चे बैठें, वहां शिक्षक अुन्हें पढ़ायें, थोड़ी देरमें यह पुस्तक और थोड़ी देरमें वह पुस्तक पढ़वायें, तभी विद्या आती है। मेरे वर्णन परसे आप कल्पना कर सकेंगे कि कामकाज और ग्रामोद्योग करते हुअे बच्चे जो विशाल ज्ञान आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं, वह पाठशालाओंकी पुस्तकोंमें कभी समा ही नहीं सकता; और यह सब सिखानेके लिये कक्षामें चार-छः घण्टे बैठनेकी, भाषण देनेकी

या पुस्तक पढ़ानेकी जरूरत ही नहीं है। चलते काममें दो शब्द कहनेसे लंबे भाषणकी अपेक्षा अधिक समझ दी जा सकती है।

शिक्षाकी अपरोक्त कल्पनामें एक बात कहनी रह गयी है। पुराने विचार-वालोंकी आंखमें वह आये बिना नहीं रहेगी। जिसमें पढ़ने-लिखने और गणितका तो नाम भी नहीं आया। हां, हमारी कल्पना पूरी करनेके लिये ये कलाओं वच्चोंको सिखानी ही चाहिये। जिसके लिये मां-बापको घण्टा आव घण्टा वच्चोंको देना होगा।

वच्चोंको कुछ चित्रकारी करनेका प्रोत्साहन छुटपनसे दिया गया होगा, तो वे दस-बारह वर्षकी बुझमें बहुत ही तेजीसे लिखने लगेंगे। और बुनकी सयी हुयी अंगुलियां बहुत ही सुन्दर, मोती जैसे अक्षर लिख सकेंगी।

गणित भी कामकाज करते हुये अन्होंने कुछ जान ही लिया होगा। अब उसे लिखकर करनेमें अन्हें देर नहीं लगेगी।

पाठशालाओंमें जब यह वस्तु विलकुल ही छोटे बालकोंके सामने रखी जाती है, तब अन्हें अनेक कारणोंसे जिसमें रस नहीं आ सकता। जिसलिये पाठशालामें प्रारंभके बुनके चार-पांच साल अत्यंत बुवानेवाले वीतते हैं। बड़ी बुझमें वही सिखानेसे छुटपनके अनुभवके आधार पर बालक पांच वर्षकी शिक्षा एक वर्षकी अवधिमें ग्रहण कर लेंगे और उसमें अन्हें रस भी अुद्योगोंके बराबर ही आयेगा। कामकाज और अुद्योगोंमें तरह तरहके हिसाब लगानेकी जरूरत होती ही है। जिससे गणित सीखनेमें अन्हें नित्य नया रस बना रहेगा। अुद्योगोंके बारेमें, बुनसे संबंध रखनेवाले शास्त्रोंके बारेमें और अितिहास आदिके बारेमें जैसे हम अन्हें मौखिक ज्ञान देते रहेंगे, वैसे ही आगे चलकर बुनसे संबंधित पुस्तकें भी बुनके हाथोंमें रखते रहेंगे। अन्हें पढ़कर वे अपनी विविध प्रकारकी शिक्षाको और अनुभवोंको लेखबद्ध करनेकी कलाका भी रसपूर्वक विकास करने लगेंगे।

जिस सिलसिलेमें रोज घंटा आधा घंटा देनेका नियम यदि हम सतत पांच-सात वर्ष तक पालन करेंगे, तो गणित-शक्ति और लेखन-शक्ति दोनोंमें हम अपने वच्चोंको क्रमशः देने लायक सब कुछ दे सकेंगे। वे जो अलग अलग अुद्योग सीखते होंगे, बुनकी गहरी जानकारीके सिलसिलेमें बीजगणित, भूमिति और थोड़ी-बहुत त्रिकोणमितिका भी आश्रय लेना पड़ेगा। अुद्योगोंकी सच्ची आदत — सावधानी — पैदा करनेकी हमने चिन्ता की होगी, तो वच्चे डायरी और हिमाव खेंगे। तभी अन्हें अुद्योग सीखनेका सच्चा आनंद आयेगा। अपनी रोजकी प्रवृत्तियोंकी डायरी लिखनेमें भी अन्हें आन्तरिक आनन्द आयेगा। हिसाबी काम तथा डायरी ये दो चीजें गणित और लेखनकी कलाओंको बहुत ही आगे बढ़ानेवाली हैं।

हमारा रोज कुछ न कुछ प्रगति करनेका संकल्प होगा, तो हमें मातृभाषाका साहित्य और व्याकरण तथा राष्ट्रभाषा और हमारे देशकी दो-चार अन्य भाषाओं सिखानेके लिये भी काफी अवकाश मिल जायगा।

यह सब सुनकर आपके मनमें कैसी परेशानी पैदा हो रही है, जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। आप अपने प्यारे बच्चोंको शिक्षा देनेके लिये समयकी कुर्बानी करना नापसन्द तो नहीं करेंगे। परन्तु आप सालमें तीन सौ पैंसठ दिन घर पर ही नहीं रह सकते। अपने कामकाजके सिलसिलेमें बहुत दिनों तक आपका दूसरे गांवोंका दौरा करना भी जरूरी होगा। हम अभी तो ग्रामसेवकोंकी ही बात कर रहे हैं। जुदाहरणके लिये, मान लीजिये कि आप खादी कार्यकर्ता हैं और आपको खादी-कामके सिलसिलेमें पांच-पचास गांवोंमें चक्कर लगाते रहना पड़ता है।

परन्तु इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिये। आपने कहां पाठशाला खोल रखी है कि उसके कार्यक्रममें खलल पड़नेसे यह परेशानीका विषय बन जाय? गांवोंमें घूमने जायं तब बच्चोंको साथ ले जायिये। वे आपके काममें बाधक नहीं होंगे। वे किसीका पींजन सुधार देंगे, किसीका चरखा ठीक कर देंगे, तो किसीके तकुअेका बल निकाल देंगे। सूतके दाम चुकाते समय हिसाब नोट करनेमें भी वे आपके सहायक बन जायंगे, और ये अधखिली कलियों जैसे बाल-ग्रामसेवक आपकी कार्य-पद्धतिका अवलोकन भी करते रहेंगे। लोगोंसे आप कैसे काम लेते हैं, अनुकी शंकाओंका कैसे समाधान करते हैं, उन्हें नजी-नजी बातें सीखनेका कैसे शौक लगाते हैं, यह देखना और अनुभव करना अनुकी शिक्षाके लिये बहुत जरूरी है।

असलमें अकेली अुद्योगकी शिक्षा कभी पूरी शिक्षा नहीं कही जा सकती। होशियारसे होशियार किसान बन जाने या कारीगर बन जानेसे सारा जीवन सेवामें लगानेका शौक पैदा हो जायगा अैसा नहीं कहा जा सकता। अक्सर गणित और विज्ञानके विद्यार्थियोंके बारेमें हम देखते हैं कि उन्हें अपने आंकड़ोंमें, अपने लोहे-लकड़ीके साधनोंमें और ताने-बानेमें ही रस आता है, परन्तु आसपासके मनुष्योंके सुख-दुःखोंमें सहानुभूति पैदा नहीं होती। वे अेकाकी और स्वार्थी भी बन जाते हैं।

यह कहना चाहिये कि आपके बच्चे इस मामलेमें बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका काम ही अैसा है कि अुसमें मनुष्योंके और वह भी दीन-दुःखी-दरिद्र मनुष्योंके सम्पर्कमें आना पड़ता है। आपकी प्रवृत्तिका यह भाग तो अुद्योगकी शिक्षासे भी अधिक कीमती तालीम है। अुसका लाभ पाठशालामें पढ़नेवाले बच्चोंको सपनेमें भी नहीं मिल सकता। आपके यहां आप घरमें हों या बाहर—लोगोंसे बरताव करनेका आपका ढंग ही अलग है। सब पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोग जिन्हें तू-तड़ाक और तिर-स्कारसे ही बुलते हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं परन्तु नौकर मान लेते हैं, जिनसे कस कर काम लेने और कमसे कम दाम देनेमें ही अपनी होशियारी समझते हैं, जिनके सुख-दुःख, खाने-पीने, तंदुरुस्ती-बीमारी वगैराके संबंधमें कथित संस्कारी लोगोंकी बुद्धिके दरवाजे भी सदा बन्द ही रहते हैं—अुनके साथ आपका व्यवहार दूसरी ही तरहका होता है। आपसे अुन्हें 'तुम' संबोधन मिलता है, आपके पास अुन्हें बैठनेको आसन मिलता है तथा आर्थिक व्यवहारमें अुन्हें अेक पात्री भी बेजा तौर पर कम न मिले,

अिसके लिये आप जाग्रत रहते हैं। अितना ही नहीं, परन्तु अुन्हें निर्वाह-वेतन न दिला सकें तब तक आपको चैन नहीं पड़ता।

और आप सच्चे खादी-सेवक हों तो अुन्हें काम देकर और अुन्हें मजदूरी चुका कर ही संतोष नहीं कर लेते। वे बीमार होते हैं तब आप अुनकी सेवामें जागरण करते हैं, वे साहूकार या कोर्ट-कचहरीके फंदमें फंस जाते हैं तब भी आप अुनकी सहायताको दीड़ते हैं। आप समय-समय पर अुनके यहां ग्राम-सफाअी आदि सेवा करने जाते हैं।

कभी-कभी अुनकी सेवा करते अुअे आपको अुग्र लड़ाअियां और सत्याग्रह करनेके प्रसंग भी आ जाते हैं। कभी आप हँजे जैसी छूतकी बीमारियोंके विरुद्ध जिहाद चलाते हैं, कभी शराब और ताड़ीकी दुकानों पर पहरा लगाते हैं, कभी अुन्हें कथित अूंची जातियोंकी तरफसे मजदूरी वगैराके संबंधमें न्याय दिलानेके लिये आन्दोलन करते हैं और कभी हरिजनोंकी कुअें-मंदिरके अधिकार दिलवानेके लिये सत्याग्रहका आश्रय लेते हैं।

क्या ये सब प्रवृत्तियां आपको वच्चोंकी शिक्षामें बाधा डालनेवाली लगती हैं? अुनके लेखन और गणितके समयको विगाड़नेवाली मालूम होती हैं? आप कभी अैसा न मानें। अिनसे तो अुन्हें जीवनका सच्चा भोजन मिलेगा। अिससे अुन्हें वह शिक्षा मिलेगी, जिसे हृदय अथवा भावना अथवा आत्माकी शिक्षा कहते हैं। अपने जीवन और प्रवृत्तियोंके द्वारा वह शिक्षा देनेकी वात हमारे पाठ्यक्रममें मौजूद ही है। हृदयकी शिक्षा देनेका और कोअी तरीका ही नहीं है। परेशान होनेके वजाय आपको अीश्वरका अुपकार मानना चाहिये कि आपके जीवनमें अिसके लिये काफी गुंजाअिश है।

आपने सेवकका जीवन स्वीकार किया है, अिसलिये यदि आपको धन, वड़प्पन और अैश-आराममें कमी करके गरीबीका वरण करना पड़ा है, तो अुससे आपको कुछ अैसे लाभ भी मिले हैं जिनके लिये वड़े वड़े धनिक और विद्वान भी आपसे अीर्षा करेंगे। आप आश्रम जैसे स्थानोंमें रहते हों तो खुली हवा, परिश्रमी जीवन वगैराके कारण तन्दुरुस्तीका दुर्लभ धन आप प्राप्त कर सकते हैं। शहरवालोंके लिये दुर्लभ शुद्ध दूध, घी, ताजी सागभाजी वगैरा आपके लिये सुलभ हैं। बीमारीमें आपको डॉक्टरोंका लाभ भले न मिलता हो, परन्तु प्रेमसे सेवा करनेवाले पड़ोसियों और मित्रोंका सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ है। और अन्य सबके मनमें अीर्षा पैदा करनेवाला सबसे वड़ा सौभाग्य तो आपको यह प्राप्त हुआ है कि आपका जीवन आपके वच्चोंको अत्यन्त सुन्दर शिक्षा और संस्कार प्रदान करता है। आप अुनकी शिक्षाके लिये विशेष खर्च न करें, खास परिश्रम न करें, तो भी अुन्हें अिससे शरीर, बुद्धि तथा हृदयकी पवित्र शिक्षा अपने-आप मिल जाती है।

वच्चोंको कसरत और मेहनत कराकर अुनका शरीर बलवान बनानेका और अुद्योग तथा शास्त्र सिखाकर अुन्हें बुद्धिमान बनानेका तो दूसरे मां-बाप भी चाहें

तो प्रवन्ध कर सकेंगे। परन्तु ये शरीर-बल और बुद्धि-बल किसी शास्त्रकी भांति अँचा अुठानेवाले भी बन सकते हैं और नीचे गिरानेवाले भी बन सकते हैं। अुनका पुण्यमय अुपयोग तो तभी हो सकता है जब अुनके साथ साथ हृदय सुसंस्कृत हो, मनमें सेवाकी भावना अुत्पन्न हुयी हो, दीन-दरिद्र लोगोंके लिये प्रेम पैदा हुआ हो और अुन्हें अँचा अुठानेके लिये मर मिटनेकी वीरता आ गयी हो।

आपका सेवक-जीवन अिस शिक्षाके लिये कितना अधिक अनुकूल है? अुससे आपके वच्चोंके हृदयमें पवित्र संस्कारोंका सिंचन होता है, यह विचार आप अपने मनमें जाग्रत रखें तो आपको अपने कष्ट, संयम और गरीबी सब कितने मीठे लगेंगे?

अेक सेवक, जिसके पास विद्वत्ताकी बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, अल्प प्रयाससे ही अपना काम करते-करते अपने लड़के-लड़कियोंको खर्चीली पाठशालाओंमें भेजे बिना किस तरह शिक्षा दे सकता है, अिसका चित्र मैंने काफी विस्तारसे आपके सामने पेश किया है।

मैं तो मानता हूँ कि मामूली किसान या कारीगर भी चाहे तो अैसी शिक्षा अपने वच्चोंको दे सकता है। परन्तु आज तो वे शरीरसे और संपत्तिसे जैसे दुर्बल हैं, वैसे ही ज्ञानसे भी अत्यन्त दुर्बल हैं। अुनके पास अपने बंधोंकी जानकारी तो होती है, परन्तु अुनकी आत्मा दबी हुयी होनेके कारण वे धन्वे अुन्हें या अुनके वच्चोंको अँचा अुठानेमें काम नहीं आते। दुःखोंकी आग और गुलामीमें वे जीवनके अँचे सिद्धान्तोंके बारेमें श्रद्धा और अुत्साह गंवा बैठे हैं। अिसलिये अुनसे हम अितनी अपेक्षा नहीं रख सकते कि वे वच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी अुठायें।

परन्तु सेवकोंके बारेमें मैं जरूर कहूंगा कि अगर वे अपने वच्चोंको अिस प्रकारकी शिक्षा देनेका फर्ज अदा नहीं करेंगे और साधारण लोगोंकी तरह वच्चोंको पाठशालामें भेजकर अपने सिरकी बला टालेंगे, तो यह अुन लोगोंके सेवक-धर्ममें सचमुच अेक बहुत बड़ी खामी मानी जायगी। यदि वे अैसा करें तो यही कहा जायगा कि अुनके हाथमें शिक्षाका जो स्वादिष्ट, पौष्टिक और सात्त्विक भोजन अीश्वरकी कृपासे आ गया है, अुसे वे घूरे पर फेंक देते हैं और वच्चोंका पालन-पोषण रुपया खर्च करके पाठशालाकी पढ़ाअी-रूपी हलकी वाजारू मिठाअी पर करते हैं। अैसे वच्चे बड़े होने पर मां-बापके सेवाधर्मके प्रति अश्रद्धा और आलोचक वृत्ति रखने लगें, मां-बापकी गरीबी, सादगी और शरीर-श्रमके रहन-सहनके लिये तिरस्कार रखने लगें, अैश-आरामके पुजारी और धनके लोभी निकलें, माता-पिताकी देशभक्तिका अुत्तराधिकार न अपनायें, तो अिसमें कोअी आश्चर्यकी बात है?

यह केवल अशुभ कल्पना ही नहीं है। बहुतसे मामलोंमें अैसा ही होता है। अैसा होने पर सेवकोंका जी जलता है और वे दुनिया और देवको दोष देते हैं। वे पाठशालाकी पढ़ाअीकी निन्दा भी करते हैं। परन्तु हम जांच करेंगे तो मालूम होगा कि यह निन्दा सिर्फ जवानी ही होती है, क्योंकि अुनके जो और छोटे बालक

होते हैं अन्के वारेमें भी वे घरकी शिक्षा पर अतनी ही अथद्वा और पाठशालाकी पुरानी शिक्षा पर अतना ही मोह रखते हैं।

सेवकोंमें भी जो सेवक राष्ट्रीय शिक्षाका काम करनेवाले हैं, वे भी जब अपने वच्चोंकी पढ़ाबीका सवाल खड़ा होने पर अंग्रेजी पढ़ाबीके लिये असा मोह दिखाते हैं और अन्के लिये 'अच्छी अच्छी' पाठशालाओं और कॉलेज हूँदते हैं तो अन्के लिये क्या कहा जाय? अपने कार्यके संबन्धमें अन्की कच्ची श्रद्धाके विषयमें क्या कहा जाय? वैशक, यही कहना चाहिये कि वे असा मोह दिखाकर अपने वच्चोंका द्रोह करते हैं और अपने शिक्षक-धर्मके प्रति पाप करते हैं। जो दूसरोंको कातने और खादी पहननेका अुपदेश देते हैं, परन्तु खुद विदेशी वस्त्र ही काममें लेते हैं, अन्के अुपदेशका जसा फल निकलेगा वसा ही फल अिन राष्ट्रीय शिक्षकोंकी राष्ट्रीय शिक्षाका निकले तो अिसमें कोअी आश्चर्यकी बात नहीं? वे राष्ट्रीय शिक्षाकी बात करें तव सच्ची श्रद्धाका वल अन्के वचनोंमें कैसे आ सकता है? लोग समझ जाते हैं कि बुद्धिमानी अन्के कहे अनुसार करनेमें नहीं, परन्तु वे अपने वच्चोंके लिये जसा करते हैं, वसा करनेमें ही है।

परन्तु कोअी सेवक यदि यह मोह छोड़कर मेरी वताअी हुअी शिक्षा और पाठशालाओंमें मिलनेवाली शिक्षा — अिन दोनोंकी शिक्षाकी दृष्टिसे तुलना करे और अिस बातका विचार करे कि दोनोंमें से कौनसी शिक्षाने वच्चोंके लिये सच्चे सेवा-जीवनका दरवाजा खोल दिया है और किसने सदाके लिये वन्द कर दिया है, तो अुसे स्त्रीकार करना पड़ेगा कि अिसका मैंने वर्णन किया है वही श्रेष्ठ शिक्षा है। अितना ही नहीं, वही शिक्षाके नामको सुशांभित करनेवाली है।

शिक्षाशास्त्री भी यदि शिक्षाके तत्त्वमें घुस कर विचार करें, केवल अुसके बाह्य आडंबरमें ही चक्कर लगाना छोड़ दें, यह कसीटी अपने सामने रखें कि मनुष्य-जीवनका सच्चा विकास किस शिक्षासे होता है और यह गलत कसीटी छोड़ दें कि दुनियामें धन-मान कमाना किससे आसान होता है, तो अुन्हें भी अिस शिक्षाके पक्षमें ही खड़े रहना होगा। क्या वर्धा-योजनाका प्रख्यात शिक्षाशास्त्रियोंने समर्थन नहीं किया है? और मैंने अिस शिक्षाकी बात कही है, वह क्या अुससे भिन्न कोअी चीज है?

वर्धा-योजनामें जो सिद्धान्त प्राथमिक शिक्षा अर्थात् छोटे वच्चों पर लागू किये गये हैं, अुन्हीं सिद्धान्तोंका मैंने आगेकी शिक्षाके लिये विस्तार किया है। परन्तु मैं जानता हूँ कि अिन शिक्षा-पंडितोंने अुनका छोटे वच्चोंके मामलेमें समर्थन किया है, वे भी वड़ोंके लिये अुनका समर्थन करनेमें कांप अुठेंगे। शायद अुनकी नजरमें यही होगा कि "वचपनमें भले ही लड़के-लड़की खेलें-खायें और शरीरसे जरा ताजे-तगड़े वनें; वड़े होकर तो अुन्हें हाअीस्कूल-कॉलेजकी पढ़ाबी ही करनी है न? अिसलिये वर्धा-योजनामें जो कमी रह गअी होगी, अुसे पूरा कर लेनेकी हाअीस्कूलमें काफी गुंजाअिश है।" परन्तु हम सेवकोंको शिक्षाशास्त्रियों अथवा और किसीके बाहरी

समर्थनकी आशा नहीं रखना चाहिये। हमारी श्रद्धा भिन्न है और दूसरोंकी भिन्न है। हमने जीवनका ध्येय त्याग और सेवाको स्वीकार किया है। दूसरोंका ध्येय धन-मान प्राप्त करना है। हमारी सच्चे हृदयकी अुत्कंठा यही है कि हमारे लड़के-लड़कियां सच्चे सेवक निकलें। इसलिये हमें तो स्कूल-कॉलेजोंका मोह छोड़कर अुन्हें किसी तरहकी शिक्षा देनेकी हिम्मत करना चाहिये। वैसा करते हुअे जो थोड़ा समय बच्चोंके लिये देना जरूरी है वह हमें असंतोषके बिना देना चाहिये और अपना ज्ञान अधूरा लगे तो अुसे पूरा करके सच्चे शिक्षककी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिये। अैसा करनेमें असंतोष हो ही कैसे सकता है? यह काम तो हमारे जीवनमें अपूर्व रस अुड़ेलेवाला बन जाना चाहिये।

मैंने यह सब आज सेवकोंके बच्चोंकी शिक्षाकी दृष्टिसे ही कहा है। परन्तु असलमें वह सभी लोगों पर लागू होता है। हम यही चाहते हैं कि सब लोग अैसी प्राणवान शिक्षाका दूध पीकर बड़े हों। परन्तु आज हम सब माता-पिताओंसे अितनी समझ या अितनी श्रद्धाकी आशा नहीं रख सकते, जितनी सेवकोंसे रख सकते हैं।

अिसलिये मेरे सुझावके अनुसार जो सेवक अपने बच्चोंको शिक्षा देनेका भार अुठानेको तैयार हों, अुन्हें मैं थोड़ा अधिक भार अपने सिर पर अुठानेका सुझाव दूंगा। वे अपने बच्चोंके साथ ग्रामवासियोंके दो-चार बालकोंको भी मिला लें। अिससे अुनकी और अुनके बच्चोंकी दिलचस्पी घटेगी नहीं, परन्तु जितनी सोची है अुससे अधिक बढ़ जायगी। मैं बड़ी भीड़ जमा करके पाठशाला खोलनेको नहीं कहता। हमारे बच्चोंके हमअुम्र दो-चार संगी-साथियोंके लिये ही मेरा यह सुझाव है। मैंने बताया वैसी शिक्षा देनेमें किसी किसान, जुलाहा, कुम्हार आदि मित्रोंका अुपकार लेना ही पड़ेगा। तो क्यों न अिन अुपकारी मित्रोंके बच्चोंको ही अिसमें मिला लिया जाय?

हमने अब तक अपने बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी खुद अुठानेका कभी विचार ही नहीं किया, अिसलिये हमें यह नया धर्म सिर पर दस मनके बोझ जैसा लगता है। अिसमें बोझ नहीं, परन्तु रस और आनन्द है, यह हमें जल्दी समझमें नहीं आता।

पश्चिमकी रमणियां अपने बालकोंको अपनी छातीका दूध पिलानेको अेक प्रकारका भार मानना सीख गयी हैं और अिस जिम्मेदारीसे वे बचती हैं। हमारे यहां भी सभ्य स्त्रियां अुनकी नकल करती पायी जाती हैं। परन्तु क्या हमारी ग्राम-माताओंको कभी यह फर्ज भारस्वरूप लगा है? वे तो अुन सभ्य माताओंका तिरस्कार करके हंसती हैं और कहते हैं: "अुन्हें मां कौन कहेगा?" अपने बच्चोंको शिक्षा देनेके कर्तव्यको भार माननेवाले हम सब माता-पिता भी असलमें अुन सभ्य स्त्रियों जैसे ही हंसीके पात्र हैं। अीश्वर हमें देखकर तिरस्कारसे हंसता होगा: "अिन्हें मैंने मां-बाप क्यों बनाया?"

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

आठवां विभाग

प्रार्थना

प्रार्थना-परायणता

आश्रममें हम रोज प्रार्थना करनेके लिये जमा होते हैं। हमारा दिनका पहला काम अिकट्ठे होकर प्रार्थना करनेका है और दिनका अाखिरी काम भी अिकट्ठे होकर प्रार्थना करनेका रखा गया है। जागकर हम तुरंत प्रातःकालके ब्राह्म-मुहूर्तमें प्रार्थना करते हैं। अुससे हमारे हृदयमें अैसा आनन्द ही आनन्द अुमड़ता रहता है कि अुसकी धुनमें हमारा सारा दिन आनन्द और अुत्साहमें व्रीतता है। कितना ही काम करें तो भी हमें थकावट नहीं लगती। शामको फिर हम कामकाज निबटाकर चांतिसे प्रार्थनामें बैठते हैं, तब भी अेक प्रकारकी अलीकिक तृप्ति अनुभव करते हैं। हमें यह संतोष होता है कि भगवानने हमारा अेक और दिवस-पुण्य स्वीकार किया, और अुसकी मस्तीमें हमारी सारी रात शान्त निद्रामें पूरी होती है।

प्रार्थना हमारे सारे कार्यक्रमोंमें सबसे सरस और आकर्षक कार्यक्रम है। भोजनकी घंटी सुनकर जैसे हमारा अेक-अेक अणु तैयार हो जाता है और भोजनशालाकी तरफ कान लगा देता है, वैसा ही अनुभव कुछ कुछ हमें प्रार्थनाकी घंटी सुनकर भी होता है। सुबह चार बजेकी नाँद हमें जरूर मीठी लगती है, परन्तु प्रार्थनाकी घंटीकी आवाज अुससे भी ज्यादा मीठी लगती है। अुसे सुनकर हमें अपने सब प्रिय सायियोंके हंसते हुअे चेहरे याद आते हैं। अुनके साथ सुन्दर चीकमें बैठने, अुनकी आवाजमें अपनी आवाज मिलाने, अुनके मंत्रोंमें अपने मंत्र गूँयन, और अुनके गायनमें अपना गायन अुन देनेकी हमारा अेक-अेक अणु आतुर हो अुठता है।

अपने सब आश्रमवासी मित्रोंको जब जब हम देखते हैं, तब तब हमारे भीतर आनन्दकी लहर अुठती है; परन्तु जब अुनके और हमारे कंठोंसे निकलनेवाली प्रार्थनाका अेकचित्त घोष हम सुनते हैं, तब हमारे आनन्दमें सचमुच पूर्णिमाका ज्वार ही आ जाता है। सुन्दर वृक्षकुंजसे विरा हुआ हमारा आश्रमका चीक हमें प्यारा लगता है, परन्तु जब अुनकी हवामें हम सबका सम्मिलित प्रार्थना-घोष व्याप्त हो अुठता है तब तो हमारी आत्मा सचमुच नाच अुठती है; मनमें अैसी अुमंग आती है कि अिस भूमिके लिय तो हम अपना सिर भी दे सकते हैं; मनमें हम अैसा बल अनुभव करने लगते हैं मानो अिन सब सायियोंके साथ तो नुद शैतानकी सेनासे भी हम युद्ध कर सकते हैं।

हमारी प्रार्थनाकी क्रियामें कुछ अैसी ही भावना होती है। वह भावना कितनी संक्रामक है! आपका हृदय प्रफुल्लित होता है, अुसके असरसे मेरा हृदय प्रसन्न होता है; और मेरा हृदय नाच अुठता है तो अुसे देखकर आपका हृदय भी नाच अुठता है। किसीकी भावना कुछ गहरी होगी तो किसीकी अभी बहुत छिछली होगी, परन्तु हम सब अेक-दूसरेके सहारेसे, अेक-दूसरेके सत्संगसे, अुसे प्रतिदिन वड़ाते रहना चाहते हैं।

हम सब प्रभुके मार्गके पथिक हैं। वह मार्ग लंबा है, विकट है, अनजाना है। अउसमें पग-पग पर भय और खतरे विछे हुआ है। और हमारे पैर कमजोर हैं। पैरोंसे हमारा मन अधिक दुर्बल है और मनसे छाती और भी ढीली है। हमें प्रतिक्षण शंका होती है— “हम मार्ग भूल तो नहीं गये हैं? दुनियामें और सब तो धन, मान और कीर्तिके मार्ग पर चल रहे हैं। हम अकेले ही त्याग और सेवाके मार्ग पर चलते हैं। कहीं हम भुलावेमें तो नहीं पड़े हैं? सबके साथ पुराने मार्ग पर चलकर प्रत्यक्ष सुख और आराम भोगना छोड़कर हमने भावी कल्याणकी कल्पित आशामें दुःख-दारिद्र्यका मार्ग अपनाया है; यह अेक प्रकारका पागलपन तो नहीं है? विदेशी राज्यका सहारा लेकर पढ़े-लिखे लोग अनेक प्रकारसे अपना फायदा कर लेते हैं। अकेले हमींको स्वराज्यकी क्या पड़ी है? भूखे-अभागे लोगोंके दुःखसे हम अकेले ही क्यों सुख रहे हैं?”

हमारा दुबला शरीर बकरीका-सा दीन मुंह बनाकर अिस शंकामें वृद्धि करता है, मानो भिन्न अस्तित्व रखता हो अिस तरह स्वयं अपनेसे वह दयाकी भीख मांगता है: “अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं अच्छा ताजा और जवान था तब तक मुझ पर जुल्म किया सो तो ठीक, परन्तु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तुम्हारे गांवमें मुझसे नहीं रहा जाता, तुम्हारी मोटी रोटियां नहीं खायी जातीं, तुम्हारी मोटी खादी नहीं पहनी जाती और अब तुम्हारा कैदखाना भी बरदाश्त नहीं होता। अब जरा आरामसे बैठने दो, तो तुम्हारी बड़ी मेहरवानी होगी!”

दुनियाके सयाने लोग हमें बुद्धू समझकर हमारी हंसी अुड़ाते हैं। जातिवाले लाल आंखें करके तानोंकी मार चलते हैं। अुससे मुश्किलसे बचते हैं तो मां-बाप और पत्नी आंसुओंका दरिया बहाते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी नहीं झुकती। वह दिन-दिन अपना पंजा अधिकाधिक कसती जा रही है। हमारे कार्यकी वाड़ीमें दो पत्ते अुगे न अुगे कि अुसे अुखाड़ डालती है।

यह सब होने पर भी हमारा कार्य टिक सकता है, यदि भोली-भाली जनता हमारा कहना माने। परन्तु हा! अुसके चेहरे पर श्रद्धाकी चमक आती ही नहीं। अुसका दुःख कहाँसे आता है, अुसे वह समझती ही नहीं; और कभी तो वह हम जैसे अपने हितचिन्तक और सेवक लोगोंकी ही दुःखका कारण मानकर अुन्हें दुतकारती है।

पर अिसमें अुसका भी दोष क्या है? वह तो अूपर-अूपरसे ही देख सकती है। और क्या अूपरसे अैसा ही नहीं दीखता कि जहां हमारा काम चलता है, वहीं जुल्मका कोड़ा अधिकसे अधिक क्रूरतासे लगाया जाता है?

प्रभुका पंथ अैसा विकट है, परन्तु अुसे हमने स्वीकार किया है। अुसमें पीछे न हटकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहनेकी हमारी अिच्छा है। अुसके लिअे प्रार्थनाके सिवा और किस वस्तुसे हम बल प्राप्त करेंगे? प्रार्थना करनेसे वह बल हमारे अंतरमें प्रगट होता है। अेक-दूसरेकी आंखोंमें अुसका प्रतिबिम्ब देखकर हममें हिम्मत आती है। आपकी आंखोंमें श्रद्धाकी चमक देखकर मेरी आंखोंमें भी श्रद्धा चमक अुठती है और मेरी श्रद्धाकी चमक देखकर आपकी दुर्बलता दूर होती है। सचमुच हम रोज प्रार्थनामें श्रद्धापूर्वक साथ न बैठें तो हमारा क्या हाल हो?

हमारे पसन्द किये हुये पंथमें केवल संकटों और कठिनायियोंसे डिग जानेका ही खतरा नहीं है। उनके सामने टिकना तो तुलनामें आसान है, परन्तु वड़से बड़ा खतरा तो ध्येयके संबन्धमें ही हमारी दृष्टि धुलटी हो जानेका है।

जब तक हृदयमें यह श्रद्धा थी कि अहिंसाका मार्ग ही सच्चा मार्ग है, तब तक तो अूस मार्ग पर चलते हुये जितने भी संकट आये सबको हम अुत्साहसे शिरोधार्य करते रहे। परन्तु मान लीजिये कि अेक अभागी रातमें अहिंसा परसे हमारी श्रद्धा अुड़ गयी और मनमें अैसी गांठ बंध गयी कि हिंसाका रास्ता ही सही है! फिर तो हमारे भीतर जो भी बल होगा वह सब हमें अुसी मार्गमें लगानेकी सूझेगी न? मान लीजिये कि संयम और त्यागके प्रति हमें प्रेम नहीं रहा और भोग तथा सत्तासे प्रेम हो गया। सादे और सुन्दर ग्राम-जीवन परसे हमारी आस्था अुठ गयी और भड़कीले शहरी जीवनमें ही संस्कृतिका सार है, यह खयाल बन गया। चरखेका शान्त संगीत हमें फीका लगने लगा और सर्वमदक यंत्रोंके मोहने हमारी बुद्धिको घेर लिया। तो हमारी क्या दशा होगी? फिर तो सूर्योदयकी दिशासे मुंह मोड़कर हमारा जीवन सूर्यास्तकी तरफ ही दौड़ने लगेगा न? रामके मार्गसे मुंह फेरकर हम रावणकी तरफ ही वेगसे बढ़ने लगेंगे न?

और यह भय क्या केवल मनका कल्पित भय है? क्या हमारे अेक नहीं परन्तु अनेक अैसे साधियोंके दृष्टान्त बिस क्षण हमारी नजरके सामनेसे नहीं गुजर रहे हैं, जिनके जीवनके ध्येय बिस प्रकार अचानक बदल गये हैं? हमने कुछ समय तक यह आशा रखी थी कि वे मस्तिष्कका संतुलन फिर प्राप्त कर लेंगे, पछतायेंगे और फिर अपने मूल ध्येय पर आ जायेंगे। परन्तु वर्षों बीत जाने पर भी अैसा हुआ नहीं। वे सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते लग गये हैं, अैसा हम मानते हैं, परन्तु वे कहां मानते हैं? वे तो यही मानते हैं कि मूर्खोंके मार्ग पर लग गये थे, अुससे अपनी बुद्धिके तेजसे, अपनी स्वतंत्र विचार-शक्तिसे समय रहते हम छूट गये। बुद्धि तो दुवारी तलवार है। जिसे जिस मार्गसे प्रेम हो, अुसे अुस मार्गकी पोपक दलीलें जुटा देना अुसका काम है। दिन-दिन अुनका यह खयाल पक्का होता जाता है कि वे समय पर चेत गये यह अच्छा ही हुआ।

अैसी अुलटी दृष्टि हमें भी किसी दिन ग्रस ले तो हमारी क्या दशा होगी? क्या वे मित्र पहले हमारी ही तरह अटल और अुत्साही नहीं थे? यह देखते हुअे हमारा अपने बल पर अति विश्वास और अभिमान रक्कर चलना क्या ठीक है? क्या हम सदा ही परमेश्वरकी कृपाके भूखे नहीं रहते? क्या अुसके प्रति हमेशा प्रार्थना-परायण रहनेमें ही हमारा कल्याण नहीं है?

परमेश्वर हमें दौड़कर मदद देने नहीं आता। वह तो हमें अकल्पित रीतिसे और न सोची हुअी दिशाओंमें कसौटी पर कसता रहता है। हम कसौटीकी आंचमें सिकते सिकते अधिकाधिक पक्के बनें, अैसी अुसकी योजना जान पड़ती है।

परन्तु अुसने दया करके हमें अच्छे अच्छे साथी दिये हैं। अुनकी सहायतासे और अुनके सहारेसे हम वड़ीसे बड़ी कसौटीको पार कर लेंगे। मेरी श्रद्धा-ज्योति

किसी दिन मन्द पड़नेका डर हो सकता है, पर हम सबकी तो अँकसाथ मन्द नहीं पड़ेगी। हममें से अँकाधका बल ठीक समय पर मेरे काम आ जायगा। अिसी तरह आपकी ज्योति मन्द पड़ेगी तब आपको भी अिस तरह सहारा मिल जायगा। अँसी वृत्तिसे हम सब अँक राहके मुसाफिर, प्रेम-ब्रंधनसे बंधे हुअे साथी, रोज प्रार्थना-परायण होकर अँक-दूसरेके साथ झुंड बनाकर बैठते हैं। अुस समय हम कँसी अदभुत गरमी अनुभव करते हैं! भगवानको हम देखते नहीं, परन्तु साथियोंके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब हमारे हृदय भगवानकी अुपस्थिति अनुभव करते हैं। अुस अुपस्थितिमें हमारी श्रद्धा तेज होती है, हमारे पैरोंमें जोर आता है और संकटोंका पहाड़ हमें दीमकके घरकी तरह छोटीसी टेकरी दीखने लगता है।

प्रार्थनाके वारेमें मेरी अँसी भावना होनेके कारण आप सब आनंदसे प्रार्थनामें आते हैं, अिससे मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है और मूक भावसे आपका आभार मानती है।

अीश्वररूपी सूर्यको देखनेकी आंख मुझे नहीं मिली। वह प्रत्यक्ष दिखायी दे जाय तो शायद मैं जल भी मरूं। परन्तु अुसकी गरमी तो मुझे चाहिये ही। वह न हो तो मेरा जीवन ठंडा होकर निष्प्राण बन जाय। आप सब अिकटूठे होकर जब मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप मेरे लिये अुस सूर्यकी गरमी पैदा करते हैं। फिर मैं आपका आभार क्यों न मानूं? मैं प्रभुसे प्रार्थना क्यों न करूं कि आपके हृदयमें वह रोज प्रार्थनाके लिये श्रद्धा प्रेरित करता रहे और मेरे लिये प्रेम वहाया करे? आपके अिस अुपकारके बदलेमें, आपके प्रेमके बदलेमें, मैं भी प्रार्थनामें मेरा अपना अल्प भाग अदा करनेके लिये समय पर हाजिर हो जाता हूं। अँसा करनेमें मैं कोअी बड़ी असाधारण वस्तु कर डालता हूं सो बात नहीं। अँसा न करूं तो मेरे समान अुपकारको भूलनेवाला और कृतघनी दूसरा कौन होगा? जँसी वृत्ति धारण करके मैं प्रार्थनामें बैठता हूं, वँसी ही वृत्ति धारण करके आप भी बैठते हैं। हमारी प्रार्थनामें कोअी रंग जमता हो तो वह हमारी अिस प्रार्थना-परायण वृत्तिके कारण ही जमता है।

आज हम साथ हैं, परन्तु जिन्दगीमें रोज साथ रह सकना संभव नहीं है। अँसी आशा भी हम नहीं रख सकते। हमारे कार्य हमें कब और कहां ले जायेंगे, यह तो अकेला परमेश्वर ही जानता है। हम सबको साथ रहना पसन्द है और अँक-दूसरेकी सहायतासे आगे बढ़ना हमारे लिये आसान होता है, परन्तु अिस कारणसे कर्तव्य बुलावे तब क्या अनजान लोगोंके बीच बसनेमें हम आनाकानी कर सकते हैं?

कर्तव्यके बुलाने पर हमें कभी कभी साथियोंके सहायतापूर्ण सहवासको छोड़कर अलग भी रहनेका प्रसंग आ जाता है। कभी कभी फर्जके बुलाने पर आश्रमके शांत और सुविधापूर्ण वातावरणको छोड़कर किसी सत्याग्रहकी लड़ाअीमें शामिल होना पड़ता है। और फर्जके बुलाने पर हमें कृत्रिम, निष्ठुर और अमानुषी कारावासमें भी अनेक बार जानेकी नीवत आती ही रहती है न?

हम अपनेमें यदि प्रार्थना-परायणता पैदा कर लेंगे, तो हमें अिस बातकी जरा भी चिन्ता नहीं होगी कि हमें कब किस स्थितिमें रखा जाता है। किसी भी परिस्थितिमें

हमारी प्रार्थना हमें टिकाये रखेगी, क्योंकि हम अलग तो केवल तभी तक हैं जब तक आँखें खुली रखते हैं। एक बार ध्यानस्थ होकर बैठे, आँखें बन्द कीं और प्रिय साथियोंका स्मरण किया कि फिर कौन दूर रहा? छोटीसी कोठरीमें बन्द होंगे तो भी आँखें बन्द कीं कि तुरन्त अुसमें हमारे साथ अपना सारा आश्रम समा जायगा, जरा भी दिक्कत हुअे बिना हमारे साथ प्रार्थनामें शामिल हो जायगा और हमें अपनी सहानुभूति और स्नेह देगा।

आज जो सुविधा है अुसका हम पूरा लाभ अुठा लें, सबके साथ प्रार्थना करनेका आनन्द लेना सीख लें, सबके सहवासकी गरमी अनुभव करनेकी आदत डालें। दुःखके अवसर पर यह शिक्षा और यह आदत हमारे काम आयेगी। जैसे अवसर पर हमारे आश्रमके आश्रमवासी तो हमें धीरज दिलायेंगे ही, परन्तु यदि हमने अपनी कल्पना-शक्तिका विकास किया होगा, तो खुद वापूजीको भी हमारी प्रार्थनामें आवाहन करने और अुनसे पवित्र बल प्राप्त करनेसे हमें कौन रोक सकेगा? और स्वर्गमें विराजमान परमभक्त महादेवभाजीको भी हम घड़ी भरके लिये अपनी प्रार्थनामें निमंत्रित कर लायेंगे तथा अुनकी भक्तिका स्पर्श अनुभव करेंगे। कभी कभी भक्त-गायक स्व० पंडित खरेके भक्तिपूर्ण भजन सुनकर भी हम अपने सूखते हुअे जीवनमें अमृत सींच सकेंगे। वे सब प्रार्थनाके रसिया थे। हमें भी अपने भीतर वह रस पैदा करना है।

प्रवचन ४७

ध्यानयोग

हम सब प्रार्थनामें स्थिर आसन लगाकर और आँखें मूंद कर, ध्यानमुद्रा धारण करके दो घड़ी बिसलिये नहीं बैठते कि हमें बिस वातका दिखावा करना है कि हम कोबी वड़े योगी या सिद्ध बन गये हैं। नहीं, नहीं, सपनेमें भी हमारा ऐसा बिरादा नहीं हो सकता। जन्म-जन्मान्तरमें वैसे समाबिस्य योगी बननेकी हमारी अभिलाषा जरूर है। परन्तु आज तो हम अुससे हजारों कोस दूर हैं। अुनकी तरह हम चौबीसों घंटे अीश्वरका और अपने ध्येयका ध्यान जाग्रत जरूर रखना चाहते हैं। वैसे हम जानते हैं कि आज तो प्रार्थनाके समयमें भी पूरी तरह अेकाग्र होना हमें भारी पड़ता है।

हम श्लोक तो पढ़ जाते हैं, परन्तु सब श्लोकोंमें अभी तक लगातार ध्यान कहाँ रख पाते हैं? भजन होता रहता है तब भी अुसके प्रत्येक भावमें अेकसी तल्लीनता कहाँ रख पाते हैं? नअी नअी नालियोंमें से पानी ले जानेवाले किसानकी तरह फावड़ा लेकर हम मनरुपी पानीके साथ साथ चलते हैं। मन जगह जगहसे फूट निकलता है, और हम दौड़कर नालीको सुधार लेते हैं। परन्तु अेक जगह नाली सुधारते हैं तो दूसरी पांच जगहसे वह फूट निकलता है; और यह सब सुधार कर दम लेते हैं तब तक मालूम होता है कि हमारी पीठके पीछे न जाने कवसे अेक वड़ी जगह बन गअी है और बहुतसा पानी अुसमें से वह गया है।

परन्तु असा होने पर भी हम अके-दूसरेकी मदद और सहानुभूतिसे जाग्रत रहनेकी कोशिश करते रहते हैं; असा करनेमें हमें अके प्रकारका आनन्द भी आता है। असा करते हुअे किसी क्षण अकाव श्लोकरत्नका प्रतिविम्ब हृदयमें चमक अुठता है। अकाव भजनका भाव हृदय-वीणामें वज अुठता है। अुस दिनकी प्रार्थना मानो घन्च हुअी, असा हमें आनन्द होता है। अुसकी खुशामें हमारा सारा दिन अुल्लासमें बीतता है। जो भी काम अुस दिन हम करते हैं अुसमें हमें अनोखा आनन्द आता है। अुस दिन दिमागमें असा खुशी रहती है मानो जीवनकी सूखी डाली पर नव पल्लव फूट निकले हों।

किसी दिन वड़ी कोशिशसे हम मनको कोअी अच्छा व्रत धारण करनेके लिये तैयार करते हैं। ठीक अुसी दिन हमारे अुपकारी संगीत-शास्त्री गाते हैं— 'अवकी टेक हमारी।' वस! हमारी अपनी सीपमें स्वातिकी वृन्द पड़ गअी। अुस क्षणसे श्रम और प्रयत्नका क्लेश मिट जाता है। न जाने कहासे हृदयमें बल आ जाता है। अुसी क्षणसे व्रत व्रत न रहकर खेल जसा आसान हो जाता है। आज तो छठे-चौमासे ही हम असा अनुभव करते हैं, परन्तु अितनेसे भी हमारी प्रार्थना-परायणताको अच्छा पोषण मिलता है और यह श्रद्धा दृढ़ होती है कि किसी न किसी दिन हम अिस वृत्तिको निरन्तर टिकाये रख सकेंगे।

हम कैसी वृत्ति धारण करके प्रार्थना करते हैं, अिसका कुछ खयाल अभी मैं दे चुका हूं। हम दिन-दिन असा प्रार्थना-परायण वृत्ति बढानेकी कोशिश करते हैं। कुछ अपने प्रयत्नसे, कुछ अके-दूसरेकी सहायतासे, परन्तु ज्यादातर तो परम कृपालु प्रभुकी कृपासे हम देर-सवेर अिस वृत्तिका पूर्ण विकास अपने भीतर कर लेंगे। हमारा अनुभव है कि अघूरी होते हुअे भी वह वृत्ति हमें काफी अंचा अुठाती है, संकटोंसे पार कराती है। अिसीलिये तो दिन-दिन अुसमें हमारा रस बढता रहता है और प्रार्थनाकी हमारी भूख खुलती जाती है।

आज तो हममें से बहुत थोड़े यह कह सकेंगे कि हमारी भूख पूरी तरह खुल गअी है। मैं खुद तो अीमानदारीसे असा नहीं कह सकता। मधुमक्खी जब फूल पर बैठती है तब कैसी तल्लीन हो जाती है! आसपास कितना ही शोरगुल होता हो, हम अुसके कितने ही नजदीक चले जायं, तो भी जब तक अुसे अंगलीसे छूते नहीं, तब तक अुसकी तल्लीनता टूटती नहीं। असा ही तल्लीनता—असा ही भूख—प्रार्थनाके लिये हममें पैदा हो, अिसीकी लगन हमें लगी हुअी है।

आज तो यह अनुभव अघूरा है। परन्तु अितना अनुभव जरूर होता है: बहुत वार कामके कारण लम्बे समयके लिये वाहर जाना होता है। कभी कभी आप सब अपने घर जाते हैं तब कअी दिनों तक सबके साथ बैठकर प्रार्थना करनेका सुख नहीं मिलता। कहीं अकेले बैठकर प्रार्थना जरूर कर लेते हैं। अाखिं वंद करके सबके साथ बैठे हैं, असा ध्यान करनेका प्रयत्न भी करते हैं। परन्तु अिससे तृप्ति नहीं होती। सबके सम्मिलित कण्ठका गंभीर घोष सुने बिना कानोंकी भूख मिटती नहीं। पास पास झुंड बनाकर बैठे हुअे संघकी गरमीके बिना असा लगता है मानो अके प्रकारकी

ठंड लग रही हो। समझमें नहीं आता कि क्या हो रहा है। परन्तु किसी अस्पष्ट अस्वस्थताका अनुभव होता रहता है। ऐसा अनुभव होता रहता है मानो किसी अतृप्त भूखसे आत्मा पीड़ित है।

दो-चार महीने बाद फिरसे संघके साथ मिलकर प्रार्थना करनेका प्रसंग आता है। उस दिनके आनंदकी क्या बात कही जाय? ऐसा लगता है मानो बहुत दिनके भूखेकी भोजन मिल गया हो! मानो गरमीभर तपी हुई धरती पर मेह बरस गया हो! प्रभु करे यह पहले दिनका आनन्द सदा बना रहे। प्रभु करे प्रार्थनाके समयका आनन्द जीवनके छोटे-बड़े सब कामोंके समय भी बना रहे।

हमारी अेकाग्रताकी कमीको, प्रार्थनाके समयकी हमारी मानसिक शिथिलताको देखते हुअे कभी कभी मनमें ऐसा खयाल आ जाता है कि अिस प्रकार संघमें मिलकर प्रार्थना करनेसे प्रार्थना जैसी चीज रह ही नहीं सकती। वह अेक निर्जीव विधि बने बिना नहीं रह सकती। साधारण मनुष्योंके मामलेमें वह बाहरका झूठा दिखावा अथवा दंभ भी बन जाती है। किसी किसीका मन अिस विचारसे अितना अधिक अस्वस्थ हो जाता है कि अुसे सामूहिक प्रार्थनामें शरीक होना व्यर्थ और हानिकारक प्रतीत होता है, सामूहिक प्रार्थनाकी विधि अुसे असह्य लगती है। अैसे लोग यह मानते हैं कि सामूहिक प्रार्थनामें चित्तको अेकाग्र करना सर्वथा असंभव है।

अुन्हें प्रार्थनाके खिल्लाफ कोअी आपत्ति नहीं होती। वे अीश्वर-परायण होते हैं और प्रार्थनाके लिये अुनकी आत्मा लालायित रहती है। परन्तु हमारी सामूहिक प्रार्थना अुन्हें प्रार्थना ही नहीं लगती। अुन्हें तो अपनी आत्मामें लीन होनेकी भूख होती है। और अिसके लिये अुन्हें आसपासके सब विक्षेपोंसे मुक्त होकर अपने चित्तको अेकाग्र होनेकी शिक्षा देनी है।

अेकध्यान होनेको ही वे प्रार्थनाका मूल और सच्चा अुद्देश्य मानते हैं। अुन्हें सामूहिक प्रार्थनाके समयकी राह देखते बैठना कैसे पसन्द हो सकता है? अुनका कहना है कि अेकध्यान होनेके लिये मनुष्यको अेकान्तमें ही साधना करनी चाहिये।

अुनका यह कथन अेकध्यानताकी दृष्टिसे विलकुल ठीक लगता है। ध्यानकी साधना तो मनुष्यको अुमंग आते ही तुरंत करने बैठ जाना पड़ता है। सामूहिक प्रार्थनाकी घंटी बजे और सब अिकट्ठे हों, तब तक अिन्तजार करना अुनके लिये जरूरी नहीं है। सामूहिक प्रार्थनामें कार्यक्रम पूरा होने पर सब लोग अुठ जाते हैं, लेकिन वे अैसा नहीं कर सकते। वे तो रंग चढ़ जाने पर घंटों और दिनों तक अपनी साधना नहीं छोड़ते।

अिसके सिवा, समूहमें अनेक प्रकारकी बाधाअें आनेकी भी संभावना रहती है। साथियोंमें से किसी न किसीको खांसी आ सकती है, छींक आ सकती है, कोअी देरसे आनेवाला तकलीफ दे सकता है, और अितने सारे बैठे हों तो किसीको बीचमें अुठनेकी भी जरूरत पैदा हो सकती है। समूहमें सब अेकसे भक्तिलीन नहीं हो सकते। और हों तो भी किसीकी आवाज बेसुरी हो, कोअी अुत्साहसे ताल देते हों, परन्तु गलत

ताल देते हों। अिन सब बातोंका भी ध्यानभंग करनेमें बड़ा हाथ होता है। अथवा समूहमें माताओं आजी हों, तो अुनके साथ बालराजा भी आये होंगे। वे अनेक प्रकारकी चेष्टाओं करके वाधा डाल सकते हैं। कोअी आकर आपकी गोदमें बैठ जाय, किसीको आपकी मूँछ अथवा अँनकसे खेलनेकी अिच्छा हो और कोअी यह देखकर तंग आ जाय कि लोग अुसकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपना विरोध प्रकट करनेके लिये गला फाड़कर रोने लगे तब ?

अैसी अैसी वाधाओंसे बचें तो भी सामूहिक प्रार्थनाकी रचना ही अैसी होती है कि वह ध्यानमार्गीको वाधक प्रतीत हो सकती है। अुसे अेक विचार या अेक मूर्ति पर अेकाग्र होनेका अभ्यास करनेकी जरूरत होती है और यहां तो अेकके बाद अेक करके दस-बीस श्लोकोंकी शृंखला बंध जाती है। अेक विचार पूरा हुआ न हुआ कि दूसरा और अुसके बाद तुरंत तीसरा विचार आता है। श्लोकोंके बाद फौरन भजन शुरू हो जाता है। ध्यानके अभ्यासीको यह सब अैसा लगेगा मानो कोअी रेलगाड़ी खड़खड़ भड़भड़ करती और शरीरके अेक अेक जोड़को हिलाती हुआ आगे बढ़ रही हो।

फिर सामूहिक प्रार्थनामें भजनके राग और भावका चुनाव किसी तीसरेका ही होगा; कौन जानता है कि आजकी हमारी अपनी मनोवृत्तिसे वह मेल खानेवाला सावित होगा या वेमेल ?

सही बात तो यह है कि ध्यानका अभ्यास ही जिसके लिये प्रार्थनामें बैठनेका हेतु है, अुसे हमारी सामूहिक प्रार्थना बहुत मदद नहीं कर सकती। अुलटे, वाधाओं ही अुपस्थित करेगी। अिस हेतुवालोंको तो कोअी अेकान्त, शान्त और स्वच्छ स्थान ढूँढकर वहां अकेले ही अपनी साधना करनी चाहिये।

सामूहिक प्रार्थनामें शरीक होनेवाले हम जैसोंके लिये भी अैसा अभ्यास अपने-अपने ढंगसे करना जरूरी है। क्या हम नहीं जानते कि हमारी अेकाग्रता-शक्ति कितनी अल्प है? हम अपने मनको निरन्तर श्लोकों या भजनोंके अर्थोंके साथ कहां रख पाते हैं? हमारे समूहमें कभी कभी कोअी जंभाअियां लेते और अूंघते भी देखे जाते हैं। यह शिथिल मनकी नहीं तो और किस बातकी निशानी है?

फिर, प्रार्थनाके श्लोक संस्कृत भाषामें होते हैं और भजन हिन्दीमें होते हैं। कभी कभी कुरानकी आयतें पढ़ते हैं तो वे अरबीमें होती हैं। समूहमें बैठी हुआ मंडलीमें से कुछ तो ये भाषाओं जानते ही नहीं। क्या वे लगनके साथ प्रार्थनाके अर्थ अच्छी तरह सीख लेते हैं? जितने दिन तक समझे बिना तोतेकी तरह श्लोकोंका रटन करता पड़ता है, अुतने दिन तक क्या वे मनकी अस्वस्थता अनुभव नहीं करते ?

हमारे यहां नये लोग आते हैं तब हम अेक बार प्रार्थनाके अर्थ समझाते हैं। परन्तु केवल अेक बार समझानेसे प्राचीन भाषाओंके अर्थ दिमागमें अितने पक्के नहीं बैठ सकते कि पंक्तियां बोलते ही अुनका अर्थ दिमागमें चमक अुठे। हमारे जैसोंके समझानेके बाद प्रत्येक व्यक्तिको अपने प्रयत्नसे अुनके अर्थ और अुनमें छिपे

हुये भाव समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। परन्तु सब कोधी असा नहीं करते। फिर प्रार्थनामें तेज कहाँसे आये? अथवा प्राण भी कहाँसे आये? वैसी प्रार्थना बरसों करने पर भी हम जरा भी अूँचे नहीं अुठें और जहाँके तहाँ रहें, तो बिसमें आश्चर्यकी कोधी बात नहीं।

ध्यानयोगके अुपासकोंको अैसी शिथिल मंडलीके साथ शरीक होना अेक प्रकारका प्रार्थनाका नाटक खेलने जैसा और व्यर्थका कालक्षेप लगे, तो यह समझा जा सकता है।

बिसलिअे सामूहिक प्रार्थनाका मूल हेतु ध्यानसिद्धिका भले न हो, परन्तु अुसे यांत्रिक अथवा नाटकीय कभी न बनने देना चाहिये। प्रार्थना करनेवालोंको शिथिलता हरगिज न रखनी चाहिये। हमें कमसे कम प्रार्थनाके अर्थ प्रयत्न करके समझ लेने चाहिये और बोलते समय अुन अर्थोंका चिन्तन करनेका प्रयत्न करना चाहिये। बिसी प्रकार अेकान्तमें ध्यानयोग साधनेका भी कुछ न कुछ प्रयत्न करके अेकाग्रताकी शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिये।

अेकान्तमें बैठकर ध्यानयोग साधनेसे भी सच्ची अेकाग्रता सिद्ध करना कठिन ही है। शरीरको हाथ-पैर समेटकर बैठानेसे तो मनको अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है, मनकी बशमें रखना अधिक कठिन बन जानेका भय है। बिसके बनिस्वत निर्दोष शरीर-श्रमके कामोंमें लगे रहनेसे मनका अेकाग्र होना अधिक सुलभ होता है। जिन कामोंमें हमारी अधिक गहरी दिलचस्पी हो, जो काम करनेमें हमें स्वाभाविक अुत्साह और अुत्साह मालूम हो, अुनमें मन अपने-आप तल्लीन हो जाता है। अैसी प्रवृत्तिमें मनको अपनी पसंदका वातावरण मिल जाता है और अुसमें हमारी आंतरिक प्रीति होनेसे मनको अिधर-अुधर भटकनेकी अिच्छा नहीं रहती।

बिसमें शक नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं द्वारा, अथवा अेकान्त ध्यान-साधना द्वारा अथवा शरीर-श्रमके अुत्साहप्रद कार्यों द्वारा — जिसे जो ढंग आसान लगे अुस ढंगसे, अथवा ये सब ढंग अेक साथ आजमा कर भी — हमें अपनी अेकाग्रताकी शक्ति बढा कर प्रार्थनाको सच्ची और प्राणवान बनाना चाहिये।

बिसके अलावा, हम प्रार्थनाके समय प्रार्थना करके दिनके शेष भागमें अुसे भूल जाना भी नहीं चाहते। हम तो सारे जीवनको अेक अखंड प्रार्थना ही बना देना चाहते हैं। हमारे जीवनके छोटे-बड़े काम और हमारी प्रार्थना — अिन दोनोंमें हम मेल बैठाना चाहते हैं। असलमें काम हमारा जीवन-वृक्ष है। वह हरा-भरा और ताजा ताजा रहे, योग्य अतु आने पर अच्छी तरह पनपे और सुन्दर फल-फूल धारण करे, बिसीलिये तो अुसमें हम रोज रोज प्रार्थनाके अमृत-जलका सिंचन करते हैं। काम तो हमारी जीवन-बीणा जैसे हैं। अुसके तारोंसे वेसुरे नहीं, बल्कि मधुर और भावभीने सुर ही निकलें, बिसीलिये हम रोज प्रार्थना द्वारा अुसके तार चढ़ाते रहते हैं।

केवल प्रार्थनामें बैठें अुतने समय तक दुनियाके तमाम अूँचे सिद्धान्तोंका चिन्तन करें, परन्तु प्रार्थनासे अुठनेके बाद कामकाजके चक्करमें पड़कर पशुकी तरह व्यवहार

करते लगे, तब तो प्रार्थनाका सारा आनन्द मारा जायगा। तब तो प्रार्थना दो घड़ी खेलेके नाटक ही बन जायगी। प्रार्थना यदि सच्चे हृदयसे की जाय तो उसका कल्याणकारी प्रभाव हमारे अक अक काममें व्याप्त हुअे बिना नहीं रहेगा। प्रभु हमारे हाथोंसे जो भी काम करायेगा, वे अूँचे ही होंगे, यज्ञमय ही होंगे, धर्मार्थ ही होंगे, अुनमें स्वार्थकी दुर्गन्ध आयैगी ही नहीं, अुनमें भोग-विलासका मैल रह ही नहीं सकता, अुनमें छल-कपटका जहर हो ही नहीं सकता।

प्रार्थनाका समय पूरा होने पर अुसके श्लोकों और भजनोंका कार्यक्रम पूरा होता है, परन्तु हमारी प्रार्थना-परायणता समाप्त नहीं होती। वह तो संगीतकी लयकी तरह हमारे जीवनके वातावरणमें लम्बे समय तक ओतप्रोत रहती है। वह लय समाप्त हुअी न हुअी कि हम फिर प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और नया सुर छेड़ते हैं। अिस प्रकार प्रार्थना-परायणताकी लयको हम पूरी तरह विलीन नहीं होने देते, निरंतर चालू ही रखते हैं।

असलमें हमारे छोटे-बड़े काम ही हमारी सच्ची अुपासना है। ये ही भगवानके चरणोंमें रखनेके हमारे फूल हैं। हमारे कामोंमें प्रार्थना-परायणता मिली हुअी न हो, तो वे कागजके नकली फूल हो जाते हैं। वे देवके मस्तक पर कैसे चढ़ सकते हैं? सुबह-शामकी प्रार्थनाअें हमारी फूलोंकी टोकरीको सींच सींचकर ताजी रखनेका हमारा प्रयत्नमात्र है। परन्तु टोकरीके फूल तो हमारे कर्म हैं। वे सब प्रभुभक्तकी, देशभक्तकी, जनसेवाकी सुगन्धसे महकते हों, तो ही देव पर चढ़ाने लायक सच्चे फूल माने जायेंगे और अैसे होंगे तो ही वे प्रार्थनाके छिड़कावसे ताजे रहेंगे। वे झूठे कागजके होंगे तब तो छिड़कावसे गल जायेंगे।

प्रवचन ४८

कुछ लोगोंको प्रार्थना पसन्द क्यों नहीं होती?

हम रोज किस भावनासे प्रार्थना करते हैं, अुससे कैसी भावना अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं, यह समझानेका कल मैंने प्रयत्न किया था। परन्तु आपको अैसे बहुत लोग मिलेंगे और आजसे पहले मिले भी होंगे, जिन्हें प्रार्थना जरा भी अच्छी नहीं लगती, जिन्हें दो घड़ी साथ मिलकर शान्तिसे बैठना और अकस्वर होकर प्रभु-स्मरण करना सहन ही नहीं होता।

अुनके मस्तिष्ककी रचना न जाने किस प्रकारकी होगी, परन्तु वह कुछ अुलटी ही दिशामें काम करता है और अुनकी स्वाभाविक दिलचस्पी ही कुछ अुलटी होती है। हमें शान्ति और व्यवस्था पसंद है, अुन्हें तोड़-फोड़ और अूधममें मजा आता है। हमें संगीत प्रिय है, अुन्हें शोरगुल अच्छा लगता है। किसी फूलको देखकर अुन्हें तोड़कर मसल डालनेकी अिच्छा होती है और स्थिर जल देखकर अुसमें पथर फेंकनेका मन होता है। अिसी तरह वातावरणमें फैली हुअी शान्तिको वे सहन नहीं

कर पाते। जैसे कोलाहल और खड़खड़ाहट-भड़भड़ाहटसे विगाड़ें तभी उन्हें चैन पड़ता है। चलनेमें उन्हें एक साथ, एक ढंगसे, एकसा चलना अच्छा नहीं लगता; वे आड़े-टेढ़े, बल खाते, टकराते, साथियोंको तंग करते हुये ही चलेंगे। जैसे स्वभावके मनुष्योंसे हमारी प्रार्थना भी देखी और सही नहीं जाती। उसमें खलल डालनेमें, उसका मजाक बुढ़ानेमें उन्हें ऐसा अजीब मजा आता है जो हमारी समझमें नहीं आता।

जैसे कोजी न कोजी असामाजिक प्राणी प्रार्थनाके अपासकोंको मिल ही जाते हैं। उनके मजाक और वावायोंसे मनको कष्ट होना स्वाभाविक है। परन्तु उनके साथ झगड़ा मोल लेने लायक वे नहीं होते। बचपनसे मिली हुयी गलत शिक्षाके कारण उन्हें ऐसी थुलठी दिशाका आनन्द लूटनेकी आदत पड़ जाती है। परन्तु वे सचमूच टुष्ट नहीं होते। आप प्रार्थनाको और सारे जीवनको जिस गंभीरतासे देखते हैं, उस गंभीरतासे वे देख ही नहीं सकते। वे बड़े हों या छोटे, स्वभावको देखते हुये उन्हें बालकोंकी कोटिमें ही रखना चाहिये। यह संभव है कि हमारे कामकाजको दूरसे देखते-देखते किसी दिन वे बालबुद्धि छोड़ दें और गंभीरता धारण कर लें। हमें ऐसी आशा रखनी चाहिये।

प्रार्थनाका विरोध करनेवालोंमें एक दूसरा वर्ग भी कभी कभी देखनेमें आता है। कोजी भी अनिवार्य नियम बना कि उनका दिमाग गरम हो जाता है। शिक्षा-शास्त्रकी आधुनिक पुस्तकोंमें उन्होंने स्वतंत्रता और स्वयंस्फूर्तिके विषयमें काफी पढ़ा होता है। उसकी विचित्र समझ उनकी बुद्धि पर सवार रहती है। जैसे शायद वे प्रार्थनामें जरूर शरीक होते, परन्तु नियम है, यह मालूम हुआ कि बात खतम हुयी! उनकी आपत्ति वास्तवमें प्रार्थनाके विरुद्ध नहीं, परन्तु किसी भी विषयमें अनिवार्य नियम बनानेके विरुद्ध होती है। खाने-पीनेमें, बैठने-ठठनेमें, कामकाजमें — जहां जहां वे नियम देखते हैं वहां उनसे नियम सहन होते ही नहीं। उन्हें लगता है कि नियम बनानेसे उनकी स्वतंत्रताका भंग हो रहा है। सांपको कोजी जाने-अनजाने जरा छू जाय तो वह कैसा फुफकार कर काटने दीड़ता है! छूनेवाला उसका घातक ही होना चाहिये — इसके सिवा दूसरा विचार उसे आ ही नहीं सकता। यही विचार जैसे लोगोंका नियमोंके विषयमें होता है। नियमका नाम आया कि वह स्वतंत्रता पर कुठाराघात करनेके लिये ही होना चाहिये, ऐसा सोचनेके सिवा और किसी तरह उनका दिमाग काम ही नहीं करता।

और नियमोंमें भी प्रार्थनाका नियम तो उन्हें दमन और अत्याचारकी पराकाष्ठा लगता है। “जीश्वर-स्मरण तो हृदयसे करनेका काम है, उसमें भी नियम! हमें प्रेरणा होगी तो आधी रातमें अठकर भी हम प्रार्थना करेंगे। परन्तु आपकी घंटी बजते ही प्रेरणा न हो तो भी तुरन्त आंखें बन्द करके बैठनेका नियम हम हरगिज नहीं मानेंगे। हम कोजी भेड़-बकरी नहीं हैं!”

जैसे स्वभावका अिलाज होना बड़ा कठिन है। सामूहिक जीवन नियमके बिना कैसे चल सकता है? नियमके बिना कोजी समूह रहे, तो वह संस्था, आश्रम, सभा या

समाज नहीं कहलाता। वह केवल मनुष्योंका अेक झुण्ड ही हो जाता है। जिसमें अेक राग न हो, अेक प्रवाह न हो, अेक अुद्देश्य न हो, वह संस्था नहीं परन्तु झुण्ड है। अुसमें व्यवस्थित जीवन नहीं होगा, परन्तु शोरगुल होगा, संघर्ष होगा, खींचतान होगी, स्पर्धा होगी, मारामारी होगी। स्वयंस्फूर्तिके ग्रंथोंमें नियमकी बात स्वीकार की जाती है, परन्तु यह सोचने और समझनेका धीरज अन्हें कहां होता है? अनिवार्य नियमकी गंध आती कि तुरंत अुसका विरोध करनेकी वृत्ति अुनमें अुठी ही समझिये।

अैसा स्वभाव बन जानेसे वे अपने जीवनका वड़ा नुकसान कर बैठते हैं। सुन्दर, व्यवस्थित, नियमबद्ध संस्थाओंसे वे सदा चौंकते रहते हैं और अपने विचित्र कृत्रिम स्वभावके कारण अुनका लाभ खो देते हैं।

अैसे लोगोंके स्वभावको सुधारनेका अेक ही अुपाय मालूम होता है। अुन पर कोअी संस्था या कार्य चलानेकी जिम्मेदारी आ पड़े, तो संभव है नियमबद्ध, व्यवस्थित जीवनमें निहित सुख-सुविधा और शिक्षाका मूल्य अुनकी समझमें आने लगे। संभव है सैनिकके रूपमें जो अनुशासन अुन्हें खटकता है वह सरदारी आ पड़ने पर अच्छा लगने लगे, और विद्यार्थीकी हैसियतसे जो नियम कड़वे लगते थे वे शिक्षकके स्थान पर बैठनेसे जरूरी मालूम होने लेंगे।

परन्तु अैसा मौका बहुत थोड़े भाग्यशाली लोगोंको मिल सकता है। सभी विद्रोही अैसे अवसरकी आशा पर आधार नहीं रख सकते। जिसलिअे यदि अुन्हें प्रार्थनाके विरुद्ध कोअी और ठोस अेतराज न हो, तो केवल इसी कारणसे कि प्रार्थना अमुक समय पर और अमुक ढंगसे करनेका नियम है प्रार्थनासे आत्माको मिलनेवाली शान्ति, अुत्साह और आनंद अुन्हें खोना नहीं चाहिये। संस्थाके अुद्देश्य, कामकाज तथा वहांके मनुष्योंके जीवन अुन्हें अच्छे लगते हों और अुसमें अपने जीवनको मिला देनेकी अुमंग हो, तो केवल प्रार्थना आदिके नियमोंसे चौंक कर अुसका लाभ खो देना अैसा ही है, जैसे गंगाजीका पानी दोनों किनारोंसे वंधा हुआ है इसीलिअे अुसे वन्द पानी मानकर अुसका लाभ छोड़ देना है। वह पानी अुपकारक नियमोंके दो तटोंके बीच वंधा हुआ है, इसीलिअे वह नदी बनकर तेजीसे वह सकता है। तट टूट जाय तो पानी मैदानोंमें फैल जायगा और थोड़े समयमें सूख कर खतम हो जायगा।

अब अेक तीसरे वर्गके प्रार्थना-विरोधियोंकी बात करें। आप जहां जायेंगे वहां आपको कोअी न कोअी आदमी अैसे जरूर मिलेंगे जो सत्यका गला घोट-घोट कर प्रार्थनाके विरोधकी दलीलें देते हैं और देते अुसे कभी थकते ही नहीं। वे मुंह विगाड़ कर कहते हैं, “हम मनुष्य होकर किसीसे भीख क्यों मांगे? दिनभर मुंह लटका कर दीन भावसे याचना क्यों करें? भारतके लोग गुलामी भुगतकर अपना तेज खो बैठे हैं। जो थोड़ा तेज हड्डियोंमें बचा होगा अुसे भी दिनमें १० बार रोती सूरत बनाकर प्रार्थनाअें करनेकी आदत डालकर मिटा देनेका मार्ग आपने पकड़ लिया है!”

हम बहुत समझाते हैं: “प्रार्थना हम किसी मनुष्यकी तो नहीं करते कि अुसमें आपको दीनता आ जानेका डर लगता है? सकल सृष्टिके सिरजनहारसे याचना करनेको।

कोधी दीनता कहेगा ? और अुससे हम क्या याचना करते हैं ? हे प्रभु, कैसा भी संकट आये तो भी हम तेरा मार्ग न छोड़ें, अँसा बल हमें दे; हे अधीश्वर, कैसा भी बलवान मारने आये तो भी डरकर हम सत्यको न छोड़ें, अँसी निर्भयता हमें दे। ” अिसे कभी याचना और दीनभाव कहा जा सकता है ? सच पूछें तो प्रार्थनाके रूपमें हमने और किसीसे याचना नहीं की, परन्तु अपनी अन्तरात्माके सामने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ही की है कि ‘हम किसीसे डरेंगे नहीं; कुछ भी हो जाय हम सत्यसे डिगेंगे नहीं। ’

परन्तु अँसे स्वभावके लोगोंको ‘प्रार्थना’ शब्द ही तेज जहरके जँसा लगता है। “प्रार्थनाका अर्थ है भीख। और भीख हम भगवानसे भी क्यों मांगने जाय ? यदि परमेश्वर सर्व-शक्तिमान और परम कृपालु हो तो अुसे यह अपेक्षा क्यों रखनी चाहिये कि हम गरीब मुँह बनाकर अुसकी खुशामद करते हुअे अुससे याचना करें ? ” अुनका दिमाग अिस तरह चलता है।

और प्रार्थनामें भी जब —

“रघुवर तुमको मेरी लाज !
हीं तो पतित पुरातन कहिये,
पार अुतारो जहाज। ”

अथवा

मो सम कौन कुटिल खल कामी ?
जिन तनु दियो ताहि विसरायो,
अँसो नमकहरामी। ”

अथवा

“सुने री मैंने निर्वलके बल राम। ”

जैसे दीनताके भाव प्रकट करनेवाले भजन गाये जाते हैं, तब तो अुनका धीरज विलकुल ही छूट जाता है। प्रार्थना हो रही हो वहाँ जीवनमें कभी खड़े न रहनेकी और प्रार्थना करनेवालोंके सहवासमें ही न आनेकी गां वांध लेनेकी अुनकी अिच्छा होती है।

वे हमें अुलाहना देते हैं : “मैं निर्वल हूँ, मैं निर्वल हूँ, अँसा जप करते करते आप लोग सचमुच निर्वल हो जायेंगे। परमेश्वरके गुण गाते गाते आप मनुष्यकी खुशामद करने लग जायेंगे। रोज दीन मुद्रा और धीमी आवाज निकालकर प्रार्थना करनेसे भगवान कितनी मदद करता है यह तो भगवान ही जाने। परन्तु आपको हमेशाके लिये दीन मुँह बनाने और शीर्यहीन निस्तेज जीवन वितानेकी आदत जरूर पड़ जायगी। ”

ये ही भजन हम प्रार्थना-परायण होकर गाते हैं, तब अँसा लगता है मानो हमारे हृदयमें नये बलका संचार हो गया है, हममें अँसी हिम्मत आ जाती है मानो प्रभुकी अदृश्य प्रेरणासे हमारी कमजोरी अुड़ गयी है, और हमें अँसा संतोप होता है मानो सचमुच गिर पड़नेके समय भगवानने हमारी वाँह पकड़ कर हमारी लाज रख ली है। परन्तु वे लोग अिस वृत्तिमें आनेको तैयार हों तब न अुन्हें अँसा अनुभव हो ?

अस प्रकार प्रार्थना पर अनेक लोगोंकी अनेक कारणोंसे अश्रद्धा पायी जाती है। अश्रद्धाका मूल कारण लोगोंकी अलग अलग प्रवृत्तियोंमें निहित है। वाद-विवाद करके अन्तमें प्रार्थनाका प्रेम पैदा करनेकी हमारी इच्छा हो सकती है। परन्तु प्रकृति अति प्रबल होती है। वह वाद-विवादसे थोड़े ही बदलती है? इससे तो आलोचकोंका आलोचना करनेमें ही रस बढ़ेगा, और अेक-दूसरेके बीच अन्तर ही बढ़ेगा। इसलिये सर्वोत्तम मार्ग यही है कि हम अन्तके स्वमानको सहन कर लें। हम साथ बैठकर प्रार्थना भले न कर सकें, परन्तु साथ मिलकर सेवा करना संभव हो, तो उसे प्रेमसे करें। हम सच्चे प्रार्थना-परायण हों, तो यही मार्ग अपनाना हमें शोभा देगा।

प्रवचन ४९

प्रार्थना-नास्तिक

अब तक प्रार्थना-विरोधियोंके जिन प्रकारोंका विचार किया गया, अन्तको प्रार्थनाके हमारे ढंगके बारेमें और प्रार्थना करनेकी हमारी योग्यताके विषयमें कुछ न कुछ शिकायत है। इस ढंग और योग्यतामें अन्तके स्वभावके अनुकूल फेरबदल हो जाय तो अन्तका हमारे साथ कोअी वुनियादी झगड़ा नहीं है। हम सच्चे दिलसे परमेश्वरके मार्ग पर चलें और अन्तकी तरफसे बल और प्रेरणा प्राप्त करें, तो अन्तमें वे हमें आशीर्वाद देने और कदाचित् साथ देनेको भी तैयार हो जायेंगे।

परन्तु अब हम अेक भिन्न वर्गके आलोचकोंका विचार करेंगे। अन्तमें असलमें परमेश्वरका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है, तो फिर प्रार्थनाका तो प्रश्न ही कहाँ रहता है? वे अन्तको नास्तिक कहते हैं और अैसा कहलवानेमें अभिमान करते हैं। अीश्वरको तुरन्त स्वीकार कर लेनेवाले, अन्तके साथ पुत्रभाव, शिष्यभाव या सेवक-भावकी कल्पना करके अन्तकी प्रार्थना करने बैठ जानेवाले लोगोंके भोलेपन पर, अन्तके छिछले श्रद्धालुपन पर, अन्त आलोचकोंको दया आती है। वे दर्शन-शास्त्रोंमें गहरे जाते हैं, और सृष्टिका अन्तिम तत्त्व क्या होगा, अन्तका अपनी बुद्धि पर जोर डालकर पता लगानेकी कोशिश करते हैं। कोअी जड़ नीहारिका पर आकर अटक जाते हैं, तो कोअी परमाणु पर। कोअी कहता है गति अथवा कर्मके सिवा कुछ नहीं है, तो कोअी कहता है कर्मके कानूनके सिवा कुछ नहीं है। कोअी कहता है प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सब कुछ बनाया है, तो कोअी कहता है कि जो कुछ है सो सब ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्म ही है—जिसके शरीर नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता, भावना नहीं हो सकती। अैसी हालतमें हाथ जोड़कर प्रार्थना किससे की जाय? जहाँ कोअी दे सकनेवाला न हो, वहाँ मांगनेकी बात ही कहाँ रहती है? हमारी प्रार्थनाअें अन्तमें हंसने लायक मिथ्या प्रवृत्ति लगती है, अवुद्धिका लक्षण मालूम होती है, मिट्टीकी पुतलीको मां मानकर अन्तसे यह आशा रखनेवाले नादान बालककी तरह लगती है कि वह गोदमें लेकर दूध पिलायेगी।

अैसे नास्तिक प्रार्थनामें तो हमारे साथ नहीं बैठेंगे; परन्तु जैसे वे अन्तिम पृथक्करणमें अणु हों या कर्म हों या ब्रह्म हों, भूख लगने पर शरीरको अन्न-जल देते हैं और मनको भी शास्त्रपाठकी खुराक देते हैं, वैसे यदि वे समाजमें सबके साथ रहते हैं और सबकी सेवाका लाभ भुठाले हैं, तो सबके प्रति अपना धर्म भी वे क्यों न पालन करें?

कोअी कोअी नास्तिक बड़े सरल और सीधे होते हैं। वे प्रार्थना न करते हुअे भी देशके प्रति अपना कर्तव्य पालन करनेमें किसीसे पीछे नहीं रहते। अुनके साथ हमारी बहुत अच्छी तरह बन सकती है।

परन्तु सारे नास्तिक अितने सरल नहीं होते। कुछका दिमाग दूसरी ही तरह चलता है। “यदि ब्रह्म ही सत्य है और दूसरा सब कुछ माया अथवा भ्रम है, तो स्वराज्य क्या और परराज्यका क्या? अत्याचारी कौन और अत्याचार सहनेवाला कौन? शोपक कौन और शोपित कौन?”

कोअी कहते हैं, “यदि कर्मके कानूनके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं और सब अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही फल भोगते हैं, तो दुःखी पर दया करके अुसकी मददको दौड़ना या सुख मिलने पर सुखका त्याग करना कर्मके कानूनका भंग करने जैसा ही होगा।”

अैसे ताकिकोंको हमारी प्रार्थना ही नहीं, परन्तु हमारे ध्येय, हमारी सेवाओं, हमारे सत्याग्रह, हमारे चरखे और ग्रामोद्योग, हमारी हरिजन-सेवा आदि जीवनका सर्वथा दुर्व्यय करने जैसा लगता है। रस्सीको सर्प मानकर कोअी व्यर्थ धवराये और अुसे पकड़ने या मारनेको दौड़-धूप करने लगे, तो जिस तरह अुसकी दौड़-धूप निःसार मानी जायगी, अुसी तरह अुन्हें हमारी ये सारी प्रवृत्तियां निःसार लगती हैं। सार तो अुन्हें अपने तत्त्वज्ञानके ग्रंथोंमें और अपने जैसोंके साथ चर्चाओं करनेमें ही मालूम होता है।

अलवत्ता, दोपहरको १२ वजे थोड़ी देरके लिअे अुन्हें थाली पर बैठकर अिस असार संसारमें अुतर आना पड़ता है! अुतने समय तक यदि अुन्हें ये विचार आने लगे तो कितना अच्छा हो कि यह थाली कैसे और कहांसे आअी, आसपासके गांवोंमें सबको पेटभर खानेको मिला या नहीं मिला और यदि नहीं मिला तो किस कारणसे नहीं मिला? शास्त्रसेवनसे तीक्ष्ण बनी हुअी अुनकी बुद्धि अिस स्थितिका भेद खोलनेमें अुन्हें जरूर मदद दे सकती है और अुन्हें यह भान करा सकती है कि अकेली शास्त्र-चर्चाका जीवन कृत्रिम है। और अगर अैसा हो जाय तो वे हमारे साथ कंधेसे कंधा मिलाकर देशकार्यमें अग्रसर हुअे विना नहीं रहेंगे — फिर भले ही वे हमारे साथ प्रार्थना करने न बैठें और रातके समय दीयेके पास बैठकर तत्त्वज्ञानकी पुस्तकोंमें ही तैरना जारी रखें।

फिर भी अैसे नास्तिक आंरोसे निर्दोष माने जायेंगे। वे कभी कभी हम पर दया दिखाकर फिरसे अपनी पुस्तकोंमें डूब जाते हैं; और अगर हमारे कार्यमें मदद नहीं करते, तो विशेष बाधक भी नहीं होते।

परन्तु असली तीखे नास्तिक तो आजकी पश्चिमकी हवामें रंगे हुअे नौजवान हैं। वे लड़ाकू स्वभावके नास्तिक हैं, और यह सीखे हैं कि परमेश्वर, प्रार्थना, धर्म, मंदिर, शास्त्र और संन्यासी सब अत्याचारी सत्ताओंके अलग अलग प्रकारके बम या जहरीली गैस ही हैं। वे असा मानते हैं कि अिन हथियारोंसे पूंजीवादी और साम्राज्यवादी लोग जनताको सदा अफीमके नशोंमें डूबी हुअी रखते हैं, असे सिर नहीं अुठाने देते, ताकि असे अज्ञान और गुलामीमें रखकर वेखटके अुसका शोषण कर सकें। हमारी प्रार्थनाओंको और वात वातमें अीश्वरका नाम लेनेको भी वे अिसी नजरसे देखते हैं। और अिसलिये अुन्हें हम पर बड़ा रोष होता है।

सच पूछें तो यह रोष अनुचित है। हमारी प्रार्थना तो दलित और शोषित लोगोंका अपने ही अन्तरमें निहित बलको पहचाननेका प्रयत्न है; हमारी महान लड़ाअीमें दिल आखिर तक मजबूत रहे, किसी वातसे पीछे न हटे, असा दृढ़ संकल्प करनेका प्रयत्न है। हमारी प्रार्थना हमारे जैसे सेवकोंका दलित-शोषित लोगोंके साथ अेकात्मता साधनेका प्रयत्न है। हमें अुन्हें जाग्रत करना है, अुनकी शक्तिका अुन्हें भान कराना है, अुनके साथ रहकर सारी जिन्दगी लड़ना है और असा करते हुअे जो त्याग और कष्ट सहन करना पड़े सो करना है। असे कठोर जीवनमें अटल रह सकनेके लिये हमें प्रेरणा चाहिये। यह बल और प्रेरणा हमें अपनी प्रार्थना देती है, अिस विश्वमें अोतप्रोत रहनेवाला परमेश्वर देता है, हमारे अपने हृदय-कमलमें विराजमान अंतरात्मा देती है, जिनके साथ बैठकर हम प्रार्थना करते हैं वे हमारे मित्र, साथी और श्रद्धेय जन देते हैं और हमारे विचारोंके पोषक गीता जैसे सद्ग्रंथ देते हैं। हमारी प्रार्थना पर क्रोध करने या द्वेष करनेका कारण ही अुनके लिये कहाँ रह जाता है?

परन्तु अुनके आचार-विचार भिन्न हैं, अुनके श्रद्धेय गुरु भिन्न हैं और अिसलिये अुनकी काम करनेकी पद्धति भिन्न है।

अिसके वावजूद अुन्हें भी दुनियामें समानता स्थापित करनी है, राज्यतंत्र, धर्मतंत्र और धनतंत्र वगैराके फंदेसे लोगोंको छुड़ाना है। यह महान ध्येय पूरा करनेमें क्या अुन लोगोंको जान-मालकी, सुख और सुविधाओंकी कुर्बानी नहीं करनी पड़ी है? प्राणोंकी बाजी लगाकर लड़ाअियां नहीं लड़नी पड़ी हैं? वे भले ही हमारी तरह प्रार्थनामें नहीं बैठते और न अीश्वरकी शरण लेते हैं, परन्तु अपने खतरेभरे जीवनमें क्या अुनमें से किसीने कभी आंखें बन्द करके भीतरसे बल प्राप्त नहीं किया है? क्या वे कभी अपने श्रद्धेय गुरुओं और मित्रोंके पास श्रद्धासे बैठने या अपने मान्य ग्रंथोंमें डुबकी मारनेकी भूख अनुभव नहीं करते? भले वे हमारी तरह भजन नहीं गाते और धुन नहीं गुंजाते, परन्तु क्या वे अुछल-अुछल कर अपने ध्येयसे संबंघ रखनेवाले गीत नहीं गाते और नारे नहीं लगाते?

क्या अिन सबमें अीश्वरका नाम लेनेके सिवा प्रार्थनाका अेक भी लक्षण बाकी है? अथवा अीश्वर-भक्तिको यदि हम 'आजका प्रगट दुःख और नुकसान बरदाश्त

करके भी अदृश्य आदर्शके प्रति वफादार रहने' की आधुनिक भाषामें ढालें, तो हम यह भी नहीं मान सकते कि उनके व्यवहारमें परमेश्वर नहीं है।

परन्तु अश्वर और धर्मके प्रति उनके क्रोधका दूसरा ही कारण है। वे पश्चिमके गुरुओंसे पढ़े हैं। उन देशोंमें एक जमानेमें असाजी धर्मके गिरजे और उनके महन्त राज्यसत्तासे भी अधिक सत्ता भोगने लगे थे। वे परम्परासे चली आ रही धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासका राज्यके कानूनोंकी तरह सख्तीसे पालन कराते थे और जो न करता था उसे भयंकर सजाओं देते थे। राजा अिन महन्तोंके जुल्म करनेवाले दलालोंके रूपमें काम करनेको तैयार रहते थे और बदलेमें महन्त भी राजाके जुल्मोंको धर्म और पुण्यका मुलम्मा चढ़ा देते थे।

ये दो सत्ताओं अकेली रहें तो भी लोगोंको पूरी तरह त्रस्त करनेको काफी हैं, दोनों अिकट्टी हो जायं तब तो पूछना ही क्या? अुन्होंने लोगोंको मनुष्य न रहने देकर जानवर ही बना दिया। स्वतंत्र बुद्धिसे काम लेने, सत्ताके विरुद्ध सिर अुठानेको अेक सत्ता राजद्रोह कहने लगी और दूसरी सत्ता महापाप घोषित करने लगी।

अैसी परिस्थितिमें पश्चिमके जनसेवकोंको दोनों सत्ताओंके विरुद्ध लड़नेकी जरूरत पड़ी। अुसमें राजतंत्रके विरुद्ध लोगोंको जाग्रत करना तो आसान था, क्योंकि अुसका जुल्म सबको दिखानी देनेवाला था। परन्तु धर्मतंत्रके विरुद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल था। भोले लोग स्वयं ही यह मानते थे कि अुसका विरोध करनेसे पाप लगता है। अुन्हें कैसे समझाया जा सकता था? हमारे यहां हरिजन खुद ही अपनेको अस्पृश्य समझते हैं और कोअी सवर्ण अुनसे छू जाय तो वे मानते हैं कि सवर्णको पापमें डालनेका पाप अुन्हें लग गया। अैसी ही बात यह है।

अिसलिये यहां जन्ताकी लड़ावियां लड़नेवालोंको महन्तों और अुनके धर्मतंत्रोंके प्रति प्रबल क्रोध चढ़ानेका कारण था। और धर्मतंत्रके बलका मूल आधार देव और देवालय तथा धर्म थे, अिसलिये वह क्रोध अिन पर निकला। नेता पुकारने लगे, "धर्म तो अफीम है, जिसकी मददसे धर्मतंत्र लोगोंको नशेमें चूर रखकर अुनका शोषण करता है। अीश्वर जालिमोंका सरदार है, क्योंकि अुसको आड़में रहकर ही महन्त और राजा दोनों अपना जुल्म लोगों पर चलाते हैं। अिसलिये सबसे पहले अिस अीश्वरको ही हम खतम करेंगे और राजतंत्रोंको तोड़नेसे पहले देवके देवालयांको तोड़ेंगे।"

पश्चिममें धर्म और परमेश्वरके नाम पर नेताओंको क्यों अितना क्रोध और जहर चढ़ा, अिसका यह कारण है। पश्चिमके गुरुओंसे सीखे हुअे हमारे भाअी अुछल-बुछलकर वही क्रोध और वही जहर यहां भी धर्म और अीश्वरके नाम पर बरसाते देखे जाते हैं।

परन्तु अिस देशमें तो अीश्वरने कभी अैसी अत्याचारी सत्ता जमाअी ही नहीं। हमारे देवालय राज्यसत्ताके धाम कब बने? हमारे साधु-महन्तोंके पास अपुदेश देनेके सिवा और सत्ता कहां होती है? ज्यादातर अुन्हें त्यागी, संन्यासी और भिक्षुका ही

जीवन विताना होता है। वैसा जीवन न बिताकर जब वे भोगी बनते हैं, तब तुरंत प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। अुनके विरुद्ध हमारी जनतामें पश्चिमके जैसा क्रोध भड़काना संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी नहीं और जरूरी भी नहीं है।

जिसलिये हमारे ये बहादुर भागी धर्म, प्रार्थना या परमेश्वरके विरुद्ध जो जिहाद छेड़ रहे हैं, वह हमारी जनताकी समझमें नहीं आता। वगीचेके फूलके पेड़ोंको दुस्मन मानकर अुन पर तलवार चलानेवाले अुत्पाती लड़के जैसे पागल माने जायेंगे, वैसे ही पागल ये लोग अुन्हें लगते हैं।

हां, अितना सही है कि धर्म और अीश्वरका नाम भोली जनताको अंधश्रद्धा और वहमोंमें फंसाये रखनेका साधन हमारे यहां भी काफी मात्रामें सिद्ध हुआ है। धर्म या भगवानके नाम पर भी वहम और झूठ नहीं चलने देना चाहिये। धर्मश्रद्धाको बुद्धि या ज्ञानकी मारक नहीं बनने देना चाहिये। धर्मके नाम पर अूच-नीचके भेदको और जालिमोंके जुल्मको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

जिसीलिये धर्मके नाम पर हमारे देशमें अैसी जो बातें चलती हैं, अुनके विरुद्ध हम सेवक सख्तसे सख्त लड़ाई लड़ा रहे हैं। अूच-नीचका भेद तथा स्त्री और शूद्रके प्रति अन्याय अीश्वरका बनाया हुआ सनातन धर्म है और अुसके लिये शास्त्रका आवार है, अैसी मान्यता हमारे यहां सनातन धर्मके नाम पर प्रचलित है। लोगोंका कड़ा विरोध मोल लेकर भी हम अुस मान्यताके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। धार्मिक मनुष्योंको संसारसे विरक्त होकर शांतिसे पूजापाठ और भजन-कीर्तन ही करना चाहिये, संसार तो माया है और समाजमें होनेवाले राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अन्यायोंसे लड़नेके जंजालमें पड़ना अुनका काम नहीं—अैसी अैसी बातें भी हमें सनातन धर्मके नाम पर सिखायी जाती हैं। अिनके विरुद्ध भी हम सेवकोंका पक्का सत्याग्रह चल रहा है।

हम अीश्वरका नाम लेते हैं, अपने जीवनमें धार्मिकता लानेकी कोशिश करते हैं, सुबह-शाम प्रार्थना करते हैं। जो लोग अिन सबको पुराने वहम, अंधश्रद्धा और धर्मके नाम पर हो रहे पाखंडके साथ जोड़ देते हैं, अुनके लिये यही कहना चाहिये कि अुन्होंने हमें पहचाना ही नहीं।

प्रार्थना, धर्म वगैरा नामोंके भुलावेमें आकर वे भले हमारी निन्दा कर लें, परन्तु हम यदि सच्चे सत्याग्रही और जनताकी स्वतंत्रताकी लड़ाईमें प्राणोंकी बाजी लगानेकी तैयार रहनेवाले सैनिक होंगे और यदि वे भी ध्येयवादी और लड़वैये होंगे, तो हमें कभी न कभी वे जरूर पहचान लेंगे, हमारे साथ प्रेम करेंगे और स्वातंत्र्य-युद्धमें हमारे साथ अेक हो जायेंगे; फिर स्वभाव-भेदके कारण और शिक्षाभेदके कारण भले ही प्रार्थनामें वे हमारे साथ न बैठें और गीताके पारायणमें शरीक न हों। अिन्हें भी हमें अपने प्रार्थनाके सच्चे विरोधी हरगिज नहीं मानना चाहिये। सच्चे विरोधी तो दूसरे ही हैं। अिन्हें विरोधी कहनेके वजाय प्रार्थनाके निन्दक ही कहना पड़ेगा।

सच्चे विरोधियोंको केवल प्रार्थनासे ही नफरत नहीं है, परन्तु हमारे सारे जीवनसे नफरत है। हर मामलेमें अुनका रास्ता हमसे न्यारा है। स्वार्थ ही अुनका

परमेश्वर है। उसके लिये मारपीट करना, हत्या करना, छल-कपट करना, अन्याय करना, चोरी करना, लूटपाट करना उनका धर्म है। उनके स्वार्थमें जो वाचक हो वही उनका दुश्मन है—फिर भले वह सगा हो, मित्र हो, स्वदेश हो या स्वधर्म हो।

हम तो अन्हें खास तौर पर आंखकी किरकिरी जैसे लगते हैं। हम समाजके नैतिक स्तरको ऊपर उठाने और संयम तथा त्यागका मूल्य बढ़ानेकी कोशिश करते हैं। उनका अधीर्षालु हृदय यही मान लेता है कि हम उनके भोग-विलासकी छप्पन भोगमें जहर मिला देते हैं और दुनियामें अन्हें नीचा दिखाते हैं। हम दीन-दलितोंको समानता, स्वाश्रय और शौर्यके पाठ पढ़ाते हैं। यह अन्हें अपने विरुद्ध घोर विद्रोह जैसा लगता है, क्योंकि वैसा करके हम उनके गुलामोंको अुभाड़ कर उनके विरुद्ध लड़ाते हैं और उनके मुंहका कौर छीन लेते हैं।

और यह सब हम अहिंसाके मार्ग पर चलकर करते हैं, सचाबी और सभ्यता छोड़े बिना करते हैं और लड़ते हैं तो जिस ढंगसे लड़ते हैं कि कष्ट स्वयं हमें सहने पड़े। जिससे वे हम पर और अधिक चिढ़ते हैं। वे यही मानते हैं कि दुनियामें अूनकी बदनामी करनेके लिये ही हम यह युक्ति कर रहे हैं; हम निर्दोष किसी-लिये रहते हैं कि अुससे वे लोगोंमें बुरे दिखायी दें।

सच्चे प्रार्थना-निन्दक तो यही हैं। परन्तु अीश्वरका बड़ा अुपकार है कि जैसे स्वभावके मनुष्य दुनियामें बहुत ही थोड़े होते हैं।

प्रार्थनाके ये सब जो विरोधी मैंने गिनाये हैं, अूनमें सबसे भयंकर कौन हैं, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिये? आप फौरन जवाब देंगे कि अन्तमें गिनाये गये लोग, जिन्हें मैंने प्रार्थना-निन्दकका खास हीनतावाचक नाम दिया है, सचमुच भयंकर हैं। परन्तु अेक तो वे थोड़े होते हैं और दूसरे जब तक अन्हें चुनौती न दी जाय तब तक वे अपने अीश्वर-विहीन जीवनमें मशगूल रहते हैं, जिसलिये अूनसे तत्काल बहुत डरने जैसी बात नहीं है।

सचमुच भयंकर तो मैंने सबसे पहले बताया वे ही हैं, जो जीवनके वारेमें जरा भी गंभीर नहीं होते; जो नियमितता, सादगी, संयम, सेवा, प्रार्थना आदि सब बातोंको हंसीमें अुड़ा देते हैं और अेक प्रकारका निम्न कोटिका जीवन बिताते हैं। अन्हें भयंकर कहनेसे मेरा आशय यह नहीं कि वे दुष्ट हैं या हमें कष्ट देनेवाले हैं। परन्तु अन्हें देखकर अपने मार्गसे फिसल जानेका बड़ेसे बड़ा खतरा हमारे सामने है।

हम जरा अन्तर्मुख बनेंगे तो पता चलेगा कि हममें से अधिकांश किसी श्रेणीके हैं। मुश्किलसे किसी अच्छे सज्जन या सन्मित्रकी प्रेरणासे, अथवा कौशी अच्छी पुस्तक पढ़नेसे, या देशमें हो रहे महान आन्दोलनोंके पवित्र प्रभावसे हममें जीवनके विषयमें कुछ गंभीरता आने लगी है, हमारे जीवन-व्येयका मेरुदण्ड थोड़ा मजबूत होने लगा है। असे समय फिसलना हमें पुसा नहीं सकता। अतः हमें सावधान रहनेकी बड़ी जरूरत है।

परन्तु अन्हें भयंकर मानकर अूनसे भागनेकी जरूरत नहीं। अीश्वर-कृपासे और हमारे सब साथियोंके अच्छे सहवाससे हममें आत्म-विश्वास आनेमें देर नहीं लगेगी।

फिर हमें ये आनंदी परन्तु अगंभीर लोग फिसला नहीं सकेंगे। अल्टे हम ही अन्हें सेवा-जीवनकी ओर धीरे धीरे मोड़ लेंगे। जत्र तक हमारे जीवनका पौधा कोमल है, तब तक सावधान रहकर अुसका जतन करना हमारा फर्ज है। पेड़ मजबूत हो जायगा तब तो वह सबको अपनी तरफ खींचेगा और कोजी कभी अुसके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो भी वह अुसे अनायास सह लेगा और अिसके बावजूद सबको लाभ पहुंचानेका अपना धर्म वह अुतने ही आनंदसे पालता रहेगा।

यह सब जो मैंने कहा अुसका सार अितना ही है कि लोगोंके दिमागों और स्वभावोंकी रचना अलग अलग प्रकारकी होनेसे भले ही अनेक लोगोंको अनेक कारणोंसे प्रार्थना निकम्मी लगती हो, परन्तु हमें तो अुसमें श्रद्धा है और दिनोंदिन यह अनुभव होता जा रहा है कि हमें अुससे बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रार्थनासे अपने सब साधियोंके साथ हमारी आत्मा अेकता अनुभव करती है। हमारे सेवाकार्यमें वह आशाका सिंचन करती है। हमारे कठोर जीवनमें वह रस अुंडेलती है। और कसौटीके समय वह हमें बचा लेती है।

प्रवचन ५०

प्रार्थनाका शरीर

अब तक हमने प्रार्थनाकी आत्माका विचार किया। अब हम अुसके शरीरका विचार करेंगे। शरीरका यानी अुसके बाह्य स्वरूपका। यानी प्रार्थनामें किन किन चीजोंका समावेश हो, अुसके लिअे कैसा स्थान चुना जाय, अुसे कितना समय दिया जाय, अुसे करते समय कैसे आसन पर बैठ जाय, अुसकी भाषा कैसी हो? अित्यादि अित्यादि।

स्वयंस्फूर्तिवादियोंका तो यह सुनकर मुंह अुतर जायगा। वे कहेंगे: 'अिस प्रकार प्रार्थनाको भी यदि चारों तरफसे घेरकर अुसका अेक ढांचा बना देना हो, तो फिर स्वयंस्फूर्तिके लिअे गुंजाअिश ही कहां रह जाती है?' परन्तु अुन्हें भी अपने स्फूर्ति-युक्त ध्यान-धारणा-भक्तिमें बाह्य अंगोंका कुछ तो आश्रय लेना ही पड़ता है। बैठनेका अपना कोना निश्चित करना पड़ता है, वहां अपने अनुकूल आसन निश्चित रखना पड़ता है। कुछ भजन, मंत्र अित्यादि भी सोच लेने होते हैं।

हमें अेक बड़े समूहमें अिकट्टा होकर प्रार्थना करनी पड़ती है, अिसलिअे प्रार्थनाके शरीरका विचार अनेक पहलुओंसे करना ही होगा। सारे समूहमें सबकी सुविधाका ध्यान रखा जाय, सबकी व्यवस्था रखी जाय, सबकी रुचिका खयाल रखा जाय— यह सब अच्छी तरह सोचकर यदि प्रार्थनाका प्रबंध किया जाय, तो ही वह सफल सिद्ध होगी और समूहका प्रत्येक सदस्य आनंदपूर्वक अुससे अपनी योग्यतानुसार लाभ अुठा सकेगा।

फिर हम उसके सामने जानेमें शर्मायेंगे नहीं; आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिलनेकी आशासे खुशी खुशी उसके सामने जायेंगे।

दो समयके दो संध्याकाल — अतना कहनेसे जिस जमानेके हम लोगोंको स्पष्ट कल्पना नहीं होती। हम तो घड़ीकी सुझी और मिनट मिनटके हिसाबसे चलनेवाले ठहरे। समूहकी अनुकूलताके लिये घड़ीके निश्चित समय ही तय करने चाहिये। बराबर उसी मिनट और उसी सेंकड पर प्रार्थना गुरु होनी चाहिये, न अक मिनट जल्दी और न अक मिनट देरसे। जैसी सावधानी रखी जाय तो ही समूहके प्रत्येक सदस्यके दिलमें शांति रहेगी और अपने हाथके कामकाजसे निपटकर वह शांतिसे प्रार्थनामें समय पर पहुंच जायगा।

घड़ीका समय निश्चित करते समय हमारे जैसे देशके अन्य सब आश्रमोंकी सहूलियतका खयाल भी रखा जाय तो कितना अच्छा हो? जैसा करें तो कितनी ही दूर क्यों न हों, किसी भी प्रांत या गांवमें क्यों न बैठे हों, अक विचार और अक आचारके हम सब लोग अक ही समय पर प्रार्थना कर सकते हैं।

सायंकालकी प्रार्थनाके लिये जिस प्रकार सोचने पर ७।। वजेका समय हर तरह अनुकूल माना जायगा। आश्रम-पद्धतिसे रहनेवाली संस्थायें और परिवार आम तौर पर शामको ६ वजे भोजन कर लेते हैं। उसके बाद वायु-सेवन, खेल-कूद आदि हलके कार्यक्रमोंके लिये काफी समयकी व्यवस्था रखते हुये ७।। का समय प्रार्थनाके लिये ठीक लगता है। आकाशमें संध्या भी उस समय खिलनेकी तैयारीमें होती है।

जिससे अविक देर करनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। प्रार्थनाके बाद और निद्राका प्रभाव जमनेसे पहले अध्ययनशील लोग यह जरूर चाहेंगे कि थोड़ा शांतिका समय अंनके लिये रहे। प्रार्थना देरसे हो तो अंनमें कमी हो जाती है।

जिसी प्रकार सुबहकी प्रार्थनाका सही समय कौनसा है, यह तय करना सायं-प्रार्थनाकी तरह आसान नहीं है। जिसमें बहुतसी दृष्टियां खयालमें रखनी होंगी। और आश्रमवासियोंमें मतभेद भी है।

सूर्य अगने अथवा आकाश लाल होनेकी भी प्रतीक्षा करने लगे तो बहुत देर हो जाय। प्रार्थनाका सही समय अपुपकालसे भी थोड़ा जल्दी रखना चाहिये। जिस समयको ही प्राचीन भाषामें ब्राह्म-भूर्जका नाम दिया जाता था; आजकलकी घड़ीकी भाषामें उसे चार वजेका समय कहा जा सकता है। जल्दी चार वजे जागना और सूर्यके अगनेसे पहले प्रार्थना करके शौचादि नित्यकर्म पूरा करनेके बाद अपने अपने काममें लगनेकी तैयार हो जाना आश्रमकी दिनचर्याकी बुनियाद है।

अतनी जल्दी जागनेके विरुद्ध कोजी कोजी लोग आवाज उठाते हैं, पर अंनकी आवाजकी तरफ ध्यान देनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। क्योंकि हमें मालूम है कि जिन आवाज उठानेवालोंको तो आश्रम-जीवनकी बहुतसी कठिनायियोंके विरुद्ध शिकायत होती है। प्रयत्नपूर्वक जल्दी सोनेकी आदत डालकर जल्दी जागनेकी आदत डालना और अंनमें प्रसन्नता अनुभव हो जैसी स्थिति बना लेना ही ठीक होगा।

जिस संवंधमें किसीके बारेमें कुछ विचार करनेकी बात यदि हो सकती है तो वह कच्ची अुम्रके लड़के-लड़कियोंके बारेमें है। अुनके लिये प्रार्थना देरसे करनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं कि अुन पर दया करके अुन्हें प्रार्थनाका लाभ खानेकी प्रोत्साहित किया जाय। हरगिज नहीं। जल्दी जागकर प्रार्थनामें भाग लेनेके लिये अुन्हें सदा प्रोत्साहित ही करना चाहिये। इसके लिये अुन्हें रातको आठ-साढ़े आठ बजे तक सो जानेकी आदत आग्रहपूर्वक सिखा देनी चाहिये। बड़ी अुम्रके लोगोंके साथ रातको देर तक दियेके पास बैठकर पढ़ते रहने, तास खेलने या गप्पें मारनेकी जो कुदव आजके जमानेमें कच्ची अुम्रके लड़के भी डाल लेते हैं, वह बहुत बुरी है।

अितने जल्दी सोनेके बाद भी नींदका कर्ज चुकाना वाकी रह जाता मालूम हो, तो अैसे बच्चोंको दोपहरके भोजनके बाद १५ से ३० मिनट तक वामकुक्षी कर लेनेकी आदत डालनेमें हर्ज नहीं, यद्यपि सावधान न रहें तो यह आदत डालनेमें बकरीको बाहर निकालनेमें अूँटके घुस जानेका खतरा है। अैसा न हो कि रातको जल्दी सोनेमें धीरे धीरे ढिलाजी आये, सुबह जल्दी जागनेमें भी वैसा ही होने लगे और दोपहरका सोना सिर्फ १५ मिनटकी वामकुक्षी न रहकर खासा दो-तीन घंटेका रजाधी तानकर सोनेका कार्यक्रम हो जाय! परन्तु वैसे तो आश्रम-जीवनका अेक भी अंग अैसा नहीं है, जिसमें यदि हम जाग्रत न रहें तो फिसल पड़नेका खतरा न हो।

प्रार्थना कुछ देरसे रखनेके लिये अेक और मजबूत दलील यह दी जाती है कि प्रार्थना जैसा पवित्र कार्य नहा-धोकर पवित्र होकर करना चाहिये। अेक तरफ यह पवित्र होनेका हमारे पूर्वजोंका प्राचीन विचार है और दूसरी तरफ हमारा यह आधुनिक विचार है कि जागकर दिनका शुभ आरंभ प्रार्थनासे ही किया जाय। अिन दो विचारोंमें से पिछला विचार ही सब दृष्टियोंसे अच्छा मालूम होगा। प्रार्थनासे पहले शौच और मुखमार्जन तो हो ही जाना चाहिये; इसकी सुविधा देनेके लिये जागनेका समय चार बजेका रखकर प्रार्थनाका साढ़े चारका रखना ठीक होगा।

अितना करते हुअे भी खतरा तो रहता ही है। संभव है शौच आदिके हिस्सेका आधा घंटा लोग नींदको ही अर्पण कर दें और प्रार्थनाकी घंटी बजने पर विस्तरसे दौड़ते हुअे हाथ-मुंह धोये बिना ही प्रार्थनाकी जगह पर आकर बैठ जायं। आश्रमोंमें ये घटनाअें रोजमर्रा होती हैं। यह देखकर अक्सर जल्दी जागनेके बारेमें लोगोंका मन अुदासीन बन जाता है। परन्तु अैसा नहीं होने देना चाहिये। आश्रम जैसी संस्थाओंमें हम अिस हेतुसे रहते हैं कि सबल साथियोंके सहारेसे दुर्बल मनवाले लोग भी दिनोंदिन अूँचे अुठ सकें। निर्बल सदस्योंके मापसे ही सब चलने लगे, तब तो हम थोड़े ही समयमें आश्रम न रहकर अेक ध्येयहीन अयवा नियमहीन अव्यवस्थित अखाड़ा बन जायेंगे।

प्रार्थनाका आसन

आसनके संवंधमें भी थोड़ा विचार कर लेनेकी जरूरत है। प्रार्थनामें अेकाग्र होनेका प्रयत्न होना ही चाहिये; और अुसके लिये स्थिर, अटल आसनसे बैठना जरूरी है।

अस वारेमें पुराने योगियोंने बहुत गहरा विचार किया है। अस तरह बैठना चाहिये कि शरीर, मस्तक और गरदन सीधी रेखामें रहें, पद्मासन लगायें, हिलें-डुलें नहीं, आंखें अघखुली और दोनों भौंहोंके बीचमें रखें, श्वास समान गतिसे लें, अित्यादि विस्तृत सूचनाओं अन्होंने दी हैं।

अिनमें से अधिकांश बातें काफी अभ्यास करनेसे ही सिद्ध हो सकती हैं। हम यह नियम नहीं बना सकते कि आश्रम-प्रार्थनामें सब अैसा अभ्यास किये दुअे लोग ही आयें। परन्तु योगमार्गकी अपुरोक्त सूचनाओंमें निहित सिद्धान्तको समझ कर सब लोग आसानीसे किया जा सकनेवाला और अेकाग्रतामें सहायक होनेवाला आसन निश्चित कर सकते हैं। सादी पलथी मारकर बैठना, गरदन, कमर और रीढ़ सीधी रखना, शरीर या हाथ-पैर हिलने न देना, आंखें बन्द रखना — अस ढंगसे विशेष श्रम किये विना सब लोग बैठ सकते हैं।

अिसके लिये भी मनकी तैयारी तो होनी ही चाहिये। अुसके न होनेसे आश्रम-प्रार्थनाओंमें लोग ढीली कमर रखकर थैलेकी तरह बैठे दुअे पाये जाते हैं। बहुतीकी गरदन भी ढीली होती है।

अिस मामलेमें कुछ लोगोंको अेक गलतफहमी भी हो सकती है। आश्रम-जीवनमें नम्रता — अहिंसा अेक बहुत ही महत्त्वका गुण माना जाता है। असमें ढीली और टेढ़ी गरदनवाली बैठकके आसनका संबंध नम्रताके साथ जोड़ दिये जानेका खतरा रहता है। असलमें यह अेक भयंकर भ्रम है। जैसे निर्बलता अहिंसा नहीं है, वैसे ही ढीलापन भी नम्रता नहीं है। हमें प्रयत्नपूर्वक दृढ़ — सीधे आसनकी आदत डाल ही लेनी चाहिये; खास तौर पर जब तक प्रार्थनाका मूल भाग चल रहा हो तब तक — अर्थात् १५ से २० मिनट तक अैसा आसन जरूर रखा जाय। वादमें प्रवचन और पाठके समय सामान्य ढंगसे बैठें तो काम चल सकता है।

दूसरे, यदि आसनकी दृढ़तामें दृढ़ मनका साथ न हो तो जरा-सी देरमें कमर लचक जाती है, शरीर वार-वार हिलता है, गरदन और हाथ-पैर वार-वार दायें वायें होते रहते हैं। कुछ देरमें पलथी, कुछ देरमें अुलटे पांव, कुछ देरमें हाथका सहारा, अस प्रकार प्रार्थनाके दौरानमें चल-विचल स्थिति होती ही रहती है। असलिये यहां बताया हुआ सादा आसन भी सच्चे मनसे प्रयत्न करें तो ही सिद्ध किया जा सकता है।

आसनका विचार करते समय कुछ और दृष्टियां भी रखने लायक हैं। वे संक्षेपमें ये हैं — आपसमें किसीके घुटने न छुअें और किसीकी सांस दूसरेके मुंह पर न जाय, अितना अंतर रखकर बैठनेकी सावधानी रखी जाय। शरीरके किसी विकारके कारण किसीकी सांसमें वदवू आती हो, तो अुसे खुद समझ-सोचकर दूसरोंसे जरा अलग बैठना चाहिये।

आम तौर पर पहले हम बैठते हैं तब तो अन्तर रखकर बैठते हैं। परन्तु कोअी न कोअी मित्र जरा देरसे आनेवाले होते ही हैं और अुन्हें अपने कुछ मित्रोंके पास बैठनेकी अिच्छा हो आती है, अथवा कोअी किसी जगहको अच्छी मानकर वहीं

बैठनेका आग्रह रखकर आते हैं, अथवा अन्हें प्रार्थनाके व्यासपीठके नजदीक बैठना होता है। जिसलिये वे फच्चरकी तरह बीचमें घुसते हैं। जिससे दोनों तरफके सदस्योंको दबना पड़ता है और घुटने पर घुटना और कंधे पर कंधा चढ़ानेको मजबूर होना पड़ता है। जिस प्रकार बहुतांके लिये उस दिनकी सारी प्रार्थना एक प्रकारकी असुविधा और असुखकी भावनासे घिर जाती है। जिसमें भी यदि देरसे आनेवाले वे मित्र प्रार्थना शुरू होनेके बाद बीचमें घुसते हैं तब तो हमारी अकाग्रता नष्ट हो जाती है। दालके जलकर नष्ट हो जानेकी तरह हमारी उस दिनकी प्रार्थना सचमुच नष्ट हो जाती है।

जैसे साहसी लोग बीचमें घुसकर खेल विगाड़ते हैं, वैसे साहसहीन भी दूसरी तरहका विगाड़ करते हैं। जैसे साहसहीन, शर्मिलि स्वभावके मनुष्योंको किसी भी सभामें खाली जगह होने पर आगे जाकर बैठनेकी हिम्मत नहीं होती। वे सदा सभास्थानमें घुसते ही पहलीसे पहली खाली जगह देखकर बैठ जाते हैं। अुनके जैसे स्वभाववाला दूसरा आये तो वह भी अुनके आगे जाकर कैसे बैठ सकता है ? वह और पीछे बैठेगा। जिस तरह करते करते अिन शर्मिलि भावियोंकी शरमका जोड़ अितना बढ़ा हो जाता है कि सभाका प्रवेश-द्वार बन्द हो जाता है और नये आनेवालोंके लिये अन्दर जानेकी जगह नहीं रहती। सभाके अन्दर बीचमें बहुत जगह खाली होनी है, परन्तु वहां पहुंचनेके लिये कभी लोगों पर क्रूद-क्रूद कर जाना पड़ता है।

हम जरा अधिक व्यवस्थित होना सीख लें, तो अैम विक्षेपोंसे बड़ी आसानीसे बच सकते हैं। प्रार्थनाके नियमित सदस्य अपनी जगह निश्चित करके रोज वहीं बैठ करें और वे देरसे आयें तो भी दूसरे अुनकी जगह खाली रहने दें। प्रार्थनामें गांव-वाले या दूसरे अनियमित लोग आते हों, तो अुनके लिये अेक निश्चित स्थान अलग रखना चाहिये और वे मनचाहे ढंगसे किनारे पर न बैठकर जैसे जैसे आते जायें वैसे वैसे ठेठ अंदरके भागमें बैठते जायें अैसी तालीम अुन्हें देनी चाहिये।

प्रवचन ५१

प्रार्थना किस भाषामें की जाय ?

प्रार्थनामें संस्कृत, अरबी वगैरा अनेक भाषाओंमें से मंत्र, श्लोक या आयतें लेनेका आकर्षण रहता ही है। हमारे धर्मग्रंथ, वेद, अुपनिषद्, गीता, कुरान आदि अिन भाषाओंमें हैं। और अुनमें हमें सारी धार्मिक भावनाओंके मूल स्रोत मिल जाते हैं, अिमलिये प्रार्थनाका चुनाव करते समय हमारा अिन प्राचीन स्रोतोंकी तरफ मुड़ना स्वाभाविक है।

परन्तु प्रार्थना हमारे लिये केवल अेक धर्म-विधि अथवा बाह्य आचार ही नहीं है। हम तो अुससे नित्य नयी प्रेरणा और आत्मवल प्राप्त करना चाहते हैं। अिसलिये अुनकी भाषा अैसी होनी चाहिये, जिसे हम स्वाभाविक रूपमें अिना कितनी प्रयासके समझ सकें।

हमारा समूह संस्कृत, अरबी आदि भाषाओंका अान रखनेवाले विद्वानोंका बना हो, तब तो अिन भव्य भाषाओंमें प्रार्थना करनेका आनंद हम जरूर लूट सकते हैं। परन्तु ज्यादातर हम अपनी प्रार्थनाओंमें आश्रमवासी बहनों और बच्चोंकी शरीक करना

चाहते हैं, ग्रामवासी जनताको भी उसका स्वाद लगाना चाहते हैं। जिसलिये हम स्वयं प्राचीन धर्म-भाषाओंका सीधा रसास्वाद कर सकें, तो भी हमें अपनी सामूहिक प्रार्थनाकी भाषा ऐसी रखनी चाहिये जिसे सब कोभी समझ लें। संस्कृत मंत्र पढ़नेसे एक तरहका धार्मिक दिखावा जरूर खड़ा हो जाता है, परन्तु दिखावा करनेमें प्रार्थनाकी आत्मा चली जाय तो वह किस कामका?

तब प्रश्न अठता है कि सत्याग्रह आश्रमकी प्रचलित प्रार्थनाओं संस्कृतमें क्यों होती हैं? जिसके कुछ कुदरती कारण हैं। एक तो गांधीजीके आश्रममें हमेशा अनेक भाषाओं बोलनेवाले सदस्योंका समूह होता है और अंशमें बहुतसे विद्वान होते हैं, जिसलिये सामान्य भाषाके रूपमें संस्कृत भाषासे वहां सहज ही सबका काम चल सकता है; यद्यपि वहां भी स्त्रियों, बालकों, कारीगरों आदि कम विद्वानों अथवा अविद्वानोंका वर्ग छोटा नहीं होता और अन्हें तो विद्वानोंके साथ बिना समझे चलना और तोतेकी तरह रटन ही करना होता है।

दूसरे, गांधीजीके सिद्धान्तोंकी प्रेरणासे देशके अलग अलग प्रान्तोंमें अनेक आश्रम चल रहे हैं। अंश सब संस्थाओंमें प्रार्थनाओं एकसी हों, यह बड़ी सुन्दर और भव्य वस्तु है। संस्कृत एक सर्व-सामान्य भाषाके तौर पर जिस तरह भी अच्छा काम दे सकती है। आज गांधीजी देशके किसी भी भागमें सफर कर रहे हों, परन्तु प्रार्थनाकी रचना समान होनेसे लोग अंशकी प्रार्थनामें शरीक हो सकते हैं; अगर गांधीजी गुजरातीमें प्रार्थना करें तो ऐसा नहीं हो सकता।

परन्तु यह पिछली दृष्टि ही हमारे सामने हो, तब तो प्रार्थनाकी सर्व-सामान्य भाषाका स्थान संस्कृतके बजाय राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी अधिक अच्छी तरह ले सकती है। देशके किसी भी प्रान्तमें उसे सीखना और समझना संस्कृतसे बहुत ज्यादा आसान होगा। और न सीखे हुअे लोग भी आसानीसे उसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं।

असलमें आश्रम-प्रार्थनाओंका यदि कोयी सबसे अधिक लोकप्रिय अंग हो तो वह अंशका श्लोक-विभाग नहीं, परन्तु संत-कवियोंके हिन्दी भाषाके भजन ही हैं। श्लोक एक प्रकारका धार्मिक विधिका वातावरण जरूर पैदा करते होंगे, परन्तु निष्प्राण वातावरणकी क्या कीमत? अधिकसे अधिक लोग आश्चर्यसे कहेंगे, "वाह! कैसी भव्य प्रार्थना है! मानो किसी प्राचीन ऋषिका आश्रम हो!" परन्तु ऋषिका सन्देश क्या है, यह अंशसे बहुत थोड़े लोग समझ सकेंगे। परन्तु भजन हिन्दी भाषामें होनेसे सीधे अंशके अन्तरमें अंतर जाते हैं, अंशमें हिला देते हैं और गांधीजी क्या कहना चाहते हैं, यह समझनेके लिये अंशकी हृदय-भूमिको तैयार कर देते हैं।

तब प्रचलित प्रार्थनामें संस्कृत भाषाको स्थान कैसे मिल गया? ऐसा मालूम होता है कि अंशके मूल निर्माता संस्कृतके अभ्यासी और प्राचीन धर्म-साहित्यके भक्त रहे होंगे। अंशमें से अंशमें प्रार्थनामें लेने लायक पूरेके पूरे प्रकरण मिल गये।

गीतामें से स्थितप्रज्ञका प्रकरण संपूर्ण और सम्बद्ध मिल गया। हम जैसे सेवक बननेकी रात-दिन कोशिश कर रहे हैं, अंशका कितना सुन्दर, कितना शास्त्र-शुद्ध

निरूपण अुसमें है ! और अुसके साथ साथ गीता जैसे पूज्य ग्रंथका संव्य, व्याप्त जैसे अृषि और श्रीकृष्ण जैसे देवता। फिर चुनाव हो जानेमें क्या देर लग सकती थी ? अुन्हें यह विचार जरूर आया होगा कि भाषा संस्कृत है, स्त्री-वर्चोंको मुश्किल पड़ेगी। परन्तु अुन्होंने मनको समझा लिया होगा : “हम अुनकी मदद करेंगे, अुन्हें सिखा देंगे; अितनी-सी मेहनतके डरसे अैसी प्रासादिक वस्तु छोड़ देना कायरता ही मानी जायगी।”

अिसी प्रकार श्री शंकराचार्यके ‘प्रातः स्मरामि’ और ‘नमस्ते सते’ वाले मुन्दर स्तोत्र मिल गये। “प्रार्थनामें हमें यही चाहिये। गहन गम्भीर वेदान्तमें डुबकी भारना और साथ ही भक्तिरसमें ओतप्रोत होना ही हमारी आत्माकी भूख है। शंकराचार्यके सिवा और कौन अिस भूखको मिटानेवाला मिल सकता है ? अुनकी भाषा संस्कृत है, परन्तु अिस कारणसे हम कायर क्यों बन जायं ? अुसे हम प्रयत्न करके नमज लेंगे। प्रार्थनाके पीछे हमारा सजीव प्रयत्न न हो, तो फिर वह प्रार्थना कैसी ?”

अिस तरहकी और भी तैयार चीजें पुराने धर्म-साहित्यमें से मिल गयीं और अर्वाचीन प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय भाषाओंमें अितना सन्तोष देनेवाला तुरन्त कुछ मिल नहीं सका। संस्कृत श्लोकोंके अनुवाद करके काम चलानेकी अिच्छा हुई होगी, परन्तु साहित्यकी अूंजीसे अूंजी रसिकता रखनेवालोंके मन अिस विचारसे खट्टे हो गये होंगे : “अृषियों और महात्माओंकी अिस वाणीका प्रसाद, अुसकी गूंज भाषान्तरोंमें कौन ला सकता है ? मूल मूल ही है और छाया छाया ही है !”

यह तो हमने प्रार्थनाकी रचना करनेवालोंके मानसका चित्र प्रस्तुत किया। परन्तु आश्रम-प्रार्थनामें कुछ नअी वृद्धि भी हुई है। अुसमें भी प्राचीन भाषाओं ही आयी हैं। अिस वृद्धिमें अेक तो कुरान शरीफकी आयतें हैं। प्राचीन अरबी और कुरानकी दिव्य वाणीके प्रति मुसलमानोंकी भक्ति प्रसिद्ध है। कुरानसे कुछ भाग लेनेका विचार हो तो तरजुमेका खयाल सपनेमें भी आना मुश्किल है।

दूसरी नअी वृद्धि ‘तेन त्यक्तेन भुंजीथाः’ अिस विचारवाले अुपनिषद्-मंत्रकी है। जबसे हम सबके रोम-रोममें रमा लेने लायक यह विचार प्रार्थनामें आया, तबसे प्रार्थनाकी प्राणशक्ति जरूर बहुत बढ़ गयी है। कैसी काव्यमय, कैसी सरल, कैसी मधुर अिस अृषिकी संस्कृत भाषा है ! प्रचलित भाषाके किसी कविने अितने मुन्दर ढंगसे यह विचार पेश किया हो, अैसा कहीं देखनेमें नहीं आता। पता नहीं अिस जमानेके हम लोग अितने पामर कैसे हो गये हैं कि अुन अृषियों जैसी सीधी, सरल और अोजपूर्ण वाणी बोलनेवाला अेक भी कवि हममें पैदा नहीं होता।

अिस प्रकार आश्रमकी प्रार्थनाअें संस्कृत जैसी प्राचीन धर्म-भाषाओंसे ली गयी है और होती आयी है, यह जानते अुझे भी और प्राचीन वाणीके प्रसाद आदिका परिचय होते अुझे भी अिसमें अंका नहीं कि हमें प्रार्थनाओंकी भाषा अपनी राष्ट्र-भाषाको ही बना लेना चाहिये।

चाहते हैं, ग्रामवासी जनताको भी उसका स्वाद लगाना चाहते हैं। जिसलिये हम स्वयं प्राचीन धर्म-भाषाओंका सीधा रसास्वाद कर सकें, तो भी हमें अपनी सामूहिक प्रार्थनाकी भाषा ऐसी रखनी चाहिये जिसे सब कोभी समझ लें। संस्कृत मंत्र पढ़नेसे अंक तरहका धार्मिक दिखावा जरूर खड़ा हो जाता है, परन्तु दिखावा करनेमें प्रार्थनाकी आत्मा चली जाय तो वह किस कामका ?

तब प्रश्न उठता है कि सत्याग्रह आश्रमकी प्रचलित प्रार्थनाओं संस्कृतमें क्यों होती हैं ? जिसके कुछ कुदरती कारण हैं। एक तो गांधीजीके आश्रममें हमेशा अनेक भाषाओं बोलनेवाले सदस्योंका समूह होता है और उनमें बहुतसे विद्वान होते हैं, जिसलिये सामान्य भाषाके रूपमें संस्कृत भाषासे वहां सहज ही सबका काम चल सकता है; यद्यपि वहां भी स्त्रियों, बालकों, कारीगरों आदि कम विद्वानों अथवा अविद्वानोंका वर्ग छोटा नहीं होता और अन्हें तो विद्वानोंके साथ बिना समझे चलना और तोतेकी तरह रटन ही करना होता है।

दूसरे, गांधीजीके सिद्धान्तोंकी प्रेरणासे देशके अलग अलग प्रान्तोंमें अनेक आश्रम चल रहे हैं। उन सब संस्थाओंमें प्रार्थनाओं अकसी हों, यह बड़ी सुन्दर और भव्य वस्तु है। संस्कृत अंक सर्व-सामान्य भाषाके तौर पर जिस तरह भी अच्छा काम दे सकती है। आज गांधीजी देशके किसी भी भागमें सफर कर रहे हों, परन्तु प्रार्थनाकी रचना समान होनेसे लोग उनकी प्रार्थनामें शरीक हो सकते हैं; अगर गांधीजी गुजरातीमें प्रार्थना करें तो असा नहीं हो सकता।

परन्तु यह पिछली दृष्टि ही हमारे सामने हो, तब तो प्रार्थनाकी सर्व-सामान्य भाषाका स्थान संस्कृतके वजाय राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी अधिक अच्छी तरह ले सकती है। देशके किसी भी प्रान्तमें उसे सीखना और समझना संस्कृतसे बहुत ज्यादा आसान होगा। और न सीखे हुअे लोग भी आसानीसे उसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं।

असलमें आश्रम-प्रार्थनाओंका यदि कोभी सबसे अधिक लोकप्रिय अंग हो तो वह उनका श्लोक-विभाग नहीं, परन्तु संत-कवियोंके हिन्दी भाषाके भजन ही हैं। श्लोक अंक प्रकारका धार्मिक विधिका वातावरण जरूर पैदा करते होंगे, परन्तु निष्प्राण वातावरणकी क्या कीमत ? अधिकसे अधिक लोग आश्चर्यसे कहेंगे, "वाह ! कैसी भव्य प्रार्थना है ! मानो किसी प्राचीन ऋषिका आश्रम हो !" परन्तु ऋषिका सन्देश क्या है, यह उससे बहुत थोड़े लोग समझ सकेंगे। परन्तु भजन हिन्दी भाषामें होनेसे सीधे उनके अन्तरमें अतर जाते हैं, अन्हें हिला देते हैं और गांधीजी क्या कहना चाहते हैं, यह समझनेके लिये उनकी हृदय-भूमिको तैयार कर देते हैं।

तब प्रचलित प्रार्थनामें संस्कृत भाषाको स्थान कैसे मिल गया ? असा मालूम होता है कि उसके मूल निर्माता संस्कृतके अभ्यासी और प्राचीन धर्म-साहित्यके भक्त रहे होंगे। उसमें से अन्हें प्रार्थनामें लेने लायक पूरेके पूरे प्रकरण मिल गये।

गीतामें से स्थितप्रज्ञका प्रकरण संपूर्ण और सम्बद्ध मिल गया। हम जैसे सेवक बननेकी रात-दिन कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना सुन्दर, कितना शास्त्र-गढ़

निरूपण अुसमें है ! और अुसके साथ साथ गीता जैसे पूज्य ग्रंथका संवंध, व्याप्त जैसे अृषि और श्रीकृष्ण जैसे देवता । फिर चुनाव हो जानेमें क्या देर लग सकती थी ? अुन्हें यह विचार जरूर आया होगा कि भाषा संस्कृत है, स्त्री-वचनोंको मुश्किल पड़ेगी । परन्तु अुन्होंने मनको समझा लिया होगा : “ हम अुनकी मदद करेंगे, अुन्हें सिखा देंगे; अितनी-सी मेहनतके डरसे अैसी प्रासादिक वस्तु छोड़ देना कायरता ही मानी जायगी । ”

अिसी प्रकार श्री शंकराचार्यके ‘प्रातः स्मरामि’ और ‘नमस्ते सते’ वाले मुन्दर स्तोत्र मिल गये । “ प्रार्थनामें हमें यही चाहिये । गहन गम्भीर वेदान्तमें डुबकी मारना और साथ ही भक्तिरसमें ओतप्रोत होना ही हमारी आत्माकी भूख है । शंकराचार्यके सिवा और कौन अिस भूखको मिटानेवाला मिल सकता है ? अुनकी भाषा संस्कृत है, परन्तु अिस कारणसे हम कायर क्यों बन जायं ? अुसे हम प्रयत्न करके नमज लेंगे । प्रार्थनाके पीछे हमारा मजीब प्रयत्न न हो, तो फिर वह प्रार्थना कैसी ? ”

अिस तरहकी और भी तैयार चीजें पुराने वर्म-साहित्यमें से मिल गयीं और अर्वाचीन प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय भाषाओंमें अितना सन्तोष देनेवाला तुरन्त कुछ मिल नहीं सका । संस्कृत श्लोकोंके अनुवाद करके काम चलानेकी अिच्छा हुआ होगी, परन्तु साहित्यकी अूँचीसे अूँची रसिकता रखनेवालोंके मन अिस विचारमें तृष्टे हो गये होंगे : “ अृषियों और महात्माओंकी अिस वाणीका प्रसाद, अुसकी गूँज भाषान्तरोंमें कौन ला सकता है ? मूल मूल ही है और छाया छाया ही है ! ”

यह तो हमने प्रार्थनाकी रचना करनेवालोंके मानसका चित्र प्रस्तुत किया । परन्तु आश्रम-प्रार्थनामें कुछ नयी वृद्धि भी हुआ है । अुसमें भी प्राचीन भाषाओं ही आयी हैं । अिस वृद्धिमें अेक तो कुरान शरीफकी आयतें हैं । प्राचीन अरबी और कुरानकी दिव्य वाणीके प्रति मुसलमानोंकी भक्ति प्रसिद्ध है । कुरानसे कुछ भाग लेनेका विचार हो तो तरजुमेका खयाल मपनेमें भी आना मुश्किल है ।

दूसरी नयी वृद्धि ‘तेन त्यक्तेन भुंजीथाः’ अिस विचारवाले अुपनिषद्-मंत्रकी है । जवसे हम सबके रोम-रोममें रमा लेने लायक यह विचार प्रार्थनामें आया, तवसे प्रार्थनाकी प्राणशक्ति जरूर बहुत बढ़ गयी है । कैसी काव्यमय, कैसी सरल, कैसी मधुर अिस अृषिकी संस्कृत भाषा है ! प्रचलित भाषाके किसी कविने अितने मुन्दर ढंगसे यह विचार पेश किया हो, अैसा कहीं देखनेमें नहीं आता । पता नहीं अिन जमानेके हम लोग अितने पामर कैसे हो गये हैं कि अुन अृषियों जैसी सीधी, सरल और ओजपूर्ण वाणी बोलनेवाला अेक भी कवि हममें पैदा नहीं होता ।

अिस प्रकार आश्रमकी प्रार्थनाअें संस्कृत जैसी प्राचीन वर्म-भाषाओंसे ली गयी है और होती आयी है, यह जानते हुअे भी और प्राचीन वाणीके प्रसाद आदिका परिचय होते हुअे भी अिसमें शंका नहीं कि हमें प्रार्थनाओंकी भाषा अपनी राष्ट्र-भाषाको ही बना लेना चाहिये ।

असके सिवा, हमारा आश्रम ग्रामीण जनताकी सेवा करनेवाला ठहरा, जिसलिये हमें तो राष्ट्रभाषा भी भारी पड़ेगी। जिस कारणसे हमने प्रार्थनाओंको गुजरातीमें ही अुतार लिया है। हम जानते हैं कि ऐसा करनेमें भाषाकी प्रासादिकताका बलिदान हुआ है। परन्तु हम यह कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारे साथ घुल-मिल जानेवाले ग्रामवासी भाभी, बहनें और बच्चे तथा बहुतसे आश्रमवासी भी प्रार्थनाका कोअी अर्थ न समझें और जो बोलें अुसमें से थोड़ी भी शक्ति प्राप्त न करें? मूल प्रार्थना समझकर बोल सकनेवाले हमारे यहां मुश्किलसे ५-७ आदमी होंगे। अैसी परिस्थितिको पहचानकर यदि हम भाषा बदलनेकी हिम्मत न करें, तो सचमुच हमारी गिनती जड़ और लकीरके फकीरोंमें ही होगी।

प्रवचन ५२

प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये ?

प्रार्थनाके द्वारा हम अपने जीवनके सिद्धान्तोंको, अपने ध्येयोंको खूनमें रमा लेना चाहते हैं, अुनका रटन कर-करके दिन-प्रतिदिन अुनमें छिया हुआ अर्थ बाहर लाना चाहते हैं, जिसलिये अैसे सिद्धान्तों और ध्येयोंके वाचक श्लोक प्रार्थनाका मुख्य अंग बन गये हैं। असलमें यही मुख्य प्रार्थना है। अुसके बाकी सब अंग डाल-पत्ते हैं।

कुछ भक्तिभाववाले लोगोंको शायद जिससे संतोष न हो। अुनकी आत्मा तो भगवानकी महान शक्तियोंका वर्णन करनेवाली, अुसके चरणोंमें दीन बनकर अजे करनेवाली प्रार्थनाके लिये तरसती रहती है। कुछ लोग तत्त्वचिन्तक होते हैं। अुनकी आत्मा अैसी ही प्रार्थनासे संतोष पा सकती है, जिसमें अीश्वर-तत्त्वके निरंजन निराकार आदि गुणोंका और संसारकी असारताका वर्णन हो। अुन्हें हमारी प्रार्थना फीकी लग सकती है। वे कहेंगे, "अिसमें भक्तिका अुभार लानेवाले या ज्ञानके सागरमें गोते लगवानेवाले तत्त्व कहां हैं? अिसमें तो केवल नीतिके नियम ही संगृहीत किये गये हैं। प्रार्थनाके समय भी दो घड़ी दुनियाको भूलकर वैराग्यमें मस्त न हों, तो वह प्रार्थना कैसी? आप तो अुस समय भी जिसीकी रट लगाते हैं कि दुनियामें — समाजमें कैसे नीति-नियमोंका पालन किया जाय, अुसकी अुन्नति करनेके लिये कैसा जीवन बिताया जाय। केवल अितनेसे आत्माको कैसे संतोष हो सकता है?"

भक्त-हृदय लोग यह भी कहते हैं : "अिसका नाम ही 'प्रार्थना' है। अुसमें भगवानसे भक्तिपूर्ण याचना न हो तब तो अुसका नाम ही गलत हो जायगा!" शायद अुनका कहना सही हो और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं अुसके लिये 'प्रार्थना' नाम ठीक न हो। कुछ विचारक आश्रमवासी असके लिये 'अुपासना' नाम ज्यादा अुचित मानते हैं — अर्थात् जीवनके गंभीर प्रश्नोंका चिन्तन करनेके लिये, जीवनके सिद्धान्तोंको दृढ़ करनेके लिये दो घड़ी शांतिसे बैठना।

हमें शांतिसे बैठकर भगवानकी अुपासना ही करनी है, परन्तु हम भगवानको जनता-जनार्दनके रूपमें अथवा दरिद्र-नारायणके रूपमें देखते हैं। जिसलिये अुसकी सेवा ही हमारा भजन बन जाता है। अुसकी सच्ची पूजा हम तभी कर सकते हैं, जब हम अपना जीवन शुद्ध, निःस्वार्थ और निर्विकार बना लें। जिसलिये हम स्वाभाविक रूपमें अुपासनाके समय 'स्थितप्रज्ञ' के लक्षणोंका चिन्तन करना पसन्द करते हैं।

जिसी तरह, परमात्माने अपना निर्गुण निरंजन रूप तो हमसे छिपा रखा है। हमारे आंख-कान अितने स्थूल हैं कि जिनसे अुसे देखना-सुनना संभव नहीं है। अपनी बुद्धिको हम कितना ही सूक्ष्म बना लें, तो भी बुद्धिके द्वारा अुसका चिन्तन कर सकनेकी आशा नहीं है। जवान कितनी ही लंबी क्यों न बना लें, परन्तु वह अुस रूपका वाणीमें वर्णन कर सके अैसी आशा नहीं है।

परन्तु अीश्वरने यदि हमें जिस प्रकार तंग आश्रममें बन्द किया है, तो साथ ही अप्रगट रहते हुअे भी हमारे खातिर वह अैसे रूपमें प्रगट हुआ है जिसे हम देख सकें। कैसा सुन्दर है अुसका यह रूप ! कितना भव्य है ! जगमगाते तारोंसे भरा आकाश, तेजस्वी सूर्य और शीतल चंद्र, गगनचुम्बी पर्वत और विशाल समुद्र, हरेभरे वृक्ष और अिन सबसे अद्भुत प्राणी और प्राणियोंमें भी अिन सबके शिखर पर बुद्धि और भावनासे युक्त मनुष्यप्राणी — भगवानका यह प्रकटरूप हम आंखोंसे देख सकते हैं, वाणीसे अुसका गुणगान कर सकते हैं, अुस पर हम प्रेम बरसा सकते हैं, अपने भोग-विलास और स्वार्थोंका त्याग करके अुसे प्रसन्न कर सकते हैं। अुसकी सेवामें अपनेकी अर्पण कर, अपने प्राणोंका बलिदान देकर हम अुसमें अेकरूप हो सकते हैं। हम अत्यन्त भक्ति-भावसे प्रार्थनामें रोज प्रातःकाल अुस पीड़ित-नारायण अथवा दरिद्र-नारायणका स्मरण करते हैं :

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशम् ॥

अैसा है हमारा भगवान, अैसी है हमारी भक्ति। अिनीके अनुरूप हमने अपनी अुपासना अथवा प्रार्थना बना ली है।

प्रार्थनाका दूसरा अंग है भजन और धुन। वह प्रार्थनाका सबसे मधुर और अिन-लिये लोकप्रिय अंग है। छंदों बच्चे और ग्रामवासी भी अुसमें अद्वापूर्वक गरीक हो सकते हैं। अुसमें भी हम अपने प्रिय सिद्धान्त ही गाते हैं, परन्तु मंगीत और काव्यके रसोंमें मिलकर वे अच्छी तरह पकाये हुअे अन्नकी तरह मुपाच्य, रुचिकर और हृदयके बन जाते हैं।

अिसके लिये हमें तुलसीदास, सूरदास, कबीर, नरसिंह मेहता, मीराबाजी, तुकाराम जैसे संत-कवियोंकी विरासत मिली है, यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ? अिस विरासतका अुपयोग करनेमें हमने भापाके भेदको वाचक नहीं होने दिया है। गुजराती, हिन्दी, बंगाली, मराठी सब भाषाओंमें हम भजन गाते हैं।

आजका जमाना जिस मामलेमें हमें सूखी हुआ गाय जैसा लगता है। कवि और लेखक तो बहुत हैं। परन्तु वे भक्त और संत नहीं होते। फिर भी हमारी यह जड़ मान्यता नहीं है कि पुराना ही सोना है और नयेमें कुछ होता ही नहीं। हमारी आत्माको संतोष देनेवाले भजन आजकलके कवियोंमें मिल जाते हैं तो हम अपकार-सहित अन्हें भी ले लेते हैं। गुणदेव रवीन्द्रनाथ, नानालाल और नरसिंहरावके कुछ भजन हमारे प्रिय भजनोंमें हैं।

हमारे सिद्धान्त पुराने होने पर भी अुनका रूप-रंग और लिवाज नया ही है। सत्याग्रह, बलवानोंकी अहिंसा, निर्दोषमें रहनेवाली विरोधीका हृदय-परिवर्तन करनेकी अद्भुत शक्ति, अनासक्ति, हमारे ग्यारह व्रत, दरिद्र-नारायण और पतित-पावनकी भक्ति — अैसी अैसी वे नयी भावनाअें हैं। यह आशा हम सदा ही रखते हैं कि अिन सिद्धान्तोंके भजन और धुन गानेवाले नये संत-कवि पैदा होंगे और हमारे भजन-संग्रहमें नयी भरती करेंगे। अैसा समय आने तक हम पुराने संतोंकी वाणीमें अपने हृदयके भाव मिलाकर अुसे गाते हैं।

श्लोक-विभागमें हमने अपने व्ययका सीधा रटन ही रखा है, परन्तु भजनोंमें तो हम नित-नये भाव धारण कर सकते हैं। कभी सीवे 'वैष्णव-जन' के लक्षण गाते हैं, तो कभी 'हरिनो मारग छे शूरानो *' या 'शूर संग्रामको देख भागे नहीं' आदि वीर-वाणी भी गाते हैं। कभी रजके जैसे वन कर प्रभुके चरणोंमें बैठते हैं और 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' गाते हैं और अपने भीतरके दोष ढूँढ़नेकी कोशिश करते हैं। सत्यके मार्ग पर चलते हुअे कष्टोंका सामना करनेके और चारों ओरसे निराश होनेके छोटे-बड़े प्रसंग तो जीवनमें आते ही रहते हैं। अैसे समय 'सुनेरी मैंने निर्वलके बल राम' गाकर हम हृदयमें बल भरते हैं अथवा 'हरिने भजतां हजु कोजीनी लाज जती नयी जाणी रे +' यह भजन गाकर आशाके तंतुसे चिपटे रहनेका बल प्राप्त करते हैं।

भजनोंके कुछ प्रकार पुराने लोगोंमें प्रिय जान पड़ते हैं, परन्तु वे हमें बहुत पसन्द नहीं आते। वैराग्यके भाव भरनेके अुद्देश्यसे बहुतसे भजनोंमें संसारका नरककी खानके रूपमें वर्णन किया जाता है। संसारकी सेवा तो हमारी सावना ठहरी, अिस-लिअे अैसे भाववाले भजन हमें कैसे अच्छे लग सकते हैं? कामको जीतनेमें सहायता मिलेगी अिस हेतुसे कुछ भजन स्त्री-शरीरका घृणास्पद वर्णन करते हैं और अुससे भागनेका अुपदेश देते हैं। हम भी कामको जीतना तो चाहते हैं, परन्तु हमारी यह रीति कैसे हो सकती है? हमारी रीति तो स्त्रीके प्रति माताका भाव और सेवाका भाव पैदा करनेकी है। और कुछ भजन मौतके — यमकी यातनाओंके — भयके बाजे बजाते हैं, मौतसे वे हमें डराते हैं; अलवत्ता अिस हेतुसे कि हम अुससे बचनेके लिअे पवित्र जीवन बिताने लेंगे। फिर भी हमें अैसे भजनोंमें आनन्द नहीं आ सकता। हमें तो 'कर ले सिंगार

* हरिका मार्ग शूरोंका मार्ग है।

+ हरिको भजते हुअे अभी तक किसीकी लाज गयी हो, अैसा हमने नहीं जाना।

चतुर अलवेली, साजनके घर जाना होगा ! ' जैसे भजन ही अधिक प्रिय हैं, जिनमें मृत्युका हमारे परम हितैषी स्वजनके रूपमें वर्णन किया गया हो।

प्रार्थनाका तीसरा अंग स्वाध्याय अथवा ग्रंथ-पठन है। गीता, उपनिषद् और रामायण हमारे मूल स्रोत हैं। कुरान, बाइबल और बुद्ध-जीवनसे भी हम समय समय पर प्रेरणाका पान करते हैं। ताजा सत्याग्रह-साहित्य तो हमारा प्रतिदिनका आव्यात्मिक भोजन है।

प्रार्थनाका चौथा अंग प्रवचन है। प्रत्येक आश्रम-संस्थामें कोजी न कोजी व्यक्ति ऐसा होगा ही, होना भी चाहिये, जो उस संस्थाका मय्यविन्दु जैसा हो। ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंके होने पर ही आश्रमोंमें प्राण दिखायी देते हैं। जिन आश्रमोंमें ऐसे व्यक्ति नहीं होते, वे केवल नामके ही आश्रम हैं। वहां मकान होंगे, रुपयेका जोर होगा, नियमपूर्वक कुछ काम भी चलता होगा, लेकिन प्राण नहीं होंगे।

आश्रमका अर्थ है कोजी स्फूर्तिमय व्यक्ति और उसके आसपास उसके आकर्षणसे जमा हुयी मंडली। सारी मंडलीकी उसके प्रति श्रद्धा होती है, सम्मान होता है, प्रेम होता है। उसे भी सारी मंडलीके प्रति अत्यंत प्रेम होता है। उससे मंडलीको प्रेरणा मिलती है, तो मंडली भी उसे प्रेरणा देती है। मंडलीको उत्तमसे उत्तम पथ-प्रदर्शन देना है, यह विचार उसके मनमें चौबीसों घंटे जाग्रत रहता है, उस विचारकी प्रेरणासे वह सदा सावधान रहता है और अपने भीतर कभी शिथिलता नहीं आने देता।

जिसमें ऐसी परस्पर प्रेम और श्रद्धावाली मंडली हो, वह आश्रम प्राणवान बनकर दिनोंदिन बढ़ता रहता है। उसकी सभी प्रवृत्तियोंमें प्राण स्फुरित होता मालूम होता है। उसकी प्रार्थनाओं भी रसमय और सजीव होती हैं। जहां ऐसा नहीं होता वहां प्रवृत्तियां तो सब चलती होंगी, परन्तु वे यांत्रिक होंगी। वहांकी प्रार्थनाओं खास तौर पर शुष्क और ग्रामोफोनके रेकार्डों जैसी निर्जीव लगेंगी, फिर भले उनमें धूप, दीप, वाद्य जैसे कृत्रिम अपायोंसे रस अत्यन्त करनेके प्रयत्न किये जायं।

पुस्तकोंके वाचनके वजाय श्रद्धेय पुरुषके मुखकी जीवित वाणीकी खूबी न्यारी ही होती है। मुखकी वाणी भले ही पुस्तक जैसी व्यवस्थित न हो, परन्तु उसमें सजीव गूंज होती है, प्रेमका अुभार होता है; बोलनेवालेके मनमें हमें कुछ न कुछ देनेका अुत्साह होता है, जिसलिजे उसकी वाणी हमारे दिलमें सीधी पैठ जाती है, आवा वचन बोलनेसे पहले ही हम उसका पूरा वचन समझ जाते हैं।

परन्तु प्रवचनका रिवाज नहीं डालना चाहिये। वह प्रार्थनाका अेक अंग है, जिसलिजे किसीको कुछ न कुछ प्रवचन करना ही चाहिये, यह समझ कर यदि रिवाज डाल दिया जाय तो प्रवचनका कृत्रिम और भाषण-जैसा हो जाना संभव है। फिर तो जहां तक हो सके लंबा बोलना, उसमें वनावटी रस पैदा करनेके लिजे निन्दा और आलोचनाओंमें अुतर जाना, युद्ध आदिकी अखबारी घटनाओंके तीखे चटपटे वर्णन देना और उन पर रेडियोके वक्ताओं अथवा दैनिक समाचारपत्रोंकी शैलीमें विवेचन

करना — जिस तरहका प्रवचनका स्वरूप बन जानेका डर रहता है। ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहिये।

प्रवचन करनेके लिये — रिवाजका पालन करनेके लिये ही प्रवचन न किया जाय। परन्तु हमारे आसपास रोज कभी घटनाओं होती हैं और सार्वजनिक सेवकोंके नाते हमें उन घटनाओंके बारेमें अपने सिद्धान्तोंके अनुसार अपने विचार बनाने चाहिये। हमारे संस्था-जीवनमें भी छोटी-बड़ी घटनाओं होती रहती हैं तथा परेशानियां पैदा होती हैं। इन सबके बारेमें हमारी मंडलीको धर्मबुद्धिसे — सिद्धान्तकी दृष्टिसे विचार करते रहना चाहिये। इसलिये प्रवचनका रिवाज न डालें तो भी नित-नये विचार करनेके अवसरोंका कभी अकाल नहीं पड़ता। हमारी संस्था सजीव होगी, केवल लकीरकी फकीर नहीं होगी और यदि सौभाग्यसे हमारे बीच चरित्रवान और विचारक नेताका निवास होगा, तो हमारी प्रार्थनाओंमें नित्य नये नये रसपूर्ण प्रवचनोंकी गंगा बहती रहेगी और हमें नित्य नयी श्रद्धा और प्रेरणा देती रहेगी।

जिसीमें से प्रश्नोत्तरीका अंग भी स्वाभाविक रूपमें पैदा हो जायगा। हम यदि गहरे अुतरकर प्रवचन सुनते होंगे, विचारमय जीवन बिताते होंगे, जितने विचारोंका आचरण करें अुतनोंको समझनेका प्रयत्न करते होंगे, और जितना समझ लें अुतने पर अमल करनेका साहस अपनेमें पैदा करते होंगे, तो हमारे मनमें तरह तरहके सजीव प्रश्न अुठे बिना कैसे रहेंगे? प्रार्थनाके पवित्र वातावरणमें हम अपनी शंकाओं अुपस्थित करते हैं और अपने श्रद्धेय गुरुजनोंसे उनका समाधान पाकर शांत होते हैं। अेकके प्रश्नके अुत्तर सुनकर सारी मंडली लाभ अुठाती है।

पूछनेवाला अपनी होशियारी दिखानेको नहीं पूछता। अुसके मनमें सचमुच परेशानी पैदा होती है, जिसीलिये वह पूछता है; जवाब देनेवाला अपनी बुद्धि या होशियारी बतानेको जवाब नहीं देता, परन्तु प्रेमसे दूसरेको अपने अनुभव और ज्ञानका लाभ देनेकी वृत्तिसे जवाब देता है। छोटों और बड़ोंका अेक-दूसरे पर प्रेम होता है। छोटे प्रश्न पूछनेमें न डरते हैं, न शरमाते हैं। वे आजादीसे पूछते हैं, अपनी छोटी बुद्धिके अनुसार पागलों और खिलाड़ियोंकी-सी भाषा भी अिस्तेमाल करते हैं; परन्तु अुसमें गुरुजनका अपमान नहीं होता, उनसे सीखनेकी ही वृत्ति होती है। गुरुजन भी अुन्हें निरुत्तर करना अथवा अुडाना नहीं चाहते। प्रेम-संबंधके कारण तुरंत समझ लेते हैं कि पूछनेवालेकी परेशानी कहां है। हास्य-विनोदमें लपेट कर वे अपना अुत्तर अुसके हृदयमें पहुंचा देते हैं। कभी बार व्यक्तिगत अनुभवों और घरेलू अुदाहरणोंसे अुसकी आंखें खोल देते हैं। आपसमें अैसा प्रेम और विश्वास न हो, तो प्रश्नोत्तरीके भी अत्यन्त कृत्रिम और विडंबनावाद बन जानेका भय रहता है। अेक अपनी बुद्धिमानकीका प्रदर्शन करनेके लिये बनावटी सवाल अुठायेगा और दूसरा सामनेवालेको चकित कर डालनेके लिये जवाब देगा। इस मामलेमें खूब सावधान रहना चाहिये और प्रश्नोत्तरीको अैसी हलकी बनाकर प्रार्थनाका वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहिये।

प्रार्थनामें अेक नया अंग अभी अभी आरंभ हुआ है — वह है कुछ मिनटकी शान्तिका । सारा समूह कुछ मिनट तक विलकुल मीन और हलचल किये बिना गांतिसे बैठे रहे, अिस स्थितिमें सचमुच कोअी अद्भुत आनंद होता है । प्रत्येक सदस्यको अुस समय अैसा महसूस होता है, मानो हमारे समूहमें कोअी अलौकिक विजली घूम रही है ।

यह शांति यदि श्लोक बोलनेके बाद तुरन्त धारण की जाय, तो रटे हुए सिद्धान्तोंका अुस समय दिमागमें मनन होने लगेगा । और अुनमें छिपे हुए अर्थोंका कुछ न कुछ प्रकाश रोज हमारे अन्तरमें प्रगट होता रहेगा ।

प्रवचन ५३

प्रार्थना-संचालकोंके लिखे अपयोगी सूचनाओं

सबका सक्रिय भाग

सामूहिक प्रार्थना जहां जहां होती हो वहां अेक सूचना खास तीर पर विचारणीय है । प्रार्थना अिस ढंगसे करनी चाहिये कि सब सदस्योंको अुसके सब अंगोंमें सक्रिय भाग लेनेका मौका मिले ।

सक्रिय भाग लेनेका मौका हो तो ही समूह अेकाग्रता कायम रख सकता है । यह तो प्रार्थना है, प्रत्येकको प्रयत्न करके अेकाग्र रहना ही चाहिये, अैसा सोचकर प्रार्थनाको शुष्क नहीं बना डालना चाहिये । अेकाग्रता बनाये रखनेमें सहायक होनेवाले सभी अपुपाय किये जाने चाहिये ।

श्लोक छोटे-बड़े सबको कोशिश करके सिखा दिये जायं, ताकि सब अेकसाथ अेकसे शुद्ध अुच्चारणसे अुन्हें बोल सकें; और न आनेके कारण किसीको खाली न बैठे रहना पड़े । भजनमें अेक भजनीक गाये और दूसरे सुनते रहें, अैसा अक्सर होता है । अिससे सदस्योंको लंबे समय तक भजनमें सीधा भाग लेनेका मौका नहीं मिलता । अिस समयमें छोटी अुभ्रके सदस्य चंचल बन जाते हैं, अेकाग्रताकी कम आदतवालोंको नींदके झोंके आते हैं और अेकाग्रताकी आदतवालों पर भी जोर पड़े बिना नहीं रहता । भजनीक गवाये और दूसरे अुसका साथ दें, यह व्यवस्था ज्यादा अच्छी है । सारा समूह अच्छे स्वरसे और अेकसाथ भजन गाये, अैसा भी किया जा सकता है । जरूरी यह है कि अुसके लिखे सबको पहलेसे अच्छी तरह तालीम दी जाय ।

वाचन चल रहा हो तब या तो यह व्यवस्था हो कि सबके पास पुस्तकें हों या पढ़नेवाला विवेचन करता रहे । छपी हुअी यांत्रिक वाणीकी अपेक्षा मुंहकी सजीव वाणी पर ध्यान रखना लोगोंके लिखे ज्यादा आसान रहेगा ।

प्रवचनमें तो सदस्योंके भाग्यमें चुपचाप बैठकर सुनना ही होगा, परन्तु मुंहकी सजीव वाणी होनेसे अुसमें ध्यान रहना अुतना कठिन नहीं होगा । फिर भी बोलनेवालेको श्रोता-मण्डलके सब वर्गोंका — कम पढ़े हुए लोगों, वच्चों वगैरा सबका — खयाल

रखकर ही बोलना चाहिये। अन्हें नजरमें रखनेसे गंभीरसे गंभीर विचारोंको सरलसे सरल बनाकर पेश करनेकी कला विकसित होगी।

यह संभव नहीं है कि जितना बोला जाय अतना सब बालक समझ लेंगे। जिसके लिये टूटी-फूटी भाषा अस्तेमाल करनेकी या राजा-रानीकी कहानियां कहते रहनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु वे भी सभामें बैठे हैं, यह खयाल बोलनेवालेके मनमें रहेगा, तो वह समय समय पर अुनके स्तर पर अुतर आयेगा। जिससे प्रवचनकी गंभीरतामें दोष आये बिना अुसमें बालकोंका रस बढ़ जायगा। बच्चे कुछ तो अच्छी तरह समझ गये होंगे और जो पूरा न समझे होंगे अुसकी भी सुगन्ध अुनके दिमागमें रह जायगी।

प्रार्थना बहुत लंबी न हो

प्रार्थनाके शरीरका विचार करते समय यह बात भी समझ लेनी चाहिये। बहुत वार कोभी कोभी संस्थायें घंटे, डेढ़ घंटे और जिससे भी लंबे समय तक प्रार्थनामें चलाती हैं। जिससे सदस्योंको कड़ी प्रकारकी असुविधाओंका सामना करना पड़ता है। अितने लंबे समय तक अेकाग्र मन और स्थिर आसनसे बैठे रहना सबके लिये आसान नहीं हो सकता। जिसके सिवा, हिसाबी वृत्तिवाले सदस्योंके लिये अितना लंबा समय अपने दूसरे कामोंसे निकालना भी संभव नहीं होता।

जिसमें भी प्रातःकालकी प्रार्थनाको तो १५ या २० मिनटसे अधिक लंबी होने ही नहीं देना चाहिये। जिस बहुमूल्य समयको खूब किफायतसे काममें लेना चाहिये, और अपनी अपनी स्वतंत्र जरूरतोंके अनुसार प्रत्येकके हाथमें वह समय काफी मात्रामें रहना चाहिये। यह सच है कि आश्रम अेकदिलवाली संस्था होनी चाहिये, अुसमें बहुतसे काम साथ मिलकर सामूहिक ढंगसे करने होते हैं, परन्तु हमारा यह अुद्देश्य कभी नहीं हो सकता कि सदस्योंका सारा जीवन सामूहिक या फौजी छावनीके ढंगका बना दिया जाय। सुबहका समय किसीको चिन्तनके लिये, किसीको अध्ययनके लिये, किसीको व्यायामके लिये — जिस तरह अपनी अपनी जरूरतोंके अनुसार वितानेकी अिच्छा होना स्वाभाविक है। सामूहिक प्रार्थना कितनी ही अुपयोगी क्यों न हो, तो भी अुसे अपनी मर्यादा छोड़कर सदस्योंके स्वाधीन समय पर आक्रमण नहीं करने देना चाहिये।

सायंकालकी प्रार्थना कुछ अधिक लंबी की जा सकती है, मगर अुसके लिये भी मैं तो ४०-४५ मिनटसे अधिक न रखनेकी ही सलाह दूंगा। समयकी मर्यादामें रह सकनेके लिये सारे समूहको और खास तौर पर प्रार्थनाके अलग अलग अंगोंके संचालकोंको सहयोग देकर अपने अपने भागोंमें सावधानी रखनी पड़ेगी। निश्चित समय पर प्रार्थना शुरू हो ही जाय — न अेक मिनट देरसे और न अेक मिनट जल्दी। जिस नियमका धार्मिक लगनके साथ पालन करना पड़ेगा। श्लोकोंका भाग कड़ी जगह बहुत ढिलाजीके साथ लंबा-लंबा कर बोला जाता है। जिससे अेकाग्रता सिद्ध करनेमें मदद मिलती है, यह खयाल ठीक नहीं है। ढीला स्वर अेकाग्रताका पोषक हो ही

नहीं सकता। मिनट दो मिनट भी जिस तरह हम बरवाद नहीं होने दे सकते। जिसका यह मतलब नहीं कि मिनट बचानेके खातिर श्लोक धांवलीसे पढ़ लिये जायें।

भजनीकोंको भी समयका खयाल नजरसे ओझल नहीं होने देना चाहिये। पंक्तियाँ दोहराते रहने और लंबे लंबे आलाप लेने पर अन्हें अंकुश रखना पड़ेगा। भजनीक स्वभावसे ही धुनी होते हैं। जिसलिये यह सूचना अप्रस्तुत नहीं होगी। अकेला गानेवाला हो तो वह तरंगमें आकर, समयका विचार छोड़कर मुक्तकण्ठसे गा सकता है, परन्तु समूह-गान विलकुल अलग चीज है। वह अधिक अंकुश, अधिक मर्यादा और अधिक वेगका तकाजा करता है।

धुनका तो नाम ही धुन है। वह तो धुनमें आकर ही गायी जाती है। कहीं कहीं सामूहिक प्रार्थनामें मैंने ३०-३० और ४०-४० धुनके आवर्तन चलते देखे हैं। भजनीक तरंगमें आकर उसमें आलाप और पलटे लेता ही चला जाता है और तृप्त होता ही नहीं। परन्तु समूह बहुत लंबी धुनको भी सहन नहीं कर सकता। यह उसे पुसा नहीं सकता। ऐसी प्रार्थनाओंके लिये धुनके १० आवर्तन काफी माने जाने चाहिये।

पाठ, प्रवचन और प्रश्नोत्तरीके अंगोंको भी विवेकसे अपनी मर्यादा बांधनी पड़ेगी। प्रार्थनामें सब अंगोंको रोज ही स्थान देनेकी जरूरत नहीं है। एक अंग बढ़ जाये तो दूसरोंको कम कर देना पड़ेगा।

प्रार्थनाको सदा हरी रखें

जिस प्रार्थनाका हम रोज सवेरे और शामको रटन करते हैं, वह हमें दिनमें याद रहती है? खाते, बैठते, झुठते, काम करते, सोते भुसके श्लोक मोटे अक्षरोंमें लिखे हुये सूत्रोंकी तख्तियोंकी तरह हमें अपनी आंखोंके सामने दिखते रहते हैं? हम जो भी काम करते हैं, भुसे करते करते आजके भजनकी रटन हमारे मनमें चलती रहती है? यह रटन और स्मरण सदा ताजा बना रहे, इसी आशासे हम रोज वहीकी वही प्रार्थना बोलते हैं।

परन्तु क्या ऐसा नहीं होता कि जिस वस्तुको रोज हम एक ही तरहसे करते रहते हैं वह यांत्रिक बन जाती है, निर्जीव आदतके रूपमें बदल जाती है, केवल क्रियाकाण्ड बन जाती है और दिनमें हमें उसका खयाल भी नहीं रहता? जिसे सब लोग स्वीकार करेंगे कि प्रार्थनाके मामलेमें भी ऐसा ही होता है। यह हमारे मनुष्य-स्वभावकी कमजोरी है। हममें कोअी विरले ही ऐसे होते हैं जो सदा जाग्रत रह सकते हैं, ऐसी कमजोरीसे अपनी बुद्धिको घिरने नहीं देते और अपनी प्रार्थनाको सदा हरी रख सकते हैं।

अपने स्वभावकी दुर्बलताको ध्यानमें रखकर हमें प्रार्थनाको सदा हरी रखनेके लिये कुछ अपाय जरूर करने चाहिये।

प्रार्थनाके श्लोकों और भजनोंके अुच्चारण और अर्थ सबको अच्छी तरह सीख लेने चाहिये। वे संस्कृत और हिन्दीमें हों तब तो ऐसा करना खास तौर पर जरूरी हो

जाता है। जिसके लिये आश्रम जैसी संस्थाओंमें समय समय पर विशेष वर्ग चलाये जायं। अेक बारका वर्ग पूरा होने पर यह प्रयत्न हमेशाके लिये खतम हुआ, अैसा न मानकर फिरसे वर्ग शुरु किया जाय। समय समय पर भरती होनेवाले नये लोगोंके लिये यह आवश्यक है; अितना ही नहीं, आम तौर पर सब आश्रमवासियोंके दिमागमें प्रार्थनाके अुच्चारण, शब्द और भावार्थ ताजे बने रहें इसके लिये भी अैसा करना आवश्यक है।

प्रवचनमें भी प्रार्थनामें आनेवाले अलग अलग सिद्धान्तों पर प्रसंगानुसार विवेचन किये जायं। हमारे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों पर अुन्हें प्रसंगानुसार घटाते रहना चाहिये।

अिस प्रकार प्रत्येक अुपायसे प्रार्थनाके शब्द, अुसके भाव, अुसमें रहनेवाले सिद्धान्त हममें से प्रत्येकके मनमें बसे रहें, यह बहुत जरूरी है। मौका-त्रेमौका, सुखमें और दुःखमें वे चिर-परिचित मित्रोंकी भांति हमारी आंखोंके सामने बने रहें और हमें बल और आश्वासन देते रहें, यह हमारी आंतरिक अिच्छा है। वे शब्द और भाव अितने हृदयगम्य हो जाने चाहिये कि बात बातमें वे हमारी जवान पर आते रहें; अितना ही नहीं, सपनेमें भी हमारे होठोंसे वही शब्द निकल पड़ें। हम अुन्हें अपनी रग-रगमें अितना रमा लेना चाहते हैं कि भयंकर रोगकी यातना भोग रहे हों तब भी अुन्हें याद करनेसे हमारे दिमागको थकान मालूम न हो परन्तु शांति मिले; कैसी भी आफतमें हम अुन्हें भूल नहीं सकें और मौतकी विकट घड़ीमें अन्य सब बातें भूल जायं तब भी अीश्वर-कृपासे अुनका भान हमें ताजा बना रहे।

हमें प्रत्येक अुपाय द्वारा प्रार्थनाको अैसी हरी और ताजी रखना चाहिये; अुसे दिनमें दो बार तोतेकी तरह पाठ कर जानेकी चीज कभी न बनने देना चाहिे।

८२३

अस पुस्तकके पहले और तीसरे भागमें चर्चित विषय

पहला भाग : आश्रमवासीके ब्राह्म आचार

पहला विभाग : आश्रम-प्रवेश

प्रवचन — १ : पहले दिनकी घवराहट; २ : स्वच्छताकी अन्द्रिय; ३ : आश्रम-प्रीत्यर्थ; ४ : हमारा यज्ञकर्म; ५ : सूत्रयज्ञ ही क्यों?

दूसरा विभाग : भोजन-विचार

प्रवचन — ६ : आश्रमी भोजन अच्छा लगा?; ७ : आश्रमी आहारकी दृष्टियां; ८ : सच्चा स्वाद; ९ : सात्त्विक आहार; १० : कैसे खाना चाहिये?; ११ : अमृत-भोजन।

तीसरा विभाग : समय-पालनका धर्म

प्रवचन — १२ : आकाशका अमृत; १३ : आश्रम-माताकी प्रभाती; १४ : परम अपकारी घंटी; १५ : समय-पत्रक; १६ : डायरी; १७ : डायरी लिखनेकी कला; १८ : समय नष्ट करनेके साधन।

चौथा विभाग : श्रम-धर्म

प्रवचन — १९ : 'महाकार्य'; २० : स्वच्छता-सैनिककी तालीम; २१ : अस्पृश्यता-निवारणकी कुंजी; २२ : स्वयंपाक; २३ : पावन करनेवाला पसीना; २४ : खेतीके रसायन।

पांचवां विभाग : खादी-धर्म

प्रवचन — २५ : अनिवार्य खादीका नियम; २६ : राष्ट्रीय गणवेश; २७ : सौ फी सदी स्वदेशी; २८ : सम्यताके पाश; २९ : सच्ची पोशाककी खोज।

तीसरा भाग : आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्त

नवां विभाग : ग्रामाभिमुखता

प्रवचन — ५४ : हमारा प्यारा गांव; ५५ : हमारे ग्राम-गुरु; ५६ : आलसी-पनकी जड़ें; ५७ : भयोंका भय; ५८ : गुणी ग्रामजन; ५९ : ग्रामवासीकी भाषा।

दसवां विभाग : आश्रमवासी

प्रवचन — ६० : हमारा नाम; ६१ : सत्याग्रही खादी-सेवक; ६२ : सत्याग्रही शिक्षक; ६३ : सत्याग्रहीके राजनीतिक दावपेंच; ६४ : सत्याग्रही नेता।

ग्यारहवां विभाग : आत्मबल

प्रवचन — ६५ : सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं?; ६६ : 'नीतिके रूपमें'; ६७ : हमारे सेनापति; ६८ : सत्यमें कौनसा बल है?; ६९ : अहिंसामें कौनसा चमत्कार है?; ७० : असेसे स्वराज्य मिलेगा?; ७१ : हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं? ..

बारहवां विभाग : आश्रमी शिक्षाका अभ्यासक्रम (अेकादश व्रत)

प्रवचन — ७२ : आश्रम-रचनाकी बुनियाद (सत्य-अहिंसा); ७३ : आत्म-रचनाकी अिमारत [१. धन्धोंमें सिद्धान्त (अस्तेय), २ : सुख-सुविधाओंमें सिद्धान्त (अपरिग्रह), ३. व्यक्तिगतसे व्यक्तिगत जीवनमें भी सिद्धान्त (ब्रह्मचर्य), ४. भोग-विलास पर संयम (शरीर-श्रम), ५. आत्म-रचनाका 'बायें-दाहिने' (अस्वाद), ६. लड़ाका सत्याग्रह (अभय), ७. विशाल स्वदेशी, ८. अूँच-नीच-भेदका जहर (अस्पृश्यता-निवारण), ९. सच्ची धार्मिकता (सर्वधर्म-समभाव)]; ७४ : आत्म-रचनाके त्रिविध फल; ७५ : आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम; ७६ : स्वराज्य आश्रम।

फलश्रुति : नयी संस्कृतिकी पुरानी बुनियाद — लेखक : काकासाहव कालेलकर।

